वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2016-17

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2016-17

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्रधान कार्यालय
तृतीय तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग.
हैदराबाद 500 004, भारत
फोनः +91-40-2338 1100 / 1300
फैक्सः +91-40-6682 3334

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (नदिक्षेका)
गेट नं. 3, पहली मंज़िल, जीवन तारा बिल्डिंग
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110 001, भारत
फोनः +91-11-2344 4400
फैक्सः +91-11-2374 7650

मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (मुंक्षेका)
रॉयल इंश्योरेंस बिल्डिंग, भूतल
12, जे. टाटा मार्ग (चर्चगेट के पास)
मुंबई-400 020, भारत
फोनः +91-22-2289 8600

वेबसाइट : www.irdai.gov.in

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/7/आर&डी/एसडी/एआर-2016-17/40/दिसंबर-17 04 दिसंबर 2017

सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2017 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,
टीएसविजयन
(टी एस विजयन)
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/7/R&D/SD/AR-2016-17/40/Dec-17 4th December, 2017

The Secretary,
Department of Financial Services, Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith a copy of the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2017 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of returns, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

(T S Vijayan)
Chairman

परिश्रम भवन, तीसरा तल, बशीरबाग, हैदराबाद-500 004. भारत
✆ : 91-040-2338 1100, फैक्स: 91-040-6682 3334
ई-मेल: irda@irda.gov.in वेब: www.irda.gov.in

Parisharam Bhavan, 3rd Floor, Basheer Bagh, Hyderabad-500 004. India.
Ph.: 91-040-2338 1100, Fax: 91-040-6682 3334
E-mail : irda@irda.gov.in Web.: www.irda.gov.in

विषय-सूची

मिशन विवरण
प्राधिकरण के सदस्य 31.03.2017
आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी

भाग-I
नीतियाँ और कार्यक्रम

			पृष्ठ सं.
I.1	सामान्य आर्थिक परिवेश	.....	1
I.2	विश्व बीमा परिदृश्य	.....	4
I.3	भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन	.....	8
I.4	समीक्षा	.....	31
	I.4.1. पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	.....	31
	I.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण	.....	36
	I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी	.....	36
	I.4.4 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी	.....	36
	I.4.5 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	.....	45
	I.4.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय	.....	65
	I.4.7 वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक	.....	67
	I.4.8 धनशोधन-निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला कार्यक्रम	.....	67
	I.4.9 फ़सल बीमा	.....	70
	I.4.10 सूक्ष्म बीमा	.....	71
	I.4.11 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेश, आदेश और विनियम	.....	73
	I.4.12 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	.....	73

भाग-II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	.....	77
II.2	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट,	.....	84
	माध्यम-वार नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन		85
II.3	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती	.....	88
II.4	बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	.....	95
II.5	वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय	.....	95
II.6	बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	.....	95
II.7	शिकायतें	.....	101
II.8	बीमा संघ और बीमा परिषदें	.....	105
II.9	बीमा लोकपाल	.....	107

भाग-III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

			पृष्ठ सं.
III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	.....	109
III.2	पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	.....	110
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	.....	113
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	.....	114
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढ़ावा देना	.....	115
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	.....	117
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	.....	118
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना	.....	118
III.9	उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे	.....	119
III.10	बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन	.....	119
III.11	शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन	.....	121
III.12	बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन	.....	122
III.13	पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	.....	122
III.14	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना	.....	122

भाग-IV
संगठनात्मक विषय

			पृष्ठ सं.
IV.1	संगठन	.....	125
IV.2	प्राधिकरण की बैठकें	.....	125
IV.3	मानव संसाधन	.....	125
IV.4	महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति	.....	126
IV.5	राजभाषा का संवर्धन	.....	126
IV.6	अनुसंधान और विकास	.....	128
IV.7	सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति	.....	129
IV.8	लेखा	.....	131
IV.9	आईआरडीएआई जर्नल	.....	131
IV.10	आईआरडीएआई कार्यालय भवन	.....	131
IV.11	आभार-प्रदर्शन	.....	131

बॉक्स मदें

1.	स्वास्थ्य बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए विनियामक पहलें	.....	46
2.	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय	.....	119
3.	इंड एएस का कार्यान्वयन	.....	120

मूलपाठ की सारणियाँ

I.1	राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान और जीडीपी संबंधी व्यय	.....	1
I.2	आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर जीवीए के अनंतिम अनुमान	.....	2
I.3	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	.....	3
I.4	सकल बचत	.....	3
I.5	2016 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर	.....	4
I.6	क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम 2016	.....	5
I.7	भारत में बीमा व्यापन और सघनता	.....	7
I.8	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं / लॉयड्स इंडिया सहित पंजीकृत बीमाकर्ता	.....	8
I.9	जोखिम-अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता	.....	9
I.10	बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता	.....	10
I.11	जारी की गई नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता	.....	10
I.12	प्रदत्त पूँजीः जीवन बीमाकर्ता	.....	11
I.13	कमीशन व्ययः जीवन बीमाकर्ता	.....	12
I.14	कमीशन व्यय अनुपातः जीवन बीमाकर्ता	.....	12
I.15	परिचालन व्ययः जीवन बीमाकर्ता	.....	12
I.16	परिचालन व्यय अनुपातः जीवन बीमाकर्ता	.....	12
I.17	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किये गये लाभांश	.....	13
I.18	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	14

			पृष्ठ सं.
I.19	जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	14
I.20	जीवन कार्यालयों की संख्या	.....	16
I.21	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण जीवन कार्यालयों की संख्या	.....	16
I.22	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण स्तर-वार	.....	16
I.23	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	18
I.24	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता: बीमाकर्ता-वार	.....	19
I.25	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार	.....	20
I.26	कुल प्रीमियम की तुलना में भारत के बाहर प्रीमियम का अनुपात	.....	20
I.27	भारत के बाहर व्यवसाय से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	.....	21
I.28	जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्याः साधारण बीमाकर्ता	.....	21
I.29	प्रदत्त पूँजीः साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता	.....	22
I.30	जोखिम-अंकन अनुभवः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	23
I.31	सकल कमीशन व्ययः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	23
I.32	परिचालन व्ययः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	24
I.33	निवल उपगत दावेः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	24
I.34	उपगत दावा अनुपातः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	.....	25
I.35	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय	.....	25
I.36	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	.....	26
I.37	भुगतान किये गये लाभांशः साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ता	.....	26
I.38	साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या	.....	27
I.39	31.03.2017 को साधारण बीमा कार्यालयों का राज्य/के.शा.प्र.-वार वितरण	.....	27
I.40	साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या 31.03.2017 को स्तर-वार	.....	27
I.41	साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जिलों की राज्य/के.शा.प्र.-वार व्याप्ति	.....	28
I.42	2017-18 के लिए मोटर अन्य पक्ष (टीपी) दायित्वों के परिकलन	.....	30
I.43	किये गये कार्यकलाप और व्यय की गई राशि - आईआरडीएआई की बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलें	.....	35
I.44	निवल प्रतिधारण (जीआईसी आरई) - 2016-17	.....	39
I.45	भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों का अंश	.....	39
I.46	भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों का अंश	.....	40
I.47	पुनर्बीमा संस्थाओं के व्यावसायिक आंकड़े 2016-17	.....	41
I.48	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)	.....	42
I.49	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में भारत के अंदर और बाहर साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा रखा गया पुनर्बीमा	.....	42
I.50	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम	.....	42
I.51	बीमा क्षेत्र के कुल निवेश	.....	43
I.52	जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः श्रेणी-वार	.....	43
I.53	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः निधि-वार	.....	44
I.54	निवेशों की वृद्धि- निधि-वार	.....	44
I.55	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः श्रेणी-वार	.....	45
I.56	पिछले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	48

			पृष्ठ सं.
I.57	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	49
I.58	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	50
I.59	व्यवसाय का वर्ग निवल उपगत दावा अनुपात	.....	51
I.60	स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात	.....	51
I.61	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या क्षेत्र-वार	.....	52
I.62	विशेष सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या और सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 2016-17	.....	52
I.63	क्षेत्र-वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम	.....	53
I.64	क्षेत्र-वार विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम	.....	53
I.65	क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम	.....	53
I.66	विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय 2016-17	.....	53
I.67	2016-17 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शीर्षस्थ 5 राज्यों का अंश (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	54
I.68	वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	55
I.69	अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे	.....	56
I.70	बीमाकर्ताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संभाले गये दावे	.....	56
I.71	दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे	.....	57
I.72	टीपीए के माध्यम से निपटाये गये दावों की अवधि का विवरण	.....	57
I.73	बीमाकर्ताओं द्वारा आंतरिक रूप से निपटाये गये दावों की अवधि का विवरण	.....	58
I.74	बीमाकर्ताओं द्वारा दोनों टीपीए के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावों की अवधि का विवरण	.....	58
I.75	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या	.....	59
I.76	31 मार्च 2017 को अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की सूची	.....	60
I.77	2016-17 के दौरान नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची	.....	61
I.78	उन टीपीए का विवरण जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण 2016-17 के दौरान अस्वीकृत किया गया	.....	61
I.79	2016-17 के दौरान टीपीए द्वारा नामांकित नेटवर्क अस्पतालों से संबंधित सूचना	.....	62
I.80	जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित और एकल प्रीमियम पॉलिसियों से प्रथम वर्ष प्रीमियम)	.....	63
I.81	नवीकरण व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों से नवीकरण प्रीमियम)	.....	63
I.82	जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य राइडर्स के संबंध में नया व्यवसाय	.....	63
I.83	जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य राइडर्स के संबंध में नवीकरण व्यवसाय	.....	63
I.84	स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा संभाले गये दावों का विवरण	.....	64
I.85	स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से जुडी रइडर्स के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा संभाले गये दावों का विवरण	.....	64
I.86	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) का अनुपालन 2016-17	.....	66
I.87	ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अनुपालन का विवरण 2016-17	.....	66
I.88	सामाजिक क्षेत्र दायित्व में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता के अनुपालन का विवरण 2016-17	.....	67
I.89	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा प्रीमियम की दर	.....	71

			पृष्ठ सं.
I.90	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई)	.....	72
I.91	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय 2016-17	.....	74
I.92	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट 2016-17	.....	74
I.93	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण 2016-17	.....	74
I.94	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	74
I.95	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	75
I.96	सूक्ष्म बीमा वैयक्तिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे 2016-17	.....	75
I.97	सूक्ष्म बीमा सामूहिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे 2016-17	.....	75
I.98	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची	.....	76
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण 2016-17	.....	85
II.2	कॉरपोरेट एजेंटों का विवरण 2016-17	.....	85
II.3	2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन -माध्यम-वार	.....	86
II.4	2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार	.....	86
II.5	बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) का व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17	.....	88
II.6	बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) की राज्य-वार उपस्थिति	.....	88
II.7	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस	.....	89
II.8	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें	.....	89
II.9	31-03-2017 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार बीमा दलालों के पंजीकृत कार्यालय	.....	90
II.10	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहक	.....	91
II.11	दायर किये गये मामलों का विवरण 2016-17	.....	96
II.12	निपटाये गये/ खारिज किये गये मामलों का विवरण 2016-17	.....	96
II.13	शिकायतों की स्थिति (आईजीएमएस के अनुसार) : जीवन बीमाकर्ता 2016-17	.....	101
II.14	शिकायतों की स्थितिः साधारण बीमाकर्ता 2016-17	.....	102
II.15	शिकायतों की प्रवृत्ति: जीवन बीमाकर्ता	.....	103
II.16	शिकायतों की प्रवृत्ति: साधारण बीमाकर्ता	.....	103
II.17	शिकायतों की प्रवृत्ति: उद्योग	.....	103
II.18	बीमाकर्ता जिन्होंने 31-03-2017 को लंबित शिकायतों की संख्या शून्य दर्ज की है	.....	104
II.19	डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज की गई और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतों की प्राप्ति और निपटान (1.4.2016 से 31.3.2017 तक)	.....	104
II.20	आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें 31.03.2017 को लंबित	.....	104
II.21	बीमा लोकपालों द्वारा शिकायतों का निपटान 2016-17	.....	107
III.1	भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं / लॉयड्स इंडिया की सूची	.....	109
IIII.2	प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोज़िटरीस) 31.03.2017 को	.....	115

चार्ट

I.1	चालू कीमतों पर जीवीए 2016-17 (अनंतिम अनुमान) में क्षेत्रों का अंश	.....	2
I.2	चयनित देशों में बीमा व्यापन -- 2016	.....	5
I.3	चयनित देशों में बीमा सघनता -- 2016	.....	6
I.4	भारत में बीमा व्यापन	.....	7
I.5	भारत में बीमा सघनता	.....	7

पृष्ठ सं.

I.6	जीवन बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम	.....	9
I.7	जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	.....	9
I.8	5 वर्षों के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम	.....	9
I.9	लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण वैयक्तिक पॉलिसियाँ	.....	15
I.10	लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण सामूहिक पॉलिसियाँ	.....	15
I.11	जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या	.....	15
I.12	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वितरण निजी क्षेत्र	.....	17
I.13	कार्यालयों का भौगोलिक वितरण -- एलआईसीआई	.....	17
I.14	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वितरण -- उद्योग	.....	17
I.15	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय साधारण बीमाकर्ता	.....	18
I.16	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 5 वर्ष	.....	18
I.17	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार	.....	19
I.18	साधारण बीमा कार्यालयों की संख्या स्तर-वार 2016-17	.....	29
I.19	साधारण बीमा कार्यालयों का राज्य-वार वितरण	.....	29
I.20	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	48
I.21	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण	.....	49
I.22	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश	.....	50
I.23	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	51
I.24	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश 2016-17	.....	54
I.25	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न माध्यमों का अंशदान (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)	.....	55
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम- वार - निजी बीमाकर्ता	.....	87
II.2	2016-17 के लिए एलआईसीआई का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार	.....	87
II.3	2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार -- उद्योग	.....	87
II.4	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार निजी बीमाकर्ता	.....	87
II.5	एलआईसीआई का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार	.....	87
II.6	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार -- उद्योग	.....	87
II.7	पिछले दो वर्षों के दौरान प्राप्त जीवन शिकायतों का वर्गीकरण	.....	101
II.8	पिछले दो वर्षों के दौरान पंजीकृत साधारण बीमा शिकायतों का शिकायत-प्रकार-वार वर्गीकरण	.....	102
II.9	पिछले 3 वर्षों के दौरान पॉलिसी प्रकार-वार साधारण बीमा शिकायतें	.....	102
II.10	शिकायतों की प्रवृत्ति उद्योग पिछले दो वर्ष	.....	103

विवरण

1.	बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना	.....	135
2.	बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना	.....	136

			पृष्ठ सं.
3.	प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित)	.....	137
4.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	.....	138
5.	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम 2016-17 एवं 2015-16	.....	139
6.	वैयक्तिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	141
7.	सामूहिक मृत्यु दावे 2016-17	.....	143
8.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ	.....	145
9.	जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	.....	148
10.	भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का तिमाही शोधक्षमता अनुपात 2016-17	.....	149
11.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)	.....	150
12.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)	.....	151
13.	स्वास्थ्य बीमा (यात्रा- देशी/ विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर) पॉलिसियों की संख्या, सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या और सकल प्रीमियम (2016-17)	.....	152
14.	उपगत दावा अनुपात -- सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ता 2016-17 एवं 2015-16	.....	153
15.	उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र के साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2016-17 एवं 2015-16	.....	154
16.	दावों का विश्लेषण साधारण बीमाकर्ता 2016-17	.....	156
17.	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ	.....	157
18क	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	.....	158
18ख	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी	.....	159
19.	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात 2016-17	.....	160
20.	शिकायतों की स्थिति जीवन बीमाकर्ता -- 2016-17	.....	161
21.	शिकायतों की स्थिति साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2016-17	.....	162

अनुबंध

1.	भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ	.....	165
2.	बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना	.....	168
3.	(i) भारतीय बीमित जीवन मृत्यु-दर (2006-08) अंतिम	.....	169
	(ii) वार्षिकी-ग्राहियों के लिए प्रकाशित मृत्यु-दर सारणीः एलआईसी (क) (1996-98) अंतिम दरें	.....	171
4.	अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची 2016-17	.....	173
5.	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	.....	180
6.	अनुमोदित साधारण बीमा उत्पाद 2016-17	.....	181
7.	अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद 2016-17	.....	189
8.	01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/ आदेश/ दिशानिर्देश/ अनुदेश/ विविध	.....	192
9.	31/03/2017 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	.....	203
10.	(i) प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड 2016-17	.....	207
	(ii) प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड 2016-17 (दलाल)	.....	209

मिशन विवरण

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- ✓ प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार और सक्षमता के उच्च मानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- ✓ वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनाचारों की रोकथाम करना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना;
- ✓ बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालन को बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिए एक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

31 मार्च 2017 को प्राधिकरण के सदस्य

टी एस विजयन
अध्यक्ष

पूर्णकालिक सदस्य

डी डी सिंह
(4 अक्तूबर 2016 तक)

पौर्णिमा गुप्ते

वी आर अय्यर

नीलेश साठे

पी जे जोसेफ

अंशकालिक सदस्य

आलोक टंडन
(15 जून 2016 तक)

एन श्रीनिवास राव
(16 जून 2016 से)

सुषमा नाथ
(24 अगस्त 2016 से)

एस बी माथुर

सीए. एम देवराज रेड्डी
(11 फरवरी 2017 तक)

सीए. नीलेश एस विकमसे
(12 फरवरी 2017 से)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के वरिष्ठ अधिकारी

कार्यकारी निदेशक	श्रीराम तरनिकाँति, आईएएस (23.08.2016 तक) एम. पुल्ला राव (03.10.2016 से) सुरेश माथुर (03.10.2016 से)
वित्तीय परामर्शदाता	ललित कुमार चंदेल (14.07.2016 तक)
मुख्य महाप्रबंधक	रणदीप सिंह जगपाल ए आर नित्यानंथम ममता सूरी जे मीना कुमारी यग्नप्रिया भरत (03.10.2016 से)
महाप्रबंधक	मुकेश शर्मा (29.04.2016 को सेवानिवृत्त) एस एन जयसिंहन एच अनंतकृष्णन वी जयंतकुमार रमणा राव अद्दंकि संजीव कुमार जैन टी एस नाईक एस पी चक्रबर्ती पी के मैती राज कुमार शर्मा
मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधक	ए वी राव

भाग - I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश

I.1.1 केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, (सीएसओ) सांख्यकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2016-17 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार उक्त वर्ष के लिए वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 151.84 लाख करोड़ रुपये पर अनुमानित है जो वर्ष 2015-16 के लिए 136.82 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी के अनुमानों की तुलना में 11.00 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्शा रहा है।

I.1.2 वर्तमान कीमतों पर जिन क्षेत्रों ने 9.0 प्रतिशत से अधिक अनुमानित संवृद्धि दर्ज की है वे हैं 'कृषि, वानिकी और मत्सय ग्रहण' (9.0 प्रतिशत), 'विनिर्माण' (9.3 प्रतिशत), 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ' (9.8 प्रतिशत), तथा 'वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ' (9.8 प्रतिशत) एवं 'लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ' (16.6 प्रतिशत)। 'खनन और उत्खनन', 'बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ' तथा 'निर्माण' में संवृद्धि क्रमशः 1.9, 6.5 और 3.5 प्रतिशत है।

I.1.3 यह अनुमान है कि सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) वर्तमान कीमतों पर पिछले वर्ष के 135.22 लाख करोड़ रुपये के अनुमान की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 149.94 लाख करोड़ है। संवृद्धि दरों के तौर पर यह अनुमान है कि सकल राष्ट्रीय आय 10.9 प्रतिशत बढ़ी है। 2016-17 के दौरान वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय के विषय में अनुमान है कि इसने 103219 रुपये का स्तर प्राप्त किया है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2015-16 के लिए अनुमान 94130 रुपये का था जिसने 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी।

(स्रोतः सीएसओ प्रेस नोट दिनांक 31.05.2017)

सारणी I.1
राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान और जीडीपी संबंधी व्यय (वर्तमान कीमतों पर)

मद	2014-15	2015-16	2016-17 (अ.अ.)
देशी उत्पाद (₹ करोड़)			
1. मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	11481794	12458642(8.5)	13669914(9.7)
2. सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)	12445128	13682035(9.9)	15183709(11.0)
3. निवल देशी उत्पाद (एनडीपी)	11101191	12236662(10.2)	13597811(11.1)
4. सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) (छ करोड़)	12297698	13522256(10.0)	14994109(10.9)
5. निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) (छ करोड़)	10953761	12076882(10.3)	13408211(11.0)
6. सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) (छ करोड़)	12702852	13935339(9.7)	15379509(10.4)
7. निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (एनएनडीआई)	11358915	12489965(10.0)	13793611(10.4)
प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम उपभोग (₹)			
8. प्रति व्यक्ति जीडीपी	98225	106641(8.6)	116888(9.6)
9. प्रति व्यक्ति जीएनआई	97062	105396(8.6)	115428(9.5)
10. प्रति व्यक्ति एनएनआई	86454	94130(8.9)	103219(9.7)
11. प्रति व्यक्ति जीएनडीआई	100259	108615(8.3)	118395(9.0)
12. प्रति व्यक्ति पीएफसीई	57086	61826(8.3)	68722(11.2)

अ.अ. : अनंतिम अनुमान . पीएफसीईः निजी अंतिम उपभोग व्यय
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं।
स्रोत: सीएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017।

सारणी I.2
आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अनंतिम अनुमान

(वर्तमान कीमतों पर) (₹ करोड़)

उद्योग	2014-15	2015-16	2016-17 (अ.अ.)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
				2015-16	2016-17
1. कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	2068958	2175547	2372085	5.2	9.0
2. खनन और उत्खनन	314177	296253	301921	(5.7)	1.9
3. विनिर्माण	1883937	2064820	2257413	9.6	9.3
4. बिजली,गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	279631	321651	342422	15.0	6.5
5. निर्माण	987493	1006403	1041343	1.9	3.5
6. व्यापार, होटल,परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएँ	2095121	2294364	2519999	9.5	9.8
7. वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	2363250	2631120	2889048	11.3	9.8
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	1489226	1668486	1945683	12.0	16.6
मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	**11481794**	**12458642**	**13669914**	**8.5**	**9.7**

अ.अ. : अनंतिम अनुमान स्रोत : सीएसओ, प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2017।
कोष्ठक में आंकड़े ऋणात्मक मूल्य दर्शाते हैं।

चार्ट I.1 वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) 2016-17 में क्षेत्रों का अंश

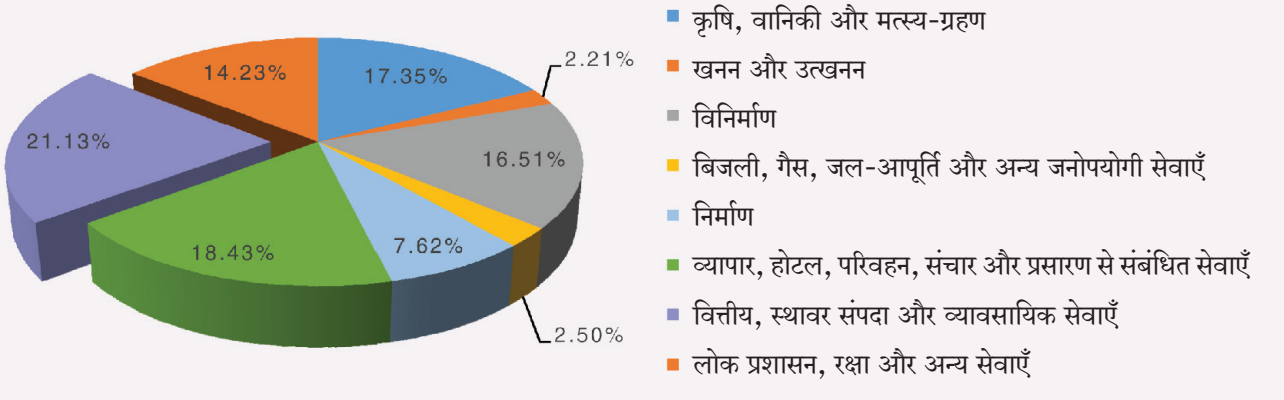

घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

I.1.4 वित्तपोषण के तौर पर, घरेलू वित्तीय बचत अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए निधियों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत - ने वास्तविक आय में सुधार की पृष्ठभूमि में 2015-16 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 7.8 प्रतिशत तक प्रगति की। निजी गैर-वित्तीय निगमों की बचत 2015-16 में जीएनडीआई के 10.8 प्रतिशत तक बढ़ी। इसी समय, सामान्य सरकार की ऋणात्मक बचत (डिस-सेविंग) में 2015-16 के दौरान 1.0 प्रतिशत तक गिरावट आई। निवेश के मोर्चे पर घर-परिवारों की भौतिक आस्तियाँ 2015-16 में 10.7 प्रतिशत तक तेजी से घट गईं तथा नियत पूँजी निर्माण में समग्र गिरावट के लिए कारण बनीं। घरेलू बचत का संपूरण करने के लिए विदेशों से संसाधनों का निवल अंतर्वाह मंद रहा जो साधारण चालू खाता घाटों में प्रतिबिंबित हुआ।

सारणी I.3 : घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत

(जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17*
क. सकल वित्तीय बचत	**10.4**	**10.5**	**10.4**	**10.1**	**10.9**	**11.8**
जिसमें से						
1. मुद्रा	1.2	1.1	0.9	1.1	1.4	-2.1
2. जमाराशियाँ	6.0	6.0	5.8	5.0	4.8	7.3
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.2
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.5
5. बीमा निधियाँ	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.9
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	1.1	1.5	1.5	1.5	2.0	1.9
ख. वित्तीय देयताएँ	**3.2**	**3.2**	**3.1**	**2.9**	**3.1**	**3.7**
ग. निवल वित्तीय बचत (क-ख)	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**7.2**	**7.8**	**8.1**

टिप्पणी : आंकड़े पूर्णांकित होने के कारण कुल जोड़ के साथ मेल नहीं खाते होंगे।
स्रोत : सीएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में प्रकाशित है। सारणी .1
*: रिज़र्व बैंक के नवीनतम अनुमानों के अनुसार।

सारणी I.4 : सकल बचत

(जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
सकल बचत	**33.1**	**31.4**	**32.3**	**31.6**
1.1 गैर-वित्तीय निगम	**9.7**	**10.5**	**11.1**	**11.8**
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.2	1.1	1.0	1.0
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	8.5	9.4	10.1	10.8
1.2 वित्तीय निगम	**3.0**	**2.5**	**2.7**	**2.1**
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.7	1.4	1.3	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.2	1.1	1.3	0.8
1.3 सामान्य सरकारी	**-1.6**	**-1.5**	**-1.5**	**-1.0**
1.4 घरेलू क्षेत्र	**21.9**	**19.8**	**20.0**	**18.7**
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	7.2	7.2	7.2	7.8
मेमो : सकल वित्तीय बचत	10.5	10.4	10.1	10.9
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	14.4	12.3	12.4	10.7
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.4	0.3	0.4	0.3

टिप्पणी : घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत और वित्तीय देयताओं के बीच अंतर के रूप में प्राप्त की गई है।
स्रोत : सीएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 में प्रकाशित है परिशिष्ट सारणी 3

I.1.5 प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, घरेलू वित्तीय बचत दर 2016-17 में जीएनडीआई के 8.1 प्रतिशत तक आगे और बढ़ी जो बैंक जमाराशियों, जीवन बीमा और म्युचुअल निधियों में घर-परिवारों की आस्तियों में वृद्धि के कारण थी, यद्यपि उक्त वर्ष के दौरान जनता के पास मुद्रा का संकुचन हुआ। उच्चतर वित्तीय बचत को समर्थन मुख्य रूप से निम्नतर मुद्रास्फीति परिदृश्य एवं घर-परिवारों द्वारा भौतिक से वित्तीय आस्तियों में संविभाग समायोजन के कारण भी मिला। इसी समय, घरेलू क्षेत्र की वित्तीय देयताओं में बढ़ोतरी हुई।

(स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक वार्षिक रिपोर्ट 2016-17)

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य

I.2.1 रीइंश्योरेंस मेजर, स्विस रे द्वारा प्रकाशित '2016 में विश्व बीमा' रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में संवृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 2016 में थोड़ी-सी परिवर्तित हुई जहाँ वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) ने 2.5% वृद्धि की।

I.2.2 उक्त रिपोर्ट के अनुसार जोखिम-अंकित वास्तविक वैश्विक प्रत्यक्ष जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम ने पिछले वर्ष के 4.3% से घटकर 2016 में 3.1% वृद्धि की। यह मंदी मुख्य रूप से उन्नत बाजारों में काफी निम्नतर वृद्धि के कारण थी। चीन में सुदृढ़ प्रीमियम वृद्धि ने उभरते बाजार का समर्थन किया, जो अन्यथा भी मंदी की प्रवृत्ति में था।

वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि 2.5% मंद होकर 2617 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही (2015 : 4.4%)। उन्नत बाजारों में प्रीमियम 0.5% संकुचित रहे, जबकि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उनमें तेजी से वृद्धि हुई जो चीन से प्रेरित थी। उभरते बाजारों में जीवन प्रीमियम 2016 में 17% बढ़े और यह वृद्धि दीर्घकालिक औसत की दुगुनी से अधिक थी और उभरते एशिया में ठोस निष्पादन द्वारा समर्थित थी।

वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि 3.7% तक मंद होकर 2115 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही (2015 : 4.2%)। इस मंदी के लिए उन्नत बाजार मुख्य कारण थे (2015 में विद्यमान 3.3% के बाद 2016 में 2.3%)। उभरते बाजारों की 9.6% की गैर-जीवन प्रीमियम वृद्धि (2015 : 7.9%) मुख्य रूप से चीन द्वारा प्रेरित थी।

I.2.3 ब्याज दरें प्रायः एक दशक के लिए निम्न रही हैं तथा इसने जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता को 2016 में भी पुनः प्रभावित किया है। दोनों क्षेत्रों में ईक्विटी पर प्रतिफल में गिरावट आई। जीवन में कई बाजारों में मामूली प्रीमियम वृद्धि ने भी लाभप्रदता को रोक दिया, जबकि गैर-जीवन क्षेत्र निम्नतर जोखिम-अंकन परिणामों द्वारा आगे और प्रभावित हुआ। तथापि, दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमा क्षेत्र भली भाँति पूँजीकृत रहे हैं।

I.2.4 यह प्रत्याशित है कि वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि में अगले कुछ वर्षों में सुधार आयेगा, जो मुख्य रूप से उभरते बाजारों द्वारा प्रेरित होगा। गैर-जीवन क्षेत्र में वृद्धि साधारण रहने की प्रत्याशा है जो मुख्य रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा प्रेरित होगी।

सारणी I.5
2016 में कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर

(प्रतिशत में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	-0.5	2.3	0.7
उभरते बाजार	16.9	9.6	13.5
एशिया	7.4	8.9	7.9
भारत	8.0	12.9	9.1
विश्व	**2.5**	**3.7**	**3.1**

स्रोत : स्विस रे, सिगमा सं. 3/2017

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.5 वैश्विक तौर पर कुल प्रीमियम में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 55.3 प्रतिशत था। तथापि, भारत के लिए जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 77.95 प्रतिशत पर बहुत अधिक था, जबकि गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 22.05 प्रतिशत पर अल्प रहा।

I.2.6 जीवन बीमा व्यवसाय में, 88 देशों के बीच भारत का स्थान 10वाँ है, जिसके लिए डेटा स्विस रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2016 के दौरान 2.36 प्रतिशत था। तथापि, 2016 के दौरान भारत में जीवन बीमा प्रीमियम (मुद्रास्फीति समायोजित) 8 प्रतिशत बढ़ा जब वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम में 2.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

सारणी I.6
2016 में क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम

(प्रीमियम बिलनयन अमेरिकी डॉलर में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	2110.53 (55.56)	1688.12 (44.44)	3798.65 (100.00)
उभरते बाजार	506.49 (54.25)	427.05 (45.75)	933.54 (100.00)
एशिया	1000.27 (66.97)	493.26 (33.03)	1493.53 (100.00)
भारत	61.82 (77.95)	17.49 (22.05)	79.31 (100.00)
विश्व	**2617.02** **(55.30)**	**2115.17** **(44.70)**	**4732.19** **(100.00)**

स्रोत : स्विस रे, सिगमा 3/2017.
टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में खंड का अंश दर्शाते हैं।

चार्ट I.2: चयनित देशों में बीमा व्यापन-2016

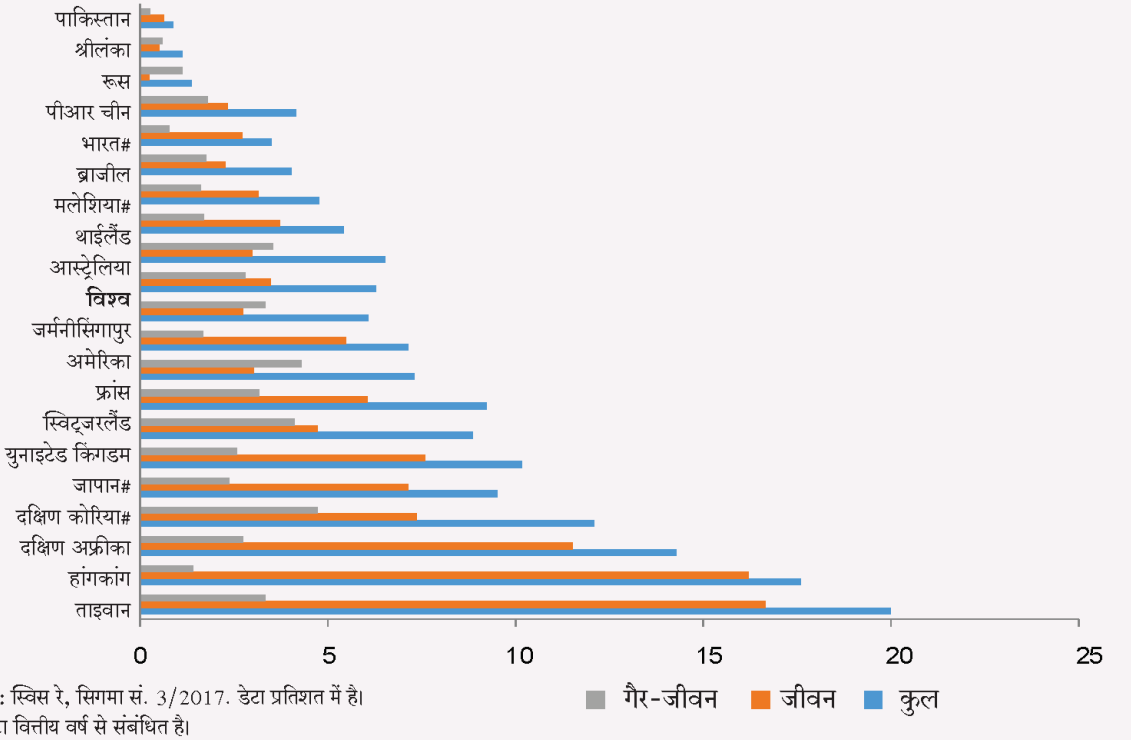

स्रोत : स्विस रे, सिगमा सं. 3/2017. डेटा प्रतिशत में है।
डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

I.2.7 भारतीय गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2016 के दौरान 12.9 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) की वृद्धि देखी। इसी अवधि के दौरान वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में वृद्धि 3.7 प्रतिशत थी। तथापि, वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में भारतीय गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 0.83 प्रतिशत पर अल्प था तथा भारत का स्थान वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजारों में 15वाँ है।

चार्ट I.3: चयनित देशों में बीमा सघनता-2016

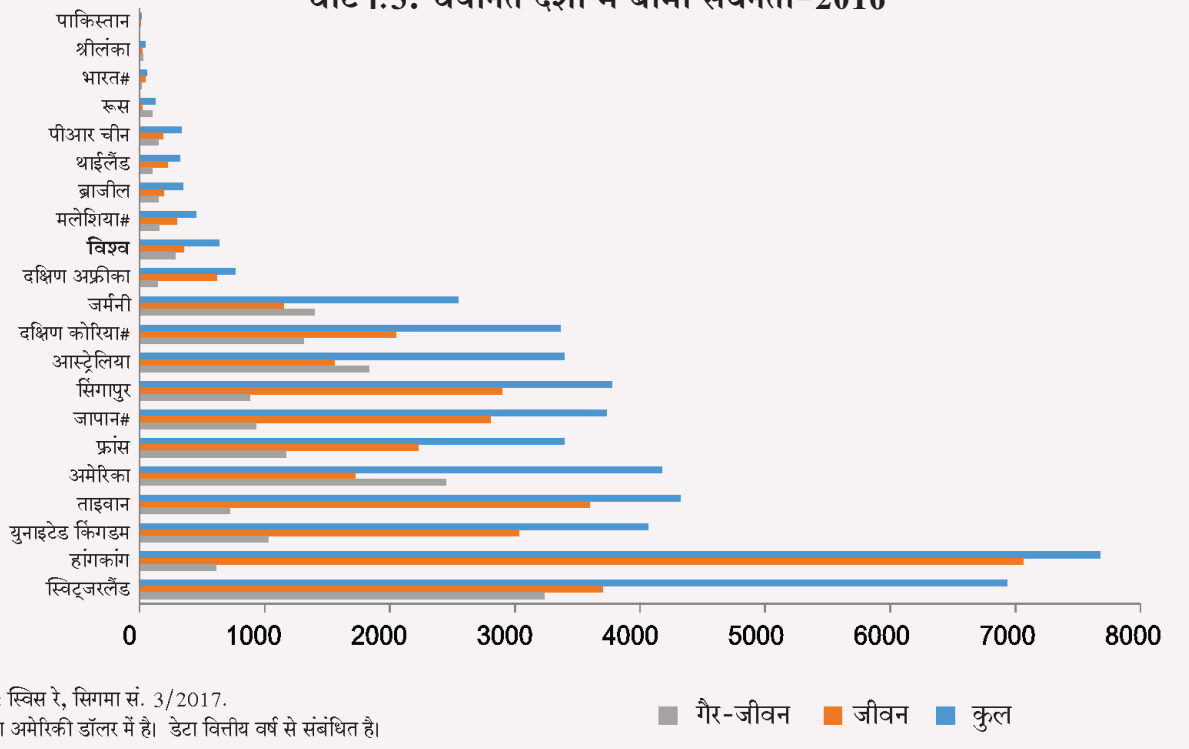

स्रोत : स्विस रे, सिगमा सं. 3/2017.
डेटा अमेरिकी डॉलर में है। डेटा वित्तीय वर्ष से संबंधित है।

भारत में बीमा व्यापन और सघनता

I.2.8 बीमा व्यापन और सघनता का मापन किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

I.2.9 बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के पहले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने बीमा व्यापन में सुसंगत वृद्धि सूचित की जो 2001 में विद्यमान 2.71 प्रतिशत से 2009 में 5.20 प्रतिशत तक हुई। तब से व्यापन का स्तर घट रहा था। तथापि, वर्ष 2015 (3.44 प्रतिशत) और वर्ष 2016 (3.49 प्रतिशत) में इसमें अल्प वृद्धि हुई। बीमा सघनता का स्तर 2001 के 11.5 अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010 में 64.4 अमेरिकी डॉलर के अधिकतम तक पहुँचा। वर्ष 2016 के दौरान बीमा सघनता 59.7 अमेरिकी डॉलर (2015 में 54.7 अमेरिकी डॉलर) थी।

I.2.10 जीवन बीमा व्यवसाय की बीमा सघनता 2001 के 9.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010 में 55.7 अमेरिकी डॉलर के चरम पर पहुँची थी। तब से इसने वर्ष 2013 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष 2016 के दौरान जीवन बीमा सघनता का स्तर 46.5 अमेरिकी डॉलर (2014 में 44 अमेरिकी डॉलर और 2015 में 43.2 अमेरिकी डॉलर) था। जीवन बीमा सघनता 2001 में विद्यमान 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 4.60 प्रतिशत तक पहुँची। तब से इसने वर्ष 2014 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष 2015 में इसमें थोड़ी-सी वृद्धि हुई जब यह 2.72 प्रतिशत तक पहुँच गई तथा यह 2016 में अपरिवर्तित बनी रही।

I.2.11 पिछले 10 वर्षों में देश में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र का व्यापन 0.5 - 0.8 प्रतिशत के दायरे में स्थिर रहा। तथापि, इसकी सघनता 2001 के 2.4 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2016 में 13.2 अमेरिकी डॉलर हो गई।

(स्रोतः स्विस रे, सिगमा के विभिन्न अंक)

सारणी I.7
भारत में बीमा व्यापन और सघनता

वर्ष	जीवन		गैर-जीवन		उद्योग	
	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (यूएसडी)	व्यापन (प्रतिशत)
2001	9.10	2.15	2.40	0.56	11.50	2.71
2002	11.70	2.59	3.00	0.67	14.70	3.26
2003	12.90	2.26	3.50	0.62	16.40	2.88
2004	15.70	2.53	4.00	0.64	19.70	3.17
2005	18.30	2.53	4.40	0.61	22.70	3.14
2006	33.20	4.10	5.20	0.60	38.40	4.80
2007	40.40	4.00	6.20	0.60	46.60	4.70
2008	41.20	4.00	6.20	0.60	47.40	4.60
2009	47.70	4.60	6.70	0.60	54.30	5.20
2010	55.70	4.40	8.70	0.71	64.40	5.10
2011	49.00	3.40	10.00	0.07	59.00	4.10
2012	42.70	3.17	10.50	0.78	53.20	3.96
2013	41.00	3.10	11.00	0.80	52.00	3.90
2014	44.00	2.60	11.00	0.70	55.00	3.30
2015	43.20	2.72	11.50	0.72	54.70	3.44
2016	46.50	2.72	13.20	0.77	59.70	3.49

टिप्पणी : 1. बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
2. बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डॉलर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
स्रोत : स्विस रे, सिगमा, विभिन्न अंक।

चार्ट I.4: भारत में बीमा व्यापन

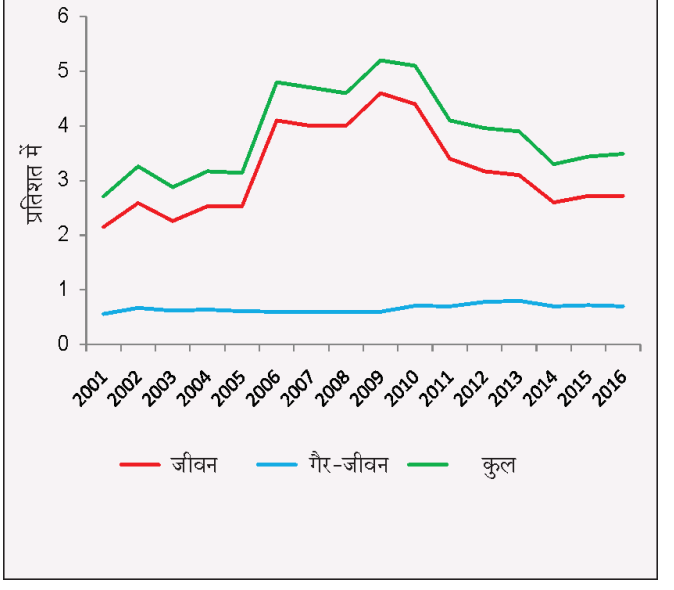

चार्ट I.5: भारत में बीमा सघनता

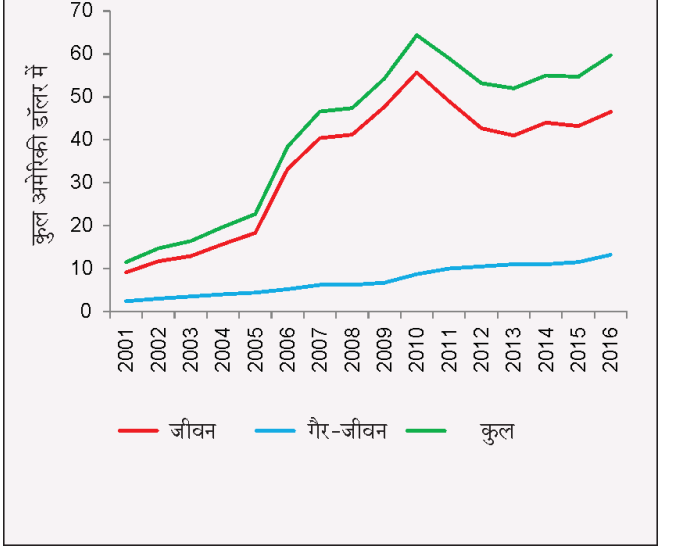

I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

I.3.1 मार्च 2017 के अंत में भारत में 62 बीमाकर्ता परिचालनरत हैं; जिनमें से 24 जीवन बीमाकर्ता हैं, 23 साधारण बीमाकर्ता हैं तथा 6 स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं जो एकमात्र स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करते हैं। 9 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनके अंतर्गत भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लॉयड्स इंडिया शामिल हैं।

I.3.2 वर्तमान में परिचालन में लगे हुए 62 बीमाकर्ताओं में से आठ सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष चौवन निजी क्षेत्र में हैं। दो विशेषीकृत बीमाकर्ता अर्थात् ईसीजीसी और एआईसी, एक जीवन बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा में चार और पुनर्बीमा में एक अर्थात् जीआईसी सरकारी क्षेत्र में हैं। 23 जीवन बीमाकर्ता, 17 साधारण बीमाकर्ता और 6 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता एवं भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लॉयड्स सहित 8 पुनर्बीमाकर्ता निजी क्षेत्र में हैं।

सारणी I.8
भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया सहित पंजीकृत बीमाकर्ता

बीमाकर्ता का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	23	24
साधारण	6	17	23
स्वास्थ्य	0	6	6
पुनर्बीमाकर्ता (भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं/ लॉयड्स इंडिया सहित)	1	8	9
कुल	**8**	**54**	**62**

टिप्पणी: पंजीकृत बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

जीवन बीमाकर्ता

प्रीमियम

I.3.3 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज ₹366943.23 करोड़ की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹418476.62 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की और इस प्रकार इसने 14.04 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 11.84 प्रतिशत वृद्धि थी)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 17.40 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 13.64 प्रतिशत वृद्धि थी), एलआईसी ने 12.78 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में वृद्धि 11.17 प्रतिशत थी)।

I.3.4 जबकि नवीकरण प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 58.13 प्रतिशत रहा है (2015-16 में 62.18 प्रतिशत), प्रथम वर्ष प्रीमियम ने शेष 41.87 प्रतिशत का अंशदान किया (2015-16 में 37.82 प्रतिशत था)। 2016-17 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में वृद्धि 6.62 प्रतिशत थी (2015-16 में 6.24 प्रतिशत)। प्रथम वर्ष प्रीमियम ने 2015-16 की 22.44 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 26.26 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

I.3.5 प्रथम वर्ष प्रीमियम का आगे और द्विभाजन यह निर्दिष्ट करता है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय ने 2016-17 के दौरान 31.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2015-16 में 32.52 प्रतिशत वृद्धि थी)। एकल प्रीमियम उत्पादों ने एलआईसी के लिए प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एलआईसी की कुल एकल प्रीमियम आय के 32.71 प्रतिशत का अंशदान किया (2015-16 में 27.80 प्रतिशत)। तुलनात्मक रूप से 2016-17 के दौरान कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय का अंशदान निजी बीमा कंपनियों के लिए 14.89 प्रतिशत था (2015-16 में 13.75 प्रतिशत)।

I.3.6 नियमित प्रीमियम ने 2015-16 की 8.23 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2016-17 में 16.64 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निजी बीमाकर्ताओं ने 22.17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2015-16 में 13.18 प्रतिशत वृद्धि थी); जबकि एलआईसी ने नियमित प्रीमियम में 10.37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (2015-16 में 3.10 प्रतिशत वृद्धि थी)।

सारणी I.9
जोखिम-अंकित प्रीमियम : जीवन बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	23829.38	26301.03
	(3.10)	(10.37)
निजी क्षेत्र	27053.01	33049.45
	(13.18)	(22.17)
कुल	**50882.40**	**59350.48**
	(8.23)	**(16.64)**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	74062.13	98282.28
	(33.70)	(32.70)
निजी क्षेत्र	13821.47	17569.92
	(26.57)	(27.12)
कुल	**87883.60**	**115852.20**
	(32.52)	**(31.82)**
प्रथम वर्ष प्रीमियम (3 =(1+2))		
एलआईसी	97891.51	124583.31
	(24.69)	(27.27)
निजी क्षेत्र	40874.48	50619.37
	(17.38)	(23.84)
कुल	**138765.99**	**175202.68**
	(22.44)	**(26.26)**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	168552.70	175904.05
	(4.59)	(4.36)
निजी क्षेत्र	59624.54	67369.89
	(11.21)	(12.99)
कुल	**228177.24**	**243273.94**
	(6.24)	**(6.62)**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	266444.21	300487.36
	(11.17)	(12.78)
निजी क्षेत्र	100499.02	117989.26
	(13.64)	(17.40)
कुल	**366943.23**	**418476.62**
	(11.84)	**(14.04)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

चार्ट I.6
जीवन बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम

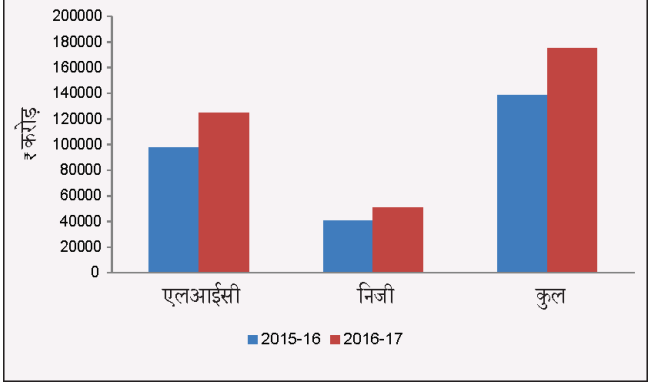

चार्ट I.7
जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

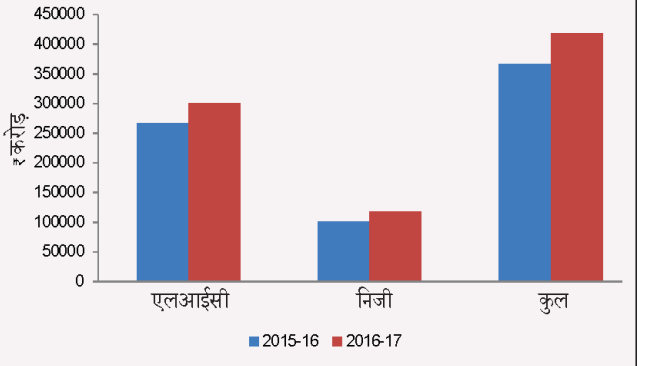

चार्ट I.8
5 वर्ष के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

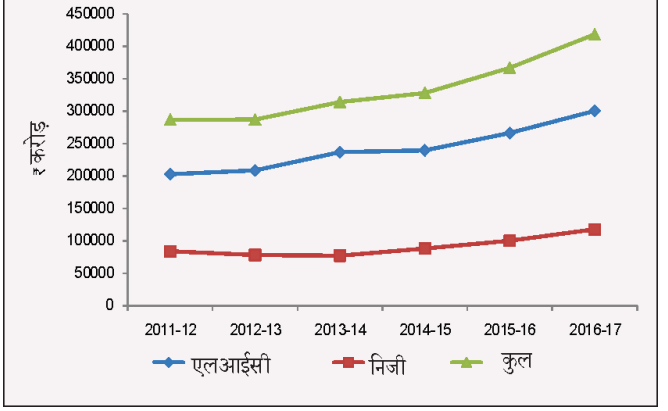

I.3.7 यूनिट सहबद्ध उत्पादों (यूलिप) ने 2015-16 के ₹46889.58 करोड़ की तुलना में 2016-17 में ₹52845.26 करोड़ तक 12.70 प्रतिशत की प्रीमियम वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, पारंपरिक उत्पादों से प्रीमियम में वृद्धि 2015-16 में विद्यमान ₹320053.65 करोड़ के मुकाबले प्रीमियम ₹365631.36 करोड़ के साथ 14.24 प्रतिशत थी। तदनुसार कुल प्रीमियम में यूनिट सहबद्ध उत्पादों का अंश 2015-16 के 12.78 प्रतिशत की तुलना में घटकर 2016-17 में 12.63 प्रतिशत हो गया।

बाजार अंश

I.3.8 कुल प्रीमियम आय के आधार पर एलआईसी का बाजार अंश 2015-16 के 72.61 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 71.81 प्रतिशत हो गया। निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2015-16 के 27.39 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 28.19 प्रतिशत हो गया।

I.3.9 प्रथम वर्ष में निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2016-17 में 28.89 प्रतिशत रहा (2015-16 में यह 29.46 प्रतिशत था)। यही एलआईसी के लिए 71.11 प्रतिशत (2015-16 में 70.54 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, नवीकरण प्रीमियम में एलआईसी ने 72.31 प्रतिशत पर अपना उच्चतर अंश जारी रखा (2015-16 में 73.87 प्रतिशत) जबकि इसकी तुलना में निजी बीमाकर्ताओं का अंश 27.69 प्रतिशत (2015-16 में 26.13 प्रतिशत) था।

नई पॉलिसियाँ :

I.3.10 2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 264.56 लाख नई पॉलिसियाँ जारी कीं, जिनमें से एलआईसी ने 201.32 लाख पॉलिसियाँ (जारी की गई कुल नई पॉलिसियों का 76.1 प्रतिशत) और निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 63.24 लाख पॉलिसियाँ (जारी की गई कुल नई पॉलिसियों का 23.9 प्रतिशत) जारी कीं। जबकि निजी क्षेत्र ने पिछले वर्ष के मुकाबले जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या मे 2.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, एलआईसी ने जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में 2.02 प्रतिशत की थोड़ी-सी गिरावट दर्ज की।

सारणी I.10
बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	46.83	44.31
निजी क्षेत्र	53.17	55.69
कुल	**100.00**	**100.00**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	84.27	84.83
निजी क्षेत्र	15.73	15.17
कुल	**100.00**	**100.00**
प्रथम वर्ष प्रीमियम (3 =(1+2))		
एलआईसी	70.54	71.11
निजी क्षेत्र	29.46	28.89
कुल	**100.00**	**100.00**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	73.87	72.31
निजी क्षेत्र	26.13	27.69
कुल	**100.00**	**100.00**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	72.61	71.81
निजी क्षेत्र	27.39	28.19
कुल	**100.00**	**100.00**

सारणी I.11
जारी की गी नई पॉलिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता

(लाख में)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
एलआईसी	205.47	201.32
	(1.86)	(-2.02)
निजी क्षेत्र	61.92	63.24
	(7.92)	(2.13)
कुल	**267.38**	**264.56**
	(3.20)	**(-1.05)**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

प्रदत्त पूँजी

I.3.11 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी ₹26956.94 करोड़ थी। 2016-17 के दौरान निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं द्वारा ₹265.48 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी उद्योग में लाई गई।

सारणी I.12
प्रदत्त पूँजी* : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च, 2016 को	2016-17 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2017 को
एलआईसी	100.00	0.00	100.00
निजी क्षेत्र	26591.46	265.48	26856.94
कुल	**26691.46**	**265.48**	**26956.94**

**शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि इसमें शामिल नहीं है।*

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.12 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी का संशोधन किया गया तथा वह निम्नानुसार पढ़ी जाती है: 'कोई भी बीमाकर्ता भारत में अपने द्वारा किये जानेवाले बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी भी वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि से कोई भी अधिक राशि प्रबंधन व्ययों के रूप में व्यय नहीं करेगा।'

तदनुसार, 9 मई 2016 के एफ. सं. आईआरडीए/आरईजी/14/126/2016 के द्वारा आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 अधिसूचित किये गये।

ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन व्ययों की अनुमति-योग्य सीमाएँ निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए बीमाकर्ताओं के पास विकल्प था कि वे या तो इन विनियमों का पालन करें या बीमा नियम, 1939 के नियम 17डी के अंतर्गत निहित पूर्व के उपबंधों का पालन करें।

I.3.13 समग्र कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2015-16 के 5.52 प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2016-17 में 5.29 प्रतिशत रहा। तथापि, कुल कमीशन 9.13 प्रतिशत (कुल प्रीमियम वृद्धि 14.04 प्रतिशत) बढ़ा, नियमित कमीशन 11.78 प्रतिशत बढ़ा (नियमित प्रीमियम वृद्धि 16.64 प्रतिशत), प्रथम वर्ष कमीशन 12.91 प्रतिशत बढ़ा (प्रथम वर्ष प्रीमियम वृद्धि 26.26 प्रतिशत) तथा नवीकरण प्रीमियम कमीशन में 5.38 प्रतिशत वृद्धि हुई। (नवीकरण प्रीमियम वृद्धि 6.62 प्रतिशत)। एकल प्रीमियम में 31.82 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, परंतु एकल प्रीमियम कमीशन में 50.31 प्रतिशत वृद्धि रही है। तथापि, निजी बीमाकर्ताओं और एलआईसी के बीच तुलना करने पर स्थिति में कुछ विभिन्नता है, जैसी कि सारणी I.14 में प्रतिबिंबित है जिसमें दोनों निजी और सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं के लिए कमीशन अनुपातों का द्विभाजन प्रस्तुत किया गया है।

I.3.14 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2016-17 में 18.98 प्रतिशत बढ़ गये (2015-16 में 5.21 प्रतिशत बढ़े)। जीवन बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन व्यय 2016-17 में ₹46138.88 करोड़ पर रहे (2015-16 में ₹38777.89 करोड़ थे)। एलआईसी के परिचालन व्यय 27.59 प्रतिशत बढ़ गये और निजी बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 6.84 प्रतिशत वृद्धि हुई। समग्र रूप में उद्योग के लिए, परिचालन व्यय अनुपात 2015-16 के 10.57 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 11.03 प्रतिशत हुआ। परिचालन व्यय जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में एलआईसी के लिए 2015-16 के 8.52 प्रतिशत से बढ़कर 9.64 प्रतिशत रहे। निजी बीमाकर्ताओं के लिए ये 2015-16 के 16.01 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 14.57 प्रतिशत हो गये।

सारणी I.13
कमीशन व्यय : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नियमित प्रीमियम (1)		
एलआईसी	6473.19	7096.55
निजी क्षेत्र	3311.17	3840.52
कुल	**9784.36**	**10937.07**
एकल प्रीमियम (2)		
एलआईसी	255.94	399.63
निजी क्षेत्र	40.58	46.08
कुल	**296.52**	**445.71**
प्रथम वर्ष प्रीमियम (3 =(1+2))		
एलआईसी	6729.13	7496.18
निजी क्षेत्र	3351.75	3886.60
कुल	**10080.88**	**11382.78**
नवीकरण प्रीमियम (4)		
एलआईसी	8771.20	9135.77
निजी क्षेत्र	1414.61	1598.60
कुल	**10185.81**	**10734.37**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))		
एलआईसी	15500.33	16631.95
निजी क्षेत्र	4766.36	5485.20
कुल	**20266.69**	**22117.15**

सारणी I.14
कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नियमित प्रीमियम		
एलआईसी	27.16	26.98
निजी क्षेत्र	12.24	11.62
कुल	**19.23**	**18.43**
एकल प्रीमियम		
एलआईसी	0.35	0.41
निजी क्षेत्र	0.29	0.26
कुल	**0.34**	**0.38**
प्रथम वर्ष प्रीमियम		
एलआईसी	6.87	6.02
निजी क्षेत्र	8.20	7.68
कुल	**7.26**	**6.50**
नवीकरण प्रीमियम		
एलआईसी	5.20	5.19
निजी क्षेत्र	2.37	2.37
कुल	**4.46**	**4.41**
कुल प्रीमियम		
एलआईसी	5.82	5.53
निजी क्षेत्र	4.74	4.65
कुल	**5.52**	**5.29**

टिप्पणी : कमीशन व्यय अनुपात कमीशन और जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम के बीच का अनुपात है।

सारणी I.15
परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (%)
एलआईसी	22691.83	28952.06	27.59
निजी क्षेत्र	16086.06	17186.82	6.84
कुल	**38777.89**	**46138.88**	**18.98**

सारणी I.16
परिचालन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
एलआईसी	8.52	9.64
निजी क्षेत्र	16.01	14.57
कुल	**10.57**	**11.03**

टिप्पणी : परिचालन व्यय अनुपात जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम की तुलना में परिचालन व्ययों का अनुपात है।

अदा किये गये लाभ

I.3.15 जीवन उद्योग ने 2016-17 में ₹236339.87 करोड़ के लाभ अदा किये (2015-16 में ₹204453.50 करोड़) जो जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम का 56.48 प्रतिशत है (2015-16 में 55.72 प्रतिशत)। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभ ₹69463.00 करोड़ थे (2015-16 में ₹61555.37 करोड़) जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 58.87 प्रतिशत (2015-16 में 61.25 प्रतिशत) है। एलआईसी ने 2016-17 में ₹166876.88 करोड़ के लाभों का भुगतान किया जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 55.53 प्रतिशत (2015-16 में ₹142898.13 करोड़, जोखिम-अंकित प्रीमियम का 53.63 प्रतिशत) है। अभ्यर्पणों / आहरणों के कारण अदा किये गये लाभ ₹90005.41 करोड़ थे, जिनमें से एलआईसी द्वारा किये गये भुगतान ₹44924.56 करोड़ थे और निजी क्षेत्र द्वारा किये गये भुगतान ₹45080.85 करोड़ थे। पिछले वर्ष के तुलनीय आंकड़े ₹80333.74 करोड़ थे जिनमें से एलआईसी के ₹37504.33 करोड़ थे और निजी क्षेत्र के द्वारा ₹42829.41 करोड़ अदा किये गये थे। चालू वर्ष में एलआईसी के मामले में ₹44924.56 करोड़ के अभ्यर्पणों में से यूलिप पॉलिसियों के ₹11094.51 करोड़ (24.70 प्रतिशत) थे जबकि 2015-16 में ₹8960.97 करोड़ (23.89 प्रतिशत) अदा किये गये थे। निजी बीमा उद्योग के मामले में यूलिप अभ्यर्पण 2015-16 के ₹37379.49 करोड़ (87.31 प्रतिशत) की तुलना में 2016-17 में ₹40241.57 करोड़ (89.27 प्रतिशत) थे।

निवेश आय

I.3.16 एलआईसी के मामले में पूँजीगत अभिलाभों और अन्य आय सहित निवेश आय (पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों संबंधी) ₹192478.14 करोड़ (2015-16 में ₹158205.21 करोड़) थी। निजी बीमा उद्योग के मामले में पूँजीगत अभिलाभों सहित निवेश आय 2016-17 में ₹69184.14 करोड़ (2015-16 में ₹16259.49 करोड़) थी।

प्रतिधारण अनुपात

I.3.17 2016-17 कै दौरान, एलआईसी द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में ₹290.68 करोड़ की राशि अध्यर्पित की गई (2015-16 में ₹218.82 करोड़) थी। निजी बीमाकर्ताओं ने कुल मिलाकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में ₹1502.42 करोड़ (2015-16 में ₹1284.31 करोड़) अध्यर्पित किये। जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिधारण अनुपात 2016-17 के लिए 99.57% (2015-16 के लिए 99.59%) था।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.3.18 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 2015-16 के ₹7415.43 करोड़ की तुलना में कर के बाद ₹7727.89 करोड़ का लाभ सूचित किया। 2016-17 के दौरान परिचालन में लगे हुए चौबीस जीवन बीमाकर्ताओं में से अठारह कंपनियों ने लाभ सूचित किये। वे हैं बजाज अलायंज़ लाइफ, बिड़ला सनलाइफ, केनरा एचएसबीसी लाइफ, डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ, एक्साइड लाइफ, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ, आईडीबीआई फेडरल लाइफ, इंडिया फर्स्ट लाइफ, कोटक महिन्द्रा लाइफ, मैक्स लाइफ, पीएनबी मेटलाइफ, एसबीआई लाइफ, सहारा इंडिया लाइफ, श्रीराम लाइफ, स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ, टाटा एआईए लाइफ और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कर के बाद ₹2231.74 करोड़ का लाभ अर्थात 2015-16 के ₹2517.85 करोड़ की तुलना में 11.36 प्रतिशत की कमी सूचित की।

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.19 वर्ष 2016-17 के लिए एलआईसी ने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को लाभांश के रूप में ₹2200.33 करोड़ (2015-16 में ₹2497.03 करोड़) अदा किये। चार निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लाभांशों का भुगतान किया। एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ ने ₹219.74 करोड़ अदा किये (2015-16 में ₹179.54 करोड़), आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल ने ₹552.27 करोड़ अदा किये (2015-16 में ₹1202.99 करोड़), मैक्स लाइफ ने ₹140.07 करोड़ अदा किये (2015-16 में ₹364.57 करोड़), तथा एसबीआई लाइफ ने ₹150 करोड़ (2015-16 में 120 करोड़) का भुगतान किया।

सारणी I.17
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभांश

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
एलआईसी	2497	2200
निजी क्षेत्र*	1867	1062
कुल	**4364**	**3262**

** 2015-16 में 4 जीवन बीमाकर्ता और 2016-17 में 4 जीवन बीमाकर्ता।*

सारणी I.18
2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे

(आंकड़े पॉलिसियों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत/ अस्वीकृत दावे	प्रति-लिखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	अवधि-वार लंबित दावों का विश्लेषित विवरण (पॉलिसियाँ)			
						< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	93.72	4.85	0.58	0.86	78.66	7.86	2.97	10.51
एलआईसी	100.00	98.31	0.97	0.31	0.42	86.98	9.68	1.94	1.40
उद्योग कुल	**100.00**	**97.74**	**1.45**	**0.34**	**0.47**	**85.09**	**9.26**	**2.17**	**3.47**

वर्ष 2016-17 के लिए मृत्यु दावे

वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसाय:

I.3.20 वर्ष 2016-17 में जीवन बीमा कंपनियों ने वैयक्तिक पॉलिसियों पर 8.60 लाख दावों का निपटान किया, जो ₹13,850.62 करोड़ के कुल भुगतान से संबद्ध था। निराकृत / अस्वीकृत दावों की संख्या 12,769 थी जो ₹657.77 करोड़ के लिए थी।

I.3.21 एलआईसी का दावा निपटान अनुपात 31.03.2016 को विद्यमान 98.33 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 98.31 प्रतिशत था। निराकरणों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 0.98 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 0.97 प्रतिशत तक सीमांत रूप से नीचे आया।

I.3.22 निजी बीमाकर्ताओं के लिए निपटान अनुपात में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान स्थित 91.48 प्रतिशत की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 93.72 प्रतिशत पर 2.24% वृद्धि हुई। निराकरणों का प्रतिशत पिछले वर्ष के 6.67% की तुलना में वर्ष 2016-17 में 4.85% तक घट गया।

I.3.23 उद्योग के निपटान अनुपात में 2015-16 के 97.43 प्रतिशत से 2016-17 में 97.74 प्रतिशत तक वृद्धि हुई तथा निराकरण अनुपात में 2015-16 के 1.73 प्रतिशत की तुलना में 1.45 प्रतिशत तक कमी आई।

सामूहिक जीवन बीमा:

I.3.24 2016-17 के दौरान कुल सूचित किये गये दावे 7,06,431 थे, जबकि वर्ष के प्रारंभ में 13,815 दावे लंबित थे। इनमें से, जीवन बीमाकर्ताओं ने कुल 7,15,303 दावों का (कुल दावों का 99.31%) निपटान किया था।

I.3.25 जबकि एलआईसी ने दावों के 99.73 प्रतिशत का निपटान किया, निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने सभी दावों के 99.03 प्रतिशत का भुगतान किया। उद्योग ने 0.36 प्रतिशत दावों को निराकृत किया।

सारणी I.19
2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे

(आंकड़े पॉलिसियों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत/ अस्वीकृत दावे	प्रति-लिखित दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	अवधि-वार लंबित दावों का विश्लेषित विवरण (पॉलिसियाँ)			
						< 3 महीने	3 - < 6 महीने	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	99.03	0.58	0.11	0.28	90.61	0.68	1.10	7.61
एलआईसी	100.00	99.73	0.03	0.00	0.24	42.21	1.13	1.98	54.67
उद्योग कुल	**100.00**	**99.31**	**0.36**	**0.07**	**0.26**	**72.51**	**0.85**	**1.43**	**25.21**

चार्ट I.9
लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण-वैयक्तिक पॉलिसियाँ

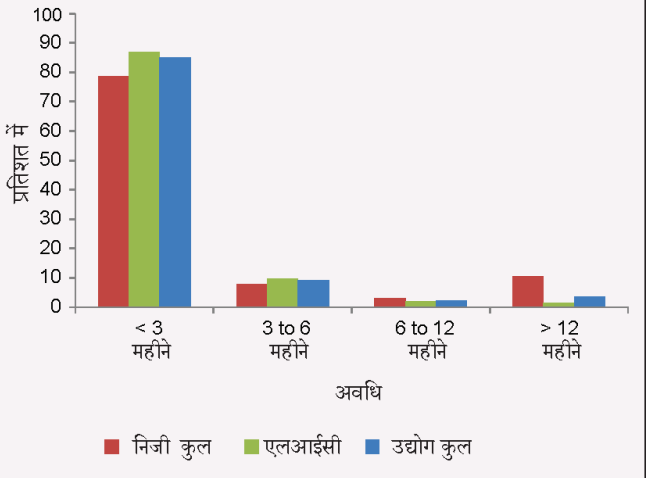

चार्ट I.10
जीवन बीमाकर्ताओं का प्रथम वर्ष प्रीमियम

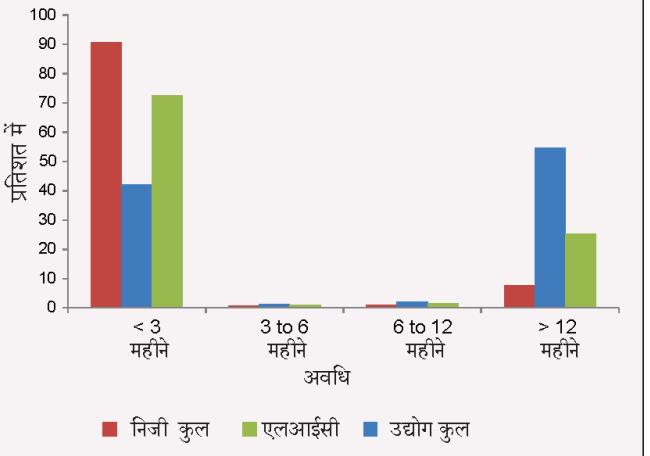

कार्यालयों का विस्तार

I.3.26 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या जो 31.3.2016 को विद्यमान 11071 की तुलना में 31.03.2017 को समाप्त अवधि के लिए 10954 पर थी।

I.3.27 यह पाया गया है कि जीवन बीमाकर्ताओं के अधिकांश कार्यालय अर्ध-शहरी कस्बों में स्थित हैं जहां की जनसंख्या 10,000 से 99,000 के बीच में है। जीवन बीमा कार्यालयों का लगभग 44% इन छोटे शहरों में स्थित हैं। अर्ध-शहरी कस्बों के बाद अधिकांश जीवन बीमा कार्यालय अर्थात 28.6% कार्यालय शहरी क्षेत्रों में हैं जहां की जनसंख्या 1,00,000 से 9,99,990 के बीच में है।

जीवन कार्यालयों की जिला-स्तरीय उपस्थिति

I.3.28 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के एकमात्र जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कार्यालय देश में 640 जिलों में से 607 जिलों में हैं (दशवार्षिक जनगणना 2011 के अनुसार)। इस स्थिति के होते हुए इसने देश में सभी जिलों के 94.84 प्रतिशत को समाविष्ट किया है, जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के पास 553 जिलों में कार्यालय हैं जिनके साथ वे देश में सभी जिलों के 86.41 प्रतिशत को समाविष्ट करते हैं। कुल मिलाकर दोनों एलआईसी और निजी क्षेत्र ने मिलकर देश में सभी जिलों के 95.16 प्रतिशत को सम्मिलित किया है। देश में जीवन बीमा कार्यालयों की उपस्थिति से रहित जिलों की संख्या 31 है। इनमें से, 23 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं, अर्थात अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम। 22 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों (देश के कुल 36 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में से) में सभी जिले जीवन बीमा कार्यालयों द्वारा शामिल किये गये हैं।

चार्ट I.11
जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

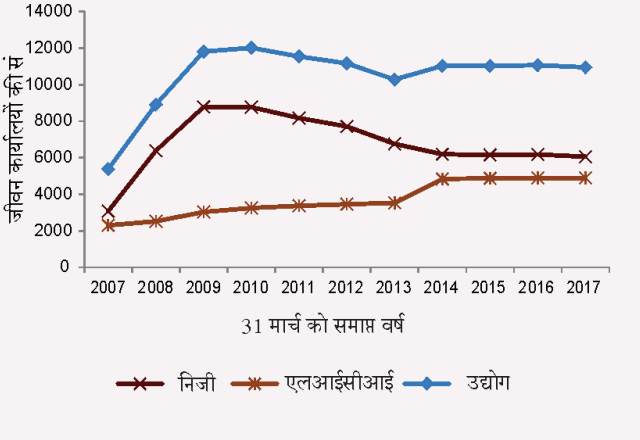

सारणी I.20
जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति)

बीमाकर्ता	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
निजी	3072	6391	8785	8768	8175	7712	6759	6193	6156	6179	6057
एलआईसी आई	2301	2522	3030	3250	3371	3455	3526	4839	4877	4892	4897
उद्योग	**5373**	**8913**	**11815**	**12018**	**11546**	**11167**	**10285**	**11032**	**11033**	**11071**	**10954**

टिप्पणी: 1) डेटा का संग्रहण जीवन बीमाकर्ताओं से एक विशेष विवरणी के द्वारा किया गया।
2) कार्यालय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीसी के अंतर्गत यथापरिभाषित।
3) 2001-2007 हेतु इसी प्रकार के डेटा के लिए आईआरडीए वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 देखें। .

सारणी I.21
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण -- जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च 2017 को)

बीमाकर्ता	महानगर	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
निजी	1577	2166	1885	429	6057
एलआईसीआई	848	970	2918	161	4897
उद्योग	**2425**	**3136**	**4803**	**590**	**10954**

टिप्पणी: स्थानों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:
महानगर: 10,00,000 और उससे अधिक *शहरी: 1,00,000 से 9,99,999 तक*
अर्ध-शहरी: 10,000 से 99,999 तक *ग्रामीण: जनसंख्या 9999 तक*

सारणी I.22
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण टियर-वार
(31 मार्च 2017 को)

बीमाकर्ता	टियर I	टियर II	टियर III	टियर IV	टियर V	टियर VI	कुल
निजी	4662	743	484	106	26	36	6057
एलआईसी आई	1818	551	1346	1021	113	48	4897
उद्योग	**6480**	**1294**	**1830**	**1127**	**139**	**84**	**10954**

स्थानों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:
टियर I - जनसंख्या 1,00,000 और उससे अधिक। *टियर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक।*
टियर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक। *टियर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक।*
टियर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक। *टियर VI - जनसंख्या 5,000 से कम।*

चार्ट I.12
कार्यालयों का भौगोलिक वितरण - निजी क्षेत्र

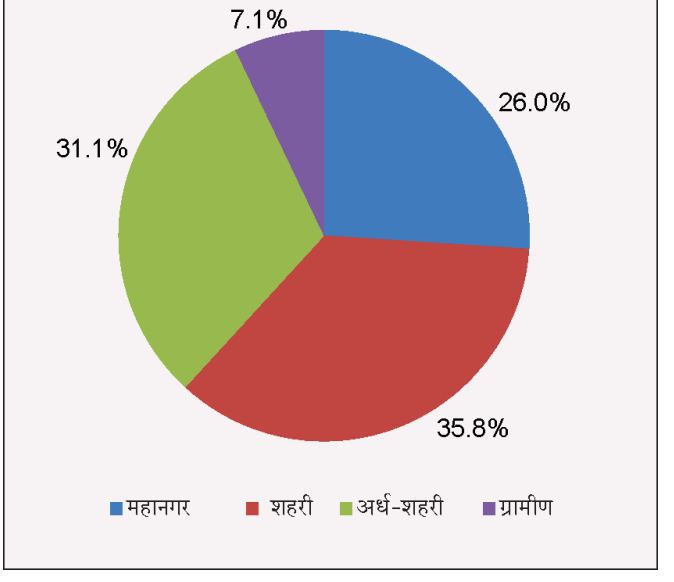

चार्ट I.13
कार्यालयों का भौगोलिक वितरण-एलआईसीआई

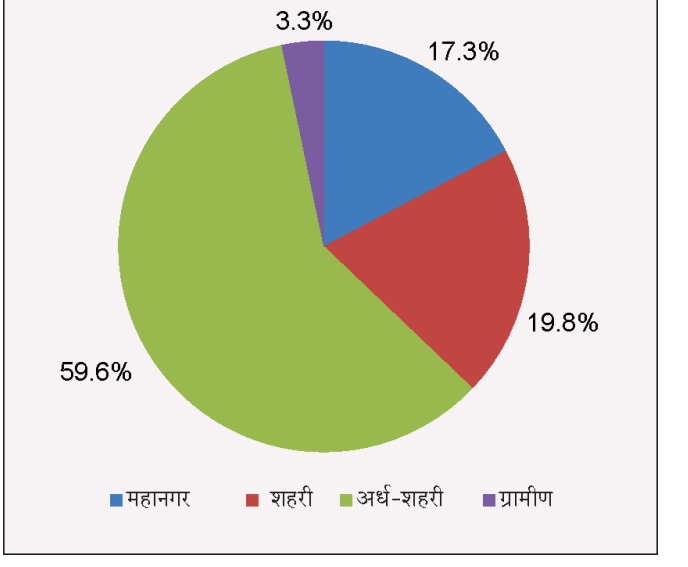

चार्ट I.14
कार्यालयों का भौगोलिक वितरण-उद्योग

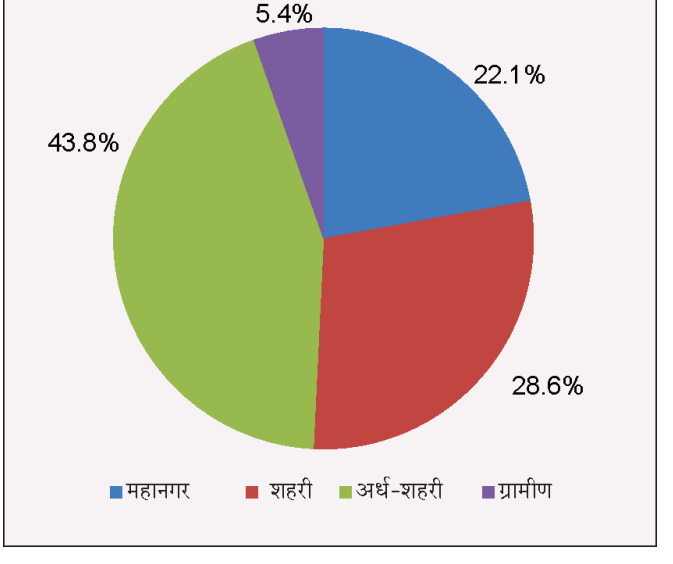

साधारण बीमा

प्रीमियम

I.3.29 साधारण बीमा उद्योग ने भारत में 2015-16 के ₹96379 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में ₹128128 करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष में दर्ज 13.81 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 32.94 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 12.08 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 26.27 प्रतिशत पर 2016-17 में वृद्धि प्रदर्शित की। निजी साधारण बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 13.12 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 35.55 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.30 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 41.12 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 41.06 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 18.04 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 70.33 की वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.31 2016-17 में निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं द्वारा (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) जोखिम-अंकित प्रीमियम 2015-16 के ₹43847 करोड़ की तुलना में ₹59663 करोड़ था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगातार निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी के रूप में अपना स्थान जारी रखा, जिसका बाजार अंश पिछले वर्ष के 8.39 प्रतिशत के बाजार अंश के मुकाबले चालू वर्ष में 8.37 प्रतिशत रहा। बजाज अलायंज़ निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी है, जिसने ₹7633 करोड़ के कुल प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया, 2015-16 के 6.05 प्रतिशत के बाजार अंश की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में 5.96 प्रतिशत तक कमी सूचित की। वर्ष 2016-17 में परिचालन में लगे हुए सभी 24 निजी बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 के लिए जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि की सूचना दी।

I.3.32 सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं के मामले में सभी चार कंपनियों ने प्रीमियम संग्रहणों के संबंध में वृद्धि के साथ अपने व्यवसाय का विस्तार किया। तथापि, सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। ओरियन्टल का बाजार अंश पिछले वर्ष के 8.63 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 8.43 प्रतिशत हुआ, नेशनल इंश्योरेंस का बाजार अंश पिछले वर्ष के 12.43 प्रतिशत की तुलना में 2016-17 में 11.11 प्रतिशत तक कम हुआ, न्यू इंडिया का बाजार अंश पिछले वर्ष के 15.72 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 14.92 प्रतिशत हो गया तथा युनाइटेड इंडिया के बाजार अंश में पिछले वर्ष के 12.71 प्रतिशत से 2016-17 में 12.54 प्रतिशत तक गिरावट हुई। न्यू इंडिया, जिसने ₹19115 करोड़ के प्रत्यक्ष प्रीमियम का संग्रहण किया, एक बार पुनः भारत में सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी रही।

चार्ट I.15
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय साधारण बीमाकर्ता

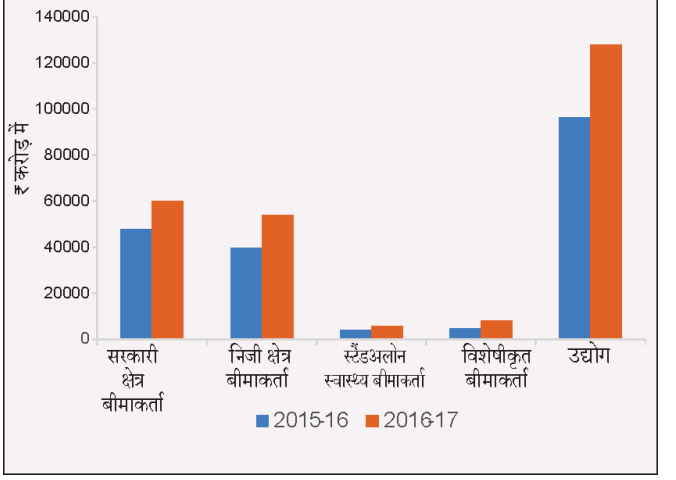

सारणी I.23
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(₹करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	47690.68 12.08%	60218.36 26.27%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	39694.08 13.12%	53804.96 35.55%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	4152.66 41.12%	5857.83 41.06%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	4841.95 18.04%	8247.19 70.33%
कुल	**96379.37 13.81%**	**128128.34 32.94%**

टिप्पणी: *प्रतिशत में अंक पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है।*

चार्ट I.16
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम: 5 वर्ष

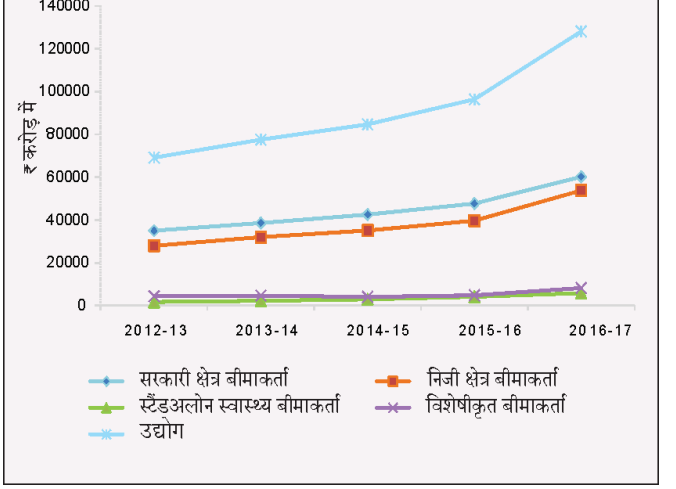

सारणी I.24
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय : साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता: बीमाकर्ता-वार

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम		बाजार अंश	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता				
नेशनल	11976.07	14237.54	12.43%	11.11%
न्यू इंडिया	15149.51	19114.69	15.72%	14.92%
ओरियन्टल	8314.74	10803.34	8.63%	8.43%
युनाइटेड	12250.36	16062.80	12.71%	12.54%
उप-जोड़	**47690.68**	**60218.37**	**49.48%**	**47.00%**
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता				
बजाज अलायंज़	5832.15	7633.28	6.05%	5.96%
भारती अक्सा	1274.42	1314.09	1.32%	1.03%
चोलमंडलम	2452.00	3133.28	2.54%	2.45%
फ्यूचर जनराली	1555.26	1815.50	1.61%	1.42%
एचडीएफसी एरगो*	3379.55	3964.45	3.51%	3.09%
एचडीएफसी एरगो (पूर्व में एलएण्डटी जनरल)**	473.39	2224.16	0.49%	1.74%
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	8090.71	10725.20	8.39%	8.37%
इफ्को टोकियो	3691.33	5563.70	3.83%	4.34%
कोटक महिन्द्रा	3.71	82.05	0.00%	0.06%
लिबर्टी वीडियोकॉन	408.72	584.59	0.42%	0.46%
मैगमा एचडीआई	403.94	419.49	0.42%	0.33%
रहेजा क्यूबीई	28.76	58.92	0.03%	0.05%
रिलायंस	2791.56	3935.35	2.90%	3.07%
रॉयल सुंदरम	1694.12	2188.78	1.76%	1.71%
एसबीआई	2039.85	2604.49	2.12%	2.03%
श्रीराम	1712.27	2102.42	1.78%	1.64%
टाटा एआईजी	2958.56	4167.97	3.07%	3.25%
यूनिवर्सल सोम्पो	903.79	1287.23	0.94%	1.00%
उप-जोड़	**39694.08**	**53804.95**	**41.19%**	**41.99%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
आदित्य बिड़ला	0.00	54.04	0.00%	0.04%
अपोलो म्यूनिख	1022.18	1301.93	1.06%	1.02%
सिगना टीटीके	143.82	221.80	0.15%	0.17%
मैक्स बूपा	476.01	593.93	0.49%	0.46%
रेलिगेर	503.32	726.07	0.52%	0.57%
स्टार हेल्थ	2007.34	2960.05	2.08%	2.31%
उप-जोड़	**4152.67**	**5857.83**	**4.31%**	**4.57%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता				
एआईसी	3521.22	6979.56	3.65%	5.45%
ईसीजीसी	1320.73	1267.62	1.37%	0.99%
उप-जोड़	**4841.95**	**8247.19**	**5.02%**	**6.44%**
कुल जोड़	**96379.38**	**128128.34**	**100.00%**	**100.00%**

** पूर्व की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ 01.01.2017 से हो गया।*

***एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में परिवर्तित किया गया।*

चार्ट I.17 साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार

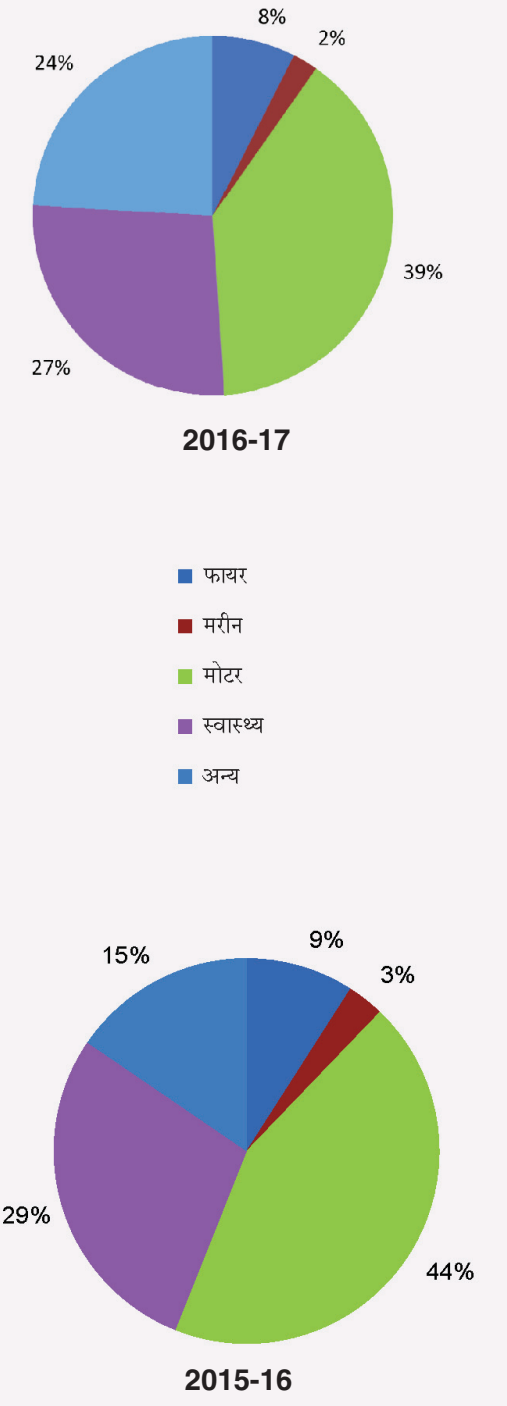

खंड-वार प्रीमियम

I.3.33 मोटर व्यवसाय सबसे बड़े साधारण बीमा खंड के रूप में जारी रहा जिसका अंश 39.22 प्रतिशत (2015-16 में 43.89 प्रतिशत) था। इसने 18.79 प्रतिशत की वृद्धि दर सूचित की (2015-16 में 13.17 प्रतिशत)। स्वास्थ्य खंड में प्रीमियम संग्रहण लगातार उत्थान पर था जो 2015-16 के ₹27,457 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹34,527 करोड़ पर अग्रसर रहा और इसने 25.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। तथापि, स्वास्थ्य खंड का बाजार अंश पिछले वर्ष के 28.49 प्रतिशत से घटकर 26.95 प्रतिशत हुआ। अग्नि (फायर) से प्रीमियम संग्रहण 9.24 प्रतिशत बढ़ा, तथा मरीन खंडों के लिए यह 2016-17 में 2.24 प्रतिशत घटा जबकि पिछले वर्ष के लिए फायर और मरीन खंडों में वृद्धि दर क्रमशः 8.35 प्रतिशत और -1.19 प्रतिशत थीं।

सारणी I.25
साधारण और स्वस्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) खंड-वार

(₹ करोड़)

खंड	2015-16	2016-17
फायर	8731.46 9.06%	9538.01 7.44%
मरीन	2984.38 3.10%	2917.47 2.28%
मोटर	42300.86 43.89%	50250.53 39.22%
स्वास्थ्य	27457.30 28.49%	34526.61 26.95%
अन्य	14905.37 15.47%	30895.72 24.11%
कुल प्रीमियम	**96379.37**	**128128.34**

टिप्पणी : 1. प्रतिशत में आंकड़े संबंधित खंड का अनुपात (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।
2. उपर्युक्त आंकड़ों में विशेषीकत बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रीमियम शामिल है।
3. स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा शामिल है।

भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.3.34 सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता (युनाइटेड इंडिया को छोड़कर) भारत के बाहर साधारण बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। युनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर परिचालन 2003-04 में समाप्त किये थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2015-16 के ₹2,954 करोड़ के मुकाबले 2016-17 में ₹2,842 करोड़ पर रहा जिसने पिछले वर्ष की 19.79 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 3.79 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की। भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 2.17 प्रतिशत था (विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) जबकि पिछले वर्ष में यह 2.97 प्रतिशत था।

I.3.35 भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम के तौर पर न्यू इंडिया लगातार सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा साधारण बीमाकर्ता रहा। उक्त विदेशी प्रीमियम 2016-17 में उक्त बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 11.50 प्रतिशत (2015-16 में 14.71%) है। ओरियन्टल के मामले में यह 2016-17 में 2.82 प्रतिशत (2015-16 में 3.45%) है। नेशनल इंश्योरेंस 2016-17 में 0.31 प्रतिशत पर लगातार विदेशी व्यवसाय का एक छोटा घटक अपने पास रखा (2015-16 में 0.36 प्रतिशत सूचित)।

I.3.36 2016-17 में भारत के बाहर जोखिम-अंकित ₹2842 करोड़ के कुल प्रीमियम में से न्यू इंडिया ने ₹2483 करोड़ के उच्चतर प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2015-16 में ₹2614 करोड़)। साधारण बीमाकर्ताओं के कुल भारत के बाहर प्रीमियम में इसका बाजार अंश 2015-16 के 88.50 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 87.38 प्रतिशत हो गया। नेशनल इंश्योरेंस ने 2016-17 में ₹45 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2015-16 में ₹43 करोड़)। भारत के बाहर ओरियन्टल इंश्योरेंस द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम ₹314 करोड़ पर था जो पिछले वर्ष के ₹297 करोड़ की तुलना में उच्चतर रहा और इस प्रकार इसने 5.67 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निजी साधारण बीमा कंपनियों ने भारत के बाहर किसी प्रीमियम का जोखिम-अंकन नहीं किया।

सारणी I.26
कुल प्रीमियम की तुलना में
भारत के बाहर प्रीमियम का अनुपात

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नेशनल	0.36	0.31
न्यू इंडिया	14.71	11.50
ओरियन्टल	3.45	2.82
युनाइटेड	0.00	0.00

सारणी I.27
भारत के बाहर व्यवसाय से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
नेशनल	42.91 5.30%	44.83 4.48%
न्यू इंडिया	2613.80 15.10%	2483.22 -5.00%
ओरियन्टल	296.85 92.80%	313.68 5.67%
युनाइटेड	0.00	0.00
कुल	**2953.56** **19.79%**	**2841.73** **-3.79%**

टिप्पणी : प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

सारणी I.28
जारी की गई पॉलिसियों की संख्या: साधारण बीमाकर्ता*
(लाख में)

बीमाकर्ता	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र	671.32 (-0.96)	852.62 (27.01)
निजी क्षेत्र	549.44 (8.84)	624.45 (13.65)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	36.85 (214.95)	48.26 (30.96)
कुल	**1257.61** **(5.28)**	**1525.33** **(21.28)**

*स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर
टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या

I.3.37 साधारण बीमाकर्ताओं ने (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2015-16 में जोखिम-अंकित 1257.61 लाख पॉलिसियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1525.33 लाख पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2015-16 के मुकाबले 21.28 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि देखी। उन्होंने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में वित्तीय वर्ष 2015-16 में पाई गई 0.96 प्रतिशत गिरावट की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 27 प्रतिशत वृद्धि सूचित की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 13.65 प्रतिशत की वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8.84 प्रतिशत) सूचित की। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 30.96 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की (वित्तीय वर्ष 2015-16 में 214.95 प्रतिशत)।

प्रदत्त पूँजी

I.3.38 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमाकर्ताओं की प्रदत्त पूँजी ₹12064.77 करोड़ थी। 2016-17 के दौरान, साधारण बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने अपनी ईक्विटी पूँजी के आधार में ₹1063.05 करोड़ जोड़ दिये। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पूँजी नहीं जोड़ी, जबकि विशेषीकृत संस्था ईसीजीसी ने ₹150 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी प्रदान की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ₹385.72 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त पूँजी शामिल की। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने ₹258.39 करोड़ की पूँजी जोड़ दी। निजी क्षेत्र के पुनर्बीमाकर्ता अर्थात् आईटीआई रीइंश्योरेंस लि. ने 2016-17 के दौरान ₹268.94 करोड़ की पूँजी शामिल की।

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की सात नई पंजीकृत शाखाओं ने वर्ष 2016-17 के दौरान 1117.81 करोड़ रुपये की सीमा तक समनुदेशित पूँजी जोड़ी।

सारणी I.29
प्रदत्त पूँजी : साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
साधारण बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	650.00	650.00
निजी क्षेत्र	7127.76	7513.48
उप-जोड़	**7777.76**	**8163.48**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	ल.न.	ल.न.
निजी क्षेत्र	2357.01	2615.40
उप-जोड़	**2357.01**	**2615.40**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	1500.00	1650.00
निजी क्षेत्र	ल.न.	ल.न.
उप-जोड़	**1500.00**	**1650.00**
पुनर्बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	430.00	430.00
निजी क्षेत्र	ल.न.	ल.न.
उप-जोड़	**430.00**	**698.94**
कुल जोड़	**12064.77**	**13127.82**
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ लायइड् इंडिया सहित	**0.00**	**1117.81***

*समनुदेशित पूँजी ल.न.: लागू नही।

अन्य प्रकार की पूँजी

I.3.39 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 6ए(1)(i) के अधीन दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम की धारा 114ए और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। उपर्युक्त विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत साधारण बीमा उद्योग ने 2016-17 के दौरान 2281 करोड़ रुपये की अपरिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचरों के रूप में अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई, जबकि वर्ष 2015-16 में जुटाई गई अन्य प्रकार की पूँजी शून्य थी। सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने 895 करोड़ रुपये के डिबेंचरों के निर्गम के द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई। निजी क्षेत्र के छह बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) ने डिबेंचर के निर्गम के द्वारा अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई, जिनमें सिगना टीटीके, एचडीएफसी एरगो (पूर्व में एलएण्डटी जनरल के रूप में ज्ञात), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, रॉयल सुंदरम और टाटा एआईजी शामिल हैं जिन्होंने क्रमशः 43 करोड़ रुपये, 350 करोड़ रुपये, 485 करोड़ रुपये, 230 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये और 178 करोड़ रुपये के डिबेंचर जारी किये।

जोखिम-अंकन अनुभव

I.3.40 साधारण बीमा कंपनियों की जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष के ₹14959 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में ₹18840 करोड़ हो गईं। जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 25.94 प्रतिशत बढ़ीं। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2015-16 के ₹10835 करोड़ से 43.89 प्रतिशत बढ़कर 2016-17 में ₹15591 करोड़ हुईं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2015-16 के ₹3664 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹2949 करोड़ सूचित की गईं। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपनी जोखिम-अंकन हानियों में उल्लेखनीय कमी सूचित कीं जो 2015-16 के ₹272 करोड़ की तुलना में घटकर 2016-17 में ₹87 करोड़ रहीं। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियों में 2015-16 में दर्ज 188 करोड़ रुपये की तुलना में 2016-17 में 214 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ / हानि का अनुपात पिछले वर्ष 2015-16 में क्रमशः दर्ज -0.25, -0.13, -0.09 और -0.06 की तुलना में 2016-17 में क्रमशः -0.32, -0.09, -0.02 और -0.07 था। 2016-17 में साधारण बीमा उद्योग के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ / हानि का अनुपात 2015-16 में दर्ज -0.20 की तुलना में -0.21 रहा।

सारणी I.30
जोखिम-अंकन अनुभवः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	-10834.80 (-0.25)	-15590.71 (-0.32)
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-3663.83 (-0.13)	-2948.83 (-0.09)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-272.25 (-0.09)	-86.51 (-0.02)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-188.08 (-0.06)	-214.36 (-0.07)
कुल	**-14958.96 (-0.20)**	**-18840.41 (-0.21)**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ/हानि का अनुपात दर्शाते हैं।
(जोखिम-अंकन लाभ/हानि = अर्जित प्रीमियम (निवल) उपगत दावा (निवल) कमीशन - बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय प्रीमियम कमी)

साधारण बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.41 सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के सकल कमीशन व्यय 2016-17 के लिए क्रमशः ₹3625 करोड़, ₹2306 करोड़, ₹664 करोड़ और ₹7 करोड़ रहे, तथा संचयी तौर पर साधारण बीमा उद्योग के लिए कुल सकल कमीशन व्यय ₹6602 करोड़ रहे। कमीशन व्यय लगातार स्वास्थ्य खंड के लिए अधिकतम रहे, जो ₹2650 करोड़ थे जिनमें से सरकारी क्षेत्र के लिए ₹1281 करोड़, निजी क्षेत्र बीमाकर्ता के लिए ₹705 करोड़, और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता के लिए ₹664 करोड़ थे।

I.3.42 कुल व्ययों में से एक बड़ा भाग कमीशन व्ययों और परिचालन व्ययों का है। साधारण बीमा कंपनियों के परिचालन व्यय 2015-16 के ₹23245 करोड़ की तुलना में 2016-17 में ₹25594 करोड़ थे, जो 10.11 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 2.47 प्रतिशत, 18.59 प्रतिशत, 21.43 प्रतिशत और 21.33 प्रतिशत वृद्धि हुई।

I.3.43 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 40बी और 40सी के अंतर्गत दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 जारी किये हैं। उपर्युक्त विनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए लागू हैं।

सारणी I.31
सकल कमीशन व्ययः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
(₹ करोड़)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
फायर	602.07	575.48	223.92	256.00	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	825.99	831.48
मरीन	141.06	151.29	104.36	110.69	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	245.42	261.98
मोटर	983.87	1072.69	789.46	919.64	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	1773.33	1992.33
स्वास्थ्य	1113.87	1281.19	597.74	704.45	456.75	664.08	ला.न.	ला.न.	2168.36	2649.72
अन्य	501.93	544.16	267.77	315.24	ला.न.	ला.न.	3.69	6.75	773.39	866.15
कुल	**3342.80**	**3624.81**	**1983.25**	**2306.02**	**456.75**	**664.08**	**3.69**	**6.75**	**5786.49**	**6601.66**

टिप्पणी : बीमाकर्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/ पुनःसमूहीकरण किया गया है। . ला.न. लागू नहीं।

I.3.44 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 6 निजी बीमाकर्ता छूट की अवधि के अधीन थे। पाँच वित्तीय वर्षों की उक्त अवधि प्रथम आंशिक वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त होगी। शेष 23 साधारण बीमाकर्ताओं (पूर्व की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. को छोड़कर जिसका विलय एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया है) में से 18 साधारण बीमाकर्ता आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के अनुपालनकर्ता थे और 5 साधारण बीमाकर्ता अनुपालनकर्ता नहीं थे।

सारणी I.32
परिचालन व्यय
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	12528.44	12838.19
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	9018.00	10694.19
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1396.79	1696.18
विशेषीकृत बीमाकर्ता	301.47	365.79
कुल	**23244.70**	**25594.35**

टिप्पणी : बीमाकर्ताओं द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण / पुनःसमूहीकरण किया गया है।

उपगत दावा अनुपात

I.3.45 साधारण बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे 2015-16 के ₹64502 करोड़ रुपये के मुकाबले 2016-17 में ₹80662 करोड़ रुपये रहे। 2016-17 के दौरान उपगत दावों ने 25.05 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में क्रमशः 28.71 प्रतिशत, 18.37 प्रतिशत, 35.16 प्रतिशत और 20.98 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। 2016-17 के दौरान उपगत दावा अनुपात में समग्र वृद्धि 25.05 प्रतिशत पर थी जो पिछले वर्ष में दर्ज 16.78 प्रतिशत से उच्चतर थी।

I.3.46 साधारण बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) 2016-17 के दौरान 90.91 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 85.06 प्रतिशत के आंकड़े से उच्चतर है। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात वर्ष 2016-17 के लिए 100.02 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 89.03 प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात से बढ़ा था। जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए वर्ष 2016-17 के लिए उपगत दावा अनुपात क्रमशः 79.10 प्रतिशत, 56.47 प्रतिशत और 120.22 प्रतिशत था, जबकि तुलनीय रूप में पिछले वर्ष का अनुपात क्रमशः 80.18 प्रतिशत, 58.20 प्रतिशत और 100.54 प्रतिशत था।

I.3.47 विभिन्न खंडों के बीच स्वास्थ्य बीमा और मोटर बीमा का दावा अनुपात उच्च रहा जो क्रमशः 101.05 प्रतिशत और 88.17 प्रतिशत था। मोटर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 81.18 प्रतिशत से वर्ष 2016-17 में 88.17 प्रतिशत तक बढ़ा। तथापि, अन्य खंडों का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 75.91 प्रतिशत से बढ़कर 81.91 प्रतिशत हो गया है। फिर भी, फायर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 74.44 प्रतिशत की तुलना में 84.38 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

सारणी I.33
निवल उपगत दावेः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	38104.27 20.71%	49043.19 28.71%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	21771.81 12.05%	25771.04 18.37%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1769.75 32.40%	2392.05 35.16%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2856.57 -1.40%	3455.87 20.98%
कुल जोड़	**64502.40** **16.78%**	**80662.14** **25.05%**

टिप्पणी : प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

सारणी I.34
उपगत दावा अनुपात : साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (प्रतिशत में)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17
फायर	76.03	91.40	66.31	52.37	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	74.44	84.38
स्वास्थ्य	115.45	120.15	74.69	74.70	58.20	56.47	ला.न.	ला.न.	98.46	101.05
मरीन	63.66	74.96	85.91	75.01	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	72.05	74.98
मोटर	79.83	93.48	82.55	83.00	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	81.18	88.17
अन्य	59.24	67.89	74.99	70.27	ला.न.	ला.न.	100.54	120.22	75.91	81.91
कुल	**89.03**	**100.02**	**80.18**	**79.10**	**58.20**	**56.47**	**100.54**	**120.22**	**85.06**	**90.91**

टिप्पणी : स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा शामिल है। ला.न: लागू नहीं।

निवेश आय: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

I.3.48 2016-17 के दौरान सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय ₹21730 करोड़ रुपये थी (2015-16 में ₹19078 करोड़ रुपये थी) जिसने पिछले वर्ष के 14.88 प्रतिशत के मुकाबले 13.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय 29.41 प्रतिशत बढ़ी है तथा निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की निवेश आय में क्रमशः 24.62 प्रतिशत और 8.81 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए निवेश आय ने 9.00 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई थी।

सारणी I.35
साधारण और स्वास्थ्य बीमकर्ताओं की निवेश आय
(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	12147.41	13241.00
	13.26%	9.00%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	5684.50	7083.91
	19.15%	24.62%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	241.34	312.32
	35.16%	29.41%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	1004.57	1093.05
	7.70%	8.81%
कुल जोड़	**19077.82**	**21730.28**
	14.88%	**13.90%**

टिप्पणी : प्रतिशत में आंकडे संबंधित बीमाकर्ताओं की संवृद्धि दर (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

कर के बाद लाभ (पीएटी)

I.3.49 वर्ष 2016-17 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा उद्योग का कुल पीएटी 2015-16 में विद्यमान 3238 करोड़ रुपये के लाभ की तुलना में 845 करोड़ रुपये था। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने 2015-16 में 1499 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में 2551 करोड़ रुपये की कर के बाद हानि सूचित की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2015-16 में 1333 करोड़ रुपये के पीएटी के मुकाबले 2763 करोड़ रुपये का पीएटी सूचित किया तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने 2015-16 के 583 करोड़ रुपये की तुलना में 606 करोड़ रुपये के पीएटी की सूचना दी जबकि स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2015-16 में 192 करोड़ रुपये की कर के बाद हानि की तुलना में 27 करोड़ रुपये का पीएटी सूचित किया।

I.3.50 वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से दो ने कर के बाद पीएटी सूचित किया और दो ने कर के बाद हानि की सूचना दी। न्यू इंडिया ने 2015-16 के 829 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 1008 करोड़ का पीएटी सूचित किया और इस प्रकार 21.59% वृद्धि की। नेशनल का पीएटी वर्ष 2015-16 में दर्ज 149 करोड़ रुपये से घटकर 46 करोड़ रुपये रह गया। ओरियन्टल ने 2015-16 के 300 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में 2016-17 के दौरान 1691 करोड़ रुपये की कर के बाद हानि सूचित की। युनाइटेड इंडिया ने 2015-16 के दौरान दर्ज 221 करोड़ रुपये के पीएटी के मुकाबले 2016-17 के दौरान 1914 करोड़ रुपये की कर के बाद हानि की सूचना दी।

I.3.51 2016-17 के दौरान अठारह निजी साधारण बीमा कंपनियों में से जबकि पन्द्रह ने पीएटी की सूचना दी, शेष तीन ने कंपनियों ने हानियाँ उठाईं। वर्ष 2016-17 के दौरान बजाज अलायंज़ का पीएटी वर्ष 2015-16 के 564 करोड़ रुपये के पीएटी के मुकाबले 728 करोड़ रुपये था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का पीएटी 2015-16 के 507 करोड़ रुपये के पीएटी की तुलना में 2016-17 के दौरान 702 करोड़ रुपये था। कर के बाद हानियों की सूचना जिन तीन बीमाकर्ताओं ने दी, वे थे भारती अक्सा, कोटक महिन्द्रा और लिबर्टी वीडियोकॉन। छह स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में से तीन ने वर्ष 2016-17 के दौरान कर के बाद हानि सूचित की और तीन ने पीएटी सूचित किया। वर्ष 2016-17 के दौरान जिन तीन स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने पीएटी सूचित किया, वे थे अपोलो म्यूनिख, रेलिगेर और स्टार हेल्थ। अपोलो म्यूनिख, रेलिगेर और स्टार हेल्थ ने वर्ष 2016-17 के दौरान क्रमशः 132 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये और 118 करोड़ रुपये के पीएटी की सूचना दी। दोनों विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने वर्ष 2016-17 के दौरान 606 करोड़ रुपये का पीएटी सूचित किया।

सारणी I.36
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	1499	-2551
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	1333	2763
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-177	27
विशेषीकृत बीमाकर्ता	583	606
कुल जोड़	**3238**	**845**

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.52 सरकारी क्षेत्र की चार साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों में से वर्ष 2015-16 में दर्ज 482 करोड़ रुपये के लाभांश के भुगतान की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान किसी ने भी लाभांश का भुगतान नहीं किया है। वर्ष 2015-16 में नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरियन्टल इंश्योरेंस और युनाइटेड इंडिया ने क्रमश 45 करोड़ रुपये, 250 करोड़ रुपये, 120 करोड़ रुपये और 67 करोड़ रुपये का लाभांश अदा किया। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच वर्ष 2016-17 के दौरान तीन कंपनियों ने लाभांशों का भुगतान किया। एचडीएफसी एरगो ने 75.06 करोड़ का लाभांश अदा किया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने 157.10 करोड़ रुपये का तथा श्रीराम जनरल ने 25.85 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया।

I.3.53 जीआईसी ने वर्ष 2015-16 के दौरान अदा किये गये ₹860 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के दौरान किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया। ईसीजीसी ने वर्ष 2015-16 में अदा किये गये ₹65 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान ₹73 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एआईसी द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया गया।

सारणी I.37
भुगतान किये गये लाभांश : साधारण, स्वास्थ्य, पुनर्बीमाकर्ता

(₹ करोड़)

	2015-16	2016-17
साधारण बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	482	0
निजी क्षेत्र	247	258
उप-जोड़	**729**	**258**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	ला.न.	ला.न.
निजी क्षेत्र	0	0
उप-जोड़	**0**	**0**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	65	73
निजी क्षेत्र	0	0
उप-जोड़	**65**	**73**
पुनर्बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	860	0
निजी क्षेत्र	0	0
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	0	0
उप-जोड़	**860**	**0**
कुल जोड़	**1654**	**331**

ला.न.:- लागू नहीं।

कार्यालयों की संख्या

I.3.54 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा कंपनियाँ देश भर में 10,547 कार्यालयों (वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए 10283 की तुलना में) से परिचालन कर रही थीं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 264 कार्यालयों की बढ़ोतरी है। सारे भारत में स्थित कार्यालयों का राज्य-वार और क्षेत्र-वार वितरण सारणी सं. I.39 एवं I.38 में दिया गया है।

सारणी I.38
साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

क्षेत्र	2016	2017
सरकारी क्षेत्र	8331	8518
निजी क्षेत्र	1869	1946
विशेषीकृत बीमाकर्ता	83	83
कुल	**10283**	**10547**

* इस डेटा में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य कार्यालय शामिल नहीं हैं।

सारणी I.39 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा कार्यालयों का राज्य/के.शा.प्र.-वार वितरण

राज्य का नाम	कार्यालयों की सं.	राज्य का नाम	कार्यालयों की सं.
आंध्र प्रदेश	488	नगालैंड	16
अरुणाचल प्रदेश	15	ओडिशा	328
असम	234	पंजाब	460
बिहार	273	राजस्थान	533
छत्तीसगढ़	169	सिक्किम	9
गोवा	59	तमिलनाडु	1203
गुजरात	652	तेलंगाना	322
हरियाणा	304	त्रिपुरा	41
हिमाचल प्रदेश	109	उत्तर प्रदेश	1001
जम्मू व कश्मीर	110	उत्तराखंड	126
झारखंड	208	पश्चिम बंगाल	540
कर्नाटक	642	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	9
केरल	537	चंडीगढ़	58
मध्य प्रदेश	498	दादरा व नगर हवेली	3
महाराष्ट्र	1175	दमण व दीव	3
मणिपुर	15	दिल्ली	328
मेघालय	30	लक्षद्वीप	1
मिजोरम	14	पुदुचेरी	34
	कुल		**10547**

टिप्पणी : इस डेटा में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्यालय शामिल नहीं हैं।

सारणी I.40
31 मार्च 2017 को साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या स्तर-वार

साधारण बीमाकर्ता	वर्ष	स्तर-I	स्तर-II	स्तर-III	स्तर-IV	स्तर-V	स्तर-VI	कुल
सरकारी क्षेत्र	2016	3901	1307	1579	1316	173	55	8331
	2017	4052	1103	1744	1470	100	49	8518
निजी क्षेत्र	2016	1823	36	7	2	1	0	1869
	2017	1874	48	15	7	2	0	1946
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2016	83	0	0	0	0	0	83
	2017	82	1	0	0	0	0	83
कुल	**2016**	**5807**	**1343**	**1586**	**1318**	**174**	**55**	**10283**
	2017	**6008**	**1152**	**1759**	**1477**	**102**	**49**	**10547**

टिप्पणी: - स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और उससे अधिक। स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक। स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक। स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक। स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक। स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम।

सारणी I.41 - साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जिलों की राज्य/के.शा.प्र.-वार व्याप्ति

(31 मार्च 2017)

राज्य/ केन्दीय शासित प्रदेश	जिलों की संख्या	साधारण बीमा कार्यालयों से युक्त जिलों की संख्या			साधारण बीमा कार्यालयों से रहित जिलों की संख्या		
		पीएसयू	निजी	सरकारी अथवा निजी	पीएसयू	निजी	कोई नहीं
आंध्र प्रदेश	13	13	13	13	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	16	8	0	8	8	16	8
असम	27	26	6	26	1	21	1
बिहार	38	36	10	36	2	28	2
छत्तीसगढ़	18	17	9	17	1	9	1
गोवा	2	2	2	2	0	0	0
गुजरात	26	26	22	26	0	4	0
हरियाणा	21	21	13	21	0	8	0
हिमाचल प्रदेश	12	12	5	12	0	7	0
जम्मू व कश्मीर	22	19	2	19	3	20	3
झारखंड	24	24	7	24	0	17	0
कर्नाटक	30	30	17	30	0	13	0
केरल	14	14	12	14	0	2	0
मध्य प्रदेश	50	50	14	50	0	36	0
महाराष्ट्र	35	35	27	35	0	8	0
मणिपुर	9	5	1	5	4	8	4
मेघालय	7	6	1	6	1	6	1
मिजोरम	8	5	1	5	3	7	3
नगालैंड	11	7	0	7	4	11	4
ओडिशा	30	30	10	30	0	20	0
पंजाब	20	20	12	20	0	8	0
राजस्थान	33	33	14	33	0	19	0
सिक्किम	4	3	1	3	1	3	1
तमिलनाडु	32	32	27	32	0	5	0
तेलंगाना	10	10	9	10	0	1	0
त्रिपुरा	4	4	1	4	0	3	0
उत्तर प्रदेश	71	71	30	71	0	41	0
उत्तराखंड	13	11	3	11	2	10	2
पश्चिम बंगाल	19	19	16	19	0	3	0
अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	3	3	1	3	0	2	0
चंडीगढ़	1	1	1	1	0	0	0
दादरा व नगर हवेली	1	1	0	1	0	1	0
दमन और दीव	2	2	0	2	0	2	0
दिल्ली	9	9	8	9	0	1	0
लक्षद्वीप	1	1	0	1	0	1	0
पुदुचेरी	4	3	1	3	1	3	1
कुल	**640**	**609**	**296**	**609**	**31**	**344**	**31**

चार्ट I.18 2016-17 के लिए साधारण बीमा कार्यालयों की संख्या स्तर-वार

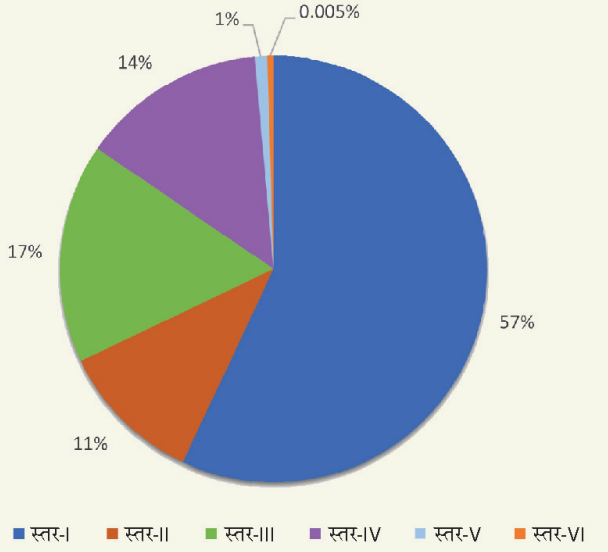

चार्ट I.19 साधारण बीमा कार्यालयों का राज्य-वार वितरण

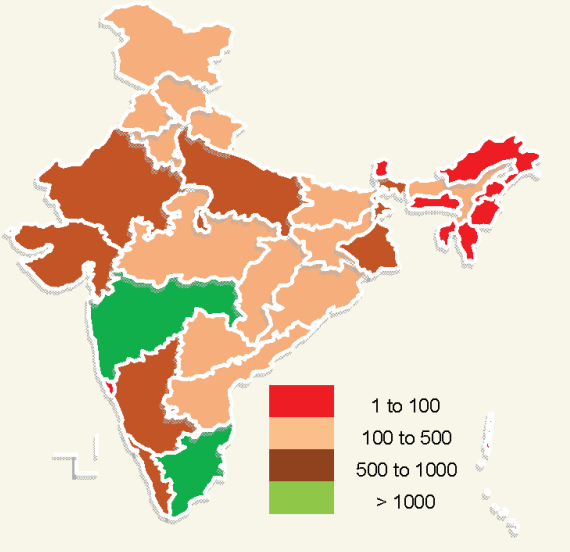

जिला स्तरीय व्याप्ति

I.3.55 साधारण बीमा खंड में देश के 640 जिलों में से सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं के 609 जिलों (अर्थात् देश में कुल जिलों का 95.16%) में कार्यालय हैं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 296 जिलों (अर्थात् देश में कुल जिलों का 46.25%) को समाविष्ट करते हैं। देश के 31 जिलों में साधारण बीमाकताओं का कोई कार्यालय नहीं है।

I.3.56 मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरें :

1. आईआरडीएआई प्रति वर्ष मोटर अन्य पक्ष बीमा के लिए प्रीमियम दरें निर्धारित करता है।

2. तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, आईआरडीएआई ने पूर्व के अखिल भारतीय मोटर प्रशुल्क (टैरिफ) में निहित प्रत्येक वर्गीकरण कूट के लिए मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरों के निर्धारण का कार्य संपन्न किया है।

3. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए निर्णीत दरों की अनुसूची को ट्रान्सपोर्टरों एवं पॉलिसीधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम (मॉडरेट) किया गया है तथा मोटर अन्य पक्ष बीमा रक्षा के लिए अंतिम प्रीमियम दरें दिनांक 17 अप्रैल 2017 की अधिसूचना सं. आईआरडीएआई/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/089/04/2017 के द्वारा अधिसुचित की गई हैं।

I.3.57 मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के दायित्व

1. बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 32डी का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के न्यूनतम दायित्व के लिए कार्यपद्धति बताते हुए 2 जून 2015 को आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 अधिसूचित किये।

2. छह बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए टीपी दायित्वों का पालन नहीं किया तथा उक्त मामले पर विनियामक परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त रूप में कार्रवाई की गई।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में बाईस साधारण बीमाकर्ताओं में से छह बीमाकर्ताओं ने मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्वों का पालन नहीं किया। उक्त छह बीमाकर्ताओं में से चार बीमाकर्ता बहुत कम मार्जिन के साथ (अर्थात् 5%) लक्ष्य से चूक गये। यह मामला विनियामक परिप्रेक्ष्य में जाँच के अधीन है।

4. सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए मोटर अन्य पक्ष दायित्वों का पालन किया है।

विशेषीकृत बीमाकर्ता

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

I.3.58 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो निर्यात ऋण बीमा में जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2016-17 में ₹1267.62 करोड़ रुपये के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया तथा 2015-16 के ₹1320.73 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.02 प्रतिशत की ऋणात्मक

सारणी I.42
2017-18 के लिए मोटर अन्य पक्ष दायित्वों के परिकलन

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	वित्तीय वर्ष 2016-17			
	मोटर ओडी जीडीपी	मोटर अन्य पक्ष जीडीपी	कुल मोटर जीडीपी	कुल जीडीपी
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2066	1501	3567	7633
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	741	364	1105	1314
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	922	1243	2165	3133
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	545	358	903	1815
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	941	661	1601	5840
एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जन.)	131	90	222	348
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2760	1782	4542	10725
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1528	1445	2973	5564
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	45	24	69	82
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	275	134	409	585
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	150	191	340	419
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2576	3746	6322	14238
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	3094	4506	7601	19115
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1422	2321	3743	10803
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0	29	29	59
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	952	1011	1963	3935
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1070	634	1704	2189
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	448	232	681	2604
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	589	1247	1836	2102
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1230	791	2020	4168
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2013	4049	6063	16063
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	229	164	393	1287
कुल जोड़	**23727**	**26523**	**50250**	**114023**

संवृद्धि दर सूचित की। उक्त बीमाकर्ता ने पिछले वर्ष के ₹249.74 करोड़ रुपये की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में ₹245.95 करोड़ रुपये की जोखिम-अंकन हानि की सूचना दी। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹979 करोड़ रुपये की तुलना में ₹872 करोड़ का है। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के ₹276 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹282 करोड़ रुपये हुआ। उक्त बीमाकर्ता ने 2016-17 में 121% का उपगत दावा अनुपात (2015-16 में 102%) सूचित किया।

I.3.59 कंपनी के पास अंतरण गारंटियों सहित 2016-17 में 12,029 अल्पकालिक निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ (2015-16 में 11,525) थीं। वर्ष के दौरान अल्पकालिक पॉलिसियों पर अर्जित प्रीमियम आय ₹359.99 करोड़ रुपये (2015-16 में ₹382.99 करोड़ रुपये) थी। वर्ष के दौरान अल्पकालिक ईसीआईबी पर अर्जित प्रीमियम आय ₹881.08 करोड़ रुपये (2015-16 में ₹910.64 करोड़ रुपये) थी। मध्यावधि और दीर्घावधि व्यवसाय से प्रीमियम आय 2015-16 के ₹27.10 करोड़ रुपये की तुलना में 2016-17 के दौरान ₹26.56 करोड़ रुपये थी।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.

I.3.60 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो कृषि बीमा में जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2015-16 के ₹3521 करोड़ रुपये की तुलना में 98.21 प्रतिशत की वृद्धि सूचित करते हुए वर्ष 2016-17 के दौरान ₹6980 करोड़ रुपये के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के ₹1862 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2016-17 के लिए ₹2003 करोड़ है। उक्त बीमाकर्ता ने 2015-16 में अर्जित ₹62 करोड़ रुपये के जोखिम-अंकन लाभ की तुलना में 2016-17 में ₹32 करोड़ रुपये का जोखिम-अंकन लाभ अर्जित किया। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के ₹307 करोड़ रुपये से बढ़कर ₹324 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का उपगत दावा अनुपात 2015-16 में विद्यमान 99.66% की तुलना में 2016-17 में 119.78% है।

I.4 समीक्षा

I.4.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण

I.4.1.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम - पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण का मूलभूत ढाँचा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 में निहित है। तब से बीमा उद्योग ने अनेक परिवर्तनों को देखा है, जैसे सूक्ष्म बीमा यूलिप, स्वास्थ्य बीमा आदि जैसे नये प्रकार के उत्पादों का प्रारंभ तथा कॉरपोरेट एजेंटों, बीमा दलालों, वेब संग्राहकों और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) जैसे नई श्रेणियों के वितरण माध्यमों को बीमा वितरण कार्यकलाप करने के लिए अनुमति दी गई है। यह पाया गया है कि प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होने के साथ ही, बीमा विक्रय प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाने, एजेंटों और मध्यवर्तियों द्वारा आचरण-संहिता के कड़ाई से पालन को लागू करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के नये विनियम आईआरडीएआई द्वारा तैयार किये जा रहे हैं तथा यह अपनी अधिसूचना के अंतिम चरण में है। उक्त नये पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियमों को शीघ्र ही अधिसूचित करना प्रत्याशित है।

I.4.1.2 अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉल: आईआरडीएआई, भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल जो बीमा पॉलिसियों के अपविक्रय (मिससेलिंग) के लिए और/या झूठे वादों के आधार पर व्यक्तियों/ अविनियमित संस्थाओं के नाम जमा/ निवेश करवाने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं, बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय हैं। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। यह देखा गया है कि 'अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉल' श्रेणियों के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें निरंतर बनी हुई हैं, हालाँकि इनकी संख्या में कमी आई है। बीमा पॉलिसियों के अपविक्रय में परिणत होनेवाले छल-कपटपूर्ण कालों को नियंत्रित

करने के लिए आईआरडीएआई ने विभिन्न प्रयास किये हैं जिनमें बीमा मध्यवर्तियों की आचरण-संहिता को नियंत्रित करनेवाले आवश्यक विनियम लागू करना शामिल है। बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि वे छल-कपटपूर्ण कॉलिंग के विषय में अपने ग्राहकों को सतर्क करें और साथ ही दूसरी ओर अनुशासित मध्यवर्तियों को सुनिश्चित करें। साथ ही, बीमाकर्ताओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे सख्त जोखिम-अंकन प्रथाओं और सही विक्रय को सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित विभिन्न अन्य उपायों का पालन करें। जिन उपभोक्ताओं ने छल-कपटपूर्ण टेलीफोन कॉलों के आधार पर किसी बीमाकर्ता को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति/ आईआरडीएआई के पास अपंजीकृत संस्था के पास धनराशि निवेश / जमा की है, उन्हें चाहिए कि वे विधि प्रवर्तक प्राधिकारियों का सहारा लें।

पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु पहलें

I.4.1.3 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने की दृष्टि से आईआरडीएआई ने कई पहलें की हैं। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए विनियमों का ढाँचा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 में निहित है। इन विनियमों के अंतर्गत विक्रय-स्थान पर अनुसरण की जानेवाली प्रक्रिया; जीवन बीमा और साधारण बीमा पॉलिसी में किये जानेवाले प्रकटीकरण; जीवन बीमा और साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावा प्रक्रिया; तथा पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए टर्नअराउंड समय (टीएटी) उपलब्ध हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम वर्ष 2002 में जारी किये गये हैं तथा तब से लेकर बीमा परिदृश्य में कई परिवर्तन घटित हुए हैं, आईआरडीएआई उपर्युक्त विनियमों का पुनरीक्षण कर रहा है और नये आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम शीघ्र ही अधिसूचित करनेवाला है।

I.4.1.4 आईआरडीए (विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 और विज्ञापनों से संबंधित अन्य दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सूचना (इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना सहित) जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अंततः पॉलिसी की बिक्री अथवा अपेक्षा के रूप में परिणत होती है, अनुचित अथवा भ्रामक नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें प्रस्तावित किये जानेवाले उत्पाद के बारे में उचित सूचना निहित होनी चाहिए ताकि ग्राहक अपनी आवश्यकता के अनुसार बीमा उत्पाद का चयन करने के बारे में सुविचारित निर्णय ले सके।

I.4.1.5 बीमा अपेक्षा करने का विषय है तथा प्राधिकृत व्यक्ति अथवा संस्थाएँ बीमे की अपेक्षा करने में संबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल लाइसेंसप्राप्त व्यक्ति अथवा संस्थाएँ ही बीमा उत्पादों के संबंध में पूर्वेक्षण और विक्रय करने में संबद्ध हों, आईआरडीएआई ने पंजीकरण के लिए विनियम जारी किये हैं। ये विनियम हैं, आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 वैयक्तिक बीमा एजेंटों के लिए; आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 कॉरपोरेट एजेंटों के लिए; आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 बीमा दलालों के लिए; आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013 वेब संग्राहकों के लिए; तथा आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 बीमा विपणन फर्मों के लिए। ये विनियम एजेंटों, कॉरपोरेट एजेंटों, दलालों, वेब संग्राहकों और बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के लिए उनमें निर्धारित आचरण-संहिता के पालन को अनिवार्य करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाले व्यक्ति पात्र व्यक्ति होने चाहिए तथा वे विक्रय के लिए प्रस्तावित बीमा उत्पादों के संबंध में आवश्यक सूचना का प्रसारण करें, बेची जा रही पॉलिसी को समझें और ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर उपयुक्त परामर्श देने में सक्षम हों जिससे प्रस्तावित / विक्रय की जा रही पॉलिसी संभावित ग्राहक की आवश्यकताएँ पूरी कर सके। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे बिक्री के बाद की सेवा, जैसे नवीकरण, दावा प्रस्तुत करने में सहायता आदि भी उपलब्ध कराएँ।

I .4.1.6 बीमाकर्ताओं, कॉरपोरेट एजेंटों और दलालों के द्वारा टेली-कॉलिंग, एसएमएस, ई-मेल, इंटरनेट, डीटीएच, डाक मेल, और अन्य विधियों के माध्यम से पॉलिसियों की अपेक्षा (अग्रता उत्पादन सहित) जो व्यक्तिगत रूप से संचार के साथ संबद्ध नहीं हैं, का सहारा लेने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के चलते एवं दूरस्थ विधि से बीमा उत्पादों की सूचना और बिक्री की अपेक्षा करते हुए ग्राहकों से प्राप्त हो रहे अनुरोधों को देखते हुए; आईआरडीए ने दूरस्थ विपणन दिशानिर्देश

जारी किये हैं। विक्रय के प्रस्ताव, बातचीत और निर्णय के समय अनुपालन की जानेवाली अपेक्षाओं का उद्देश्य दूरस्थ विपणन माध्यमों का सहारा लेनेवाले संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को संरक्षण देना है।

I.4.1.7 चूँकि बीमा का लाभ केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि उपयुक्त उत्पादों का विक्रय किया जाए; अतः आईआरडीएआई ने दोनों जीवन और साधारण उत्पादों के फाइल एण्ड यूज़ के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह आईआरडीएआई को आवेदन प्रस्तुत करने के द्वारा उत्पादों के लिए अनुमोदन माँगे। आवेदन के साथ बीमाकर्ता को पॉलिसी बांड का नमूना, प्रस्ताव फार्मों का नमूना, विक्रय से संबंधित साहित्य का नमूना एवं वित्तीय पूर्वानुमानों का विवरण प्रस्तुत करने चाहिए। शर्तों में परिवर्तन के लिए इसी प्रकार की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उस स्थिति में भी जब कोई बीमाकर्ता किसी उत्पाद को हटाना चाहता हो, तब भी वह आईआरडीएआई को सूचित करने के बाद ही और उत्पाद को हटाने के लिए कारण देने के बाद ही ऐसा कर सकता है। ये विनियम यह सुनिश्चित करते हैं कि जनता को केवल अनुमोदित उत्पाद ही बेचे जाएँ।

I.4.1.8 आईआरडीए (असंबद्ध उत्पाद) विनियम, 2013 और आईआरडीए (संबद्ध उत्पाद) विनियम, 2013 जो क्रमशः असंबद्ध और संबद्ध जीवन बीमा उत्पादों का नियंत्रण करते हैं, का उद्देश्य बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित उत्पादों और उनकी विशेषताओं के तौर पर सामंजस्य को सुनिश्चित करना है तथा लाभों के भुगतान के तौर पर पारदर्शिता लाना है जिसके द्वारा सही पॉलिसी का चयन करने में ग्राहकों को समर्थ बनाया जा सके।

I.4.1.9 आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम 2016 उत्पाद की विशेषताओं, प्रस्ताव फार्म में मानक घोषणा, अधिकाधिक पारदर्शिता और विक्रय साहित्य में प्रकटीकरण तथा वेब पोर्टलों पर प्रकटीकरणों पर अधिकाधिक बल देते हैं जिससे निर्णय लेने आदि के लिए उपयुक्त सूचना का प्रसार किया जा सके।

I.4.1.10 शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण की दिशा में आईआरडीएआई द्वारा की गई पहलों का उल्लेख शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित पैराग्राफों में अलग से किया गया है।

I.4.1.11 इस प्रकार, पॉलिसीधारकों के संरक्षण में आईआरडीएआई की भूमिका आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 से भी बहुत आगे है। इसके अलावा, उपर्युक्त उपाय प्रवेश स्थान मानदंड, पंजीकरण, शोधक्षमता मार्जिन का अनुरक्षण, निवेश मानदंड और सार्वजनिक प्रकटीकरण आदि जैसी अन्य विनियामक अपेक्षाओं तथा स्थान पर (ऑनसाइट) निरीक्षण और विनियामक विवरणियों के माध्यम से परोक्ष (ऑफ़-साइट) निगरानी, बाजार आसूचना, लेखा-परीक्षा आदि जैसी पर्यवेक्षी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त हैं और उन्हें छोड़कर नहीं हैं।

शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण

I.4.1.12 आईआरडीएआई का उपभोक्ता कार्य विभाग शिकायत निवारण की बीमाकर्ताओं की नीति की निगरानी करने के द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। आईआरडीएआई के शिकायत निवारण दिशानिर्देश यह अनिवार्य करते हैं कि सभी बीमाकर्ताओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति होनी चाहिए, वे प्रधान कार्यालय/ कॉरपोरेट कार्यालय/ प्रमुख कार्यालय में वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग के स्तर के एक शिकायत निवारण अधिकारी को और प्रत्येक अन्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें एवं शिकायतों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। ये दिशानिर्देश प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वह शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण और उनकी खोज (ट्रैकिंग) करने के लिए स्वचालित प्रणालियाँ रखे तथा कॉल अथवा ई-मेलों के द्वारा शिकायतें प्राप्त करने की प्रणालियाँ रखे एवं इन प्रणालियों को आईआरडीएआई के साथ समन्वित करे। इसके अलावा, इन दिशानिर्देशों में शिकायतों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए

समय-सीमाएँ निहित हैं, जैसे प्राप्ति-सूचना देना, निवारण, समापन, आदि। शिकायत निवारण दिशानिर्देश और कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश यह निदेश देते हैं कि पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति एक अधिदेशात्मक समिति के रूप में अनिवार्यतः होनी चाहिए।

I.4.1.13 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत कॉल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन संख्या के माध्यम से और ई-मेल द्वारा शिकायतें प्राप्त करता है तथा समाधान की स्थिति प्रेषित करने के अलावा शिकायतों को पंजीकृत करता है। आईआरडीएआई ने शिकायतों के प्रबंध के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल शिकायतों का पंजीकरण और उनकी खोज करने के लिए एक ऑनलाइन प्रवेश द्वार (गेटवे) है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्योग-व्यापी शिकायत रिपोज़िटरी के रूप में भी कार्य करती है। आईजीसीसी का इंटरफेस आईजीएमएस के साथ है; तथा आईजीएमएस के माध्यम से आईआरडीएआई का बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ इंटरफेस है।

I.4.1.14 उपभोक्ता कार्य विभाग संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों से बीमा कंपनियों पर शिकायतें प्राप्त करता है; तथा समाधान के लिए ये शिकायतें बीमाकर्ताओं के पास उठाता है। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे पहले अपनी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों के पास दाखिल करें। यदि बीमा कंपनियाँ 15 दिन के निर्धारित समय के अंदर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करतीं अथवा शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह आईआरडीएआई के स्तर पर शिकायत को उठा सकता है/ सकती है। आईआरडीएआई संबंधित बीमा कंपनी के पास मामला उठाने के द्वारा समीक्षा/ पुनःजाँच के माध्यम से समाधान को सुसाध्य बनाता है। तथापि, आईआरडीएआई अपने द्वारा प्राप्त अथवा अपने स्तर पर प्रेषित प्रत्येक शिकायत की जाँच नहीं करता अथवा उसके संबंध में न्यायनिर्णय नहीं करता। यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें मामला बीमा लोकपाल द्वारा अथवा किसी अन्य उपयुक्त फोरम अथवा न्यायालय द्वारा, जैसी स्थिति हो, न्यायनिर्णयन के लिए उठाना होगा।

I.4.1.15 चूँकि आईआरडीएआई शिकायत निवारण में सहायता करता है, परंतु शिकायतों के संबंध में न्यायनिर्णय नहीं करता, अतः लोक शिकायत निवारण (आरपीजी) नियम, 1998 के अधीन कार्यरत बीमा लोकपाल की संस्था बीमा की वैयक्तिक व्यवस्थाओं से संबंधित शिकायत के कुछ आधारों पर शिकायतों के निपटान के लिए एक सरल, सस्ती व शीघ्रकारी, समाधानकारी और न्यायनिर्णायक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। उक्त आरपीजी नियम, 1998 समीक्षा के अधीन है तथा यह प्रत्याशित है कि नये बीमा लोकपाल नियम 2017-18 के दौरान अधिसूचित किये जाएँगे।

I.4.1.16 उक्त उपभोक्ता कार्य विभाग आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के अनुपालन के स्तर की जाँच करता है। आईजीएमएस समूचे उद्योग में शिकायतों का एक केन्द्रीय रिपोज़िटरी उपलब्ध कराती है तथा प्रणालीगत और नीति से संबंधित समस्याओं को पहचानने के लिए शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण करने में आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों की सहायता करती है। आईआरडीएआई पॉलिसीधारकों की चिंताओं को अभिनिर्धारित करता है तथा शिकायतों की शून्य सहिष्णुता के लिए बीमाकर्ताओ को उपयुक्त अनुदेश देता है/उचित उपाय सुझाता है।

आईआरडीएआई की बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलें

I.4.1.17 आईआरडीएआई को दिया गया अधिदेश बीमा पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण और भारत में बीमा क्षेत्र का सुव्यवस्थित विकास रहा है। इस अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए आईआरडीएआई भारत के नागरिकों के बीच सामान्य रूप से वित्तीय साक्षरता तथा विशेष रूप से बीमा विशिष्ट जागरूकता की व्याप्ति करने में सहायक रहा है। 'सही खरीद' के अपने मूल विषय के अंतर्गत आईआरडीएआई संभावित पॉलिसीधारकों एवं वर्तमान पॉलिसीधारकों को बीमा रक्षा की उनकी आवश्यकता की उचित समझ के साथ तथा उन आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त बीमा उत्पाद का चयन करने हेतु सुविज्ञ बनाने के लिए प्रयास करना रहा है।

यह जागरूकता निर्मित करने की दिशा में 2016-17 के लिए आईआरडीएआई की प्रचार और उपभोक्ता शिक्षण कार्यनीति रेडियो अभियान, सिनेमा हॉलों, परस्पर सक्रिय कियोस्कों आदि सहित वैकल्पिक माध्यमों के उपयोग पर विशेष फोकस से युक्त नई संकल्पनाओं और विषयों का पता लगाने की परिकल्पना करती है। तदनुसार, आईआरडीएआई ने निम्नलिखित उपभोक्ता शिक्षण पहलें की हैं तथा 2016-17 के दौरान इन पहलुओं के लिए ₹22.21 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इस संबंध में किये गये कार्यकलापों और व्यय की गई राशि का एक विस्तृत विश्लेषित विवरण नीचे की सारणी में दी जाती है:

सारणी I.43
किये गये कार्यकलाप और व्यय की गई राशि - आईआरडीएआई की बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलें

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2016-17के लिए व्यय किया गया बजट (₹ लाख में)
1.	प्रिंट मीडिया	13
2.	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया	1800
3.	फोकस युक्त घटना/बीमा जागरूकता सहित विशेष समारोह आयोजित करना	30
4.	सूचना प्रौद्योगिकी (उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट का अनुरक्षण और उसका अद्यतनीकरण)	2
5.	अनुसंधान कार्य	10
6.	एनसीएफई व्यय (एनएसएफई के कार्यान्वयन के लिए अंशदान)	300
7.	एनसीईएआर सर्वेक्षण	66
	कुल	**2221**

1. रेडियो अभियान: आईआरडीएआई ने चार भाषाओं (अर्थात् हिन्दी, तमिल, तेलुगु और कन्नड) में नीचे सूचीबद्ध विभिन्न संकल्पनाओं पर छह तुकबंदियाँ विकसित की हैं। बीमा, अपविक्रय के बारे में चेतावनी, बीमा पॉलिसी का समय पर नवीकरण आदि के लिए आवश्यकता पर जनता को शिक्षित करने पर इनके विषय केन्द्रित हैं। उक्त संकल्पनाओं में शामिल हैं :

(i) जीवन बीमा
(ii) आवास बीमा
(iii) स्वास्थ्य बीमा
(iv) मोटर बीमा
(v) बीमा पॉलिसी का नवीकरण
(vi) बीमे का अपविक्रय

ये तुकबंदियाँ आकाशवाणी और छह अन्य निजी एफएम चैनलों पर प्रसारित की गईं। इन प्रसारणों पर ₹18.30 करोड़ रुपये व्यय किये गये। उक्त प्रसारण की योजना इस प्रकार से बनाई गई कि अधिकतम लोगों तक पहुँचे तथा जनसाधारण पर अधिकतम प्रभाव निर्मित करे।

2. बीमा जागरूकता सामग्री का वितरण: आईआरडीएआई ने पुस्तिकाओं (हैंडबुक्स) के रूप में विभिन्न विषयों पर बीमा जागरूकता सामग्री अभिकल्पित और विकसित की। 2016-17 में भारत भर में स्कूलों और कालेजों में लगभग 3,000 पुस्तिकाएँ वितरित की गईं। इन पुस्तिकाओं को सरल सुबोध भाषा में इस प्रकार अभिकल्पित किया गया कि बीमा, जोखिमों को कम करने में एक वित्तीय साधन के रूप में उसका महत्व, विभिन्न प्रकार का बीमा, आदि से छात्रों को परिचित कराने में इनसे सहायता मिल सके।

3. एनसीएफई के कोर समिति के सदस्य के रूप में भूमिका: वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में एक सक्रिय भूमिका अदा करना आईआरडीएआई ने जारी रखा, जो वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित संस्था है। आईआरडीएआई ने 2016-17 के दौरान अपने अंश के तौर पर एनसीएफई को '3 करोड़ रुपये का अंशदान किया। एनसीएफई की कोर समिति की 12वीं बैठक के अनुसार 2016-17 के दौरान एनसीएफई द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) प्रौद्योगिकी नीत वित्तीय साक्षरता अभियान (कियोस्क) : यह निर्णय किया गया कि बैंकों, डाक-घरों, जिलाधीश कार्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर 70 नॉन-इंटरऐक्टिव और 30 इंटर ऐक्टिव कियोस्क संस्थापित किये जाएँ। तीन वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव सहित प्रत्येक कियोस्क की लागत ₹2 लाख होगी, जिसे एनसीएफई के बजट से वहन किया जा

रहा है। आईआरडीएआई सहित वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं ने कियोस्कों के माध्यम से प्रदर्शन के लिए अंतर्वस्तु का अंशदान किया।

(ii) **एनएफएलएटी 2017 :** एनसीएफई के तत्वावधान में राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता निर्धारण परीक्षा (एनएफएलएटी) 2017 जिन स्कूलों में कंप्यूटर युक्त बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ कंप्यूटर फार्मेट में और अन्य स्कूलों में पारंपरिक कागज और कलम फार्मेट में दिसंबर 2017 में संचालित करने का प्रस्ताव है। पिछले दौर की परीक्षा में लगभग 1,80,000 छात्रों ने भाग लिया जो उनके संबंधित स्कूलों में संचालित की गई थी। इसके लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं है तथा उक्त परीक्षा के लिए अध्ययन सामग्री भी एनएफएलएटी की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इस परीक्षा का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र के सूक्ष्म भेदों के संबंध में युवा वर्ग को प्रशिक्षित करना है।

4. एनसीएफई वेबसाइट के प्रति अंशदान: आईआरडीएआई ने वित्तीय क्षेत्र के विनियमनकर्ताओं में से एक के रूप में एनसीएफई वेबसाइट के लिए बीमा से संबंधित विषय-वस्तु के प्रति भी अंशदान किया है जो पाँच भाषाओं (हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, बंगाली और मराठी) में निर्मित की गई है।

I.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

I.4.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (सॉल्वेन्सी) मार्जिन बनाये रखे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य को बनाये रखेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन कहलाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 तथा आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तृत रूप से विवरण दिया गया है।

जीवन बीमाकर्ता

मार्च 2017 के अंत में 23 जीवन बीमाकर्ताओं ने 1.5 के निर्धारित शोधक्षमता मार्जिन का पालन किया। सहारा लाइफ से 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार शोधक्षमता मार्जिन के बारे में सूचना प्रतीक्षित है। तथापि, 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार सहारा लाइफ का शोधक्षमता अनुपात 8.12 था।

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

I.4.2.3 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के सभी 23 साधारण बीमाकर्ताओं ने (स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 1.50 के निर्धारित शोधक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि., युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. को 2016-17 से प्रारंभ होनेवाले 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा के आधार पर मोटर टीपी देयता का परिशोधन करने तथा शोधक्षमता के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते के 30% को मानने के लिए छूट प्रदान की थी।

सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं में से दो बीमाकर्ताओं ने 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 1.50 के निर्धारित शोधक्षंमता अनुपात का अनुपालन किया है। तथापि, ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. और युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने क्रमशः 1.11 और 1.15 के शोधक्षमता अनुपात की सूचना दी है।

I.4.2.4 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार विशेषीकृत बीमाकर्ताओं अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी ने 31 मार्च 2016 के उनके क्रमशः 3.26 और 9.79 की तुलना में क्रमशः 1.84 और 8.69 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है।

पुनर्बीमाकर्ता

I.4.2.5 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 2.40 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है (31 मार्च 2016 को यह 3.48 था)।

I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी

I.4.3.1 पुनर्बीमा के संबंध में प्राधिकरण को दिया गया अधिदेश आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(1) और धारा 14(2) उप-धारा (एफ) एवं बीमा अधिनियम, 1938 की धाराओं 2(9)डी, 34एफ, 101ए, 101बी और 101सी के उपबंधों में निहित है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने दोनों जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं

द्वारा पुनर्बीमा से संबंधित विनियम बनाये हैं जो पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए आधारभूत नियम निर्धारित करते हैं।

I.4.3.2 बीमा अधिनियम, 1938 के उपबंधों के अंतर्गत 'भारतीय पुनर्बीमाकर्ता' सभी साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं से प्रत्येक वर्ष निर्धारित रूप में बाध्यकर अध्यर्पण प्राप्त करने के लिए स्वयं को पात्र बनाता है/ बनाते हैं। उक्त सीमाएँ प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के अनुमोदन से पुनर्बीमा सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

I.4.3.3 प्राधिकरण ने पहले के विनियमों को प्रतिस्थापित करते हुए 2016 में साधारण बीमाकर्ताओं के लिए लागू पुनर्बीमा विनियम अधिसूचित किये हैं। इससे यह अपेक्षित है कि प्रत्येक बीमाकर्ता के पास एक व्यापक और कुशल पुनर्बीमा कार्यक्रम होगा जो पर्याप्त क्षमता विकसित करते हुए, सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा संरक्षण प्राप्त करते हुए देश के अंदर प्रतिधारण को अधिकतम बनाने के मुख्य उद्देश्यों से युक्त होगा। यह बीमाकर्ता की शोधक्षमता को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए अपने बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करेगा। विनियामक ढाँचे में भी प्राधिकरण के पास अगले वित्तीय वर्ष के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम उक्त वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 45 दिन पहले दाखिल करने के लिए व्यवस्था है। बीमाकर्ताओं से यह भी अपेक्षित है कि वे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण के पास पुनर्बीमा व्यवस्थाओं से संबंधित समझौता पर्चियाँ और कवर नोट दाखिल करें। ये उपाय किसी बीमा कंपनी के लिए पर्याप्त और कुशल पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की विद्यमानता से संबद्ध महत्व पर विशेष रूप से बल देते हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनी की शोधक्षमता की स्थिति का निर्धारण 'पुनर्बीमा को घटाने' के आधार पर किया जाता है।

I.4.3.4 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने के लिए विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और लॉयड्स को अनुमति दी है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र, गुजरात-एसईजेड में अपने कार्यालय खोलने के लिए भी बीमाकर्ताओं को अनुमति दी है जो पुनर्बीमा व्यवसाय कर सकते हैं।

I.4.3.5 पुनर्बीमा स्थापन पुनर्बीमाकर्ता की क्रेडिट रेटिंग, दावा अनुभव, दावा भुगतान क्षमता और शोधक्षमता आदि पर विचार करने के बाद किये जाते हैं। तदनुसार कुल पुनर्बीमा संबंधी सीमाएँ जो एक बीमाकर्ता भारत के बाहर किसी पुनर्बीमाकर्ता के पास रख सकता है, आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, आपाती जोखिमों के पुनर्बीमा के संबंध में सभी बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं को यह अधिदेश दिया गया है कि वे अपने पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ आपाती संचयनों के संबंध में पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ प्राधिकरण के पास दाखिल करने से पहले विभिन्न यथार्थपरक आपदा परिदृश्य परीक्षण का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि उक्त व्यवस्थाएँ पर्याप्त हैं तथा निदेशक बोर्ड द्वारा उनका अनुमोदन किया गया है।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

I.4.3.6 प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114(जेड)(डी) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के अधीन 'सीमापार पुनर्बीमाकर्ता' (सीबीआर) संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी थे जो 6 जनवरी 2012 को जारी किये गये पहले के दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हैं। ये दिशानिर्देश उन 'सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं' पर लागू हैं जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु जो भारतीय बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं।

I.4.3.7 प्राधिकरण ने इन दिशानिर्देशों के अनुसार सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) को यूआईएन के वार्षिक आबंटन की वर्तमान प्रक्रिया को समाप्त किया है। तथापि, सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रत्येक वर्ष एक बीमाकर्ता के माध्यम से प्राधिकरण को एक सूचना पत्रक प्रस्तुत करे। यह अनिवार्य कर दिया गया कि ऐसे सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) के साथ कोई स्थापन नहीं किया जा सकता, जिसे भारतीय पोर्टल के माध्यम से यूआईएन आबंटित नहीं किया गया हो। यह अनिवार्य किया गया कि सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पिछले तीन वर्षों की अवधि के लिए कम से कम बीबीबी (एस एण्ड पी के साथ) का क्रेडिट रेटिंग होना चाहिए और उनका पिछला दावा निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ताओं को अपने स्वदेश में वैध संस्थाएँ होनी चाहिए तथा उन्हें अपने स्वदेश के पर्यवेक्षकों के द्वारा पर्यवेक्षित होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता की शोधक्षमता स्वदेश के विनियमनकर्ता/ पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होनी चाहिए। उनकी वित्तीय शक्ति,

प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी तकनीकी प्रारक्षण कार्यपद्धतियों की पर्याप्तता की निगरानी उनके स्वदेश के पर्यवेक्षी प्राधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। प्राधिकरण उन पुनर्बीमाकर्ताओं को एक वर्ष की वैधता अवधि के साथ एक विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन संख्या) प्रदान करेगा, जो ऐसे राष्ट्रीय विनियामक परिवेश में पंजीकृत और/ या प्रमाणीकृत हैं जिनके साथ भारत सरकार ने दोहरे कराधान परिवर्जन (डीटीए) करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

I.4.3.8 वर्ष 2015-16 में 244 पुनर्बीमाकर्ताओं और 90 लॉयड्स सिंडिकेटों को विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित की गई तथा 2016-17 के लिए प्राधिकरण ने 362 यूआईएन (254 पुनर्बीमाकर्ताओं और 108 लॉयड्स सिंडिकेटों को) जारी की हैं।

I.4.3.9 जीआईसी आरई को बाध्यकर अध्यर्पणः अधिनियम के उपबंध

क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए निर्धारित करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के साथ प्राधिकरण द्वारा केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा, जिन्हें 'बाध्यकर अध्यर्पण' अथवा 'सांविधिक अध्यर्पण' के रूप में भी जाना जाता है।

(ख) प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशतों को विनिर्दिष्ट कर सकता है तथा विभिन्न वर्गों के बीमा के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत ऐसी पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) धारा 101ए(4) में व्यवस्था है कि बीमा अधिनियम, 1938 की की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना भी इस धारा के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित पुनर्बीमा के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकती है तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

I.4.3.10 2016-17 के लिए जीआईसी आरई के प्रति बाध्यकर अध्यर्पण

1. भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत अध्यर्पण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक के वर्ष के दौरान संबद्ध बीमाओं के संबंध में 5% होंगे, सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ इसके लिए अपवाद होंगी, जिनमें ये 'शून्य' किये जाएँगे।

2. वर्ष 2013-14 के लिए उक्त बाध्यकर अध्यर्पण व्यवसाय की सभी व्यवस्थाओं पर 5% तक घटाया गया जबकि 2012-13 में यह 10% था (मोटर और स्वास्थ्य को छोड़कर -- वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा सहित जहाँ उक्त दर 7.5% थी)। बाध्यकर अध्यर्पण की दर वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए भी 5% पर बनाये रखी गई है।

I.4.3.11 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)

2016-17 में जीआसी आरई ने एकमात्र भारतीय पुनर्बीमाकर्ता होने के कारण भारत में प्रत्यक्ष साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा प्रदान किया। एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त बीमारक्षा सुनिश्चित करते हुए तथा घरेलू बाजार के अंदर पर्याप्त क्षमताएँ विकसित करते हुए निगम के पुनर्बीमा कार्यक्रम को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि वह देश के अंदर प्रतिधारण को इष्टतम बनाने के उद्देश्यों को पूरा करे। वह अस्वीकृत जोखिम पूल (डिक्लाइन्ड रिस्क पूल), न्यूक्लियर पूल और आतंकवाद पूल का प्रबंधक भी है। जीआईसी आरई देशी बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर सांविधिक अध्यर्पण कुछ शर्तों के अधीन प्राप्त करता है तथा इन कंपनियों के अधिकांश समझौता कार्यक्रमों और विकल्पी कार्यक्रमों का पथ-प्रदर्शन करता है।

जीआईसी आरई द्वारा 2016-17 के दौरान अंकित कुल निवल प्रीमियम 2015-16 के ₹16,374.78 करोड़ रुपये की तुलना में 84.27 प्रतिशत बढ़कर ₹30,174.56 करोड़ रुपये हो गया। 2016-

17 के दौरान पुनर्बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम (असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि हेतु समायोजनों के बाद निवल प्रीमियम) 2015-16 के ₹15,172.84 करोड़ रुपये से (76.07 प्रतिशत बढ़कर) ₹26,714.90 करोड़ रुपये हो गया। जीआईसी आरई का निवल उपगत दावा अनुपात 2015-16 के 85.02 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016-17 में 81.02 प्रतिशत था।

उक्त कंपनी ने 2015-16 में दर्ज ₹2848.39 करोड़ रुपये के निवल लाभ (कर के बाद) की तुलना में 2016-17 में ₹3127.67 करोड़ रुपये का निवल लाभ (कर के बाद) दर्ज किया।

सारणी I.44
निवल प्रतिधारण (जीआईसी आरई) 2016-17

व्यवसाय की व्यवस्था	देशी व्यवसाय %	विदेशी व्यवसाय %
फायर	38.29	91.74
मरीन कार्गो	91.63	86.03
मरीन हल	47.56	83.43
इंजीनियरिंग	95.46	98.19
विमानन	72.34	89.14
मोटर	100.00	100.00
विविध	93.57	98.69
जीवन	93.21	100.00
कुल	**88.22**	**93.59**

सारणी I.45
भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह में सदस्यों का अंश (₹ करोड़)

क्रम सं.	सदस्य कंपनी	2015-16		2016-17	
		प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)	प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	237.615	15.841	237.615	15.841
2	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	178.215	11.881	170.715	11.381
3	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	237.615	15.841	237.615	15.841
4	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि..	178.215	11.881	178.215	11.881
5	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	188.865	12.591	188.865	12.591
6	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	74.640	4.976	74.640	4.976
7	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
8	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29.505	1.967	29.505	1.967
9	फ्यूचर जनराली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
10	सरकारी बीमा निधि, गुजरात सरकार	15.000	1.000	15.000	1.000
11	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
12	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कं.लि..	118.815	7.921	118.815	7.921
13	इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	59.400	3.960	59.400	3.960
14	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2015-16 मे समुह का सदस्य नही		7.500	0.500
15	एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
16	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.105	1.007	15.105	1.007
17	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7.500	0.500	7.500	0.500
18	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.750	0.050	0.750	0.050
19	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29.700	1.980	29.700	1.980
20	रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
21	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.995	0.333	4.995	0.333
22	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.000	1.000	15.000	1.000
23	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	23.760	1.584	23.760	1.584
24	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.990	0.666	9.990	0.666
	कुल	**1500**	**100**	**1500**	**100**

प्राधिकरण ने पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए आईटीआई आरई नामक एक और भारतीय पुनर्बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया है। इसी प्रकार, प्राधिकरण ने कई विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं, लॉयड्स और उसके सिंडिकेटों / सर्विस कंपनियों को भी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2016-17 के दौरान निम्नलिखित पुनर्बीमाकर्ताओं ने भारत में अपनी शाखाएँ खोली हैं।

1. स्विस आरई, 2. म्यूनिख आरई, 3. हैनोवर आरई, 4 एक्सएल कैटलिन, 5. आरजीए, 6. स्कोर एसई, 7. लॉयड्स मेसर्स ऐम्लिन सिंडिकेट ने भी इस अवधि के दौरान अपनी सर्विस कंपनी खोली है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने जीआईसी आरई और दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. को आईएफएससी-एसईजेड, गुजरात में अपने कार्यालय खोलने के लिए अनुमति दी है।

I.4.3.12 बीमा पूल-आतंकवाद पूल

अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा 9/11 के बाद आतंकवाद बीमारक्षा को हटाने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी साधारण बीमा कंपनियों द्वारा एक पहल के रूप में भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया। इस पूल ने इस प्रकार सफल परिचालनों के 15 वर्ष पूरे किये हैं। सभी भारतीय साधारण बीमा कंपनियाँ, गुजरात की राज्य सरकार और जीआईसी आरई उक्त पूल के सदस्य हैं। इस पूल का प्रशासन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल संपत्ति बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है।

प्रति स्थान क्षतिपूर्ति की सीमा आईएनआर 1500 करोड़ के पिछले स्तर की तुलना में 1 अप्रैल 2017 से ₹2000 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है।

उक्त पूल की प्रीमियम आय 2015-16 के ₹475.93 करोड़ रुपये की तुलना में 2016-17 में ₹503.67 करोड़ रुपये रही। पूल द्वारा 2016-17 के दौरान भुगतान किये गये दावे ₹14.42 करोड़ रुपये के थे। 2016-17 के दौरान पूल के लिए किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गई। यह पूल अब बहुविध स्थानों पर निवासों और अचल परिसंपत्तियों को बीमारक्षा प्रदान करता है।

I.4.3.13 न्यूक्लियर पूल

नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 के अधिनियमन नाभिकीय (न्यूक्लियर) घटना के कारण उत्पन्न होनेवाले अज्ञात और संभावित आपाती जोखिम के संरक्षण को आवश्यक बनाता है। सामान्य रूप से पारंपरिक बीमा रक्षाओं से नाभिकीय जोखिम अपवर्जित किये जाते हैं तथा इसके लिए एक बड़ी बीमा क्षमता आवश्यक होती है। नाभिकीय जोखिमों से उत्पन्न होनेवाले दायित्व का संरक्षण करने की पृष्ठभूमि में इस विचार के साथ भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) 2015 में बनाया गया।

उक्त समूह (पूल) का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा प्रति स्थान 1500 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति सीमा के साथ किया जाता है। उक्त पूल देश में न्यूक्लियर परिचालकों और न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ताओं को भी बीमारक्षा उपलब्ध कराता है।

सारणी I.46
भारतीय नाभिकीय बीमा समूह में सदस्यों का अंश
(₹ करोड़)

क्रम सं.	कंपनी का नाम	प्रदत्त क्षमता
1	जीआईसी आरई	600.00
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस	300.00
3	युनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस	200.00
4	ओरियन्टल इंश्योरेंस	100.00
5	नेशनल इंश्योरेंस	100.00
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	100.00
7	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस	20.00
8	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस	20.00
9	इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस	20.00
10	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस	15.00
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	15.00
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	10.00
	कुल	**1500.00**

उक्त पूल की 2016-17 के लिए प्रीमियम आय 100.00 करोड़ रुपये थी और इस अवधि में पूल द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. ने दो उत्पाद अर्थात् न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ता की बीमा पॉलिसी और न्यूक्लियर परिचालक दायित्व (ऐक्ट ओनली) बीमा पॉलिसी दाखिल किये हैं जिन्हें प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

सारणी I.47
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए पुनर्बीमा संस्थाओं के व्यावसायिक आंकड़े

(₹ करोड़)

पुनर्बीमाकर्ता	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय व्यवसाय)	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (विदेशी व्यवसाय)	कुल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय व विदेशी व्यवसाय)
जीआईसी आरई	23440.34	10145.09	33585.43
हैनोवर आरई भारत शाखा	2.20	-	2.20
म्यूनिख आरई भारत शाखा	44.82	-	44.82
स्विस आरई भारत शाखा	11.64	0.75	12.39
कुल	**23499.00**	**10145.84**	**33644.84**

I.4.3.14 भारत वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में

एक ओर निम्न बीमा व्यापन स्तरों और दूसरी ओर प्राकृतिक विपत्तियों के लिए असुरक्षितता के होते हुए, एक वैश्विक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में भारत की संवृद्धि को समर्थ बनाने के लिए भारतीय बीमा उद्योग के पास आक्रामक तौर पर और समावेशी रूप से विस्तार करने की पर्याप्त गुंजाइश है। जबकि भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) को 1972 में भारत सरकार की एक पूर्णतः स्वामित्व-प्राप्त कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था, यह अब तक देश के बीमा क्षेत्र में पुनर्बीमा में प्रमुख खिलाड़ी रहा। हाल में किये गये अनेक विनियामक परिवर्तनों ने नई संस्थाओं के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जैसे लॉयड्स इंडिया, आईटीआई आरई (जीआसी आरई के साथ नये भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में) तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ (अर्थात् स्विस आरई, म्यूनिख आरई, स्कोर आरई, आरजीए, हैनोवर आरई, एक्सएल कैटलिन, जन. आरई)। उनके भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय के न्यूनतम प्रतिधारण (30% अथवा 50%) के आधार पर विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) को तदनुसार पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये गये। भारतीय पुनर्बीमा क्षेत्र के पास अब विशेष रूप से भारतीय पुनर्बीमा क्षेत्र को और सामान्य रूप से वित्तीय संवृद्धि को नेतृत्व प्रदान करने के लिए तथा एक स्वस्थ, प्रतियोगी संबंध को बढ़ावा देने के लिए अच्छी संख्या में खिलाड़ी उपलब्ध हैं। घरेलू तौर पर विनियमित इन संस्थाओं के अतिरिक्त ऐसे कई सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (350 के अतिरिक्त, लॉयड्स सिंडिकेटों को मिलाकर) हैं जो भारतीय बीमाकर्ताओं की पुनर्बीमा आवश्यकताएँ पूरी करते हैं।

भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में विकसित होने में समर्थ बनाने के लिए कई कारक भारत के पक्ष में कार्य करने के लिए बाध्य हैं। भौगोलिक रूप से भारत दक्षिण एशिया के केन्द्रस्थल में स्थित है तथा चीनी और मध्य-पूर्वी बाजारों के साथ इसका प्रेरक संबंध है। आर्थिक दृष्टि से भारत वांछनीय संवृद्धि दरों के साथ एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रभाव लगातार सिद्ध कर रहा है। परिवेश के तौर पर प्राकृतिक विपदाओं की बारंबारता और गंभीरता आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय और नवोन्मेष पुनर्बीमा व्यवस्थाओं की माँग करती है।

गुजरात में स्थित जीआईएफटी आईएफएससी का विकास भी एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के निर्माण की दिशा में एक अधिक नजदीकी कदम है। विभिन्न वैश्विक बीमा और पुनर्बीमा फर्मों ने जीएसआईटी (गिफ्ट) सिटी में अपने परिचालन स्थापित करने के लिए रुचि दिखाई है तथा यह सिंगापुर, लंदन, टोकियो और अन्य स्थानों पर स्थित वैश्विक वित्तीय केन्द्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने और उनके साथ बराबरी करने के लिए गिफ्ट सिटी की संभाव्यता को ही दर्शाता है।

वर्तमान ढाँचा जो भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा अध्यर्पण के लिए एक अधिमान-क्रम की व्यवस्था करता है, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में अपने कार्यालय स्थापित करने और इसके द्वारा भारत में एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के निर्माण को साकार करने में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य रखता है।

देश में पुनर्बीमा परिदृश्य में हाल की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण उद्योग की गतिशील आवश्यकताओं के साथ सहयोगपूर्ण रूप में मौजूदा पुनर्बीमा ढाँचे की एक व्यापक समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। नई संरचना एक वैश्विक पुनर्बीमा हब के रूप में स्थापित करने के लिए भारत की यात्रा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए प्रयास करेगी।

सारणी I.48
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)

(प्रतिशत)

वर्ग	2016-17	2015-16
फायर	57.03	63.01
मरीन कार्गो	85.19	81.01
मरीन हल	20.03	44.51
मोटर	97.02	99.20
इंजीनिरिंग	68.25	67.23
विमानन	27.85	27.15
अन्य विविध	78.83	84.28
कुल	**83.17**	**87.72**

I.4.4 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी

I.4.4.1 सभी बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार निवेश के स्वरूप का पालन करना अधिदेशात्मक किया गया है। जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों के पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार निवेशों का विवरण निम्नानुसार है।

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

I.4.4.2 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये निवेश पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान किये गये

सारणी I.49
भारत के अंदर और बाहर एवं भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा रखा गया पुनर्बीमा

(राशि ₹करोड़ में)

वर्ग	2016-17				2015-16			
	भारत के अंदर रखी गई राशि	भारत के अंदर रखा गया प्रतिशत	भारत के बाहर रखी गई राशि	भारत के बाहर रखा गया प्रतिशत	भारत के अंदर रखी गई राशि	भारत के अंदर रखा गया प्रतिशत	भारत के बाहर रखी गई राशि	भारत के बाहर रखा गया प्रतिशत
फायर	3221.78	36.84	2540.91	29.06	3118.60	36.68	2110.66	24.82
मरीन कार्गो	297.85	13.89	334.03	15.58	281.07	13.24	317.58	14.96
मरीन हल	997.11	54.27	693.66	37.76	341.63	37.50	389.34	42.73
मोटर	4939.95	10.50	749.82	1.59	3641.25	8.93	106.36	0.26
विमानन	192.11	54.30	171.24	48.40	307.90	71.97	138.02	32.26
इंजीनियरिंग	708.92	31.17	615.91	27.08	823.12	34.75	562.30	23.74
अन्य विविध	14761.46	24.84	7355.42	12.38	4555.85	12.04	3098.76	8.19
कुल	**25119.18**	**20.62**	**12460.99**	**10.23**	**13069.43**	**14.06**	**6723.03**	**7.23**

सारणी I.50
सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा भारतीय व्यवसाय पर निवल प्रतिधारित प्रीमियम

(प्रतिशत)

वर्ग	2016-17			2015-16		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
फायर	60.72	25.47	44.40	62.00	30.96	48.70
मरीन कार्गो	83.04	63.12	72.35	81.62	67.18	74.01
मरीन हल	11.57	10.26	11.48	28.50	10.45	26.62
मोटर	89.23	87.00	88.04	94.68	88.62	91.46
इंजीनियरिंग	63.86	25.20	50.46	63.30	26.52	51.40
विमानन	9.59	54.91	21.54	1.22	60.09	13.42
अन्य विविध	69.79	55.58	64.01	88.22	69.01	81.00
कुल	**73.92**	**67.19**	**70.86**	**85.71**	**86.78**	**80.88**

₹26,90,194 करोड़ रुपये की तुलना में ₹30,76,537 करोड़ रुपये थे और इस प्रकार इन्होंने 14.36 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निवेशों में जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 92.77 प्रतिशत पर है। इसके अलावा, बढ़े हुए निवेशों में पीएसयू का अंश 78.47 प्रतिशत पर स्थित है, जिसका ब्योरा सारणी I.51 में दिया गया है।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.4.3 जीवन बीमाकर्ताओं की निधियों को पारंपरिक उत्पादों और यूलिप उत्पादों से किये गये निवेशों के आधार पर विभाजित किया गया है। जीवन बीमाकर्ताओं की निधियाँ 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार ₹28,54,193 करोड़ रुपये थीं जिनमें से ₹24,74,352 करोड़ रुपये (कुल निधियों का 86.69 प्रतिशत)

सारणी I.51
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	जीवन		साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा		कुल	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
सरकारी	2009119 (12.47)	2275277 (13.25)	122560 (18.35)	138964 (13.38)	2131679 (12.79)	2414241 (13.26)
निजी	492949 (6.88)	578917 (17.44)	65565 (14.72)	83379 (27.17)	558514 (7.75)	662296 (18.58)
कुल	**2502068 (11.33)**	**2854193 (14.07)**	**188126 (17.06)**	**222344 (18.19)**	**2690194 (11.71)**	**3076537 (14.36)**

टिप्पणी : 1.कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि द्योतित करते हैं।
2. विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमा कर्ताओं की शाखाओं को शामिल किया गया है।

सारणी I.52
जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	2016		2017	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पारंपरिक उत्पाद				
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	831049	38.44	951214	38.44
2 राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	528206	24.44	668430	27.01
3 आवास और बुनियादी संरचना	186112	8.61	200438	8.10
4 अनुमोदित निवेश	583145	26.98	587576	23.75
5 अन्य निवेश	33145	1.53	66694	2.70
क. कुल (1+2+3+4+5)	**2161656**	**100.00**	**2474352**	**100.00**
यूलिप निधियाँ				
6 अनुमोदित निवेश	328974	96.64	361746	95.24
7 अन्य निवेश	11438	3.36	18095	4.76
ख. कुल (6+7)	**340412**	**100.00**	**379841**	**100.00**
कुल जोड़ (क+ख)	**2502068**		**2854193**	

सारणी I.53
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन और साधारण वार्षिकी और सामूहिक निधि		यूनिट सहबद्ध निधि		सभी निधियों का योग	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
एलआईसी	1527016	1701866	412664	502645	69439	70766	2009119	2275277
निजी	170437	206087	51539	63754	270973	309075	492949	578917
कुल	**1697453 (67.84)**	**1907953 (66.85)**	**464203 (18.55)**	**566399 (19.84)**	**340412 (13.61)**	**379841 (13.31)**	**2502068 (100.00)**	**2854193 (100.00)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों से संबंधित निधियों का प्रतिशत हैं।

सारणी I.54
निवेशों की वृद्धि : निधि-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

निधि	2016		2017	
	कुल	% में वृद्धि	कुल	% में वृद्धि
जीवन	1697453	13.52	1907953	12.40
पेंशन और साधारण वार्षिकी एवं सामूहिक निधि	464203	19.19	566399	22.02
पारंपरिक (क)	2161656	14.69	2474352	14.47
यूनिट सहबद्ध निधियाँ (ख)	340412	-6.16	379841	11.58
कुल (क+ख)	**2502068**	**11.33**	**2854193**	**14.07**

पारंपरिक उत्पादों से है तथा शेष ₹3,79,841 करोड़ रुपये (कुल निधियों का 13.31 प्रतिशत) यूलिप उत्पादों से। यूलिप उत्पादों ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹39,429 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की है।

I.4.4.4 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी-वार किये गये निवेश तथा 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े ब्योरा सारणी I.52 मे दिया गया है

I.4.4.5 निधियों के वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर कुल निवेशों में जीवन निधि का अंशदान ₹19,07,953 करोड़ रुपये (कुल निधियों का 66.85 प्रतिशत), पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि का अंशदान ₹5,66,399 करोड़ रुपये (कुल निधियों का 19.84 प्रतिशत) तथा यूलिप निधि का अंशदान ₹3,79,841 करोड़ रुपये (कुल निधियों का 13.31 प्रतिशत) रहा। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान कुल निवेश में पेंशन/ वार्षिकी निधियों का अंश 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 19.84 प्रतिशत हो गया है। जीवन निधि और यूलिप निधियों का अंश थोड़ा-सा गिरकर क्रमशः 67.84 प्रतिशत से 66.85 प्रतिशत तथा 13.61 प्रतिशत से 13.31 प्रतिशत हो गया है; जबकि जीवन निधि और यूलिप निधियों की मात्रा बढ़कर क्रमशः ₹2,10,500 करोड़ रुपये और ₹39,429 करोड़ रुपये हो गई है।

साधारण बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.4.6 बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये कुल निवेशों में स्वास्थ्य बीमाकर्ता, विशेषीकृत बीमाकर्ता और विदेशी पुर्नबीमाकर्ताओं की शाखाएं सहित साधारण बीमा उद्योग का अंश केवल 7.23 प्रतिशत पर ही स्थित है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेशों की कुल राशि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के ₹1,88,126 करोड़ रुपये की तुलना में ₹2,22,344 करोड़ रुपये थी तथा इस प्रकार इसने 18.19 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की।

I.4.4.7 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ताओं ने केन्द्र, राज्य और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं अनुमोदित निवेशों में क्रमशः ₹82,993 करोड़ रुपये (37.33 प्रतिशत) और ₹67,903 करोड़ रुपये (30.54 प्रतिशत) का निवेश किया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी-वार किये गये निवेश एवं 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े सारणी I.55 में दिये गये हैं।

बीमाकर्ताओं का बाजार अंश इस स्तर पर पिछले 5 वर्षों में अवरुद्ध रहा है। दूसरी ओर, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का अंश वित्तीय वर्ष 2015-16 के 27% से घट रहा है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 19% रहा है तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश पिछले 5 वर्ष की अवधि में 11% से बढ़कर 18% तक पहुँचा है।

सारणी I.55
साधारण, स्वास्थ्य एवं पुनर्बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

निवेशों का स्वरूप	2016		2017	
	कुल	कुल में %	कुल	कुल में %
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	49994	26.57	54754	24.63
राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	22160	11.78	28239	12.70
आवास एवं आवास और एफएफई के लिए राज्य सरकार को ऋण	19503	10.37	23480	10.56
बुनियादी संरचनागत निवेश	31946	16.98	38172	17.17
अनुमोदित निवेश	58311	31.00	67903	30.54
अन्य निवेश	6212	3.30	9796	4.41
कुल	**188126**	**100.00**	**222344**	**100.00**

टिप्पणी : 1. विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकार्ताओं की शाखाओं को शामिल किया गया है।
2. एफएफई : अग्निशमन उपस्कर

I.4.5 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (स्वा.बी.)

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने कुल सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में 30,392 करोड़ रुपये संगृहीत किये तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 की तुलना में 24.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त सकल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में वृद्धि दर पिछले पाँच वर्ष की अवधि में अब तक दर्ज की गई उच्चतम वृद्धि है।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के बाजार अंश के तौर पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ता 63% पर बृहत्तर बाजार अंश लगातार धारण किये हुए हैं। सरकारी क्षेत्र के

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

I.4.5.2 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा (सरकार द्वारा प्रायोजित को छोड़कर अन्य) और वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन तीनों व्यवस्थाओं के अंशदान के तौर पर, सामूहिक बीमा का अंश 48प्रतिशत पर उच्चतम था, तथा उसके बाद वैयक्तिक व्यवसाय (42 प्रतिशत) और सरकारी व्यवसाय (10 प्रतिशत) का स्थान रहा।

बॉक्स मद 1

स्वस्थ्य बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए विनियामक पहलें

प्राप्त अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य बीमा संबंधी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों और हितधारकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) का परीक्षण करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारणों से स्वास्थ्य बीमा विनियामक ढाँचे का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता महसूस की गई।

- उत्पाद नवोन्मेषणों के लिए गुंजाइश को बढ़ाना
- पॉलिसीधारकों के स्वस्थ व्यवहार को पुरस्कृत करने के लिए व्यवस्था करना
- उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाना
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के भाग के रूप में संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक विशिष्टताओं की व्यवस्था को सुसाध्य बनाना

तदनुसार, प्राधिकरण ने मौजूदा विनियामक ढाँचे का पुनरीक्षण किया तथा 18 जुलाई 2016 को आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 और 29 जुलाई 2016 को स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण और उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देश अधिसूचित किये।

उक्त दिशानिर्देशों सहित, इन आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 (इसमें इसके बाद एचआईआर, 2016 के रूप में उल्लिखित) में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों का समावेश किया गया है/ समाधान किया गया हैः

1) **प्रायोगिक उत्पाद प्रारंभ करने की अनुमतिः** ऐसे जोखिमों को सम्मिलित करने के लिए जिन्हें अब तक प्रस्तावित नहीं किया गया है अथवा वर्तमान उत्पादों में शामिल नहीं किया गया है, नवोन्मेषण हेतु अवसर देने के उद्देश्य से साधारण बीमाकर्ताओं अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रायोगिक उत्पाद प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। प्रारंभ की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रायोगिक उत्पाद को या तो एक नियमित उत्पाद की तरह जारी रखा जाएगा अथवा उसे हटा लिया जाएगा। संवर्धित प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित किये गये हैं ताकि पॉलिसीधारकों के पास यह निर्णय लेने से पहले एक प्रामाणिक विकल्प हो कि किसी प्रायोगिक बीमा उत्पाद को खरीदना चाहिए अथवा नहीं।

   चूँकि अब तक सम्मिलित नहीं किये गये जोखिमों तक स्वास्थ्य बीमा रक्षा का विस्तार करने के लिए उपलब्ध डेटा के विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता हो सकती है, अतः यह परिकल्पित किया गया कि स्वास्थ्य बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए इस विशिष्ट सरलीकरण के संबंध में उद्योग उन्नयन कर सकता है। यह प्रत्याशित है कि आगामी समय में कई प्रायोगिक परियोजनाएँ प्रारंभ की जा सकती हैं।

2. **संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक विशिष्टताएँ :** स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के भाग के रूप में संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक विशिष्टताएँ प्रारंभ करने के लिए बीमाकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए मानदंड निर्धारित किये गये।

   उपर्युक्त विनियामक व्यवस्थाओं के आधार पर कुछ स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अब पॉलिसीधारकों को नियमित व्यायाम नियम का पालन करते हुए एक स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और ऐसे व्यवहार के लिए उन्हें पुरस्कृत करते हैं। यह प्रत्याशा की जाती है कि ऐसा संपूर्ण स्वास्थ्य और निवारक विशिष्टताएँ न केवल जीवनशैली संबंधी बीमारियों की घटनाओं को कम करने में, बल्कि दावा लागतों को नियंत्रण में रखने में भी मदद पहुँचाएँगी, जो फिर स्वास्थ्य बीमा को अधिक वहनीय बना सकेंगी। नवीकरण प्रीमियम पर पूर्व-निर्धारित छूट का प्रस्ताव करते हुए पॉलिसीधारकों के स्वस्थ व्यवहार को पुरस्कृत करना भी प्रारंभ किया गया है।

   निवारक विशिष्टताओं के भाग के रूप में, प्रारंभिक चरणों में उपचार करवाने के लिए पॉलिसीधारकों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक संख्या में स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अब ओपीडी चिकित्सा (बाहरी मरीज की तरह चिकित्सा) के लिए बीमारक्षा उपलब्ध कराते हैं। नेटवर्क प्रदाताओं के अतिरिक्त, कुछ उत्पाद अन्य सूचीबद्ध सेवाप्रदाताओं के पास करवाये गये ओपीडी इलाज को भी बीमारक्षा प्रदान करते हैं, जैसे वैयक्तिक चिकित्सक, ओपीडी चिकित्सालय। अनेक उत्पाद दावा घटित होने का विचार किये बिना स्वास्थ्य की आवधिक जाँच का भी प्रस्ताव करते हैं।

3. **यूस एण्ड फाइल प्रक्रिया के अंतर्गत सामूहिक उत्पादों के प्रस्ताव का सरलीकरणः** बीमाकर्ताओं को सुविधापूर्वक सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों का प्रस्ताव करने की अनुमति देने के लिए प्राधिकरण ने अब साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा सामूहिक बीमा उत्पाद प्रस्तावित करने के लिए यूस एण्ड फाइल प्रक्रिया स्थापित की है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन को समाप्त किया गया है।

   यह परिकल्पित है कि यह सरलीकरण विभिन्न समूहों की गतिशील आवश्यकताओं के अनुरूप होने के लिए शीघ्रता और दक्षता के साथ नये सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रस्तत करने के लिए उद्योग को समर्थ बनाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ऐसी नई विशिष्टताओं के साथ विभिन्न साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा यूस एण्ड फाइल के अंतर्गत लगभग 26 सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद फाइल किये गये, जैसे

(जारी...)

(जारी...)

स्वस्थ्य बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए विनियामक पहलें

मनोरोग संबंधी अंतरंग रोगी (इन-पेशेंट) चिकित्सा, विश्व-व्यापी गंभीर अस्वस्थता बीमारक्षा, अनुर्वरता (इनफ़र्टिलिटी) चिकित्सा, नौकरी खोने की स्थिति में बीमारक्षा की निरंतरता, स्टेम सेल चिकित्सा जैसी अत्याधुनिक डॉक्टरी चिकित्सा, रोबोटिक/ बैरियाट्रिक शल्यचिकित्सा, साइबर नाइफ चिकित्सा, पेरिटॉनियल डयालिसिस, बैसाखियों, कृत्रिम अंगों जैसी मदों के लिए व्ययों की बीमारक्षा, आदि।

4. **पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण के लिए मानदंड:** पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए एचआईआर 2016 में निम्नलिखित विशिष्ट उपबंध शामिल किये गये:

क. जहाँ जोखिम प्रोफाइल में सुधार है, वहाँ बीमाकर्ता नवीकरण के बिन्दु पर प्रभार-वृद्धि (लोडिंग) हटाने के लिए उसकी पहचान करने का प्रयास कर सकते हैं।

ख. बीमाकर्ता लाभ आधारित पॉलिसियों के लिए भी संचयी बोनस (यदि दावा नहीं है, तो प्रीमियम में तदनुरूपी वृद्धि के बिना बीमित राशि में वृद्धि) का प्रस्ताव कर सकते हैं।

ग. अवमानक जीवनों को भी बीमारक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता अपनी जोखिम-अंकन नीति को अभिकल्पित करने का प्रयास कर सकते हैं।

घ. बहुविध पॉलिसियों के मामले में बीमाकृत व्यक्ति के लिए उस बीमाकर्ता का चयन करने का विकल्प होगा जिसके द्वारा दावे का निपटान किया जाएगा। पॉलिसीधारक के पास यह अधिकार भी होगा कि वह पहले चुनी गई पॉलिसी/ पॉलिसियों के अंतर्गत अस्वीकार की गई राशियों के लिए अन्य पॉलिसी/ पॉलिसियों से दावे प्रस्तुत करे, जो इस प्रकार चुनी गई पॉलिसी/ पॉलिसियों की शर्तों के अधीन होंगे।

कुछ उत्पाद अब मधुमेह, दमा, और उच्च रक्तचाप आदि जैसी वर्तमान चिरकालिक स्थितियों से युक्त व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करने के लिए अभिकल्पित किये गये हैं जो निर्धारित नियमों के द्वारा ऐसी स्थितियों का प्रबंध करने के लिए भी बीमारक्षा प्रदान करते हैं।

यह परिकल्पित है कि उपर्युक्त विनियामक व्यवस्थाएँ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए मौजूदा प्रणालियों का संवर्धन करती हैं।

5. **स्वास्थ्य बीमा के दायरे को बढ़ाना:** स्वास्थ्य बीमा के दायरे को आगे और बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहलें की गईं :

क. आयुष चिकित्सा-- बीमाकर्ता अब आयुष का प्रस्ताव लाभ आधारित उत्पादों के लिए भी कर सकते हैं। आयुष के लिए सेवाप्रदाताओं का दायरा भी विस्तृत किया गया है ताकि पहुँच और वहनीयता में सुधार लाया जा सके।

ख. जीवन बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी जीवन बीमा रक्षा और साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा रक्षा को एकीकृत करते हुए स्वास्थ्य प्लस जीवन कॉम्बी-उत्पाद प्रस्ताव करने की अनुमति दी गई है। केवल विशुद्ध सावधि जीवन बीमारक्षा के साथ अनुमति देने के अब तक के प्रतिबंध को शिथिल किया गया है। यह पॉलिसीधारकों को दो अलग-अलग पॉलिसियाँ लेने और उन्हें बनाये रखने के बदले एक कॉम्बी-पॉलिसी के रूप में दोनों जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ खरीदने और उन्हें जारी रखने की सुविधा प्रदान करता है। इससे जीवन और साधारण/ स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को बीमा के व्यापन में सुधार लाने के लिए एक दूसरे की शक्तियों का उन्नयन करने में मदद मिलती है।

ग. सामूहिक ऋण सहबद्ध स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ अब ऋणदाता समूहों की सर्विसिंग करने के लिए अधिकतम 5 वर्ष के अधीन ऋण की अवधि तक प्रस्तावित की जा सकती हैं। इससे स्वास्थ्य उत्पादों के वितरण में बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) जैसे कॉरपोरेट एजेंटों की शक्तियों का उन्नयन करने में सहायता पहुँचती है।

घ. गंभीर अस्वस्थताओं की वर्तमान ग्यारह परिभाषाओं में ग्यारह नई मानक परिभाषाएँ जोड़ी गई हैं। यह परिकल्पित है कि ये परिभाषाएँ गंभीर अस्वस्थता बीमा रक्षा के दायरे को बढ़ाएँगी।

6) **दावा प्रबंधन और धोखाधड़ियों का न्यूनीकरण:** बीमाकर्ताओं और टीपीए को चाहिए कि वे धोखाधड़ियों के निवारण के लिए प्राधिकरण द्वारा स्थापित वर्तमान विनियामक रूपरेखा का पालन करने के अलावा, स्वास्थ्य बीमा के दुरुपयोग को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के लिए धोखाधड़ियों के न्यूनीकरण की प्रणालियाँ स्थापित करें। उपयुक्त धोखाधड़ी न्यूनीकरण प्रणाली न केवल वास्तविक पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने में मदद पहुंचाती है, बल्कि धोखाधड़ियों के कारण उत्पन्न होनेवाली वित्तीय हानि को भी रोकती है, चाहे वे आंतरिक हों या बाह्य।

सारणी I.56
पिछले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति
(व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बिा को छोड़कर) (₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	9580 (62%)	10841 (62%)	12882 (64%)	15591 (64%)	19227 (63%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	4205 (27%)	4482 (26%)	4386 (22%)	4911 (20%)	5632 (19%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	1668 (11%)	2172 (12%)	2828 (14%)	3946 (16%)	5532 (18%)
उद्योग कुल	**15453**	**17495**	**20096**	**24448**	**30392**
वार्षिक वृद्धि (% में)	**18.2**	**13.2**	**14.9**	**21.7**	**24.3**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं। उक्त डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

संगृहीत प्रीमियम की राशि के तौर पर सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से पिछले पाँच वर्षों में प्रीमियम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं है। तथापि, दोनों वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसाय (सरकारी को छोड़कर अन्य) से संगृहीत प्रीमियम की राशि पिछले पाँच वर्षों की अवधि में दुगुनी से अधिक हो गई है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर अन्य) के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और सम्मिलित व्यक्तियों की संख्याः

I.4.5.3 2016-17 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने लगभग 43.75 करोड़ व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए लगभग 1.31 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर) जारी की हैं (2015-16 : 35.9 करोड़) तथा पिछले वर्ष सम्मिलित किये गये व्यक्तियों की संख्या में 21.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के तौर पर तीन-चौथाई भाग के व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया तथा शेष एक-चौथाई हिस्से के व्यक्तियों को साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सामूहिक और वैयक्तिक पॉलिसियों द्वारा समाविष्ट किया गया।

चार्ट I.20 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति
(वैयक्तिकदुर्घना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

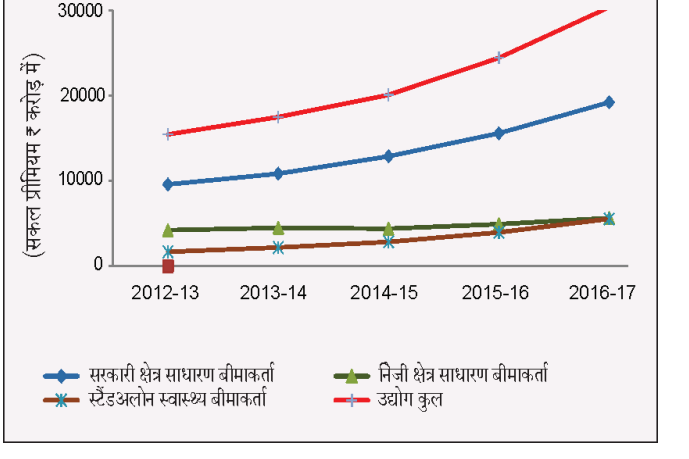

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर) के अंतर्गत निवल उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति

I.4.5.4 निवल उपगत दावा अनुपात (निवल आईसीआर) में वृद्धि की प्रवृत्ति 2016-17 में जारी रही। निवल आईसीआर 2012-13 में विद्यमान 94% से सुसंगत रूप में बढ़कर 2016-17 में 106% हो गया।

सारणी I.57
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण
(व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बिा को छोड़कर)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय का वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित	2348 (15%)	2082 (12%)	2474 (12%)	2425 (10%)	3090 (10%)
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर)	7186 (47%)	8058 (46%)	8899 (44%)	11621 (48%)	14718 (48%)
वैयक्तिक व्यवसाय	5919 (38%)	7355 (42%)	8772 (44%)	10353 (42%)	12584 (42%)
कुल जोड़	**15453**	**17495**	**20096**	**24448**	**30392**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

चार्ट I.21
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

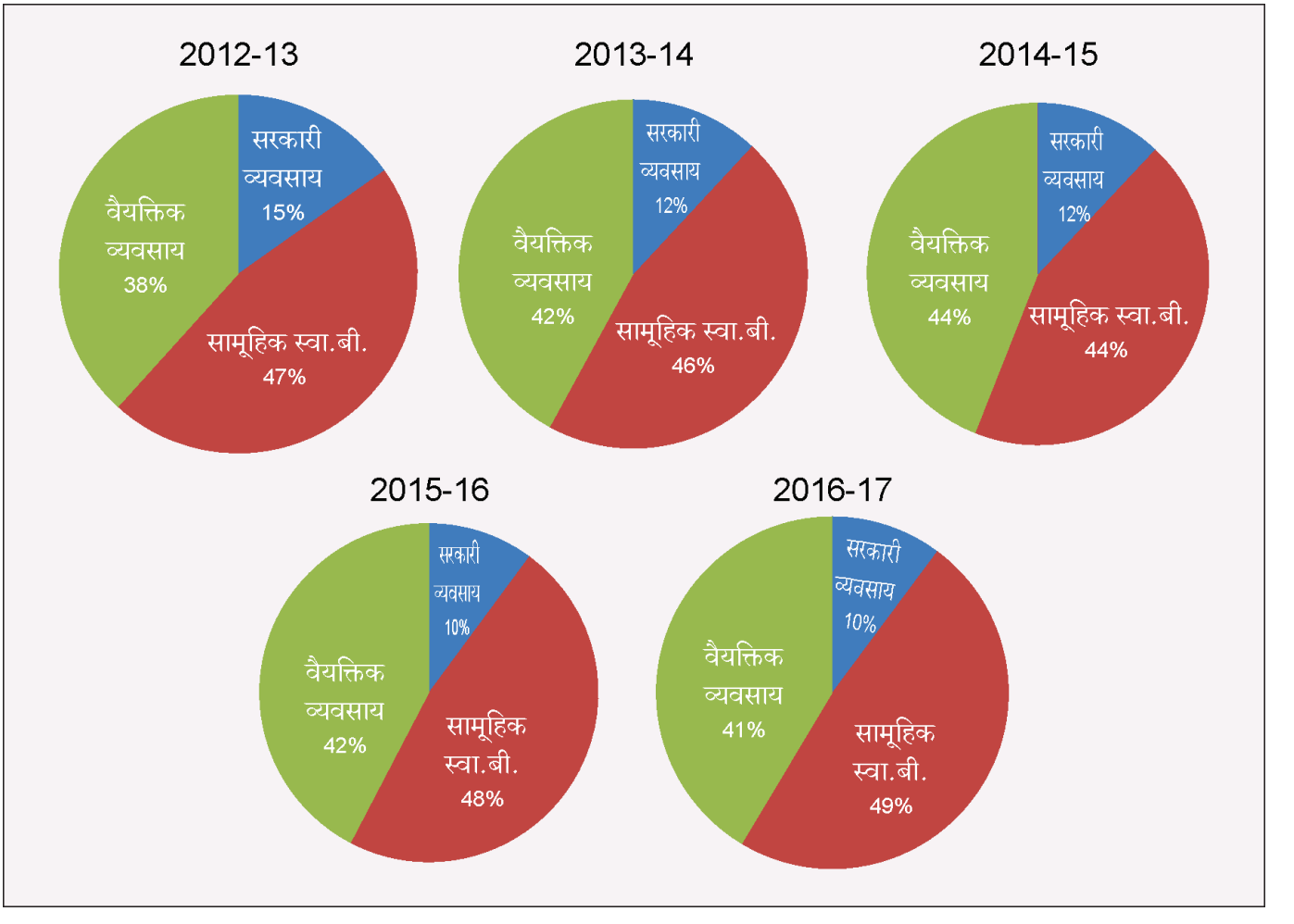

सारणी I.58
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय का वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित	1494 (72%)	1553 (72%)	2143 (74%)	2733 (76%)	3350 (77%)
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय से इतर)	343 (17%)	337 (15%)	483 (17%)	570 (16%)	705 (16%)
वैयक्तिक व्यवसाय	236 (11%)	272 (13%)	254 (9%)	287 (8%)	320 (7%)
कुल जोड़	**2073**	**2162**	**2880**	**3590**	**4375**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

चार्ट I.22
सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश

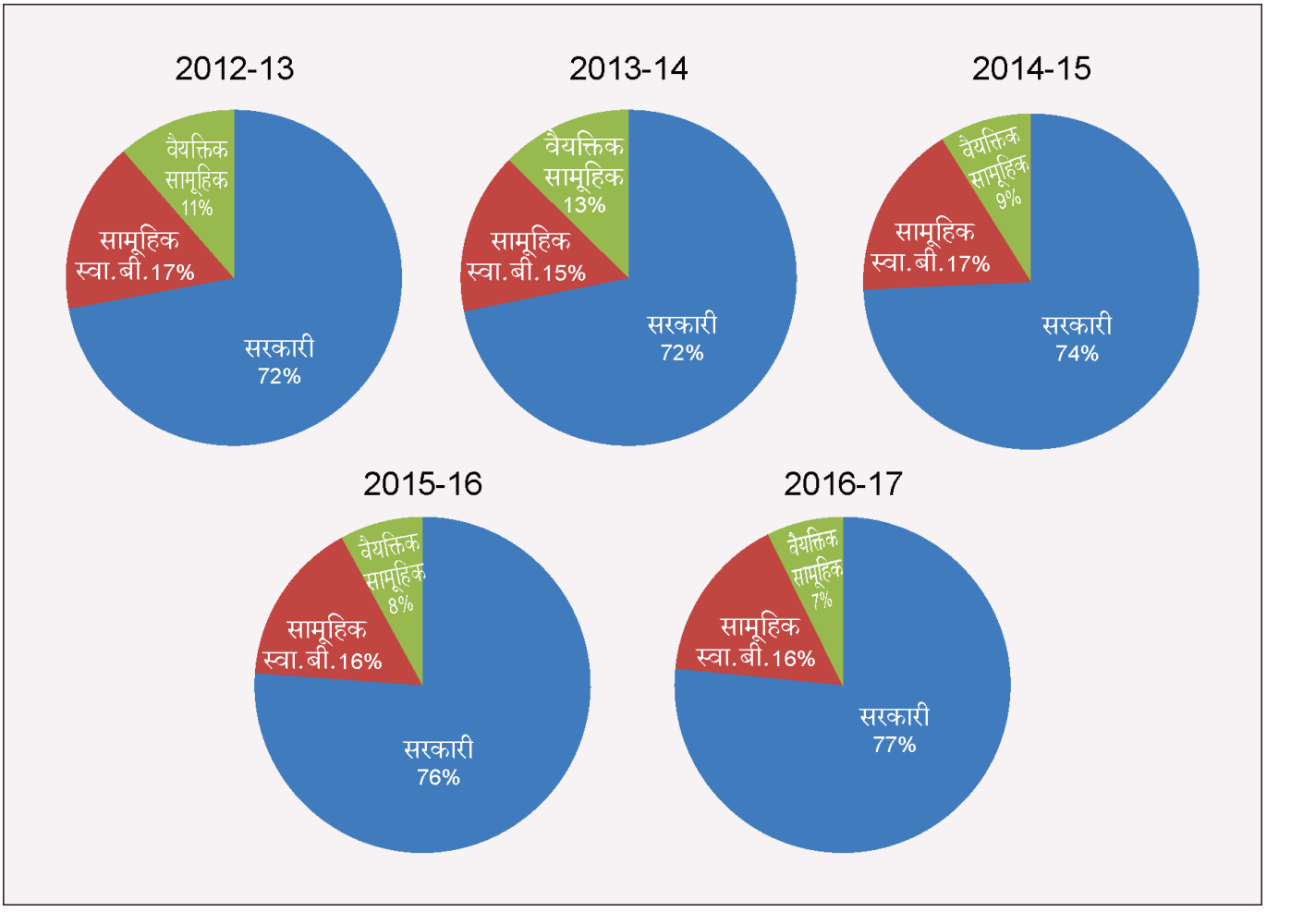

सारणी I.59
व्यवसाय का वर्ग निवल उपगत दावा अनुपात

व्यवसाय का वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवीआई सहित	87%	93%	108%	109%	122%
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर)	104%	110%	116%	120%	125%
वैयक्तिक व्यवसाय	83%	83%	81%	77%	76%
कुल व्यवसाय	**94%**	**97%**	**101%**	**102%**	**106%**

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्गों के बीच निवल आईसीआर विशेष रूप से सामूहिक व्यवसाय (सरकारी से इतर) के लिए उच्च है, जो पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत से अधिक था और इस अवधि में सुसंगत रूप में बढ़ता रहा है। सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा के संबंध में भी निवल आईसीआर 2012-13 के दौरान विद्यमान 87 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 122 प्रतिशत हो गया है। दूसरी ओर वैयक्तिक व्यवसाय के निवल आईसीआर के संबंध में सुधार है, क्योंकि यह 2012-13 में विद्यमान 83 प्रतिशत से 2016-17 में दर्ज 76 प्रतिशत तक क्रमिक गिरावट दर्शा रहा है।

सारणी I.60 से यह देखा जा सकता है कि सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं का निवल आईसीआर पिछले सभी पाँच वर्षों के लिए 100 प्रतिशत से अधिक था। दूसरी ओर, इसी अवधि के दौरान निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का निवल आईसीआर में क्रमशः सुधार आ रहा था।

चार्ट I.22
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

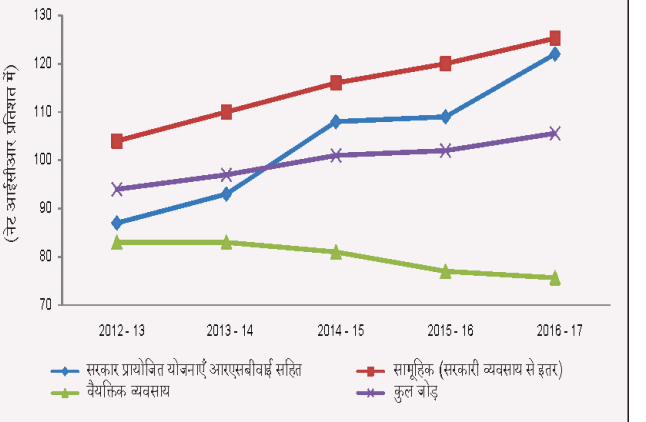

वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसायः

I.4.5.5 2016-17 के दौरान बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत 85.28 करोड़ व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत सम्मिलित किये गये 61.84 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।

सारणी I.60
स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	103%	106%	112%	117%	122%
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	78%	87%	84%	81%	84%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	61%	67%	63%	58%	58%
उद्योग औसत	**95%**	**97%**	**101%**	**102%**	**106%**

सारणी I.61
वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या: क्षेत्र-वार

(लाख में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	1265	753	764	3609	6231
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	698	972	2437	826	2242
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	21	21	30	38	55
कुल उद्योग	**1984**	**1746**	**3231**	**4473**	**8528**

टिप्पणी : डेटा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या शामिल है। डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

2016-17 के दौरान वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹3676 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। जबकि निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने कुल प्रीमियम के 52 प्रतिशत का अंशदान किया है,

सारणी I.62
सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या और 2016-17 के दौरान विशेष सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम

योजनाएँ	सम्मिलित व्यक्तियों की सं. (लाख में)	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (₹ लाख)
आईआरसीटीसी*	1174	939
पीएमजेडीवाई**	4122	1612
पीएमएसबीवाई**	888	107
उद्योग कुल	**6184**	**2658**

**आईआरसीटीसी योजना के अंतर्गत वैयक्तिक दुर्घटना बीमारक्षा का प्रस्ताव रेल यात्रियों को यात्री द्वारा की गई केवल किसी एक विशिष्ट यात्रा के लिए ही किया जाता है तथा एक व्यक्ति सूचित की गई अवधि के दौरान बहुविध यात्राएँ कर सकता है।*

***पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई के संबंध में एक व्यक्ति को बीमारक्षा बहुविध बैंक खातों के अंतर्गत प्रदान की जा सकती है।*

वहीं सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के 41 प्रतिशत का अंशदान किया है तथा शेष 7 प्रतिशत का अंशदान स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया है। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 66.6 प्रतिशत था।

विदेश यात्रा बीमा (वि.या)

I.4.5.6 2016-17 के दौरान बीमा क्षेत्र ने 46.33 लाख व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 23 लाख विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय ₹580 करोड़ रुपये थी। पिछले वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान यह ₹536 करोड़ रुपये थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 50.2 प्रतिशत था।

व्यवसाय की इस व्यवस्था में निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में 84 प्रतिशत रहा है। सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश क्रमशः 6% और 10% था। विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम के दो-तिहाई भाग का अंशदान 3 बीमकर्ताओं अर्थात् टाटा एआईजी (बाजार अंश 28 प्रतिशत), बजाज अलायंज़ (19 प्रतिशत) और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (17 प्रतिशत) द्वारा किया गया।

देशी यात्रा बीमा (दे.या.)

I.4.5.7 देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय 2016-17 के दौरान ₹24.6 करोड़ रुपये थी, जिसने पिछले वर्ष के ₹21.8 करोड़ रुपये के सकल प्रीमियम की तुलना में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2016-17 के दौरान उद्योग ने 36.7 लाख व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 33 लाख बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए आईसीआर वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 1.46 प्रतिशत था।

सारणी I.63
क्षेत्र -वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	650 (41%)	614 (36%)	708 (33%)	879 (34%)	1492 (41%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	919 (57%)	1,060 (61%)	1351 (63%)	1561 (60%)	1918 (52%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	40 (2%)	55 (3%)	94 (4%)	170 (6%)	267 (7%)
कुल जोड़	**1609**	**1729**	**2153**	**2610**	**3676**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रीमियम में विभिन्न क्षेत्रों का बाजार अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

सारणी I.64
क्षेत्र-वार विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	43 (11%)	46 (10%)	41 (9%)	32 (6%)	35 (6%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	325 (84%)	393 (86%)	403 (86%)	467 (87%)	486 (84%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	19 (5%)	18 (4%)	21 (5%)	37 (7%)	59 (10%)
कुल जोड़	**387**	**457**	**465**	**536**	**580**

टिप्पणी : कोष्ठक में आंकड़े कुल विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गये विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय का ब्योरा शामिल नहीं है।

सारणी I.65
क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	0.04	0.03	0.01	0.002	0.0005
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	15.43	12.32	16.05	21.80	24.59
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.0	0.0	0.0	0.00	0.01
कुल जोड़	**15.47**	**12.35**	**16.06**	**21.80**	**24.6**

सारणी I.66
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय*

(पॉलिसियों की संख्या वास्तविक) (व्यक्तियों की संख्या '000 में) (उपगत दावा अनुपात % में) (₹ लाख में)

व्यवसाय की व्यवस्था	जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रीमियम	निवल अर्जित प्रीमियम	उपगत दावे (निवल)	उपगत दावा अनुपात (निवल)
नेशनल	40	19	214	196	271	138
न्यू इंडिया	15560	2324	15157	14278	11849	83
ओरियन्टल	452	25	373	363	200	55
सरकारी क्षेत्र कुल	**16052**	**2368**	**15743**	**14837**	**12320**	**83**

टिप्पणी : * डेटा में स्वास्थ्य, वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय शामिल हैं।

सारणी I.67
2016-17 के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शीर्ष 5 राज्यों का अंश
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	सामूहिक व्यवसाय (आरएसबीवाई और सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर)		सरकारी व्यवसाय (केवल आरएसबीवाई व अन्य सरकार प्रायोजित योजनाओं का)		वैयक्तिक व्यवसाय		कुल स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	
	राशि ₹लाख में	अखिल भारतीय प्रीमियम में % अंश	राशि ₹लाख में	अखिल भारतीय प्रीमियम में % अंश	राशि ₹लाख में	अखिल भारतीय प्रीमियम में % अंश	राशि ₹लाख में	अखिल भारतीय प्रीमियम में % अंश
महाराष्ट्र	559104	38	77311	25	331089	26	972378	32
तमिलनाडु	221973	15	65723	21	98468	8	386165	13
कर्नाटक	249490	17	8091	3	72322	6	329903	11
दिल्ली	110356	7	-4	0	128309	10	238661	8
गुजरात	20524	1	5152	2	155696	12	181372	6
शेष भारत	310319	21	152774	49	472473	38	930692	30
अखिल भारत कुल	**1471766**	**100**	**309048**	**100**	**1258358**	**100**	**3039171**	**100**

टिप्पणी : राज्यों का स्थान-निर्धारण (रैंकिंग) कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के आधार पर किया गया है।

विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

I.4.5.8 सरकारी क्षेत्र के केवल 3 साधारण बीमाकर्ताओं अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरियन्टल इंश्योरेंस ने विदेशों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय किया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान इन 3 बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसायों सहित) से सकल प्रीमियम के रूप में कुल ₹157.43 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं तथा 23.68 लाख की कुल संख्या में व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान की है। इन 3 बीमाकर्ताओं के बीच अकेले न्यू इंडिया एश्योरेंस ने ही विदेशों से कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 96% का अंशदान किया तथा विदेशों में कुल संख्या के 98% व्यक्तियों को सम्मिलित किया।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का राज्य-वार वितरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.9 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के राज्य-वार वितरण ने भारत के विभिन्न राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का एक विषम वितरण दर्शाया है। जबकि पाँच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली यूटी और गुजरात ने कुल स्वास्थ्य बीमा

चार्ट I.24
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में राज्यों का अंश
वित्तीय वर्ष 2016-17

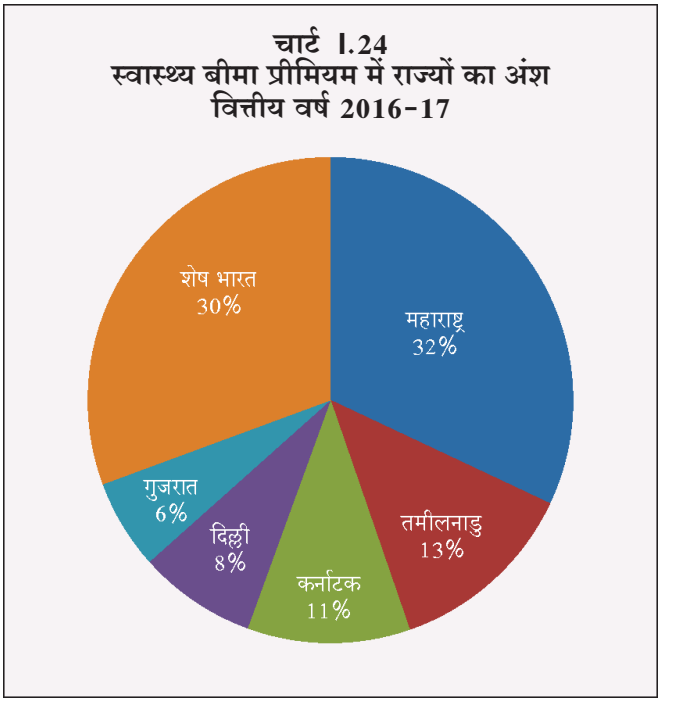

प्रीमियम के 69 प्रतिशत का अंशदान किया, वहीं शेष 31 राज्यों / संघ-राज्य क्षेत्रों ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 30 प्रतिशत का अंशदान किया। अकेले महाराष्ट्र राज्य ने ही कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के ₹972378 लाख रुपये (32 प्रतिशत) का अंशदान किया।

सारणी I.68
वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश - वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की राशि (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

माध्यम का नाम	वैयक्तिक व्यवसाय		सामूहिक व्यवसाय सरकारी व्यवसाय सहित		कुल (वैयक्तिक + सामूहिक)	
	निर्गत पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम	निर्गत पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम	निर्गत पॉलिसियों की सं.	सकल प्रीमियम
दलाल	4%	4%	9%	45%	4%	28%
कॉरपोरेट एजेंट बैंक	13%	11%	48%	5%	14%	7%
कॉरपोरेट एजेंट बैंकों से इतर	3%	4%	13%	1%	3%	2%
प्रत्यक्ष विक्रय - ऑनलाइन	2.3%	2.3%	1.9%	0.5%	2.3%	1.2%
प्रत्यक्ष विक्रय - ऑनलाइन से इतर	9%	9%	3%	43%	9%	29%
वैयक्तिक एजेंट	68%	70%	25%	5%	67%	32%
सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.004%	0.000%	0.031%	0.005%	0.005%	0.003%
वेब संग्राहक	0.397%	0.401%	0.015%	0.008%	0.384%	0.171%
बीमा विपणन फर्म	0.004%	0.005%	0.000%	0.000%	0.004%	0.002%
सभी माध्यमों का योग	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

टिप्पणी : बिक्री केन्द्रों और सामान्य सेवा केन्द्रों जैसे माध्यमों के द्वारा बेची गई पॉलिसियों की संख्या और संगृहीत प्रीमियम की राशि शून्य हैं।

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का माध्यम-वार वितरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.10 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच वैयक्तिक एजेंट 32 प्रतिशत पर लगातार कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में एक बड़े अंश का योगदान करते हैं। वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में उनका अंश 70 प्रतिशत पर अभी भी उच्चतर रहा।

'प्रत्यक्ष विक्रय ऑनलाइन को छोड़कर अन्य' स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए दूसरा प्रमुख माध्यम है। इस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 29 प्रतिशत का अंशदान किया है। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में इस माध्यम का अंश 43 प्रतिशत पर बहुत अधिक है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम दलाल हैं, जिन्होंने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 28 प्रतिशत का अंशदान किया। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों का अंश 45 प्रतिशत पर अधिक था।

चार्ट I.25
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न माध्यमों का अंशदान
(व्यक्तिगत दुर्घटना और यात्रा बीमा को चोड कर)

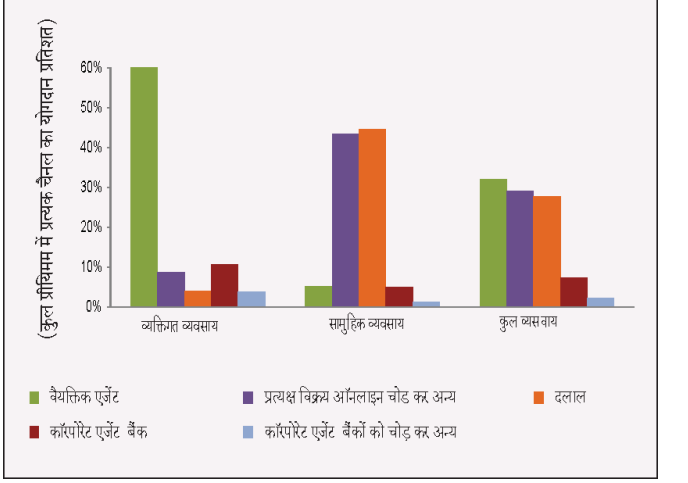

बैंकेश्युरेंस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 7 प्रतिशत का अंशदान किया तथा स्वास्थ्य बीमा के ऑनलाइन विक्रय माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 1.2 प्रतिशत का अंशदान किया।

स्वास्थ्य बीमा 2016-17 के दौरान दावा गतिविधि का विवरण
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

सारणी I.69
अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	279721 60%	85195 46%	160073 34%	63338 34%	24869 5%	37672 20%	314 0%	111 0%	464977 100%	186317 100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	3713152 38%	1012830 40%	4757612 48%	1120972 44%	1373618 14%	402868 16%	3585 0%	986 0%	9847967 100%	2537655 100%
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	3174302 38%	806192 39%	4047549 48%	921363 44%	1183828 14%	351650 17%	2456 0%	588 0%	8408135 100%	2079793 100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	429919 39%	110871 39%	584104 54%	127843 45%	75938 7%	46694 16%	1259 0%	415 0%	1091221 100%	285823 100%
वर्ष के अंत में लंबित दावे	388652 48%	111767 47%	286032 35%	82670 35%	138721 17%	40916 17%	184 0%	88 0%	813589 100%	235441 100%

सारणी I.70
बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	194917 81%	27272 43%	42372 18%	29595 47%	0 0%	262 0%	2283 1%	6080 10%	239572 100%	63209 100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	1093030 38%	398523 47%	1783448 62%	428937 50%	53 0%	7207 1%	10324 0%	16501 2%	2886855 100%	851169 100%
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	998198 38%	296434 44%	1626230 62%	368126 55%	52 0%	3800 1%	6459 0%	6447 1%	2630939 100%	674807 100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	129643 47%	63550 48%	143137 52%	58314 44%	1 0%	3321 2%	2977 1%	7951 6%	275757 100%	133136 100%
वर्ष के अंत में लंबित दावे	160106 73%	31193 41%	56453 26%	35719 47%	0 0%	348 0%	3171 1%	8204 11%	219730 100%	75464 100%

सारणी I.71
दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे
(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे	474638 67%	112467 45%	202445 29%	92933 37%	24869 4%	37934 15%	2597 0%	6192 2%	704549 100%	249526 100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	4806182 38%	1411353 42%	6541060 51%	1549910 46%	1373671 11%	410074 12%	13909 0%	17486 1%	12734822 100%	3388824 100%
अवधि के दौरान निपटाये गये दावे	4172500 38%	1102626 40%	5673779 51%	1289490 47%	1183880 11%	355450 13%	8915 0%	7035 0%	11039074 100%	2754600 100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	559562 41%	174421 42%	727241 53%	186157 44%	75939 6%	50015 12%	4236 0%	8366 2%	1366978 100%	418959 100%
वर्ष के अंत में लंबित दावे	548758 53%	142960 46%	342485 33%	118389 38%	138721 13%	41263 13%	3355 0%	8292 3%	1033319 100%	310904 100%

नोट: 1. दावों का निपटान केवल नकदीरहित पद्धति में ही किया गया है। दावे के किसी भाग का निपटान प्रतिपूर्ति के द्वारा नहीं किया गया है।
2. दावों का निपटान केवल प्रतिपूर्ति पद्धति के द्वारा किया गया है। दावे के किसी भाग का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा नहीं किया गया है।
3.दावे जिनका भुगतान दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति की पद्धतियों के द्वारा किया गया है।

स्वास्थ्य बीमा 2016-17 के दौरान दावों की अवधि का विवरण
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

सारणी I.72
टीपीए के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा निपटाये गये दावों की अवधि का विवरण
(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीने से कम	2653089 39%	633908 42%	3305776 48%	654135 43%	865144 13%	228346 15%	2452 0%	588 0%	6822673 100%	1516698 100%
1 से 3 महीने	376349 33%	134375 35%	557570 49%	173391 45%	208749 18%	75764 20%	4 0%	0 0%	1142672 100%	383531 100%
3 से 6 महीने	124899 35%	26981 21%	144730 41%	65533 50%	85037 24%	38500 29%	0 0%	0 0%	354666 100%	131014 100%
6 से 12 महीने	18004 24%	8567 31%	35385 47%	16418 60%	22640 30%	2571 9%	0 0%	0 0%	76029 100%	27556 100%
1 से 2 वर्ष	1494 21%	2119 12%	3440 48%	8723 50%	2258 31%	6468 37%	0 0%	0 0%	7192 100%	17310 100%
2 वर्ष से अधिक	467 42%	243 7%	649 58%	3183 93%	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%	1115 100%	3427 100%
कुल	**3174302 38%**	**805531 39%**	**4047549 48%**	**919857 44%**	**1183828 14%**	**351650 17%**	**2456 0%**	**588 0%**	**8408135 100%**	**2079815 100%**

सारणी I.73

आंतरिक निपटान के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा निपटाये गये दावों की अवधि का विवरण

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीने से कम	969646	279176	1467483	309779	52	3484	6179	5571	2443360	598011
	40%	47%	60%	52%	0%	1%	0%	1%	100%	100%
1 से 3 महीने	27319	15427	97336	45368	0	289	216	393	124872	61477
	22%	25%	78%	74%	0%	0%	0%	1%	100%	100%
3 से 6 महीने	731	1137	24909	8486	0	24	52	475	25693	10122
	3%	11%	97%	84%	0%	0%	0%	5%	100%	100%
6 से 12 महीने	240	530	35722	2971	0	2	11	6	35973	3509
	1%	15%	99%	85%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
1 से 2 वर्ष	135	141	623	958	0	0	1	2	759	1101
	18%	13%	82%	87%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
2 वर्ष से अधिक	26	21	252	505	0	0	0	0	278	525
	9%	4%	91%	96%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
कुल	**998098**	**296433**	**1626326**	**368065**	**52**	**3800**	**6459**	**6447**	**2630940**	**674745**
	38%	**44%**	**62%**	**55%**	**0%**	**1%**	**0%**	**1%**	**100%**	**100%**

सारणी I.74

दोनों टीपीए और आंतरिक व्यवस्था के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा निपटाये गये दावों की अवधि का विवरण

(संख्याएँ वास्तविक)(राशि ₹ लाख में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1 महीने से कम	3622735	913085	4773259	963913	865196	231830	8631	6159	9266033	2114709
	39%	43%	52%	46%	9%	11%	0%	0%	100%	100%
1 से 3 महीने	403668	149803	654907	218759	208749	76053	220	393	1267543	445008
	32%	34%	52%	49%	16%	17%	0%	0%	100%	100%
3 से 6 महीने	125631	28118	169639	74018	85037	38525	52	475	380359	141136
	33%	20%	45%	52%	22%	27%	0%	0%	100%	100%
6 से 12 महीने	18245	9098	71107	19389	22640	2573	11	6	112003	31065
	16%	29%	63%	62%	20%	8%	0%	0%	100%	100%
1 से 2 वर्ष	1629	2260	4063	9681	2258	6468	1	2	7951	18411
	20%	12%	51%	53%	28%	35%	0%	0%	100%	100%
2 वर्ष	493	264	901	3688	0	0	0	0	1394	3952
	35%	7%	65%	93%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
कुल	**4172400**	**1101964**	**5673875**	**1287923**	**1183880**	**355450**	**8915**	**7035**	**11039075**	**2754560**
	38%	**40%**	**51%**	**47%**	**11%**	**13%**	**0%**	**0%**	**100%**	**100%**

टिप्पणी : 1. दावों का निपटान केवल नकदीरहित पद्धति से किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान प्रतिपूर्ति के द्वारा नहीं किया गया। 2. दावों का निपटान केवल प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा नहीं किया गया। 3. दावे जिनका भुगतान दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति की पद्धतियों के द्वारा किया गया।

I.4.5.11 सारणी I.69, I.70 और I.71 के संबंध में टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं।

- 2016-17 के दौरान साधारण और स्वास्थय बीमाकर्ताओं ने 1.10 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है तथा स्वास्थ्य बीमा दावों के लिए ₹27,546 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। प्रति दावा अदा की गई औसत राशि ₹24,953 रुपये थी।

- निपटाये गये दावों की संख्या के तौर पर 76 प्रतिशत दावे टीपीए के माध्यम से निपटाये गये तथा दावों के शेष 24 प्रतिशत का निपटान आंतरिक व्यवस्था के द्वारा किया गया।

- दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर दावों की कुल राशि के 40 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा किया गया तथा दावों के अन्य 47 प्रतिशत को प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा निपटाया गया। बीमाकर्ताओं ने अपने दावों के 13 प्रतिशत का निपटान 'दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति' के द्वारा किया है।

- 2016-17 के दौरान बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में दर्ज दावों की कुल संख्या के 82.1 प्रतिशत का निपटान किया है तथा पंजीकृत दावों की कुल संख्या के 10.2 प्रतिशत का निराकरण किया है। पंजीकृत शेष 7.7 प्रतिशत दावे 31 मार्च 2017 को निपटान के लिए लंबित थे।

I.4.5.12 सारणी I.72, I.73 और I.74 का विश्लेषण निम्नानुसार हैः

- 2016-17 के दौरान बीमाकर्ताओं ने 1.1 करोड़ दावों का निपटान किया है तथा स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए ₹27,546 करोड़ रुपये अदा किये हैं।

- जबकि बीमाकर्ताओं ने पंजीकृत दावों के 93 प्रतिशत का निपटान एक महीने के अंदर किया है, अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) ने इसी अवधि में 81 प्रतिशत का निपटान किया है।

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की शाखाओं की राज्य-वार संख्या

I.4.5.13 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, सारे देश में छह स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अधीन 594 शाखा कार्यालय थे। 2016-17 के दौरान इन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या 31 मार्च 2016 को विद्यमान 520 शाखाओं से 74 बढ़ गई है।

सारणी I.75 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

बीमाकर्ता	2015	2016	2017
आदित्य बिड़ला#	ला.न.	ला.न.	9
अपोलो म्यूनिख	83	101	110
सिगना टीटीके	13	16	19
मैक्स बूपा	26	27	28
रेलिगेर	46	56	61
स्टार हेल्थ	290	320	367
कुल	**458**	**520**	**594**

टिप्पणी: आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना परिचालन वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया है। ला.न.: लागू नहीं

I.4.5.14 अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की कार्यपद्धति

01 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत 28 टीपीए थे, जबकि 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 27 टीपीए थे। वर्ष 2016-17 के दौरान किसी नये टीपीए को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया गया। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत टीपीए की सूची सारणी सं. I.76 में दी गई है। 2016-17 के दौरान प्राधिकरण द्वारा नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची सारणी सं. I.77 मे दी गई है। प्राधिकरण ने 1 टीपीए का नवीकरण आवेदन अस्वीकृत किया है और उसका ब्योरा सारणी सं. I.78 में दिया गया है। टीपीए ने अपने नेटवर्कों में नये अस्पतालों को जोड़ने के द्वारा अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया है जैसा कि सारणी सं. I.79 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सारणी I.76

31 मार्च 2017 को अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की सूची

क्रम सं.	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) का नाम	पंजीकरण संख्या	सीओआर कब तक वैध
1	युनाइटेड हेल्थ केअर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	2	20.03.2020
2	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	3	20.03.2020
3	एमडीइंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5	20.03.2020
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लि.	6	20.03.2020
5	ई-मेडीटेक इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	7	20.03.2020
6	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8	20.03.2020
7	फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड	10	20.03.2020
8	मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	12	20.03.2020
9	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	13	20.03.2020
10	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	15	31.03.2020
11	वाइडल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	16	15.05.2020
12	अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड	17	15.05.2020
13	ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	18	15.05.2020
14	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	19	14.05.2020
15	जेनिन्स इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	20	10.06.2020
16	अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	21	17.11.2017
17	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	22	17.11.2020
18	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	23	26.01.2018
19	विपुल मेडकॉर्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	24	28.02.2019
20	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	25	27.09.2019
21	सेफ़वे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	26	20.07.2020
22	अनमोल मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	27	26.10.2017
23	डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए (इंडिया) प्राइवेट लि.	28	25.04.2018
24	ग्रैंड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	29	15.05.2018
25	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	30	15.07.2019
26	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	35	17.12.2018
27	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	36	05.06.2020
*28	हैपी इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़	34	---

*'प्राधिकरण ने उक्त टीपीए के नवीकरण प्रमाणपत्र को दिनांक 19 जुलाई 2016 के आदेश के द्वारा अस्वीकृत किया था तथा प्राधिकरण के निर्णय को एसएटी द्वारा मान्य ठहराया गया। कंपनी की अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 की सिविल अपील सं. 3233 में एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता वह व्यवसाय जारी रखेगा जो वह प्रारंभ कर चुका है, परंतु वह आगे कोई लेनदेन नहीं करेगा।'

सारणी I.77
2016-17 के दौरान नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची

क्र सं.	टीपीए का नाम	पंजीकरण संख्या
1	युनाइटेड हेल्थ केअर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	2
2	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	3
3	एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6
5	ई-मेडीटेक इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	7
6	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8
7	फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड	10
8	मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	12
9	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	13
10	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	15
11	विपुल मेडीकॉर्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	24
12	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	25
13	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	30
14	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	35

जीवन बीमा कंपनियों का स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

पॉलिसियाँ और प्रीमियम

I.4.5.15 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में

2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से ₹740 करोड़ रुपये का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम के 75% (₹560.56 करोड़ रुपये) का अंशदान किया, शेष 25% (₹179.83 करोड़ रुपये) का अंशदान नये व्यवसाय ने किया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 4.46 लाख जीवनों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 3.64 लाख नई पॉलिसियाँ जारी की गईं, जबकि 12.03 लाख जीवनों को सम्मिलित करते हुए 7.71 लाख पॉलिसियों का नवीकरण किया गया।

I.4.5.16 जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध मंर

अनुवृद्धियाँ जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध की जाती हैं, पॉलिसीधारकों को एक मूल्य संवर्धन के रूप में प्रस्तावित की जाती हैं। जीवन बीमा पॉलिसियों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों के माध्यम से

सारणी I.78
अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) का विवरण जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अस्वीकृत किया गया

1	हैपी इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़*

**'प्राधिकरण ने उक्त टीपीए के नवीकरण प्रमाणपत्र को दिनांक 19 जुलाई 2016 के आदेश के द्वारा अस्वीकृत किया था तथा प्राधिकरण के निर्णय को एसएटी द्वारा मान्य ठहराया गया। कंपनी की अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 की सिविल अपील सं. 3233 में एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता वह व्यवसाय जारी रखेगा जो वह प्रारंभ कर चुका है, परंतु वह आगे कोई लेनदेन नहीं करेगा।'*

₹165.69 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त किया गया। इन अनुवृद्धियों से प्राप्त कुल प्रीमियम में से नवीकरण 54% (₹90.63 करोड़ रुपये) रहे जबकि शेष 46% (₹75.06 करोड़ रुपये) का अंशदान नये व्यवसाय द्वारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 7.44 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए नये जीवन बीमा मूल उत्पादों के साथ 2.19 लाख बीमा अनुवृद्धियाँ जारी की गईं। इसी अवधि के दौरान 13.19 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 10.04 लाख अनुवृद्धियों का नवीकरण किया गया।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से संबंधित दावों का विवरण

I.4.5.17 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से संबंधित दावे

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 46935 दावों के निपटान के लिए दावों के रूप में ₹87.9 करोड़ रुपये अदा किये। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पंजीकृत दावों की कुल संख्या में से 75 प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया, जबकि 23 प्रतिशत दावों को निराकृत किया गया अथवा अस्वीकृत किया गया।

I.4.5.18 जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) से संबंधित दावे

अनुवृद्धियों (राइडर्स) संबंधी दावों के संबंध में पंजीकृत दावों में से 80 प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया, जबकि 18 प्रतिशत दावों को निराकृत / अस्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अनुवृद्धियों के संबंध में 1995 दावों के निपटान के लिए जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा ₹25 करोड़ रुपये की दावा राशि का भुगतान किया गया।

सारणी I.79

अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) द्वारा सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों संबंधी सूचना (2016-17)

क्रम सं.	टीपीए का नाम	वर्ष के प्रारंभ में नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या	वर्ष के दौरान जोड़े गये अस्पतालों की संख्या	वर्ष के दौरान नेटवर्क से वापस लिये गये / हटाये गये अस्पतालों की संख्या	वर्ष के अंत में नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या
1	युनाइटेड हेल्थ केअर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4474	191	97	4568
2	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5736	501	236	6001
3	एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	9092	1510	423	10179
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	11696	2586	315	13967
5	ई-मेडीटेक इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	5519	186	65	5640
6	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5217	980	464	5733
7	फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड	1948	78	291	1735
8	मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	4578	480	110	4948
9	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4655	2564	144	7075
10	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4498	601	34	5065
11	वाइडल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6331	2128	127	8332
12	अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केअर प्राइवेट लिमिटेड	343	110	142	311
13	ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4156	117	340	3933
14	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	6333	162	12	6483
15	जेनिन्स इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4023	285	49	4259
16	अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4081	83	85	4079
17	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	4330	621	43	4908
18	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4872	186	55	5003
19	विपुल मेडकॉर्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	9076	0	309	8767
20	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	1934	428	0	2362
21	सेफवे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4444	316	309	4451
22	अनमोल मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	453	0	0	453
23	डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	5042	1547	679	5910
24	ग्रैंड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	1764	78	0	1842
25	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	3053	219	0	3272
26	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	3937	157	0	4094
27	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	1399	230	9	1620

* अस्पतालों की सहबद्धता एक से अधिक टीपीए के साथ हो सकती है।

सारणी I.80

नये व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित और एकल प्रीमियम पॉलसियों से प्रथम वर्ष प्रीमियम)

(पॉलिसियों और जीवनों की संख्याएँ वास्तविक हैं तथा प्रीमियम ₹करोड़ रुपये में)

व्यवसाय का प्रकार	जारी की गई नई पॉलिसियों की सं.	समाविष्ट नये जीवनों की सं.	नये व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय			
सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	9	7902	0.21
वैयक्तिक व्यवसाय	364114	438715	179.62
कुल	**364123**	**446617**	**179.83**

सारणी I.81

नवीकरण व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित प्रीमियम पॉलिसियों से नवीकरण प्रीमियम)

(पॉलिसियों और जीवनों की संख्याएँ वास्तविक हैं तथा प्रीमियम ₹करोड़ में)

व्यवसाय का प्रकार	नवीकृत पॉलिसियों की संख्या	नवीकृत पॉलिसियों के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या	नवीकरण व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय			
सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	7	66	0.01
वैयक्तिक व्यवसाय	771539	1203212	560.55
कुल	**771546**	**1203278**	**560.56**

सारणी I.82

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नया व्यवसाय

(अनुवृद्धियों और जीवनों की संख्याएँ वास्तविक हैं) (प्रीमियम ₹ करोड़ में)

व्यवसाय का प्रकार	जारी की गई नई अनुवृद्धियों की संख्या	स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों के अंतर्गत समाविष्ट नये जीवनों की सं.	नये व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय			
सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	331	517091	54.99
वैयक्तिक व्यवसाय	219500	227778	20.07
कुल	**219831**	**744869**	**75.06**

सारणी I.83

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नवीकरण व्यवसाय

(अनुवृद्धियों और जीवनों की संख्याएँ वास्तविक हैं) (प्रीमियम ₹करोड़ में)

व्यवसाय का प्रकार	जीवन बीमा उत्पादों के भाग के रूप में नवीकृत अनुवृद्धियों की संख्या	ऐसी अनुवृद्धियों के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या	नवीकृत अनुवृद्धियों से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय			
सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	980	311446	11.14
वैयक्तिक व्यवसाय	1003589	1007921	79.48
कुल	**1004569**	**1319369**	**90.63**

सारणी I.84
स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा संभाले गये दावों का विवरण

(दावों की संख्या वास्तविक है तथा राशि ₹करोड़ में)

विवरण	मात्रक	सरकार प्रायोजित योजनाएँ	सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1 अप्रैल 2016 को बकाया	संख्या	0	0	1270	1270
दावों का विवरण	राशि	0	0	4.38	4.38
वित्तीय वर्ष के दौरान	संख्या	0	7	60932	60939
सूचित दावों का विवरण	राशि	0	0.06	177.49	177.55
वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान	संख्या	0	5	46930	46935
किये गये दावों का विवरण	राशि	0	0.05	87.82	87.87
वित्तीय वर्ष के दौरान निराकृत/	संख्या	0	2	14150	14152
अस्वीकृत दावों का विवरण	राशि	0	0.01	86.07	86.08
31 मार्च 2017 को बकाया	संख्या	0	0	1122	1122
दावों का विवरण	राशि	0	0	5.95	5.95

सारणी I.85
स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से जुडी रइडर्स के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा संभाले गये दावों का विवरण

(दावों की संख्या वास्तविक है तथा राशि ₹करोड़ में)

विवरण	मात्रक	सरकार प्रायोजित योजनाएँ	सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1 अप्रैल 2016 को बकाया	संख्या	0	8	110	118
दावों का विवरण	राशि	0	2.60	0.5	3.10
वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित	संख्या	0	324	2027	2351
दावों का विवरण	राशि	0	15.89	19.76	35.65
वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान	संख्या	0	135	1860	1995
किये गये दावों की संख्या	राशि	0	8.52	16.63	25.15
वित्तीय वर्ष के दौरान निराकृत/	राशि	0	197	220	417
अस्वीकृत दावों का विवरण	राशि	0	9.97	3.09	13.06
31 मार्च 2017 को बकाया	संख्या	0	0	57	57
दावों का विवरण	राशि	0	0	0.45	0.45

I.4.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में व्यवसाय

I.4.6.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन विनियमों के अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे (i) कुल व्यवसाय में से सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवनों के प्रतिशत के तौर पर; तथा (ii) जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से जोखिम-अंकित की जानेवाली पॉलिसियों के प्रतिशत के तौर पर एवं ग्रामीण दायित्वों के अंतर्गत साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंकित कुल सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के तौर पर वर्ष-वार निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ये विनियम बीमाकर्ताओं से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने परिचालनों के प्रारंभ के वर्ष के आधार पर इन खंडों में व्यवसाय का जोखिम-अंकन करें तथा लागू लक्ष्य प्रत्येक बीमाकर्ता के परिचालनों के वर्ष के साथ संबद्ध किये गये हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए उक्त विनियमों में आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई बीमा कंपनी अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है तो (i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक लक्ष्य लागू नहीं होंगे; तथा (ii) विनियमों में निर्दिष्ट किये गये रूप में वार्षिक दायित्व अगले वित्तीय वर्ष से गणना में लिये जाएँगे जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा। उन मामलों में जहाँ कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करती है, वहाँ पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे।

2016-17 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्वों की पूर्ति

ग्रामीण क्षेत्र दायित्व

I.4.6.2 2016-17 के दौरान निजी क्षेत्र की सभी तेईस जीवन बीमा कंपनियों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया था। वर्ष 2016-17 में जोखिम-अंकित कुल पॉलिसियों के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा जोखिम-अंकित पॉलिसियों की संख्या उनके लिए लागू दायित्वों के अनुसार थी।

I.4.6.3 सरकारी क्षेत्र का एकमात्र बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम 2016-17 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने दायित्वों का अनुपालनकर्ता रहा।

I.4.6.4 जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 60.45 लाख पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया अर्थात 2016-17 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित नई वैयक्तिक पॉलिसियों (264.20 लाख पॉलिसियों) के 22.9 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। एलआईसी ने नई पॉलिसियों के 22.44 प्रतिशत का एवं निजी बीमाकर्ताओं ने अपनी नई वैयक्तिक पॉलिसियों के 24.3 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया।

सामाजिक क्षेत्र दायित्व

I.4.6.5 2016-17 के दौरान सभी 23 निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने अपने सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया था। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा बीमारक्षा प्रदान किये गये जीवनों की संख्या आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 में निर्धारित शर्तों से अधिक थी।

I.4.6.6 एलआईसी 2016-17 के लिए अपने सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालनकर्ता रहा।

साधारण बीमाकर्ताओं के दायित्व

I.4.6.7 सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालन किया।

I.4.6.8 स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्व

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार छह स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ हैं। चूँकि आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने अपने परिचालन अक्तूबर 2016 में प्रारंभ किये हैं, अतः विनियमों के अनुसार लक्ष्य इस कंपनी पर लागू नहीं हैं। अन्य सभी पाँच स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालन किया।

सारणी I.86
वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण और सामाजिक दायित्वों के संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं (स्टैंडअलोन और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर) का अनुपालन

बीमाकर्ता	ग्रामीण क्षेत्र (सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम)			सामाजिक क्षेत्र (जीवनों की संख्या)		
	लक्ष्य (%) 2016-17	प्राप्त (%)	अनुपालन किया (हाँ/नहीं)	लक्ष्य (%) 2016-17	प्राप्त (%)	अनुपालन किया (हाँ/नहीं)
रॉयल सुंदरम	7	9.06	हाँ	5	7.2	हाँ
टाटा एआईजी	7	19.58	हाँ	5	22	हाँ
रिलायंस	7	31.83	हाँ	5	10.6	हाँ
इफ्को टोकियो	7	29.27	हाँ	5	38.1	हाँ
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	7	22.41	हाँ	5	52.2	हाँ
बजाज अलायंज़	7	9.56	हाँ	5	39.5	हाँ
एचडीएफसी एरगो	7	38.51	हाँ	5	52.6	हाँ
चोल एमएस	7	16.12	हाँ	5	11.9	हाँ
फ्यूचर जनराली	7	34.65	हाँ	5	12.9	हाँ
यूनिवर्सल सोम्पो	7	41.83	हाँ	4.5	37.5	हाँ
श्रीराम जनरल	7	15.98	हाँ	4.5	14	हाँ
भारती अक्सा	7	7.73	हाँ	4.5	15	हाँ
रहेजा क्यूबीई	6	12.56	हाँ	4	18.1	हाँ
एसबीआई जनरल	5	38.79	हाँ	3.5	27.3	हाँ
एचडीएफसी जनरल	5	11.09	हाँ	3	4.1	हाँ
लिबर्टी वीडियोकॉन	5	5.5	हाँ	2	4.4	हाँ
मैगमा एचडीआई	5	58.62	हाँ	2	5	हाँ
कोटक महिन्द्रा	2	10.75	हाँ	0.5	1.5	हाँ
न्यू इंडिया	7	15.04	हाँ	5	343.1*	हाँ
नेशनल	7	11	हाँ	5	6.5	हाँ
युनाइटेड इंडिया	7	16.68	हाँ	5	76.5	हाँ
ओरियन्टल	7	14.28	हाँ	5	39.6	हाँ

** 'सामाजिक क्षेत्र में समाविष्ट व्यक्तियों की संख्या' में उच्च प्रतिशत होने का कारण वित्तीय वर्ष 2016-17 में पीएमएफबीवाई और आरएसबीवाई योजनाओं का कार्यान्वयन है।*

सारणी I.87
ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के अनुपालन का विवरण 2016-17

बीमाकर्ता	बीमाकर्ता की कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर)	लक्ष्य (अंकित सकल प्रीमियम के % रूप में)	वित्तीय वर्ष के लिए सकल प्रीमियम (₹ करोड़ में)	ग्रामीण क्षेत्र में प्राप्त प्रीमियम की राशि (₹ करोड़ में)	प्राप्त (प्रतिशत में)
आदित्य बिड़ला	6 महीने से कम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अपोलो म्यूनिख	9	3.5	1302	49	3.79
सिगना टीटीके	3	2.5	222	32	14.62
मैक्स बूपा	7	2.5	594	37	6.17
रेलिगेर	5	2.5	726	49	6.74
स्टार हेल्थ	11	3.5	2960	365	12.34

सारणी I.88
सामाजिक क्षेत्र दायित्व में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता के अनुपालन का विवरण 2016-17

क्रम सं.	बीमाकर्ता	बीमाकर्ता की कार्यावधि (वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर)	लक्ष्य (समाविष्ट जीवनों के % के रूप में)	पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल व्यवसाय (जीवन लाख में)	सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या (लाख में)	प्राप्त
1	आदित्य बिड़ला	6 महीने से कम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	अपोलो म्यूनिख	9	4.5%	32.79	1.82	5.54%
3	सिगना टीटीके	3	1.5%	1.74	0.03	1.86%
4	मैक्स बूपा	7	3.5%	20.40	1.97	9.67%
5	रेलिगेर	5	2.5%	15.45	0.43	2.77%
6	स्टार हेल्थ	11	5.0%	68.24	15.51	22.72%

I.4.7 वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.4.7.1 नियुक्त बीमांकक प्रणाली भारतीय बीमा उद्योग में एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान है।

प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह एक बीमांकक की नियुक्ति करे जो नियुक्त बीमांकक के रूप में जाना जाता है।

नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा शब्दावली और अभिव्यक्तियों, निवेश और पुनर्बीमा; कंपनी की शोधक्षमता को सुनिश्चित करना और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने के क्षेत्रों में।

नियुक्त बीमांकक को बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा उसके नियंत्रण के अंतर्गत विद्यमान समस्त सूचना अथवा सभी दस्तावेजों तक पहुँच होती है, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

I.4.8 धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.8.1 धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा क्षेत्र को एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) पहले मार्च 2006 में जारी किये गये। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एक प्रभावी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य करता रहा है। ये दिशानिर्देश पीएमएलए के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी की प्रक्रियाओं, सूचना देने के दायित्वों और अभिलेख-पालन की आवश्यकताओं के महत्व पर बल देते हैं।

I.4.8.2 बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के विस्तृत पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की दिशा में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बीमाकर्ता के आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण विभागों के माध्यम से प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा की जाती है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी निगरानी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) और परोक्ष (ऑफ़-साइट) प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है।

नकदी स्वीकरण का प्रारंभ

I.4.8.3 बीमा क्षेत्र बहुत कुछ बैंकिंग क्षेत्र के समान है जहाँ दोनों ही देश में जनता के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यम और सहायक साधन हैं। देश में बीमा संबंधी कानूनों के अनुसार भी यह अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी के व्यवसाय का कुछ अनुपात अवश्य ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न हो। भारत में गाँवों की विपुल संख्या के होते हुए, जिसकी तुलना में बैंकों की व्याप्ति सीमित है, नकदी की स्वीकृति के संबंध में प्रतिबंधों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को हटाने के लिए आईआरडीएआई ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित रूप में ही निर्धारित शर्त को पंक्तिबद्ध किया था। इसका उद्देश्य प्रभावी ढंग से ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करना भी था और इसके परिणामस्वरूप बीमा के व्यापन और उसकी सघनता में सुधार लाना था।

I.4.8.4 यह अपेक्षा 26 मई 2011 की सीबीडीटी अधिसूचना एस.ओ. 1214 (ई) के भी अनुरूप थी जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 114बी को संशोधित करती है और खंड (क्यू) को निविष्ट करती है जो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह उन सभी लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को उद्धृत करे जहाँ किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में कुल पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि का भुगतान निहित हो, जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित है।

I.4.8.5 'नकदी में प्रीमियम के स्वीकरण' के संबंध में अधिक सख्त नियंत्रण रखने के लिए आईआरडीएआई ने कठोर नियंत्रणों को अनिवार्य कर दिया है, जैसे ग्राहक से प्राप्त किये जानेवाले पैन संख्या के सत्यापन की आवश्यकता। बीमाकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे पैन विवरण के प्रकटीकरण से बचने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित करें। बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि इन अपेक्षाओं के संबंध में धोखा देने के संभव प्रयासों की स्थिति में वे इसकी सूचना संदिग्ध गतिविधि के रूप में भारतीय वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) को दें।

साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.8.6 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएँ जीवन बीमा कंपनियों पर लागू अपेक्षाओं से भिन्न हैं, उक्त दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है ताकि वे साधारण बीमा व्यवसाय के विशिष्ट लक्षणों के सूक्ष्म भेदों के अनुरूप हो सकें। विभिन्न संबंधित पहलुओं पर साधारण बीमा परिषद के माध्यम से सभी साधारण बीमा कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। साधारण बीमा कंपनियों पर यथाप्रयोज्य एएमएल/ सीएफटी ढाँचे की विभिन्न शर्तों/ अपेक्षाओं पर एक समेकित परिपत्र फरवरी 2013 में जारी किया गया। इस परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक उत्पाद की प्रोफाइल के अपने जोखिम-निर्धारण के आधार पर एएमएल/ सीएफटी अपेक्षाओं को लागू करें। स्टैंडअलोन मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में पूर्व में दी गई छूट अब समाप्त की गई है।

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए एएमएल/ सीएफटी दिशानिर्देशों का संशोधन

I.4.8.7 केन्द्र सरकार द्वारा 2013 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2010 में जारी किये गये आईआरडीएआई के एएमएल/ सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र में उक्त संशोधनों के अनुरूप संशोधन किया गया। संशोधित मास्टर परिपत्र का प्रारूप अभिमतों के लिए जीवन बीमा परिषद, जीवन विभाग और एफआईयू-आईएनडी को परिचालित किया गया। प्राप्त अभिमतों के आधार पर मास्टर परिपत्र के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। उक्त मास्टर परिपत्र 28.09.2015 को जारी किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग/ सूचना की साझेदारी

I.4.8.8 जून 2010 में वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) में भारत की सदस्यता के बाद भारत एफएटीएफ सचिवालय के प्रति प्रतिबद्ध कार्य योजना पर कार्य कर रहा है। आईआरडीएआई ने वचनबद्ध विभिन्न कार्य-बिन्दुओं पर कार्रवाई पूरी की है। मई 2013 से आईआऱडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुराष्ट्रीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो सहयोग और सूचना की साझेदारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2013 प्रचलित हैं जिनमें इस बात की व्यवस्था है कि गोपनीय सूचना की साझेदारी किस तरीके से / किन निकायों के संबंध में अन्य विनियामक निकायों के साथ की जा सकती है।

विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ समन्वय

I.4.8.9 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/ सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्यदल का भाग है। एपएटीएफ की संशोधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक कार्य विभाग (एफएटीएफ कक्ष) द्वारा गठित कोर कार्य दल (सीडब्ल्यूजी) का भी आईआरडीएआई एक हिस्सा है।

I.4.8.10 इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरेशियन समूह (ईएजी), जो एक एफएटीएफ शैली का क्षेत्रीय निकाय है, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है। आईआरडीएआई ने नवंबर 2012 में नई दिल्ली में आयोजित 17वीं ईएजी प्लीनरी और कार्य दल की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा 'सूचना के आदान-प्रदान संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं' पर आलेख की परियोजना भारत को सौंपी गई है।

I.4.8.11 आईआरडीएआई ने वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के साथ नियमित इंटरऐक्शन प्रारंभ किया है तथा 'बीमा क्षेत्र के लिए लाल झंडा संकेतकों' पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ गठित कार्य दल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आईआरडीएआई केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री निर्मित करने की वित्तीय सेवाएँ विभाग की पहल का भी भाग है।

I.4.8.12 धन-शोधन निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के भाग के रूप में आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी ने 29 जनवरी 2014 को परस्पर सहयोग संबंधी एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

उक्त एमओयू के अनुसार, आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी निम्नलिखित सहित परस्पर हित के क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगेः

क) उनके संबंधित डेटाबेसों में उपलब्ध आसूचना और जानकारी की साझेदारी करना।

ख) वह कार्यविधि और तरीका निर्धारित करना जिसमें सूचना देनेवाली संस्थाएँ पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत एफआईयू-आईएनडी को सूचना देंगी।

ग) सूचना देनेवाली संस्थाओं के लिए लोकसंपर्क और प्रशिक्षण संचालित करना।

घ) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित सूचना देनेवाली संस्थाओं के एएमएल/ सीएफटी कौशल का दर्जा बढ़ाना।

ङ) बीमा क्षेत्र में धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) जोखिमों और असुरक्षितताओं का निर्धारण।

च) बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) के लिए लाल झंडा संकेतकों का अभिनिर्धारण।

छ) पीएमएलए के अंतर्गत सूचना देनेवाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ उनके अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी।

ज) संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एक दूसरे के दायित्वों का अनुपालन।

केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री का परिचालन

I.4.8.13 ग्राहकों की केवाईसी संबंधी सूचना के विषय में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जिससे ग्राहक द्वारा किसी वित्तीय उत्पाद/ सेवा का उपयोग किये जाने के प्रत्येक समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी संबंधी कार्रवाई की बहुलता से बचा जा सके, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2012-13 में घोषित किया कि केवाईसी डेटा के पंजीकरण की बहुलता से बचने के लिए एक 'केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) भंडार' (डिपॉजिटरी) को विकसित किया जाएगा।

I.4.8.14 पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में 2015 के संशोधन के अनुसार, सूचना देनेवाली प्रत्येक संस्था ग्राहक आधारित संबंध स्थापित करने के तीन दिन के अंदर ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केन्द्रीय अभिलेख रजिस्ट्री ('सीकेवाईसीआर') के पास दाखिल करेगी।

I.4.8.15 आईआरडीएआई ने दिनांक 12.07.2016 के परिपत्र के अनुसार बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक पॉलिसीधारकों के केवाईसी अभिलेख केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को अपलोड करने के लिए सूचित किया।

I.4.9 फ़सल बीमा

I.4.9.1 नारियल (कोकोनट पाम) बीमा योजना (सीपीआईएस)

एआईसी ने नारियल बोर्ड के सहयोग से नारियल के लिए एक योजना अर्थात नारियल बीमा योजना (सीपीआईएस) अभिकल्पित की, जो अब एनसीआईपी का एक घटक है। यह योजना देश में नारियल उगानेवाले सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है। बीमारक्षा के लिए 4 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में स्थित बौने और संकर नारियल वृक्ष तथा 7 से 60 वर्ष की आयु के दायरे में स्थित लंबे प्रकार के नारियल वृक्ष पात्र हैं। प्रीमियम पर सब्सिडी का 50% नारियल विकास बोर्ड (सीडीबी) द्वारा अदा किया जाएगा और 25% संबंधित राज्य सरकार द्वारा अदा किया जाएगा एवं प्रीमियम के शेष 25% का भुगतान किसान / उत्पादक द्वारा किया जाएगा। यदि राज्य सरकार प्रीमियम का 25% अंश अदा करने के लिए सहमत नहीं होती, तो किसानों / उत्पादकों से अपेक्षित है कि वे प्रीमियम का 50% अदा करें, यदि वे बीमा योजना में रुचि रखते हों।

I.4.9.2 प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई):

यह योजना राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) और आशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए खरीफ 2016 से प्रारंभ किया गया है तथा इसका कार्यान्वयन एआईसी और अन्य सूचीबद्ध बीमा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

1. योजना के उद्देश्य

पीएमएफबीवाई का उद्देश्य निम्नलिखित के द्वारा कृषि क्षेत्र में धारणीय उत्पादन को समर्थन देना है

क) अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उत्पन्न होनेवाली फ़सल हानि/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

ख) किसानों की आय का स्थिरीकरण करना ताकि कृषि-कार्य में उनकी निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

ग) नवोन्मेष और आधुनिक कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना

घ) कृषि क्षेत्र को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना, जो उत्पादन जोखिमों से किसानों को संरक्षण देने के साथ-साथ, खाद्य सुरक्षा, फ़सल के विविधीकरण और कृषि क्षेत्र में वृद्धि और प्रतियोगात्मकता को बढ़ावा देने के लिए अंशदान करेगा।

2. विस्तार

यह योजना उन सभी ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य है जो अधिसूचित फ़सलों के लिए फ़सल ऋण / केसीसी खाता प्राप्त करते हैं। तथापि, यह उन अन्य / गैर-ऋणी किसानों के लिए स्वैच्छिक है जो बीमाकृत फ़सल (फ़सलों) में बीमायोग्य रुचि रखते हैं।

3. बीमा का यूनिट

इस योजना का कार्यान्वयन एक 'क्षेत्र दृष्टिकोण आधार' पर किया जाता है अर्थात् यह इस धारणा के साथ व्यापक आपदाओं के लिए प्रत्येक अधिसूचित फ़सल हेतु परिभाषित क्षेत्रों के आधार पर लागू किया जाता है कि किसी फ़सल के लिए 'अधिसूचित क्षेत्र' के रूप में परिभाषित किये जानेवाले बीमा के एक यूनिट में बीमित किसान एक ही प्रकार के जोखिम एक्सपोज़रों का सामना करते हैं, प्रति हेक्टेयर एक बड़ी सीमा तक उत्पादन की एकसमान लागत को वहन करते हैं, प्रति हेक्टेयर तुलनीय कृषि आय अर्जित करते हैं तथा अधिसूचित क्षेत्र में बीमित जोखिम के परिचालन के कारण एकसमान सीमा तक फ़सल हानि को अनुभव करते हैं।

परिभाषित क्षेत्र (अर्थात बीमा का यूनिट क्षेत्र) ग्राम / ग्राम पंचायत स्तर है चाहे ये क्षेत्र प्रमुख फ़सलों के लिए किसी भी नाम से कहलाएँ तथा अन्य फ़सलों के लिए यह ग्राम / ग्राम पंचायत के स्तर से अधिक आकार का यूनिट हो सकता है।

समय के चलते, बीमा का यूनिट अधिसूचित फ़सल के लिए समरूप जोखिम प्रोफाइल रखनेवाला भू-बाड़ा युक्त (जियो-फ़ेन्स्ड) भू-व्यवस्था युक्त (जियो-मैप्ड) क्षेत्र हो सकता है।

परिभाषित संकट के कारण स्थानीकृत आपदाओं और फ़सल-कटाई के बाद की हानियों के जोखिमों के लिए हानि-निर्धारण हेतु बीमा का यूनिट वैयक्तिक कृषक का प्रभावित बीमित कृषि-भूमि होगा।

फ़सल मौसम के दौरान प्रतिकूल मौसमी स्थितियों अर्थात बाढ़, सूखे की लंबी अवधियों, गंभीर सूखा, और बेमौसम वर्षा के मामले में 'ऑन अकाउन्ट दावों' की व्यवस्था होगी। यदि मौसम के दौरान प्रत्याशित पैदावार सामान्य उपज के 50% से कम होने की संभावना

हो, तो संभावित दावों के 25% तक 'ऑन अकाउन्ट भुगतान' उपलब्ध कराया जाएगा।

4. सम्मिलित फ़सलें

खाद्यान्न और तिलहन, वार्षिक वाणिज्यिक, उद्यान-कृषि फ़सलों सहित सभी फ़सलें जिनके लिए ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध हो।

5. जोखिमों का विस्तार

निवारित बुआई / रोपण जोखिम, खड़ी फ़सल, फ़सल-कटाई के बाद की हानियाँ, स्थानीकृत आपदाएँ।

6. बीमित राशि / बीमारक्षा की सीमा

अनिवार्य घटक के अधीन स्थित ऋणी किसानों के मामले में बीमित राशि जिला-स्तरीय तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा निर्धारित रूप में उस फ़सल के लिए वित्त के मान के समान होगी जो बीमाकृत किसान के विकल्प पर बीमित फ़सल की प्रारंभिक पैदावार के मूल्य तक व्याप्त हो सकती है। जहाँ प्रारंभिक उपज का मूल्य वित्त के मान से निम्नतर है, वहाँ उच्चतर राशि बीमित राशि होगी। आनुमानिक प्रारंभिक उपज को चालू वर्ष की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से गुणा करने से बीमित राशि का मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ भी चालू वर्ष की एमएसपी उपलब्ध न हो, वहाँ पिछले वर्ष की एमएसपी को अपनाया जा सकता है। जिन फ़सलों के लिए एमएसपी की घोषणा नहीं की गई हो, उन फ़सलों के लिए विपणन विभाग / बोर्ड द्वारा स्थापित फार्म गेट कीमत अपनाई जाएगी।

इसके अलावा, ऋणी किसानों के मामले में, किसानों द्वारा देय बीमा प्रीमियम का वित्तपोषण बैंक के ऋण वितरण कार्यालय द्वारा किया जाएगा, तथा उसे ऋण प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए वित्त के मान के एक अतिरिक्त घटक के रूप में माना जाएगा। स्वैच्छिक आधार पर बीमारक्षा प्रदत्त किसानों के लिए बीमित राशि प्रारंभिक उपज के मूल्य अर्थात् प्रारंभिक उपज बीमित फ़सल की (एमएसपी अथवा गेट कीमत) तक है।

7. प्रीमियम दरें और प्रीमियम सब्सिडी

बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) कार्यान्वयन करनेवाली एजेंसी (आईए) द्वारा प्रभारित की जाएगी। किसान द्वारा देय बीमा प्रभारों की दर सारणी I.89 के अनुसार होंगी

उक्त योजना (पीएमएफ़बीवाई) के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र (यू.टी.) द्वारा अधिसूचना के निर्गम के अंतर्गत उक्त योजना के सभी प्रावधानों, तौर-तरीकों और दिशानिर्देशों के लिए उनकी स्वीकृति अंतर्निहित होगी।

I.4.10 सूक्ष्म बीमा:

I.4.10.1 जनसाधारण के निम्नतर आय खंडों तक बीमा के व्यापन को सुसाध्य बनाने के लिए आईआरडीएआई ने 2005 में सूक्ष्म बीमा विनियम अधिसूचित किये थे। उक्त विनियम ग्रामीण और शहरी निर्धन वर्ग के लिए वहनीय बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए तथा सूक्ष्म बीमा को वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका अदा करने में समर्थ बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं।

I.4.10.2 सूक्ष्म बीमा विनियम मुख्य रूप से निम्न आय वाले लोगों को बीमारक्षा, प्रीमियम और लाभ के मानकों के कुछ स्तरों का पालन करते हुए मानकीकृत लोकप्रिय बीमा उत्पादों के साथ सामान्य जोखिमों का सामना करने और उनसे निरापद होने में सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के साथ संरक्षण देने पर बल देते हैं। ये विनियम सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विपणन करने में बीमा कंपनियों के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को अनुमति देते हैं तथा दोनों जीवन और साधारण बीमाकर्ताओं को कॉम्बीसूक्ष्म बीमा उत्पादों (व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं का संयोजन) को बढ़ावा देने के लिए भी अनुमति देते हैं।

सारणी I.89

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा प्रीमीयम की दर

मौसम	फ़सलें	किसानों के द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम (बीमित राशि का %)
खरीफ़	खाद्यान्न और तिलहन	2.0
रबी	खाद्यान्न और तिलहन	1.5
खरीफ़ और रबी	वार्षिक वाणिज्यिक, उद्यान-कृषि की फसलें	5.0

सारणी I.90
प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) 31 मार्च 2017 तक स्थिती

बीमाकर्ता	सम्मिलित किसानों की स	सकल प्रीमियम (₹ लाख)	निपटाये गये दावे	
			लाभार्थियों की संख्या	राशि (₹ लाख)
क	ख	ग	घ	ङ
एआईसी	23882055	663203.5	6129300	272471.5
बजाज अलायंज़	1221595	65204.4	220365	180846.0
चोल एमएस	1782012	27378.94	101926	7009.9
फ्यूचर जनराली	1602767	21297.2	100000	6944.4
एचडीएफसी एरगो	3410353	202488.7	563369	26073.6
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	2501534	140354.0	300650	26025.9
इफ्को टोकियो	3646915	110561.9	650122	61665.2
रिलायंस जनरल	2581660	91944.2	118409	16490.0
एसबीआई जनरल	578429	36525.6	26054	5353.4
श्रीराम	290953	10239.3		
टाटा एआईजी	808407	41941.1	96939	15508.5
यूनिवर्सन सोम्पो	949252	43897.2	345468	35134.8
नेशनल	1888707	23729.6	59394	3792.3
न्यू इंडिया	633616	104642.0		
ओरियन्टल	70402	395.8	197	14.0
युनाइटेड इंडिया	5130706	141720.7	203	36.2
कुल	**50979363**	**1725524**	**8712396**	**657366**

टिप्पणी : केवल उपर्युक्त 16 बीमाकर्ताओं ने ही 2016-17 में फ़सल बीमा (पीएमएफबीवाई) का जोखिम-अंकन किया।

I.4.10.3 प्राधिकरण ने व्यापक तौर पर सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की। इस संबंध में प्राधिकरण ने 13 मार्च 2015 को संशोधित विनियम अधिसूचित किये हैं जिनमें इसने सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के बेहतर व्यापन को सुसाध्य बनाते हुए सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित और भी अनेक संस्थाओं, जैसे जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति प्रदान की है तथा पॉलिसीधारकों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपायों को शामिल किया है।

जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.10.4 जबकि वर्ष 2016-17 के लिए सूक्ष्म बीमा खंड के अंतर्गत नया व्यावसायिक प्रीमियम 9.56 लाख नई पॉलिसियों के अंतर्गत ₹38.22 करोड़ पर रहा है, सामूहिक व्यवसाय के प्रीमियम की राशि 3.22 करोड़ जीवनों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए ₹460.43 करोड़ रुपये है। एलआईसी ने इस संविभाग में प्राप्त व्यवसाय के एक महत्वपूर्ण घटक का अंशदान किया है जिसने 4.8 लाख पॉलिसियों के अंतर्गत वैयक्तिक नये व्यवसाय प्रीमियम के ₹15.87 करोड़ रुपये का संग्रह किया है तथा 2.30 करोड़ जीवनों को शामिल करते हुए सामूहिक प्रीमियम के ₹340.08 करोड़ रुपये प्राप्त किये हैं। निजी क्षेत्र ने वैयक्तिक व्यवसाय में शेष 4.76 लाख पॉलिसियों और ₹22.35 करोड़ रुपये के प्रीमियम तथा सामूहिक सूक्ष्म व्यवसाय के अंतर्गत 0.92 करोड़ जीवनों और ₹120.35 करोड़ रुपये के प्रीमियम का अंशदान किया है।

I.4.10.5 मार्च 2017 के अंत में सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 35200 रही; जिसमें से 19301 एजेंट एलआईसी से संबंधित थे तथा शेष एजेंटों ने निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। जीवन बीमा उद्योग के कुल 35,200 सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंटों में से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 21.7% बनाते हैं, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) 1.1%, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) 1.0%,

व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) 0.2% तथा अन्य सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट 75.9% बनाते हैं। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 17 जीवन बीमाकर्ताओं के 28 सूक्ष्म बीमा उत्पाद उपलब्ध थे। इन 28 उत्पादों में से 18 वैयक्तिक उत्पाद थे और शेष 10 सामूहिक उत्पाद थे।

साधारण बीमा क्षेत्र

I.4.10.6 प्राधिकरण ने व्यापक रूप से सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की है और आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं। सूक्ष्म बीमा, सूक्ष्म बीमा उत्पादों के माध्यम से प्रदत्त बीमा है। साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति और सामान, जैसे झोंपड़ी, पशुधन, साधनों अथवा उपकरणों तथा वैयक्तिक दुर्घटना की बीमारक्षा को सम्मिलित करते हैं जो वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर रुपये एक लाख की अधिकतम राशि की बीमारक्षा एवं एक वर्ष की अवधि से युक्त हैं।

I.4.10.7 प्राधिकरण ने विभिन्न खंडों में सूक्ष्म बीमा को प्रचारित करने के लिए उन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों की श्रेणियों का विस्तार किया है जिन्हें सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित एनबीएफसी-एमएफआई, जिला सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शहरी सहकारी बैंक, व्यवसाय प्रतिनिधि, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ और अन्य सहकारी सोसाइटियाँ।

I.4.10.8 जनसाधारण के निम्न आय खंड को लक्ष्यीकृत करते हुए पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों द्वारा लगभग साठ उत्पाद प्रस्तावित किये गये हैं (उदा. मवेशी सूक्ष्म बीमा, किसान कृषि पंपसेट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, रेशम-कीट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, भेड़ और बकरी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, संपूर्ण गृह सुरक्षा पॉलिसी आदि।) प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के अधीन सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा अपेक्षा और विपणन किये जाने के लिए गैर-ऋणी किसानों को सम्मिलित करते हुए प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यमों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्यम 10,000 रुपये प्रीमियम प्रति वर्ष तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी।

I.4.10.9 सूक्ष्म बीमा एक कम कीमत और उच्च परिमाण वाला व्यवसाय है, इसलिए इसकी सफलता और धारणीयता मुख्य रूप से इसके लेनदेनों की लागतों को कम रखने पर निर्भर हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में बीमाकर्ताओं के लिए दायित्व निर्धारित करते हैं, जिन्होंने भी भारत में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विकास और संवर्धन में बहुत कुछ अंशदान किया है।

वर्ष 2016-17 में सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

माध्यम	निजी*	सरकारी	कुल
सूक्ष्म बीमा एजेंट	2771	32294	35065

**उक्त डेटा में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ शामिल नहीं हैं।*

I.4.11 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश, आदेश और विनियम

I.4.11.1 प्राधिकरण ने 2016-17 के दौरान कई परिपत्र, निर्देश और आदेश जारी किये। 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान जारी किये गये ऐसे परिपत्रों, निर्देशों और आदेशों की सूची अनुबंध 8 में दी गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी विनियमों का विवरण अनुबंध 9 पर रखा गया है।

I.4.12 सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

I.4.12.1 वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण ने सारणी I.98 में दर्शाये गये अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया है।

सारणी I.91

2016-17 के लिए सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय

(प्रीमियम ₹लाख में)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक		सामूहिक		
	पॉलिसियाँ	प्रीमियम	योजनाएँ	प्रीमियम	समाविष्ट जीवन
निजी कुल	475269	2234.37	387	12035.36	9281170
एलआईसी	480892	1587.13	4812	34007.62	22965393
उद्योग कुल	**956161**	**3821.50**	**5199**	**46042.98**	**32246563**

टिप्पणी : नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

सारणी I.92

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण 2016-17

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2016 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2017 को
निजी कुल	8990	7541	632	15899
एलआईसी	18574	2681	1954	19301
उद्योग कुल	**27564**	**10222**	**2586**	**35200**

सारणी I.93

जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण 2016-17

सूक्ष्म बीमा एजेंट	निजी कुल	एलआईसी	उद्योग कुल
गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	142	7504	7646
स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी)	20	369	389
सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई)	22	337	359
व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी)	6	74	80
अन्य सूक्ष्म बीमा एजेंट	15709	11017	26726
सूक्ष्म बीमा एजेंट कुल	**15899**	**19301**	**35200**

सारणी I.94

सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे 2016-17

(लाभ की राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि
निजी कुल	4292	597.76	4244	526.96	48	70.80	0	0.00	0	0.00
			98.88%	88.15%	1.12%	11.84%	-	-		0.00%
एलआईसी	8898	1547.44	8470	1494.90	406	43.70	0	0.00	22	8.84
			95.19%	96.60%	4.56%	2.82%	-	-	0.25%	0.57%
उद्योग कुल	**13190**	**2145.20**	**12714**	**2021.86**	**454**	**114.50**	**0**	**0.00**	**22**	**8.84**
			96.39%	**94.25%**	**3.44%**	**5.34%**	**-**	**-**	**0.17%**	**0.43%**

सारणी I.95
सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे 2016-17

(लाभ की राशि ₹ लाख में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि
निजी कुल	35978	8055.77	35348	7914.82	86	27.67	0	0.00	544	113.28
			98.28%	98.25%	0.24%	0.34%	-	-	1.51%	1.41%
एलआईसी	144318	47126.27	144194	47089.22	60	18.00	0	0.00	64	19.05
			99.91%	99.92%	0.04%	0.04%	-	-	0.04%	0.04%
उद्योग कुल	**180296**	**55182.04**	**179542**	**55004.04**	**146**	**45.67**	**0**	**0.00**	**608**	**132.33**
			99.58%	**99.68%**	**0.08%**	**0.08%**	**-**	**-**	**0.34%**	**0.24%**

टिप्पणी : प्रतिशत कुल दावों में से संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सारणी I.96
सूक्ष्म बीमा वैयक्तिक श्रेणी में निपटाये गये अवधि-वार मृत्यु दावे 2016-17

(पॉलिसियों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	30 दिन के अंदर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	निपटाये गये कुल दावे
निजी कुल	4166	57	22	1	0	4246
	98.12%	1.34%	0.52%	0.02%	0.00%	100.00%
एलआईसी	8233	208	23	1	5	8470
	97.20%	2.46%	0.27%	0.01%	0.06%	100.00%
उद्योग कुल	**12399**	**265**	**45**	**2**	**5**	**12716**
	97.51%	**2.08%**	**0.35%**	**0.02%**	**0.04%**	**100.00%**

टिप्पणी : प्रतिशत कुल दावों में से संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सारणी I.97
सूक्ष्म बीमा सामूहिक श्रेणी में निपटाये गये अवधिवार मृत्यु दावों का विवरण 2016-17

(जीवनों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	30 दिन के अंदर	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	निपटाये गये कुल दावे
निजी कुल	30156	4673	513	6	0	35348
	85.31%	13.22%	1.45%	0.02%	0.00%	100.00%
एलआईसी	143448	746	0	0	0	144194
	99.48%	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
उद्योग कुल	**173604**	**5419**	**513**	**6**	**0**	**179542**
	96.69%	**3.02%**	**0.29%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**

टिप्पणी : प्रतिशत कुल दावों में से संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

I.4.12.2 इसी अवधि में आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा सुश्री मंजु अरोड़ा, सहायक महाप्रबंधक और श्री दीपक खन्ना, उप महाप्रबंधक को अपने दिल्ली कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है तथा श्री विकास राणे, सहायक प्रबंधक को अपने मुंबई कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है।

इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार श्री ए. रमणा राव, महाप्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

सारणी I.98
केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची

क्रम. सं.	सीपीआईओ का नाम	से	तक	विभाग
1	श्री एमबीवीएन मूर्ति	06.04.2016	20.10.2016	बीमांकिक
	श्री एसपी चक्रवर्ती	21.10.2016	31.03.2017	
2	श्री चन्द्रशेखर वी	01.04.2016	20.10.2016	जीवन
	श्री वी. जयंत कुमार	21.10.2016	31.03.2017	
3	श्री वेंकट राजू के	01.04.2016	26.06.2016	गैर-जीवन
	श्री वीरेश्वर चटर्जी	27.06.2016	20.10.2016	
	श्रीमती यज्ञप्रिया भरत	21.10.2016	31.03.2017	
4	श्री एमडी अयाज़	01.04.2016	20.10.2016	स्वास्थ्य, टीपीए सहित
	श्री डीवीएस रमेश	21.10.2016	31.03.2017	
5	श्री आर. पार्थसारधी	01.04.2016	20.10.2016	उपभोक्ता कार्य
	श्री टीएस नाईक	21.10.2016	31.03.2017	
6	श्री सोमेश्वर राव बूसी	01.04.2016	20.10.2016	प्रशासन/मानव संसाधन/आंतरिक लेखा/अवशिष्ट मामले
	श्री एम. पुल्ला राव	21.10.2016	31.03.2017	
7	श्री बीएस वेंकटेश	01.04.2016	20.10.2016	मध्यवर्ती
	श्री रणदीप सिंह जगपाल	21.10.2016	31.03.2017	
8	सुश्री पी कांतिश्री	01.04.2016	20.10.2016	एजेंसी वितरण
	श्री टीएस नाईक	21.10.2016	31.03.2017	
9	सुश्री जमुना चौधरी	01.04.2016	20.10.2016	एफएण्डए (गैर-जीवन)
	श्री जी शिवरामकृष्ण	01.04.2016	20.10.2016	एफएण्डए (जीवन)
	सुश्री ममता सूरी	21.10.2016	31.03.2017	एफएण्डए (जीवन और गैर-जीवन)
10	श्री बिश्वजीत समद्दर	01.04.2016	20.10.2016	आंतरिक लेखा-परीक्षा
	श्री एम पुल्ला राव	21.10.2016	31.03.2017	
11	श्री बिश्वजीत समद्दर	01.04.2016	20.10.2016	प्रवर्तन
	श्री पीके मैती	21.10.2016	31.03.2017	
12	श्री प्रसाद राव के	01.04.2016	20.10.2016	निवेश
	श्री एसएन जयसिंहन	21.10.2016	31.03.2017	
13	श्रीमती निमिषा श्रीवास्तव	01.04.2016	20.10.2016	सर्वेक्षक
	श्री मारिमुत्तु पी	21.10.2016	31.03.2017	
14	श्रीमती मंजु अरोड़ा	01.04.2016	20.10.2016	दिल्ली कार्यालय- संपर्क कार्य
15	श्री जी राम बाबू	01.04.2016	20.10.2016	निरीक्षण
	श्रीमती जे. मीनाकुमारी	21.10.2016	31.03.2017	
16	सुश्री ए सगीना	01.04.2016	20.10.2016	विधि
	श्री एच. अनंतकृष्णन	21.10.2016	31.03.2017	
17	श्री देवेन्द्र कुमार	01.04.2016	20.10.2016	सूचना प्रौद्योगिकी
	श्री एआर नित्यानंदम	21.10.2016	31.03.2017	
18	श्री अलीम अफ़ाक़	01.04.2016	20.10.2016	क्षेत्रीय विकास विभाग
	श्री एवी राव	21.10.2016	31.03.2017	
19	सुश्री नीतू शहदादपुरी	01.04.2016	20.10.2016	सतर्कता
	श्री एवी राव	21.10.2016	31.03.2017	
20	सुश्री ज्योति भगत	01.04.2016	20.10.2016	संचार और मीडिया
	श्रीमती जे अनिता	21.10.2016	31.03.2017	

भाग-II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं। महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

II.1.1 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के माध्यम से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 13, धारा 64 और धारा 64वीए का संशोधन किये जाने के परिणामस्वरूप प्राधिकरण ने निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किये हैं :

1. आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
3. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016

इन नये विनियमों में किये गये प्रमुख परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016

शीर्ष स्तर पर फार्मों को सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) और लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) द्वारा वर्गीकृत किया गया है। परिवर्ती बीमा उत्पादों से संबंधित मूल्यांकन डेटा को ग्रहण करनेवाले अलग फार्म तथा व्यवसाय की व्यवस्था द्वारा 'अधिशेष की संरचना और वितरण' के लिए मानक फार्म अब प्रारंभ किये गये हैं। अधिकाधिक स्पष्टता के लिए उत्पाद विनियम, 2013 के आधार पर उत्पाद संबंधी सूचना प्राप्त करने के लिए फार्म आई/डीडीडी/एनएलबी/एलबी (दोनों यूलिप और वीएलआईपी) को अब आशोधित किया गया है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016

ये विनियम केवल जीवन बीमा व्यवसाय के लिए लागू हैं। 'शोधक्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर' इन विनियमों में लागू किया गया है। अन्य प्रकार की पूँजी के लिए अनुमति आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015 में निर्धारित रूप में है। परिवर्ती बीमा उत्पादों के लिए मूल्यांकन पद्धति समाविष्ट की गई है।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016

ये विनियम केवल साधारण बीमा व्यवसाय के लिए लागू हैं। 'शोधक्षमता मार्जिन का नियंत्रण स्तर' इन विनियमों में प्रारंभ किया गया है। अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के परिकलन के प्रयोजन के लिए लागू उपादानों को संशोधित किया गया है। आईबीएनआर के परिकलन के लिए कार्यपद्धति इन विनियमों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की गई है।

II.1.2 आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने धारा 40बी और धारा 40सी में संशोधन किये हैं। इन धाराओं में संशोधन के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम 17डी और 17एफ अप्रचलित हो गये हैं तथा प्रबंधन व्ययों को नियंत्रित करनेवाले विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण को शक्ति प्रदान की गई है। अतः प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए 9

मई 2016 को आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं।

1. प्रबंधन व्ययों में एजेंटों / बीमा मध्यवर्तियों को पारिश्रमिक / कमीशन और राजस्व लेखे में नामे डाले गये अन्य व्यय शामिल हैं। तथापि, लाभ में नामे डाले गये प्रभार (चार्ज टू प्रॉफिट) इनमें शामिल नहीं हैं, जैसे आयकर, धन-कर और सेवा कर आदि;
2. विभिन्न खंडों के अंदर प्रबंधन व्ययों के आबंटन और प्रभाजन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति;
3. विनियमों के अनुपालन पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों में से एक के द्वारा प्रमाणीकरण। लेखा-परीक्षक के लिए यह भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि व्ययों का आबंटन और प्रभाजन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है;
4. विदेशी शाखा के लिए प्रधन कार्यालय का भत्ता भारत के बाहर अंकित सकल प्रीमियम आय के 5 प्रतिशत की दर पर;
5. विशुद्ध जोखिम उत्पादों के लिए अलग अनुमति;
6. सामूहिक निधि आधारित व्यवसाय संबंधी अनुमति ऐसे खंड के प्रबंधन के अंतर्गत औसत आस्तियों के आधार पर;
7. पुनःप्रवर्तन के अंतर्गत व्यपगत पॉलिसियों के संबंध में अनुमति;
8. दस वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए छूट देने की प्राधिकरण की शक्तियाँ;
9. खंडीय स्तर पर प्रबंधन के व्ययों संबंधी अनुपालन।

II.1.3 आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने धारा 40बी और धारा 40सी में संशोधन किये हैं। इन धाराओं में संशोधन किये जाने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियम 17ई और 17एफ अप्रचलित हो गये हैं तथा प्रबंधन के व्ययों को नियंत्रित करनेवाले विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण को शक्तियाँ दी गई हैं। अतः प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए 27 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किये हैं :

1. प्रबंधन व्ययों में एजेंटों / बीमा मध्यवर्तियों को पारिश्रमिक / कमीशन और राजस्व लेखे में नामे डाले गये अन्य व्यय शामिल हैं। तथापि, इनमें लाभ में नामे डाले गये प्रभार (चार्ज टू प्रॉफिट) शामिल नहीं हैं, जैसे आयकर, धन-कर आदि।
2. विभिन्न खंडों के अंदर प्रबंधन व्ययों के आबंटन और प्रभाजन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति।
3. सांविधिक लेखा-परीक्षकों में से किसी एक से विनियमों के अनुपालन और आबंटन के संबंध में प्रमाणीकरण। लेखा-परीक्षक के लिए यह भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है कि व्ययों का आबंटन और प्रभाजन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है।
4. व्यवसाय का विविध वर्गः यह खंड कॉरपोरेट/ सामूहिक और फुटकर के अंतर्गत वर्गीकृत है। मोटर को एक अलग खंड के रूप में मान्यता दी गई है।
5. स्वास्थ्य खंड को तीन स्थूल श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) स्वास्थ्य फुटकर, (ii) स्वास्थ्य सामूहिक, और (iii) स्वास्थ्य सरकारी योजना।
6. यह कार्रवाई की योजना के साथ ऐसे विचलन के लिए कारण विनिर्दिष्ट करते हुए अपवाद रिपोर्ट फाइल करने के प्रावधान के लिए व्यवस्था करता है जहाँ वास्तविक उपगत दावा अनुपात और पूर्वानुमानित उपगत दावा

अनुपात के बीच विचलन तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि में दस प्रतिशत से अधिक है।

II.1.4 आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने धारा 29 में, विशेष रूप से धारा 29(3)(क) में संशोधन किये हैं जो बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिमों के संबंध में विनियम बनाने के लिए प्राधिकरण को शक्तियाँ प्रदान करती है। अतः प्राधिकरण ने निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए 4 मई 2016 को आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं :

1. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 29(1) के अंतर्गत की गई व्यवस्था को छोड़कर गैर-पूर्णकालिक निदेशक अथवा उनके संबंधियों को कोई ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम नहीं दिये जाएँगे;

2. पूर्णकालिक कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम प्रदान किये जा सकते हैं;

   i. कार अथवा दुपहिया वाहन खरीदने के लिए ऋण;
   ii. निजी कंप्यूटर अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने के लिए ऋण;
   iii. फर्निचर खरीदने के लिए ऋण;
   iv. निजी उपयोग के लिए मकान का निर्माण/ अधिग्रहण करने के लिए ऋण;
   v. कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ऋण;
   vi. त्योहार के लिए ऋण;
   vii. कोई अन्य प्रयोजन जो बीमाकर्ताओं के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया हो।

3. ऋणों और अस्थायी अग्रिमों की कुल राशि एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए;

4. बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम प्रदान करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति;

5. पूर्णकालिक निदेशकों और अन्य अधिकारियों को दिये गये ऋण अथवा अस्थायी अग्रिमों पर प्रभारित ब्याज-दर बीमाकर्ता के अपने कर्मचारियों को दिये गये ऋणों अथवा अस्थायी अग्रिमों पर लगाई गई दर से कम नहीं हो सकती;

6. उक्त ऋण अथवा अग्रिम उपलब्ध शोधक्षमता मार्जिन के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

II.1.5 आईआरडीएआई (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियाँ) दिशानिर्देश, 2016

परिचालनगत समस्याओं के समाधान के लिए प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए की उप-धारा (4) के खंड (ख) के साथ पठित आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के अंतर्गत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित को समाविष्ट करते हुए दिशानिर्देश जारी किया गया है

1. ये दिशानिर्देश उन सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे जिन्होंने शेयरों के अंतरण अथवा प्रस्तावित अंतरण के संबंध में शेयर बाजारों में अपने ईक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध किया है अथवा जो अपने शेयरों को सूचीबद्ध करवाने की प्रक्रिया में हैं।

2. ये दिशानिर्देश आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015 और आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015 के अतिरिक्त होंगे।

3. शेयरों के अंतरण से संबंधित प्रावधान

i. कोई भी व्यक्ति जो संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के 1 प्रतिशत या उससे अधिक, परंतु 5 प्रतिशत से कम का कोई अंतरण/ अंतरण करने की कोई व्यवस्था या करार करना चाहता है, योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड के अनुपालन के अधीन ऐसा कर सकता है।

iii. कोई भी व्यक्ति जो अधिग्रहण / अधिग्रहण के लिए व्यवस्था अथवा करार करना चाहता है जो उसके, उसके संबंधियों, सहयोगी उद्यमों और उसके साथ सम्मिलित रूप से कार्य करनेवाले व्यक्तियों द्वारा धारित शेयरों सहित ऐसे व्यक्ति की कुल धारिता को संबंधित बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी शेयर पूँजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक तक ले जाएगा / ले जाने की संभावना से युक्त होगा, इन दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट तरीके से प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा करेगा।

4. शेयरधारिता से संबंधित प्रावधान

i. प्रत्येक बीमा कंपनी जो सूचीबद्धता करवाना चाहती है, अपनी ईक्विटी शेयरधारिता को डीमैट फार्मेट में परिवर्तित करेगी।

iii. प्रवर्तकों / प्रवर्तक समूह द्वारा न्यूनतम शेयरधारिता हर समय बीमाकर्ता की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी के 50 प्रतिशत पर अनुरक्षित की जाएगी। तथापि, जहाँ प्रवर्तकों की वर्तमान धारिता 50 प्रतिशत से कम है, वहाँ ऐसी धारिता न्यूनतम धारिता होगी।

iiii. प्रवर्तकों/ प्रवर्तक समूह को छोड़कर अन्य सभी शेयरधारकों के लिए स्वामित्व की सीमाएँ प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली निश्चित समय-सीमा में दो श्रेणियों अर्थात् (i) स्वाभाविक व्यक्ति (व्यक्ति) और (ii) विधिक व्यक्ति (संस्थाएँ) के अंतर्गत शेयरधारकों के श्रीणीकरण पर आधारित होंगी।

iv. एक सहायक कंपनी एक सूचीबद्ध बीमा कंपनी में निवेश कर सकती है, बशर्ते कि वह प्रयोज्य कानूनों के अंतर्गत ऐसे निवेश के लिए लागू होनेवाले सभी प्रावधानों का पालन करती हो।

5. उक्त दिशानिर्देश प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसीकृत बीमा मध्यवर्ती पर भी लागू होंगे, बशर्ते कि ऐसा बीमा मध्यवर्ती अपने राजस्व के 50 प्रतिशत से अधिक बीमा व्यवसाय से आहरित कर रहा हो।

II.1.6 आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016

प्राधिकरण ने फा. सं. आईआरडीएआई/विनियम/11/123/2016 दिनांक 15.04.2016 के द्वारा आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं जो 01.04.2016 से प्रवृत्त हुए हैं।

इन विनियमों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

- बीमाकर्ता को इन विनियमों में अनुबंध में उल्लिखित 'बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति' के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार एजेंसी के विषयों को समाविष्ट करते हुए 'बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति' बनानी चाहिए तथा इसे प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पहले प्राधिकरण के पास दाखिल करना चाहिए।
- कोई भी व्यक्ति एक जीवन बीमाकर्ता, एक साधारण बीमाकर्ता, एक स्वास्थ्य बीमाकर्ता और एकल व्यवसाय वाले (मोनो-लाइन) बीमाकर्ताओं से प्रत्येक श्रेणी में एक बीमाकर्ता से अधिक के लिए बीमा एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा।
- प्रत्येक एजेंट उक्त विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट आचरण संहिता का पालन करेगा।
- एजेंट की नियुक्ति उचित सूचना देने के बाद तथा उसे अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का एक उचित अवसर देने के उपरांत निरस्त अथवा निलंबित की जा सकती है।
- कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए बीमा एजेंट के रूप में कार्य करता है, अर्थ-दंड का भागी होगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

- कोई बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता की ओर से कार्य करनेवाला बीमाकर्ता का कोई प्रतिनिधि, जो ऐसे व्यक्ति को बीमा एजेंट के रूप में नियुक्त करता है जिसे इस प्रकार कार्य करने की अनुमति अथवा भारत में कोई बीमा व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी गई हो, अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक करोड़ रुपये तक हो सकता है।

- कोई भी बीमाकर्ता बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख को अथवा उसके बाद किसी प्रधान एजेंट, मुख्य एजेंट, और विशेष एजेंट को नियुक्त नहीं करेगा तथा उनके माध्यम से भारत में कोई भी बीमा व्यवसाय नहीं करेगा।

- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से अथवा प्रलोभन के रूप में किसी व्यक्ति को बहुस्तरीय विपणन योजना के माध्यम से बीमा पॉलिसी लेने अथवा उसका नवीकरण करने अथवा उसे जारी रखने के लिए अनुमति नहीं देगा अथवा अनुमति देने का प्रस्ताव नहीं करेगा।

- प्राधिकरण इस उद्देश्य के लिए प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से बहुस्तरीय विपणन योजनाओं में संबद्ध संस्था अथवा व्यक्तियों के संबंध में उपयुक्त पुलिस प्राधिकारियों को शिकायत कर सकता है।

- प्रत्येक बीमाकर्ता और प्रत्येक पदनामित अधिकारी जो बीमाकर्ता की ओर से बीमा एजेंटों की नियुक्ति करने में कार्य कर रहा है, उसके द्वारा नियुक्त प्रत्येक बीमा एजेंट का नाम और पता तथा उसकी नियुक्ति के प्रारंभ होने की तारीख और उसकी नियुक्ति के समाप्त होने की तारीख, यदि कोई हो, दर्शाते हुए एक रजिस्टर रखेगा।

- ऊपर उल्लिखित रूप में अभिलेख बीमाकर्ता के द्वारा तब तक रखे जाएँगे जब तक बीमा एजेंट सेवा में है तथा वे नियुक्ति की समाप्ति से पाँच वर्ष की अवधि के लिए रखे जाएँगे।

II.1.7 आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016

बाजार गति-विज्ञान को ध्यान में रखते हुए आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 का पुनरीक्षण किया गया। संवर्धित मानदंडों के साथ 18 जुलाई 2016 को नये विनियम आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 अधिसूचित किये गये। ये विनियम और इनके अधीन अधिसूचित दिशानिर्देश साधारण, स्वास्थ्य और जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के लिए स्थूल ढाँचा उपलब्ध कराते हैं तथा इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- सामूहिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया में सरलीकरण।

- पॉलिसीधारकों के हित के संरक्षण के लिए अतिरिक्त मानदंड।

- प्रायोगिक उत्पादों की संकल्पना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा उत्पाद नवोन्मेषण के दायरे को बढ़ाने के लिए प्रावधान।

- पॉलिसीधारकों के स्वस्थ व्यवहार को पुरस्कृत करने के लिए एक व्यवस्था को समर्थ बनाना।

स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश, 2013 का भी पुनरीक्षण किया गया और 29 जुलाई 2016 को दो अलग-अलग दिशानिर्देशों के रूप में इन्हें अधिसूचित किया गयाः

(1) स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय में उत्पाद फाइलिंग संबंधी दिशानिर्देश जो उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों की फाइलिंग के लिए मानदंड, सामूहिक उत्पादों, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं निवारक पहलुओं के लिए मानदंड उपलब्ध कराते हैं।

(2) स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश जो मानक परिभाषाएँ, सीआई के लिए नामपद्धति, आवधिक स्वास्थ्य विवरणियों के साथ-साथ प्रदाताओं के लिए मानक और बेंचमार्क उपलब्ध कराते हैं।

II.1.8 आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017

प्राधिकरण ने वर्तमान दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017 (आउटसोर्सिंग

विनियम) अधिसूचित किये हैं। ये विनियम प्राधिकरण द्वारा 03-03-2017 को अनुमोदित किये गये तथा राजपत्र अधिसूचना 20-04-2017 को जारी की गई।

बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) विनियमों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें हैं :

i. बीमाकर्ताओं को बाह्यस्रोतीकरण से निषिद्ध किये गये कार्यकलापों के अंतर्गत उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप का बाह्यस्रोतीकरण करने की अनुमति नहीं दी गई।

ii. बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं में महत्वपूर्णता (मटीरियालिटी) को तय करने के लिए मुख्य कारक निर्धारित किये गये।

iii. बीमाकर्ताओं से यह प्रत्याशा की गई है कि वे महत्वपूर्ण (मटीरियल) के रूप में निर्धारित बाह्यस्रोतीकरण कार्यकलापों के साथ संबद्ध जोखिमों की समीक्षा करें। महत्वपूर्ण कार्यकलापों के साथ संबद्ध संभावित जोखिम दिये गये।

iv. महत्वपूर्ण कार्यकलाप करने के लिए सेवाप्रदाताओं के चयन हेतु मानदंड निर्धारित किये गये।

v. बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित रूप में कंपनी की एक बाह्यस्रोतीकरण नीति स्थापित करें। उपर्युक्त बाह्यस्रोतीकरण नीति में अपेक्षित आवश्यक प्रावधान भी अनंतिम रूप से दिये गये।

vi. बीमाकर्ता के बोर्ड द्वारा बाह्यस्रोतीकरण समिति का गठन किया जाना चाहिए तथा उसमें कम से कम मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी, तथा परिचालनों के प्रमुख को सम्मिलित किया जाएगा। बाह्यस्रोतीकरण समिति के उत्तरदायित्व निर्धारित किये गये।

vii. बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाएँ करने के लिए अपेक्षित खंडों के साथ लिखित करार अनिवार्य कर दिये गये।

viii. सेवाप्रदाता के द्वारा संपूर्ण रूप से अथवा बड़े अंश के उपसंविदाकरण की अनुमति नहीं दी गई।

ix. पॉलिसीधारकों के डेटा की सुरक्षा तथा संविदा की समाप्ति पर ग्राहक के डेटा की पुनःप्राप्ति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

x. बीमाकर्ता द्वारा सेवाप्रदाता का निरीक्षण और लेखा-परीक्षा एवं अभिलेखों का अनुरक्षण निर्धारित किया गया।

xi. अतिरिक्त सिद्धांत सूचीबद्ध किये गये जिनका पालन बीमाकर्ताओं द्वारा बीमाकर्ताओं और बीमा मध्यवर्तियों के संबंधित पक्षकारों के साथ बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाएँ करने के समय करना अपेक्षित है।

xii. रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ और रिपोर्टिंग फार्मेट सरल बनाये गये।

II.1.9 पुनर्बीमा से संबंधित विनियम

वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न विनियमों का प्रारूप बनाया है। यह विशेष रूप से पुनर्बीमा क्षेत्र और सामान्य तौर पर उद्योग की सुव्यवस्थित और धारणीय संवृद्धि को समर्थ बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

आईआरडीएआई (साधारण बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2016

ये विनियम आईआरडीएआई (साधारण बीमा पुनर्बीमा) विनियम, 2013 का अधिक्रमण करते हैं। देश के अंदर जोखिम अधिकतमीकरण, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए सर्वोत्तम पुनर्बीमा संरक्षण प्राप्त करना, तथा व्यवसाय प्रशासन का सरलीकरण इन विनियमों के कुछ प्राथमिक उद्देश्य हैं।

इन विनियमों की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

i. ये विनियम प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा (एफआरबी) से अपेक्षा करते हैं कि वह अपनी वित्तीय शक्ति, जोखिमों की गुणवत्ता और व्यवसाय की प्रमात्रा के अनुसार एक व्यापक प्रतिधारण नीति बनाए। बीमाकर्ताओं से प्रत्येक

खंड और प्रत्येक उत्पाद (प्रत्येक खंड में बहुविध उत्पादों के मामले में) के लिए एक प्रतिधारण नीति की रूपरेखा बनाने की अपेक्षा करते हुए इन विनियमों के पास किसी भी प्रकार के प्रतिरोधी कार्यकलाप को निवारित करने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय हैं।

ii उक्त विनियम बीमा अधिनियम, 1938 के भाग -ए के अनुसार भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को अनिवार्य अध्यर्पणों की प्रथा को निर्धारित करना जारी रखते हैं।

iii. प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा (एफआरबी) के लिए यह अधिदेशात्मक किया गया है कि वह बोर्ड द्वारा अनुमोदित अपना अनंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन पहले तथा अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 30 दिन पहले प्रस्तुत करे। अंतिम कार्यक्रम के साथ पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची, उनकी रेटिंग तथा आनुपातिक और गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा व्यवस्थाओं में उनके शेयरों के ब्योरे के साथ प्रत्येक पुनर्बीमा समझौता संविदा वाक्यरचना की एक प्रति प्रस्तुत करना भी अपेक्षित है।

iv. प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा (एफआरबी) के लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपने अनर्थकर एक्सपोज़रों से संबंधित पुनर्बीमा व्यवस्थओं का विवरण उपलब्ध कराए। ये व्यवस्थाएँ विभिन्न अनर्थकर मॉडलिंग तकनीकों पर आधारित हैं तथा इनके लिए बोर्ड का अनुमोदन अपेक्षित है।

v. सीमापार बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के साथ व्यवसाय सीबीआर की न्यूनतम निर्धारित साख और वित्तीय रेटिंग, उसके अपने देश के विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित रूप में शोधक्षमता मार्जिन / पूँजी पर्याप्तता, दावों के संबंध में पिछला कार्यनिष्पादन, आदि कुछ मानदंडों के अधीन निश्चित किया जा सकता है। तथापि, कुछ मामलों में पूर्वोक्त मानदंडों को पूरा न करनेवाले सीबीआरएस का भी उपयोग स्थापन (प्लेसमेंट) के लिए किया जा सकता है बशर्ते कि अध्यर्पक (सीडैंट) कंपनी का बोर्ड ऐसे स्थापनों (प्लेसमेंट्स) का अनुमोदन करे तथा कंपनी इस प्रकार करने के लिए प्राधिकरण को पर्याप्त औचित्य का प्रतिपादन करे। एक संबंधित उपबंध सीबीआरएस के साथ व्यवसाय निश्चित करने की खंड-वार सीमाओं से सरोकार रखता है। ये सीमाएँ दोनों पुनर्बीमा और वापसी (रेट्रोसेशन) व्यवस्थाओं के लिए लागू हैं तथा सीबीआरएस की रेटिंगों के साथ सहबद्ध हैं। यहाँ भी, अध्यर्पक के द्वारा प्रस्तुत कुछ विशिष्ट कारणों का अनुमोदन प्राधिकरण के द्वारा किये जाने के अधीन उक्त सीमाओं का पालन करने से छूट प्रदान की जा सकती है।

vi. उक्त विनियमों में सभी भारतीय बीमाकर्ताओं और/ या विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं के साथ परामर्श करते हुए बीमा समूह (पूल) स्थापित करने के लिए भी प्रावधान है। उक्त समूह (पूल) भारतीय बीमाकर्ता / पुनर्बीमाकर्ता / विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखा (एफआरबी) की पहल पर अथवा प्राधिकरण के परामर्श पर बनाया जा सकता है, यदि प्राधिकरण इसकी आवश्यकता महसूस करता हो। दोनों में से किसी भी स्थिति में उक्त विनियम समूह की सभी पुनर्बीमा व्यवस्थाओं पर लागू हैं तथा समूह के प्रशासक से अपेक्षित है कि वह समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में विवरणियाँ प्रस्तुत करे।

vii. लॉयड्स और एफआरबीएस के लिए, न्यूनतम प्रतिधारण सीमाओं और उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष के किसी भी प्रत्यावर्तन को आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 अथवा आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016, जो भी लागू हो, के द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

viii. उक्त विनियम कंपनियों द्वारा आवक पुनर्बीमा स्वीकार करने के लिए भी एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह अपेक्षित है कि उनके पास अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक सुपरिभाषित आवक पुनर्बीमा जोखिम-अंकन नीति विद्यमान हो तथा साथ ही, आवक पुनर्बीमा से संबंधित निर्णयन का प्रभारी बनाये जाने के लिए आवश्यक ज्ञान से युक्त समर्पित व्यक्ति भी उपलब्ध हों।

II.1.10 पीओएस जीवन बीमा उत्पाद और पीओएस व्यक्तियों संबंधी दिशानिर्देशः

व्यापक तौर पर जनता के लिए जीवन बीमा उत्पादों तक सुगमतापूर्वक पहुँच उपलब्ध कराने के संबंध में एक वर्धित प्रोत्साहन देने तथा विनियमनकर्ता के विकास अधिदेश के भाग के रूप में बीमा व्यापन और सघनता को बढ़ावा देने के लिए प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये हैं :

i. बिक्री केन्द्र (पीओएस) जीवन बीमा उत्पाद संबंधी दिशानिर्देश संदर्भः आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/जीएलडी/222/11/2016 दिनांक 7-11-2016 (पीओएस जीवन बीमा उत्पाद) तथा

ii. बिक्री केन्द्र (पीओएस) विक्रेता जीवन बीमा संबंधी दिशानिर्देश संदर्भः आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/223/11/2016 दिनांक 7-11-2016 (पीओएस विक्रेता)

पीओएस की कुछ मुख्य-मुख्य बातें जीवन बीमा उत्पाद

- एक सरल सुस्पष्ट सुगम उत्पाद के रूप में पीओएस उत्पाद की परिभाषा दी गई जिसमें प्रत्येक लाभ को पूर्वपरिभाषित किया गया तथा विक्रय के समय ही स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही प्रकट किया गया और यह समझने के लिए अत्यंत सुबोध है।
- उत्पादों की श्रेणियाँ निर्धारित की गईं जो मानदंड विनिर्दिष्ट करते हुए पीओएस उत्पाद के रूप में प्रस्तावित किये जा सकते हैं।
- पीओएस उत्पाद के अंतर्गत केवल असंबद्ध और वैयक्तिक उत्पाद ही प्रस्तावित करने की अनुमति दी गई।
- पीओएस उत्पाद के लिए एक मुख्य विशिष्टता प्रलेख-व-प्रस्ताव फार्म निर्धारित किया गया।
- उन माध्यमों को निर्धारित किया गया जो पीओएस उत्पादों की अपेक्षा कर सकते हैं।
- पीओएस उत्पाद व्यवसाय के संबंध में प्राधिकरण को छमाही विवरणियों की प्रस्तुति।

पीओएस विक्रेता जीवन बीमा की कुछ मुख्य-मुख्य विशेषताएँ

- एक व्यक्ति के रूप में पीओएस विक्रेता को परिभाषित किया गया जो न्यूनतम योग्यताएँ रखता है, प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है तथा जिसने दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट रूप में परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं जो केवल प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उत्पादों की ही अपेक्षा और विपणन करता है।
- पीओएस विक्रेताओं के प्रशिक्षण, परीक्षा और नियुक्ति संबंधी उपबंध निर्धारित किये गये।
- उन उत्पादों को विनिर्दिष्ट किया गया जिनकी अपेक्षा पीओएस विक्रेता कर सकते हैं।

प्राधिकरण ने दिनांक 7/02/2017 के अपने परिपत्र के अनुसार, सुझाये गये मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर पीओएस विक्रेता होने के लिए आंतरिक प्रशिक्षण, परीक्षा, प्रमाणीकरण की अनुमति देते हुए एनआईईएलआईटी प्रशिक्षण और परीक्षा की शर्त को शिथिल किया है।

II.2 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

जीवन बीमाकर्ता

II.2.1 वर्ष 2016-17 ने वैयक्तिक एजेंटों की संख्या में 3.57 प्रतिशत की संवृद्धि का साक्षात्कार किया। यह संख्या 31 मार्च 2016 को यथाविद्यमान 20.17 लाख से बढ़कर 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 20.89 लाख हो गई। जहाँ निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 0.24 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की, वहीं एलआईसी ने 6.56 प्रतिशत की संवृद्धि अंकित की। सभी निजी जीवन बीमाकर्ताओं को एकसाथ लेने की स्थिति की तुलना में वैयक्तिक एजेंटों की संख्या में एलआईसी का अंश उच्चतर रहा। वर्ष 2016-17 के अंत में जबकि एलआईसी के पास स्थित एजेंटों की संख्या 11.31 लाख रही, वहीं निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए तदनुरूपी संख्या 9.57 लाख थी।

II.2.2 वर्ष 2016-17 के दौरान जीवन उद्योग में नियुक्त एजेंटों की कुल संख्या 6.51 लाख थी तथा सेवा-समाप्त एजेंटों की संख्या 5.79 लाख रही। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने 3.11 लाख एजेंटों को नियुक्त किया और 3.08 लाख

एजेंटों की सेवा समाप्त की, वहीं दूसरी ओर एलआईसी ने 3.40 लाख एजेंटों की नियुक्ति की और 2.70 लाख एजेंटों की सेवा समाप्त की।

II.2.3 जीवन बीमा उद्योग के कुल 20.89 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से पुरुष वैयक्तिक एजेंट 73% हैं तथा महिला वैयक्तिक एजेंट लगभग 27% हैं। एलआईसी के लिए पुरुष और महिला वैयक्तिक एजेंटों का अनुपात 75% और 25% पर है। कुल निजी के मामले में उक्त अनुपात 71% और 29% पर है।

सारणी II.1
जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण 2016-17

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2016 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2017 को
निजी कुल	955005	310606	308270	957341
एलआईसी	1061560	339964	270343	1131181
उद्योग कुल	**2016565**	**650570**	**578613**	**2088522**

II.2.4 कॉरपोरेट एजेंट

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन 456 कॉरपोरेट एजेंटों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये हैं। 456 कॉरपोरेट एजेंटों में से 214 बैंक हैं और 242 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)/ सहकारी सोसाइटियाँ/भागीदारी फर्म और अन्य पात्र फर्म हैं।

सारणी II.2
कारपोरेट एजेंटों का विवरण 2016-17

विवरण	बैंक	एनबीएफसी और अन्य	कुल
कॉरपोरेट एजेंटों की संख्या	**214**	**242**	**456**
श्रेणी जीवन	20	60	80
श्रेणी साधारण	22	38	60
श्रेणी सम्मिश्र	172	145	317
खुली संरचना से युक्त कॉरपोरेट एजेंट	64	90	154

माध्यम-वार नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन

II.2.5 वैयक्तिक नया व्यवसाय - जीवन

वैयक्तिक नये व्यवसाय (एनबी) प्रीमियम के प्रति वैयक्तिक एजेंटों का अंशदान 2015-16 के 68.27% की तुलना में थोड़ा-सा बढ़कर वर्ष 2016-17 के दौरान 68.79% हो गया है। एलआईसी ने वैयक्तिक एजेंटों के माध्यम से अपने वैयक्तिक एनबी प्रीमियम का 95.99% प्राप्त किया जबकि निजी क्षेत्र के लिए वैयक्तिक एजेंटों का अंश 30.09% था।

कॉरपोरेट एजेंटों का अंश जो 2015-16 के दौरान 25.21 प्रतिशत पर था, वर्ष 2016-17 में घटकर 24.78 प्रतिशत हो गया। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यवसाय प्रीमियम में कॉरपोरेट एजेंटों का अंश 2016-17 में 56.51 प्रतिशत पर उल्लेखनीय था (2015-16 में 54.70 प्रतिशत)। दूसरी ओर, एलआईसी का केवल 2.49 प्रतिशत ही था।

बैंकों और अन्य कॉरपोरेट एजेंसी माध्यमों के बीच, कुल नये व्यवसाय में बैंकों का अंश 2015-16 में विद्यमान 23.82 प्रतिशत से नीचे आकर 2016-17 में 23.48 प्रतिशत रहा।

प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम का अंश 2015-16 के 4.36 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 4.54 प्रतिशत हुआ। ऑनलाइन विक्रय वर्ष 2015-16 में विद्यमान 0.52% से बढ़ा है और 2016-17 में 0.54% रहा है। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने अपने नये व्यवसाय का 9.11 प्रतिशत प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से प्राप्त किया था, एलआईसी ने अपने नये व्यवसाय का 1.33 प्रतिशत इस माध्यम से प्राप्त किया था। निजी बीमाकर्ताओं ने ऑनलाइन विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय का 1.13% प्राप्त किया था, वहीं एलआईसी ने इसके माध्यम से 0.12% प्राप्त किया।

वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के प्रति दलाल माध्यम, सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट माध्यम और सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) के माध्यम का अंशदान क्रमशः 1.25%, 0.02% और 0.002% है।

सारणी II.3
2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय
कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कॉरपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आई एमएफ	ऑन लाइन	विक्रय केन्द्र	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*										
निजी कुल	30.09	53.50	3.01	2.98	9.11	0.01	0.005	0.14	0.04	1.13	0.00	100.00	0.08
एलआईसी#	95.99	2.39	1.00	0.04	1.33	0.03	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	100.00	0.00
उद्योग कुल	**68.79**	**23.48**	**1.30**	**1.25**	**4.54**	**0.02**	**0.002**	**0.06**	**0.02**	**0.54**	**0.00**	**100.00**	**0.03**

टिप्पणी : 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल है।
2) रिफ़रल व्यवस्थाओं के द्वारा प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।
**बैंकों को छोड़कर कोई अन्य संस्था, परंतु कॉरपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस-प्राप्त.*
#इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।

सारणी II.4
2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय
कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कॉरपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आई एमएफ	ऑन लाइन	विक्रय केन्द्र	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*										
निजी कुल	0.57	9.67	1.73	4.19	83.84	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
एलआईसी#	1.79	0.01	0.01	0.01	98.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
उद्योग कुल	**1.56**	**1.85**	**0.33**	**0.81**	**95.45**	**0.002**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

**बैंकों को छोड़कर कोई अन्य संस्था, परंतु कॉरपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंस-प्राप्त.*
#इसमें इसका विदेशी नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।
टिप्पणी : 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।
2) रिफ़रल व्यवस्थाओं के द्वारा प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।

II.2.6 सामूहिक नया व्यवसाय - जीवन

प्रत्यक्ष विक्रय का सामूहिक व्यवसाय के लिए वितरण का प्रबल माध्यम रहना निरंतर जारी है, जहाँ 2016-17 के दौरान प्रीमियम का इसका अंश 95.45 प्रतिशत रहा। पिछले वर्ष में तदनुरूपी अंश 95.03 प्रतिशत था। इस माध्यम ने निजी और सरकारी माध्यमों के सामूहिक नये व्यवसाय (एनबी) प्रीमियम के क्रमशः 83.84% और 98.18% का अंशदान किया था।

निजी बीमाकर्ताओं के सामूहिक व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण वितरण माध्यम बैंक थे। वर्ष 2016-17 के दौरान बैंकों ने निजी बीमाकर्ताओं के मामले में कुल सामूहिक व्यवसाय के 9.67 प्रतिशत का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष में यह 8.79 प्रतिशत था।

एलआईसी ने अपने पारंपरिक वैयक्तिक एजेंसी बल के जरिये सामूहिक व्यवसाय का 1.79 प्रतिशत प्राप्त किया था जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस माध्यम के द्वारा 0.57 प्रतिशत प्राप्त किया।

सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के एनबी प्रीमियम के प्रति दलाल माध्यम का अंशदान 0.81% था।

चार्ट II.1
जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम- वार - निजी बीमाकर्ता

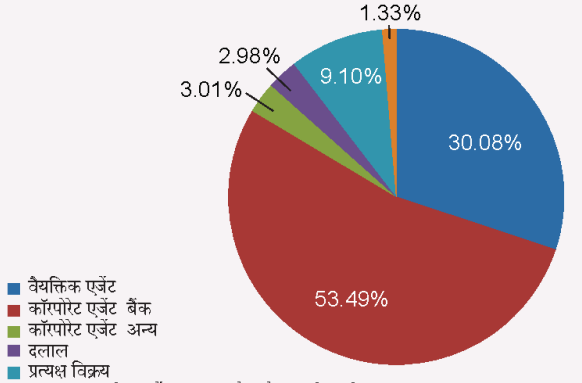

- वैयक्तिक एजेंट
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- दलाल
- प्रत्यक्ष विक्रय
- अन्य (सूक्ष्म बीमा एजेंट, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), वेब संग्राहक, बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ), ऑनलाइन, विक्रय केन्द्र)

चार्ट II.2
2016-17 के लिए एलआईसीआई का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार

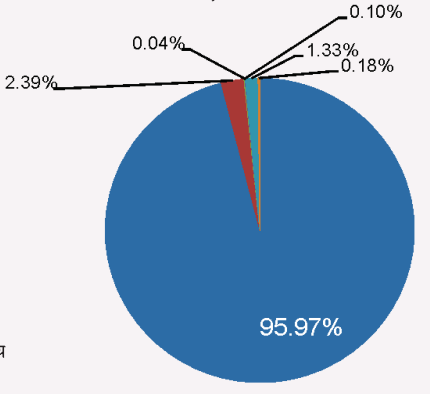

- वैयक्तिक एजेंट
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- दलाल
- प्रत्यक्ष विक्रय
- अन्य (सूक्ष्म बीमा एजेंट, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), वेब संग्राहक, बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ), ऑनलाइन, विक्रय केन्द्र)

चार्ट II.3
2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन माध्यम-वार -उद्योग

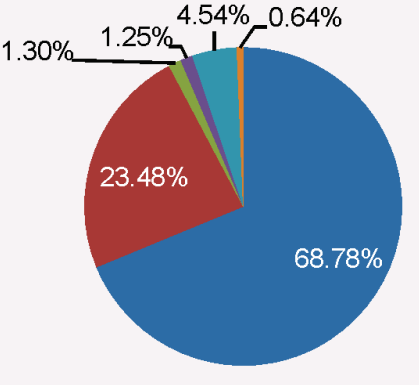

- वैयक्तिक एजेंट
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- दलाल
- प्रत्यक्ष विक्रय
- अन्य (सूक्ष्म बीमा एजेंट, सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी), वेब संग्राहक, बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ), ऑनलाइन, विक्रय केन्द्र)

चार्ट II.4
जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार निजी बीमाकर्ता

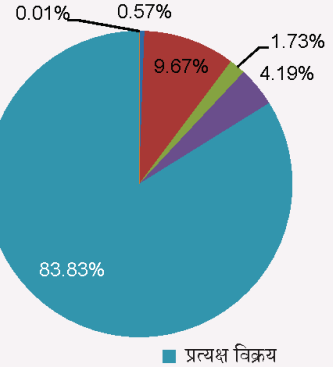

- वैयक्तिक एजेंट
- प्रत्यक्ष विक्रय
- दलाल
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- सूक्ष्म बीमा एजेंट

चार्ट II.5
एलआईसीआई का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार

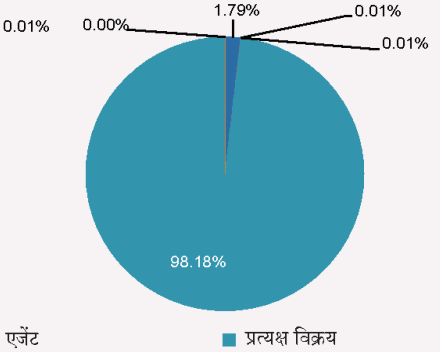

- वैयक्तिक एजेंट
- प्रत्यक्ष विक्रय
- दलाल
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- सूक्ष्म बीमा एजेंट

चार्ट II.6
जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2016-17 माध्यम-वार - उद्योग

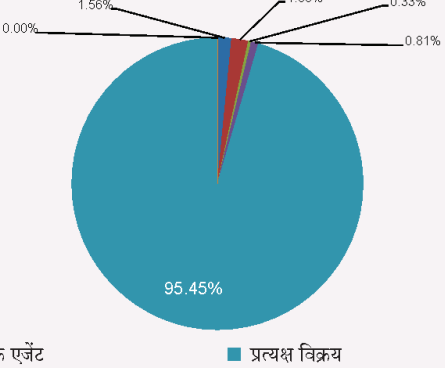

- वैयक्तिक एजेंट
- प्रत्यक्ष विक्रय
- दलाल
- कॉरपोरेट एजेंट अन्य
- कॉरपोरेट एजेंट बैंक
- सूक्ष्म बीमा एजेंट

II.3 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती

बीमा विपणन फर्म

II.3.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) एक बीमा मध्यवर्ती है जो प्राधिकरण द्वारा आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2015 (आईएमएफ विनियम) के अधीन पंजीकृत है। आईएमएफ खुली संरचना का अनुसरण करते हैं, जिसमें संस्था अधिकतम 2 जीवन बीमाकर्ताओं, 2 साधारण बीमाकर्ताओं और 2 स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की ओर से व्यवसाय की अपेक्षा कर सकती है। आईएमएफ सभी प्रकार के जीवन बीमा उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, जबकि साधारण बीमा के मामले में केवल उत्पादों की खुदरा व्यवस्थाओं की ही अनुमति दी गई है। आईएमएफ भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, डाक घर आदि के द्वारा अनुमत रूप में अन्य वित्तीय उत्पादों का भी वितरण ऐसे प्राधिकारियों से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कर सकते हैं।

प्राधिकरण ने बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) के पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों का प्रसंस्करण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल 'www.inf.irda.gov.in' विकसित किया है। आवेदक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी का पंजीकरण करने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) भी उक्त पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

II.3.2 आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 17 जनवरी 2017 को अधिसूचित किये गये जिसमें पहले संशोधन की तारीख की स्थिति के अनुसार जारी किये गये परिपत्र समाविष्ट किये गये हैं तथा आईएमएफ विनियमों में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। उक्त आशोधनों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

- बीमा विपणन फर्मों को अपने आईएसपी के माध्यम से और दूर-विपणनकर्ताओं को नियोजित किये बिना दूर-विपणन करने की अनुमति देना
- आईएमएफ के परिचालन के 'क्षेत्र' को 'जिला' के रूप में परिभाषित किया गया है। तथापि, यदि आवेदक द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो किसी राज्य की राजधानी में पंजीकृत आईएमएफ के मामले में ऐसे नगर की नगरपालिका / नगर निगम के अंतर्गत परिभाषित क्षेत्र को परिचालन के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा।

II.3.3 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण ने 100 आईएमएफ पंजीकरण जारी किये हैं तथा 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार जारी किये गये पंजीकरणों की संचयी संख्या 114 है। इस अवधि के दौरान आईएमएफ माध्यम ने व्यवसाय का संग्रह सारणी II.5 में दर्शाये गये रूप में किया है। यह डेटा अनंतिम है और यह 91 आईएमएफ से एकत्रित किया गया है। शेष आईएमएफ बीमाकर्ताओं के साथ सहबद्धता व्यवस्थाएँ करने की प्रक्रिया में हैं अथवा उन्होंने व्यवसाय का परिचालन प्रारंभ नहीं किया है। बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) की राज्य-वार उपस्थिति सारणी II.6 में दर्शाई गई है।

सारणी II.5
वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) का व्यवसाय कार्यनिष्पादन

श्रेणी	जीवन	साधारण	स्वास्थ्य
पॉलिसियों की संख्या	2612	5015	1358
*प्रीमियम आय (₹ लाख में)	1432.10	368.07	130.76

*जीवन बीमा के मामले में प्रथम प्रीमियम

सारणी II.6
बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) की राज्य-वार उपस्थिति

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	आईएमएफ की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3
2	बिहार	3
3	चंडीगढ़	1
4	दिल्ली	18
5	गुजरात	9
6	हरियाणा	6
7	कर्नाटक	4
8	केरल	3
9	मध्यप्रदेश	2
10	महाराष्ट्र	24
11	पंजाब	6
12	राजस्थान	1
13	तमिलनाडु	5
14	तेलंगाना	6
15	उत्तर प्रदेश	19
16	पश्चिम बंगाल	4
	कुल	**114**

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.3.4 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अनुसार प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) की सदस्यता सर्वेक्षक और हानि

सारणी II.7
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस

	2015-16	2016-17
नये लाइसेंस		
वैयक्तिक	260	255
कॉरपोरेट	8	8
उप जोड़	**268**	**263**
नवीकरण		
वैयक्तिक	1537	1360
कॉरपोरेट	24	15
उप जोड़	**1561**	**1375**
प्रशिक्षणार्थी नामांकन	947	1129

निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 अनुसूची , अनुबंध 1 में योग्यता संबंधी मानदंड विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

इसके अलावा, अधिनियम की धारा 64यूएम की उप-धारा 4 कहती है कि 'ऐसी हानि के संबंध में कोई भी दावा जो भारत में घटित हुई हो और किसी बीमाकर्ता के संबंध में उत्पन्न हो गई हो अथवा उसको सूचित की गई हो, जिसके लिए साधारण बीमा की किसी पॉलिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक राशि का भारत में भुगतान अथवा निपटान किया जाना अपेक्षित हो तब तक भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका निपटान नहीं किया जाएगा जब तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक ('अनुमोदित सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक' के रूप में भी उल्लिखित) के रूप में कार्य करने के लिए इस धारा के अधीन जारी किया गया लाइसेंस धारण करनेवाले किसी व्यक्ति से घटित हानि के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती। आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 विनियम 12 में सर्वेक्षण संबंधी सीमा निम्नानुसार निर्धारित करता हैः

विनियम 12(2) -- सर्वेक्षक और हानि निर्धारक बीमाकर्ताओं अथवा बीमाकृत व्यक्ति के द्वारा निम्नलिखित के संबंध में बीमा की पॉलिसी के अंतर्गत हानि का निर्धारण करने के लिए नियुक्त किये जाएँगे

क) मोटर बीमा पचास हजार रुपये से अधिक

ख) मोटर बीमा को छोड़कर अन्य एक लाख रुपये से अधिक

विनियम 12(3) प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त सीमा की प्रत्येक तीन वर्ष में समीक्षा की जाएगी।

शिकायतें सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.3.5 प्राधिकरण का सर्वेक्षक लाइसेंसीकरण विभाग सर्वेक्षकों से सर्वेक्षण कार्यों का पैनल बनाने, बीमा कंपनियों द्वारा सर्वेक्षण शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने, आंतरिक सर्वेक्षकों और व्यपगत लाइसेंस धारकों को आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता देने से अस्वीकार करने, आईआईआईएसएलए द्वारा सदस्यता के स्तर का अस्वीकरण, आदि के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है। ऐसी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों और आईआईआईएसएलए को उनके स्तर पर समाधान करने के लिए प्रेषित की जाती हैं। पॉलिसीधारक भी सर्वेक्षकों/ सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध शिकायतें करते हैं जो सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति प्राप्त न होने, सर्वेक्षण रिपोर्ट के निर्गम में विलंब, कदाचार, आईआरडीए सर्वेक्षक विनियमों का उल्लंघन, आदि से संबंधित हैं। इस प्रकार की शिकायतें सर्वेक्षकों को समस्याओं के शीघ्र निपटान के लिए भेजी जाती हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त, विभाग द्वारा सर्वेक्षकों और कॉरपोरेट सर्वेक्षक फर्मों के विरुद्ध विभिन्न आरटीआई की और मंत्रालय संबंधी शिकायतें भी प्राप्त की जाती हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण ने 110 शिकायतें प्राप्त कीं, 107 शिकायतों का समाधान किया गया तथा 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 3 बकाया थीं।

सारणी II.8
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से संबंधित शिकायतें

संबंधित अवधि	अवधि के प्रारंभ में बकाया	प्राप्त	समाधान किया गया	अवधि के अंत में बकाया
अप्रैल 2015-मार्च 2016	12	97	108	1
अप्रैल 2016-मार्च 2017	1	110	108	3

सारणी II.9
बीमा दलालों के पंजीकृत कार्यालय राज्य-वार 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार

क्रम. सं.	भारत के राज्य	पंजीकृत कार्यालयों की संख्या	श्रेणी-वार पंजीकृत कार्यालय		
			प्रत्यक्ष दलाल	सम्मिश्र दलाल	पुनर्बीमा दलाल
1	बिहाल	1	1	शून्य	शून्य
2	दिल्ली	70	64	6	शून्य
3	गुजरात	20	18	2	शून्य
4	हरियाणा	2	2	शून्य	शून्य
5	झारखंड	1	1	शून्य	शून्य
6	कर्नाटक	12	11	1	शून्य
7	केरल	10	10	शून्य	शून्य
8	मध्य प्रदेश	4	4	शून्य	शून्य
9	महाराष्ट्र	120	87	28	5
10	ओडिशा	1	1	शून्य	शून्य
11	पंजाब	10	10	शून्य	शून्य
12	राजस्थान	6	6	शून्य	शून्य
13	तमिलनाडु	38	34	4	शून्य
14	तेलंगाना	31	28	3	शून्य
15	उत्तर प्रदेश	24	22	2	शून्य
16	पश्चिम बंगाल	29	27	2	शून्य
17	चंडीगढ़	6	6	शून्य	शून्य
	कुल	**385**	**332**	**48**	**5**

बीमा दलाल

II.3.6 प्राधिकरण ने बीमा दलालों को भारतीय बाजार में परिचालन करने के लिए 2003 से अनुमति दी तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में सर्वप्रथम दलाल लाइसेंस 30 जनवरी 2003 को जारी किया गया। वर्ष 2013-14 में इन विनियमों का अधिक्रमण आईआरडीए (बीमा दलाल) 2013 द्वारा किया गया। उक्त विनियमों ने प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए 50 लाख, पुनर्बीमा दलालों के लिए 200 लाख तथा सम्मिश्र बीमा दलालों के लिए 250 लाख रुपये की पूँजीगत अपेक्षा निर्धारित की। यह विनियम बीमा दलाली में विदेशी ईक्विटी सहभागिता पर 26% की सीमा निर्धारित करता है। तथापि, यह सीमा भारत सरकार द्वारा 49% तक बढ़ाई गई है जो भारतीय बीमा कंपनियाँ (विदेशी निवेश) नियम, 2015 के द्वारा अधिसूचित की गई है। बीमा दलाली निरंतर लोकप्रिय हो रही है तथा पंजीकरणों की संख्या 2003 से बढ़ते हुए 485 हो गई है (31.03.2017 की स्थिति के अनुसार)।

II.3.7 पंजीकृत दलालों की 485 की कुल संख्या में से 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार विधिमान्य दलाल 385 हैं तथा 100 ऐसे हैं जो प्रचलन में नहीं हैं। उक्त 385 विधिमान्य दलालों में से 332 प्रत्यक्ष दलाल हैं, 48 सम्मश्र दलाल और 5 पुनर्बीमा दलाल हैं। प्राधिकरण ने 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के दौरान 31 नये लाइसेंस जारी किये हैं, तथा ये सभी लाइसेंस प्रत्यक्ष बीमा दलाल श्रेणी को जारी किये गये हैं।

सारणी II.10
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वेब संग्राहक
(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम. सं.	वेब संग्राहक का नाम
1	कॉमेट इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
2	पॉलिसी एक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
3	ओए इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर्स प्रा. लि.
4	फ़िनगूल इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
5	ईज़ी पॉलिसी इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
6	पॉलिसी बाजार वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
7	माई इंश्योरेंस क्लब इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
8	ग्रेट इंडिया इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
9	मिंट वाइज़ इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर्स प्रा. लि.
10	बून इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
11	कम्पेअर पॉलिसी इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
12	बाय स्मार्ट पॉलिसी इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
13	एमएसएफ इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
14	पॉलिसी मंत्र इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
15	डेज्टिनेशन इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
16	एएण्डए दुकान इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
17	पॉलिसीस365 इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
18	ज़िबिका इंडिया इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
19	मैंगोट्री इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
20	ईटीइंश्योर इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.
21	कवरनेस्ट इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर प्रा. लि.

II.3.8 उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 78 बीमा दलाल लाइसेंसों का नवीकरण किया है। संशोधित विनियमों के अनुसार, बीमा दलाल अपने लाइसेंस की समाप्ति से 90 दिन पहले अग्रिम रूप से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। बीमा दलालों के अनुपालन स्तरों में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण कदम उठाता रहा है। इनमें से कुछ के अंतर्गत शामिल हैं कार्यशालाओं का संचालन, भारतीय बीमा दलाल संघ के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता, आदि।

कागज रहित परिवेश की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक निवारक कदम के तौर पर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से व्यवसाय विश्लेषण परियोजना (बीएपी) को कार्यान्वित किया है। बीमा दलाल लाइसेंस, बीमा दलाल लाइसेंस के नवीकरण और कॉरपोरेट अभिशासन के लिए नये आवेदनों का प्रसंस्करण बीएपी मॉड्यूल के माध्यम से क्रमशः 1 जनवरी 2016, 1 अप्रैल 2016 और 29 दिसंबर 2016 से किया जा रहा है।

वेब संग्राहक

II.3.9 प्राधिकरण ने बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन तुलना और वितरण करने के लिए वेब संग्राहक के रूप में ज्ञात एक प्रणाली विकसित करने के लिए पहल की। यह पहल ई-कॉमर्स में विकासशील प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए बीमा पॉलिसियों के संभावित खरीदारों के हित के लिए की गई। प्राधिकरण ने प्रारंभ में नवंबर 2011 में विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की तुलना के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिए प्रौद्योगिकीगत प्रगति का उन्नयन करने के संबंध में उत्साही उद्यमियों को समर्थ बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किये थे। उक्त दिशानिर्देशों के आधार पर प्राधिकरण ने 6 वेब संग्राहकों को लाइसेंस जारी किये थे।

तदुपरांत प्राधिकरण ने 'आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013' जारी किये तथा उक्त विनियमों के अधीन 15 वेब संग्राहकों को लाइसेंस प्रदान किये। वर्तमान में 21 वेब संग्राहक विद्यमान हैं।

सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

II.3.10 प्राधिकरण ने 5 अक्तूबर 2015 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं। सीएससी द्वारा प्रस्तावित बीमा सेवाओं संबंधी विनियमों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

1. सीएससी-एसपीवी बीमा उत्पादों का विपणन करेंगे तथा उन बीमा कंपनियों के सीएससी नेटवर्क के माध्यम से अन्य बीमा संबंधी सेवाएँ भी प्रस्तावित करेंगे जिन्होंने सीएससी-एसपीवी के साथ करार किया है।

2. सीएससी-एसपीवी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड, विशेष प्रयोजन माध्यम है जो सीएससी नेटवर्क के माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के वितरण को सुसाध्य बनाने के लिए निगमित है।

3. निम्नलिखित के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें, शैक्षिक योग्यताएँ और प्रशिक्षण की अपेक्षा को विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है

   क. सीएससी-एसपीवी का प्रधान अधिकारी

   ख. सीएससी-एसपीवी का आरएपी।

4. सीएससी-एसपीवी के प्रधान अधिकारी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड प्रस्तावित किये गये हैं।

5. सीएससी-एसपीवी को पंजीकरण, विधिमान्यता प्रदान करने और पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट की गई है।

6. सीएससी ढाँचे के अंदर सेवा भागीदार एजेंसी हैं जिसमें राज्य द्वारा पदनामित एजेंसी अथवा सेवा केन्द्र एजेंसी अथवा सीएससी योजना के अंतर्गत अन्य कोई एजेंसी शामिल है जो ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेगी।

7. ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) व्यक्ति होगा जो बीमा उत्पादों का विपणन करने और बीमे से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र का परिचालन और प्रबंध करने के लिए पंजीकृत और सीएससी- एसपीवी द्वारा प्राधिकृत हो। उसे 20 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, एनआईईएलआईटी द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए तथा उसके पास 10वीं कक्षा या उसकी समकक्ष न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

8. उक्त विनियमों में प्रधान अधिकारी, आरएपी, सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ताओं के लिए आचरण-संहिता तथा कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किये गये हैं। इन विनियमों में ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

9. सीएससी-एसपीवी, सेवा भागीदार एजेंसी और आरएपी के बीच पारिश्रमिक, प्रदत्त कमीशन के क्रमशः 8% से अनधिक, 12% से अनधिक और 80% से अन्यून अनुपात में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, आरएपी द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली बीमा संबंधी सेवाओं के संबंध में निर्णय करना सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ता के बीच छोड़ दिया गया है।

10. प्रति बीमाकर्ता ₹20 लाख के ऑन-बोर्डिंग प्रभार, जो एक निलंब (एस्क्रो) खाते में अदा किये जाते हैं, सीएससी-एसपीवी द्वारा बीमाकर्ताओं से माँगने की अनुमति दी गई है ताकि आरएपी स्तर पर बॉयो-मेट्रिक और आईआरआईएस उपस्कर की बुनियादी संरचना को सुसाध्य बनाया जा सके, जिसे सक्रिय होने के समय निर्मुक्त किया जाता है।

11. सीएससी-एसपीवी इस माध्यम के अंतर्गत एकमात्र उत्पादों का विपणन करेंगे जिनके संबंध में शब्द 'सीएससी' प्रारंभ में होंगे। मोटर बीमा के अंतर्गत बीमित

राशि को छोड़कर इन पॉलिसियों में अधिकतम अनुमत बीमित राशि ₹2 लाख है। वर्तमान में फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमाकर्ताओं के नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त लाभरहित असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद एवं नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त विशुद्ध सावधि बीमा उत्पाद अनुमोदित किये गये हैं। इसी प्रकार, मोटर बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, मवेशी/पशुधन बीमा, किसान की पैकेज पॉलिसी तथा साधारण बीमा का अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिमपूर्ण निवास बीमा को प्राधिकरण ने अनुमोदन प्रदान किया है।

12. सीएससी-एसपीवी और आरएपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए क्रियाविधि भी प्रस्तावित विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई है।

13. उक्त विनियमों में बीमाकर्ताओं और सीएससी-एसपीवी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवारी रिपोर्टें भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

14. सीएससी-एसपीवी माध्यम के संबंध में सांख्यिकी 1.4.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार हैः

    क. उन आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं 19,698

    ख. संगृहीत कुल प्रीमियम (नया और नवीकरण) ₹304.37 करोड़

    ग. कुल नया बीमा प्रीमियम ₹22.54 करोड़ (साधारण) + ₹1.23 करोड़ (जीवन)

    घ. कुल नवीकरण प्रीमियम ₹29.70 करोड़ (जीवन)

    ङ. लेनदेनों की कुल संख्या -- ₹9.68 लाख

    च. बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ करार हस्ताक्षरित किये गये हैं : साधारण 16, स्वास्थ्य 3, जीवन 19 (14 नवीकरण) + 5 (नये और नवीकरण)

    छ. बेची गई पॉलिसियों की संख्या) मोटर अन्य पक्ष 1,41,297;) पीए 8,457;) जीवन बीमा 5,147;) फ़सल 22,170; तथा) अन्य 5720

    ज. मोटर व्यापक, यात्रा बीमा, फ़सल बीमा और सरकारी बीमा योजनाओं जैसे नये उत्पाद अनुमोदित उत्पादों की सूची में जोड़े गये हैं।

बिक्री केंद्र विक्रेता साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

II.3.11 प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और विपणन से संबंधित सरल और नेमी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए मोटर बीमा, यात्रा बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, आदि में अधिकांश उत्पादों के लिए बहुत कम जोखिम-अंकन अपेक्षित है। ये अधिकांश तौर पर पहले से जोखिम अंकित होते हैं जिनमें संभावित ग्राहक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा बीमा पॉलिसी स्वचालित रूप से उत्पन्न की जाती है। ऐसे उत्पाद के लिए आवश्यक हस्तक्षेप अल्पतम है तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा न्यूनतर परिमाण की हो सकती है।

देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने अपनी विकासात्मक कार्यसूची के भाग के रूप में 'बिक्री केंद्र विक्रेताओं' संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये।

उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. 'बिक्री केंद्र विक्रेता' जो केवल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कुछ पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की अपेक्षा और विपणन कर सकते हैं।

2. प्रत्येक 'बिक्री केंद्र विक्रेता' उसकी आधार कार्ड संख्या अथवा उसके पैन कार्ड द्वारा पहचाना जाएगा।

3. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसे पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की अपेक्षा और विपणन करनेवाले व्यक्ति 'बिक्री केंद्र विक्रेता' कहलाएँगे।

4. उक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा।

5. उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण और परीक्षा के लिए शुल्क पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा। प्रशिक्षण और परीक्षा का आयोजन बीमा कंपनी या बीमा मध्यवर्ती द्वारा किया जाएगा तथा परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद संबंधित बीमाकर्ता / मध्यवर्ती उसको एक 'बिक्री केन्द्र विक्रेता' के रूप में प्रमाणित करते हुए एक पत्र जारी करेगा।

6. एक 'बिक्री केंद्र विक्रेता' किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

7. उक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' केवल निम्नलिखित पूर्व-जोखिम-अंकित उत्पाद ही बेच सकता है।

   क. दुपहिया, निजी कार और वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर व्यापक बीमा पैकेज पॉलिसी।

   ख. दुपहिया, निजी कार और वाणिज्यिक वाहनों के लिए अन्य पक्ष देयता (ऐक्ट ओनली) पॉलिसी।

   ग. वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी

   घ. यात्रा बीमा पॉलिसी

   ङ. गृह बीमा पॉलिसी

   च. मवेशी/ पशुधन बीमा, कृषि पम्पसेट बीमा, अग्नि (फायर) और जोखिम-पूर्ण निवास बीमा, फ़सल बीमा और अनुमोदित उत्पादों की सूची में से सरकारी बीमा योजनाएँ

   छ. प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित कोई अन्य पॉलिसी।

8. 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के माध्यम से बेची गई प्रत्येक पॉलिसी अलग से पहचानी जाएगी और नाम से पहले 'पीओएस (उत्पाद का नाम)' होगा।

9. बीमा कंपनी प्राधिकरण के पास सूचनार्थ फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अधीन उत्पाद को फाइल करेगी।

10. प्रत्येक प्रस्ताव फार्म चाहे वह कागज पर हो अथवा कागज-रहित रूप में हो, बीमा पॉलिसी और अन्य संबंधित दस्तावेज आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड को दर्ज करने के लिए व्यवस्था से युक्त होंगे जिससे पॉलिसी को 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के साथ संबद्ध किया जा सके जो उपर्युक्त पॉलिसी को बेच रहा है।

11. प्रस्ताव फार्म अथवा बीमा पॉलिसी में 'बिक्री केंद्र विक्रेता' की आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड संख्या को दर्ज करने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। बीमा कंपनी 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के आचरण के लिए जिम्मेदार होगी जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।

12. बीमा मध्यवर्ती के माध्यम से किये जानेवाले विक्रय के लिए बीमा मध्यवर्ती प्रस्ताव फार्म में 'बिक्री केंद्र विक्रेता' की आधार कार्ड संख्या अथवा पैन कार्ड संख्या को दर्ज करेगा और बीमा पॉलिसी में ऐसा ही करने के लिए बीमा कंपनी से अपेक्षा करेगा। बीमा मध्यवर्ती अपने द्वारा नियुक्त 'बिक्री केंद्र विक्रेता' के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री केंद्र विक्रेता की ओर से कोई भी कदाचार उसे अधिनियम के अनुसार दंड के लिए भागी बनायेगा।

13. बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक बीमा मध्यवर्ती के रजिस्टरों में विद्यमान 'बिक्री केंद्र विक्रेता' का आचरण होगा।

14. 09 अक्तूबर 2017 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

   क) गैर-जीवन बीमाकर्ता के पास पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 7,291

   ख) जीवन बीमाकर्ता के पास पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 150

   ग) स्वास्थ्य बीमाकर्ता के पास पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 42

   घ) मध्यवर्तियों दलालों के पास पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 2614

II.4 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.4.1 भारतीय बीमा क्षेत्र ने बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए माँग में वृद्धि देखी है। इस स्थिति के होते हुए प्राधिकरण भारत में और विदेशों में बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहता है।

II.4.2 प्राधिकरण ने वर्ष 2002 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से बीमा और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण और व्यावसायिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए एक व्यावसायिक संस्थान अर्थात् बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) की स्थापना की। प्राधिकरण उक्त संस्थान के प्रयासों में उसे लगातार समर्थन दे रहा है।

II.4.3 भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) वेब संग्राहकों, कॉरपोरेट एजेंटों और बीमा विपणन फर्मों के लिए प्रशिक्षण निकाय और परीक्षा निकाय दोनों है। वह दलालों के लिए प्रशिक्षण निकाय तथा एजेंटों की भर्ती-पूर्व परीक्षाओं के लिए परीक्षा निकाय भी है। यह संस्थान सर्वेक्षकों की विभिन्न परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु तैयार कर रहा है तथा सर्वेक्षकों की परीक्षाएँ भी संचालित कर रहा है। इस संस्थान ने सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) दिशानिर्देशों के अधीन ग्राम स्तरीय उद्यमियों के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया है।

II.4.4 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित एक संस्थान है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान एक स्व-नियंत्रित निकाय के रूप में कार्य करता है।

II.4.5 भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की परिषद में प्राधिकरण का सांविधिक प्रतिनिधित्व है, जो भारत में बीमांककों के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा किये जानेवाले व्यवहार को विनियमित करना भी शामिल है। बीमा शिक्षण से संबंधित एक और उल्लेखनीय समन्वित प्रबंध विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो संस्थागत और वैयक्तिक आधार पर अनुसंधान और परामर्श संबंधी कार्यकलापों का प्रवर्तन, विकास और पोषण करता है।

II.5 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.5.1 2016-17 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (एसएटी), सिविल अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी), और लोक अदालतों के समक्ष दायर किये गये मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का भी विवरण सारणी II.11 और II.12 में दिया गया है।

II.6 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

II.6.1 आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपाय प्रारंभ करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को स्वीकार करता है। इस संदर्भ में और अपने विनियामक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए आईआरडीएआई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, फोरमों और विदेशी विनियमनकर्ताओं के साथ संबंध बनाया हुआ है। आईआरडीएआई वित्तीय वर्ष 2016-17 में भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में निरंतर सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है और योगदान कर रहा है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संलिप्तता अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ जारी है, जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत, मानक और अन्य सहायक सामग्री विकसित करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है। आईएआईएस सदस्यों के लिए अपने अनुभवों की साझेदारी करने तथा बीमा पर्यवेक्षण और बीमा बाजारों को समझने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई के प्रतिनिधियों ने आईएआईएस समिति की विभिन्न बैठकों में भाग लिया है तथा मानक निर्धारण और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों में योगदान किया है।

सारणी II.11
2016-17 की अवधि के लिए दायर किये गये मामलों का विवरण

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का ब्योरा	साधारण	एच आर	स्वास्थ्य	सीएडी	जीवन	दलाल	कुल
1.	सर्वोच्च न्यायालय	0	0	1	0	0	1	2
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाएँ	38	0	7	2	8	11	66
3.	प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण	1	0	1	0	1	3	6
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपीलें, एलपीए	0	0	0	0	0	0	0
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समीक्षा/पुनःस्थापन याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
7.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+ एससीडीआरसी+एनसीडीआरसी)	0	0	0	60	0	0	60
8.	दीवानी और लोक अदालत मामले	0	0	0	13	1	0	14
9.	एमएसीटी मामले	0	0	0	2	0	0	2
10.	जनहित वाद	1	0	0	0	1	0	2
11.	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	1	1
	कुल	**40**	**0**	**9**	**77**	**11**	**16**	**153**

सारणी II.12
2016-17 की अवधि के लिए निपटाये गये/ खारिज किये गये मामलों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	साधारण		एचआर		स्वास्थ्य		सीएडी		जीवन		दलाल		कुल	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1.	सर्वोच्च न्यायालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई रिट याचिकाएँ	0	12	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	14
3.	प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	5	2
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई रिट अपीलें, एलपीए	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में निपटाई गई समीक्षा/ पुनःस्थापन याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में निपटाई गई अवमानना याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	उपभोक्ता मामले	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15
8.	दीवानी और लोक अदालत मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	एमएसीटी मामले	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
10	जनहित वाद	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	कुल	**0**	**12**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**17**	**0**	**1**	**7**	**3**	**7**	**35**

क आईआरडीएआई को निर्देशों के साथ* * ख आईआरडीएआई को निर्देशों के बिना*

आईआरडीएआई वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बेंक (आरबीआई) को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के बीमा क्षेत्र संबंधी मामलों में चालू कार्य के संबंध में निरंतर विचार और निविष्टियाँ उपलब्ध कराता रहा है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ऐसा अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे विश्व में वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का दायित्व जी20 द्वारा अधिदेशात्मक तौर पर सौंपा गया है।

बीमा क्षेत्र के विनियमनकर्ता के रूप में अपनी अन्य परिवर्ती प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में आईआरडीएआई ने अंतरराष्ट्रीय विषयों/ संधियों और वित्तीय क्षेत्र संबंधी वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार को निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं।

आईआरडीएआई विश्व भर में इसी प्रकार के बीमा विनियामक निकायों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रशिक्षण और एक्सपोज़र कार्यक्रम संचालित करता है। जून 2016 में आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई के आईसीटी परिवेश के एक बेंचमार्किंग अध्ययन के लिए आये हुए नेशनल बैंक ऑफ़ इथियोपिया (एनबीई) के वरिष्ठ अधिकारियों से युक्त एक अध्ययन दल की मेजबानी की है।

बीमा क्षेत्र में विनिमय और सहयोग को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई ने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भी भाग लिया है। आईआरडीएआई ने एशिया इंश्योरेंस रिव्यू द्वारा आयोजित तृतीय एशिया कृषि बीमा सम्मेलन एवं चाइना इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमिशन (सीआईआरसी) द्वारा आयोजित एशियाई शोधक्षमता विनियमन और सहयोग पर कार्यशाला में सहभागिता की।

दिसंबर 2016 में भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के अनुरोध पर आईआरडीएआई ने म्यानमार बीमा विनियमनकर्ता की व्यावसायिक क्षमता के निर्माण हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के प्रयोजन के लिए म्यानमार (यांगोन) की यात्रा पर जानेवाली भारतीय टीम के भाग के रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया। इसके अनुक्रम में, फरवरी 2017 में आईआरडीएआई के दो वरिष्ठ अधिकारियों को आईएआईएस के मुख्य सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न विषयों पर म्यानमार बीमा विनियमनकर्ता और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करने के लिए भारतीय बीमा संस्थान (बीमा महाविद्यालय, मुंबई) में प्रतिनियुक्त किया गया है।

आईएआईएस के साथ संबंधः

II.6.2 1994 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) लगभग 140 देशों का निरूपण करनेवाले प्रायः 200 अधिकार-क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करता है।

आईएआईएस वैश्विक बीमा सिद्धांत, मानक और मार्गदर्शी पत्र जारी करता है, बीमा पर्यवेक्षण से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करता है तथा बीमा पर्यवेक्षकों के लिए बैंठकें और सेमिनार आयोजित करता है। आईएआईएस वित्तीय क्षेत्र के अन्य मानक निर्धारक निकायों एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करता है। यह एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जहाँ पर्यवेक्षक, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य व्यवसायी बीमा क्षेत्र की गतिविधियों और बीमा विनियमन को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।

एक कार्यकारी समिति जिसके सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएआईएस का नेतृत्व करती है। एशियाई क्षेत्र से उक्त कार्यकारी समिति में पाँच सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष, आईआरडीएआई एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों में से एक हैं तथा अन्य सदस्य चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर के बीमा विनियमनकर्ता हैं।

आईएआईएस समितियाँ / कार्यदल

II.6.3 आईआरडीएआई की दो प्रमुख समितियों अर्थात वित्तीय स्थिरता एवं तकनीकी और कार्यान्वयन समितियों में सहभागिता है। ये समितियाँ वित्तीय स्थिरता और कार्यान्वयन एवं आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री आदि के मूल्यांकन के क्षेत्र में मानक निर्धारण कार्यकलापों की निगरानी करती हैं।

आईएआईएस समिति की प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता के लिए विभिन्न कार्य दलों / कार्य बलों की स्थापना की है। आईआरडीएआई की सहभागिता वित्तीय समावेशन, कॉरपोरेट अभिशासन, बाजार व्यवहार, समष्टि विवेकपूर्ण नीति और निगरानी तथा पूँजी विकास के पहलुओं की जाँच करनेवाले आईएआईएस कार्य दलों में है।

आईआरडीएआई आईएआईएस के कार्य में व्यक्तियों की उपस्थिति के द्वारा आयोजित समितियों/ कार्य दल/ कार्य बलों की बैठकों में और टेली-कान्फ्रेंस के माध्यम से सक्रिय सहभागिता करते हुए योगदान करता है।

आईएआईएस के सर्वेक्षणों/ प्रश्नावलियों/ समीक्षाओं के लिए भी प्रतिक्रिया उपलब्ध कराता है। उक्त विचार-विमर्श और जानकारी का आदान-प्रदान वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अंगीकरण के रूप में परिवर्तित होते हैं। आईएआईएस की समितियों/ कार्य दलों/ कार्य बलों की बैठकों में सहभागिता ने अत्यंत उपयोगी निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं तथा वे आईआरडीएआई के अपने घरेलू नियम-निर्माण में बहुत उपयोगी रही हैं।

बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम

II.6.4 बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम (एएफआईआर) एशिया और ओशनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच है जिसकी स्थापना 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर की गई थी। एएफआईआर का मिशन क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना, बीमा विनियामक क्षमता को सुसाध्य बनाना तथा एशिया और ओशनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है।

एएफआईआर की स्थापना बीमा उद्योग और विनियमन से संबंधित विषयों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए की गई है। इसके अंतर्गत बीमा विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं जो एशियाई-ओशनिक क्षेत्र के स्तर पर सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एकसाथ आये हैं। एएफआईआर एशिया में एकमात्र बीमा पर्यवेक्षी नेटवर्क है।

एएफआईआर के सदस्य वार्षिक तौर पर बैठक करते रहे हैं जहाँ प्रत्येक सहभागी अधिकार-क्षेत्र बारी-बारी से मेजबान आयोजक है। सर्वप्रथम एएफआईआर सम्मेलन बीजिंग में 2006 में आयोजित किया गया और उसके उपरांत सिओल (2007), सिंगापुर (2008), चीनी-ताईपेई (2009), जापान (2010), थाईलैंड (2011), मकाऊ (2012), हैदराबाद, भारत (2013), बीजिंग (2014), कोलंबो (2015), ताईपेई (2016) और सिंगापुर (2017) में इसके सम्मेलन आयोजित किये गये।

एएफआईआर का 11वाँ सम्मेलन 21-22 अप्रैल 2016 में ताईपेई में आयोजित किया गया। एशिया, ओशनिया और अन्य क्षेत्रों में स्थित 16 अधिकार-क्षेत्रों से बीमा विनियामक प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने उक्त सम्मेलन में भाग लिया। फोरम ने उन विषयों संबंध में अनुभवों और सूचना का आदान-प्रदान किया जो क्षेत्र के लिए संगत हैं अथवा क्षेत्र मं उभर रहे हैं, जैसे आईएआईएस में वैश्विक पूँजी आवश्यकताओं की गतिविधियाँ, फिन-टेक और बीमा, वातावरण परिवर्तन और आपदा जोखिम वित्तपोषण, सीमापार पर्यवेक्षी सहयोग, और क्षेत्र की अन्य गतिविधियाँ। सम्मेलन के दौरान उपस्थित अधिकार-क्षेत्र भावी कार्य-योजना के लिए एक सहमति पर पहुँच गये तथा उन्होंने चार पहलुओं पर चर्चा-पत्र अपनाये जो इन श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात् सूचना का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण, क्षेत्रीय सहयोग और अभिशासन संरचना। एएफआईआर ने अंगीकृत चर्चा-पत्रों के आधार पर कार्य-योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य करने का संकल्प किया। स्थापित कार्य-बल के माध्यम से एएफआईआर उपर्युक्त क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त कर सका।

एएफआईआर की 12वीं वार्षिक बैठक और सम्मेलन की मेजबानी 16-17 मार्च 2017 को मॉनिटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) द्वारा की गई। समूचे एशिया में बीमा विनियमन को प्रभावित करनेवाली समस्याओं पर रचनात्मक चर्चाएँ की गईं। सदस्यों ने एशियाई क्षेत्र में अनर्थकर जोखिम रक्षा के बढ़ते व्यापन में विनियमनकर्ता की भूमिका तथा साइबर जोखिम बीमा के सुदृढ़ विकास पर विचार-विमर्श किया। उक्त बैठक ने भारत सहित, 21 अधिकार-क्षेत्रों और / या अंतरराष्ट्रीय संगठनों की एएफआईआर सदस्यता की पुष्टि की।

आईआरडीएआई, भारत ने एएफआईआर फोरम की 11वीं और 12वीं बैठकों में सहभागिता की और एएफआईआर के मसौदा कार्य में, विशेष रूप से क्षेत्र के क्षमता-निर्माण में सक्रिय रूप से अंशदान किया।

अन्य वचनबद्धताएँ :

II.6.5 जी20/ वित्तीय स्थिरता बोर्ड : वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वित्तीय प्रणाली की असुरक्षितताओं का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। एफएसबी का एक मुख्य अधिदेश है वित्तीय विनियमन पर जी20 की नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित करना। एफएसबी में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।

एफएसबी की बैठकों में चर्चित बीमा संबंधी विषयों पर अपने विचार और अभिमत वित्त मंत्रालय अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराने के द्वारा आईआरडीएआई एफएसबी के कार्य में अंशदान करता है। आईआरडीएआई बीमा के लिए संगत एफएसबी के सर्वेक्षणों / प्रश्नावलियों / समीक्षाओं के लिए प्रतिक्रियाएँ भी देता है।

II.6.6 भारत की एफएसबी समकक्ष समीक्षा: एफएसबी समकक्ष समीक्षाएँ एफएसबी के अंदर सहमति-प्राप्त वित्तीय क्षेत्र मानकों और नीतियों के कार्यान्वयन एवं अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में उनकी प्रभावात्मकता पर फोकस करती हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में भारत 2015 में एक एफएसबी समकक्ष (पियर) समीक्षा के अधीन रहा। एफएसबी ने एक समकक्ष समीक्षा टीम उक्त समकक्ष समीक्षा करने के लिए नियुक्त की। उक्त समकक्ष समीक्षा ने दो विषयों को समाविष्ट किया: (1) समष्टि विवेकपूर्ण नीतिगत ढाँचा और (2) गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का विनियमन और पर्यवेक्षण। गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण के संबंध में एफएसबी विश्लेषण समकक्ष समीक्षा का फोकस एनबीएफसी (भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित) और एचएफसी (राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा विनियमित) पर सीमित था। अंतिम एफएसबी समकक्ष (पियर) समीक्षा रिपोर्ट अगस्त 2016 में प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट स्वीकार करती है कि हाल के वर्षों में समष्टि-विवेकसम्मत नीतिगत ढाँचे को विकसित करने में तथा एचएफसी के विनियमन और पर्यवेक्षण को मजबूत करने में प्रगति की गई है। उक्त समकक्ष समीक्षा संबंधित एफएसएपी और एफएसबी की सिफारिशों पर अनुवर्तन करने सहित, इन क्षेत्रों में सुधारों का कार्यान्वयन करने के लिए भारतीय प्राधिकरणों के द्वारा उठाये गये कदमों पर फोकस करती है। उक्त समकक्ष समीक्षा मुख्य एफएसएपी सिफारिशों के संबंध में आईआरडीएआई सहित, भारतीय प्राधिकरणों द्वारा सूचित की गई अनुवर्तन कार्रवाइयाँ प्रस्तुत करती है।

II.6.7 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम: वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक गहन मूल्यांकन है। विकासशील और उभरते बाजार वाले देशों में एफएसएपी मूल्यांकन आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाते हैं तथा इसमें दो घटक होते हैं : वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन (आईएमएफ का मुख्य दायित्व) तथा वित्तीय विकास का मूल्यांकन (विश्व बैंक का मुख्य दायित्व)। एफएसएपी 29 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) हैं। भारत इन 29 देशों में से एक है।

अतीत में, भारत 2000 में एफएसएपी प्रायोगिक मूल्यांकनों के अधीन तथा 2011 में एक स्वयंपूर्ण एफएसएपी के अधीन रहा है। भारत का तीसरा एफएसएपी भारतीय अधिकार-क्षेत्र के लिए अधिदेशात्मक एफएसएपी के नियमित चक्र के अनुसार वर्तमान में प्रचलित है। एफएसएपी की स्कोपिंग मिशन टीम ने मूल्यांकन की शर्तों और क्षेत्रों पर चर्चा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए दिसंबर 2016 में भारत का दौरा किया। बीमा बाजार के दृष्टिकोण से एफएसएपी द्वारा समाविष्ट किये गये फोकस क्षेत्रों में 2011 एफएसएपी से अद्यतन करना शामिल है तथा इनमें उसकी सिफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन, बीमा क्षेत्र विनियमन और पर्यवेक्षण में मुख्य गतिविधियाँ, भारतीय बीमा बाजार की संरचना, बीमा उद्योग

की गतिविधियाँ और कार्यनिष्पादन तथा विकसित बीमा उद्योग की दिशा में आगे और कदम सम्मिलित हैं।

उक्त स्कोपिंग मिशन के दौरे के उपरांत आईआरडीएआई सहित, भारतीय प्राधिकरणों के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली दी गई। आईआरडीएआई ने सभी संबंधित दस्तावेजों और डेटा के साथ एक व्यापक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। इसके बाद उक्त एफएसएपी टीम का पहला मिशन 10-23 मार्च 2017 के दौरान आयोजित किया गया। आईआरडीएआई के साथ विचार-विमर्श के दौरान एफएसएपी टीम ने एफएसएपी बीमा प्रश्नावली के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों पर फोकस किया जिनमें शामिल हैं, विधायी और विनियामक ढाँचे में सुधार, शोधक्षमता ढाँचा और प्रस्तावित जोखिम आधारित दृष्टिकोण, बीमा संस्थाओं की निगरानी तथा कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन, पंजीकरण आवश्यकताएँ आदि। चर्चाओं में आईएफआरएस के संबंध में चालू (वर्क-ऑन) प्रगति, जोखिम आधारित शोधक्षमता व्यवस्था, आदि को भी सम्मिलित किया गया। बीमा क्षेत्र के संबंध में पिछली 2011 एफएसएपी सिफारिशों/ टिप्पणियों पर की गई प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

इसके साथ ही, एफएसएपी टीम के अनुरोध पर कुछ चयनित बीमाकर्ताओं, भारतीय बीमांकक संस्थान और बीमा लोकपाल के साथ बैठकें आयोजित की गईं। यह कार्य फिलहाल प्रगति पर है।

II.6.8 ओईसीडी आईएनएफई: ओईसीडी वित्तीय समावेशन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में वित्तीय शिक्षा संबंधी विचारों और अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए सरकारों को एक विलक्षण नीतिगत फोरम उपलब्ध कराता है। वित्तीय शिक्षा संबंधी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क (आईएनएफई) वित्तीय साक्षरता के महत्व को पहचानकर ओईसीडी सरकारों द्वारा 2008 में प्रारंभ किया गया। भारत आईएनएफई की गतिविधियों में नियमित रूप से सहभागिता करता है तथा भारत के चार वित्तीय विनियमनकर्ता भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण इस संबंध में सक्रिय हैं। आईआरडीएआई अप्रैल 2012 में ओईसीडी आईएनएफई का सदस्य बना। ओईसीडी आईएनएफई बैठकों के दौरान सहभागी वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन के संबंध में विश्व भर में की गई पहलुओं का साझा करते हैं।

द्विपक्षीय वचनबद्धता

II.6.9 आईआरडीएआई ने अब तक संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीमा प्राधिकरण के साथ एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) कर लिया जो उनके संबंधित विधियों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक और संबंधित पर्यवेक्षी सूचना के विनिमय के माध्यम से बीमा पर्यवेक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया।

मंत्रालय संदर्भ: विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और वार्ताओं के प्रति अंशदान

II.6.10 2016-17 के दौरान आईआरडीएआई ने बीमा सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार के साथ एक प्रभावी और उपयोगी संयोजन के प्रति योगदान करना जारी रखा।

इस दिशा में आईआरडीएआई विभिन्न द्विपाक्षिक वार्ताओं के लिए बीमा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रश्नों, कार्यसूची मदों और विषयों पर वित्त मंत्रालय को निविष्टियाँ उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई ने वित्तीय बाजारों संबंधी भारत-जापान वार्ता, भारत-यूके आर्थिक वार्ता, भारत-अमेरिका विनियामक वार्ता, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहभागिता (आरईसीपी), डब्ल्यूटीओ मामलों और अन्य के बीच निविष्टियाँ उपलब्ध कराईं।

आईआरडीएआई ने विकासशील / अल्पतम विकसित देशों का समर्थन, बीमा के विभिन्न पहलुओं पर उनका ज्ञान बढ़ाने के उद्देश्य से उनकी आवश्यकता पर आधारित तकनीकी निविष्टियाँ उपलब्ध कराने के रूप में करने के लिए पहल की। संपर्क के विवरण के साथ उक्त प्रस्ताव 'अंतरराष्ट्रीय मामले' के अंतर्गत आईआरडीएआई की वेबसाइट में प्रस्तुत किया गया है।

II.7 शिकायतें

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीएमएस)

II.7.1 आईआरडीएआई द्वारा प्रारंभ की गई आईजीएमएस बीमा उद्योग की शिकायतों का भंडार (रिपोज़िटरी) है जो न केवल बीमाकर्ताओं के साथ ग्राहकों की शिकायतें उठाने के लिए, बल्कि बीमाकर्ताओ के विरुद्ध पंजीकृत ग्राहक शिकायतों पर विभिन्न विश्लेषणात्मक रिपोर्टें उत्पन्न करने के लिए भी एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है।

प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतें विभाग (डीएआरपीजी), भारत सरकार

II.7.2 आईआरडीएआई के आईजीएमएस पोर्टल में दर्ज शिकायतों के अलावा, बीमाकर्ताओं के विरुद्ध डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतें भी आईआरडीएआई को भेजी जाती हैं। आईआरडीएआई नियमित रूप से जीएआरपीजी के पोर्टल में पहुँचता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि बीमा क्षेत्र से संबंधित शिकायतें डाउनलोड की जाएँ और बीमाकर्ताओं द्वारा उनकी जाँच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

जीवन बीमाकर्ता

II.7.3 2016-17 के दौरान बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा सँभाली कई शिकायतों में से 99.80 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया। निजी जीवन बीमाकर्ताओ ने सूचित की गई शिकायतों के 99.73 प्रतिशत का समाधान किया, जबकि एलआईसी ने 100 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया, जिसके परिणामस्वरूप 31.3.2017 को एलआईसी के पास कोई लंबित शिकायतें नहीं थीं।

जैसा कि चार्ट II.7 से देखा जा सकता है, शिकायत निवारण दिशानिर्देशों के तौर पर आईजीएमएस के अनुसार वर्गीकरण 2015-16 की तुलना में 2016-17 के दौरान अनुचित व्यवसाय प्रथाओं के अंतर्गत शिकायतों में 3 प्रतिशत की सीमांत कमी तथा दावों के अंतर्गत सूचित शिकायतों में 2 प्रतिशत वृद्धि निर्दिष्ट करता है। अन्य और पॉलिसी सर्विसिंग के अंतर्गत शिकायतों ने क्रमशः 2 प्रतिशत और 3 प्रतिशत सीमांत कमी दर्ज की है। प्रस्ताव प्रसंस्करण और यूलिप संबंधी शिकायतों के अंतर्गत शिकायतों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल शिकायतों में से वही अंश बनाये रखा है।

साधारण बीमाकर्ता

II.7.4 साधारण बीमा कंपनियों ने वर्ष 2016-17 के दौरान सँभाली गई शिकायतों के 98.52 प्रतिशत का समाधान किया है। निजी साधारण बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा सँभाली गई शिकायतों के 99.20 प्रतिशत और सरकारी साधारण बीमा कंपनियों ने 97.35 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 786 शिकायतें

चार्ट II.7: पिछले 2 वर्षों के दौरान प्राप्त जीवन शिकायतों का वर्गीकरण

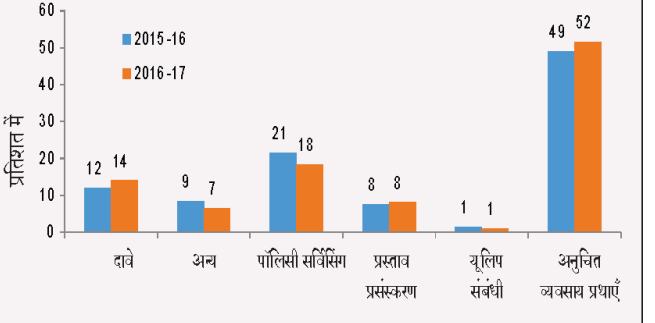

सारणी II.13
2016-17 के दौरान शिकायतों की स्थिति(आईजीएमएस के अनुसार): जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2016 को बकाया	2016-17 के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2016-17 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2017 को बकाया
एलआईसी	0	30784	30784	0
निजी	935	90063	90751	247
कुल	**935**	**120847**	**121535**	**247**

सारणी II.14
2016-17 के दौरान शिकायतों की स्थिति: साधारण बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2016 को बकाया	2016-17 के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2016-17 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2017 को बकाया
सरकारी	525	19053	19060	518
निजी	446	33051	33229	268
कुल	**971**	**52104**	**52289**	**786**

चार्ट II.8
पिछले 2 वर्षों के दौरान पंजीकृत साधारण बीमा शिकायतों का शिकायत प्रकार-वार वर्गीकरण

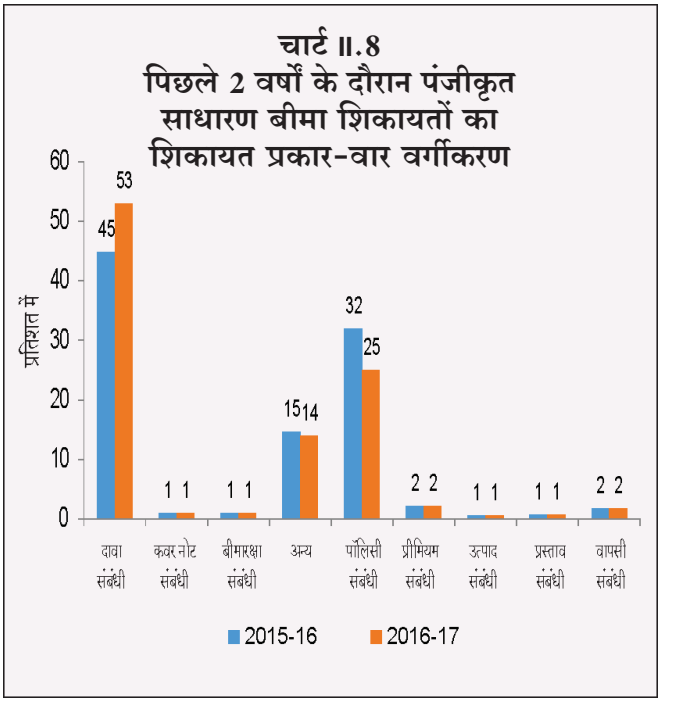

चार्ट II.9
पिछले 3 वर्षों के दौरान पॉलिसी प्रकार-वार साधारण बीमा शिकायतें

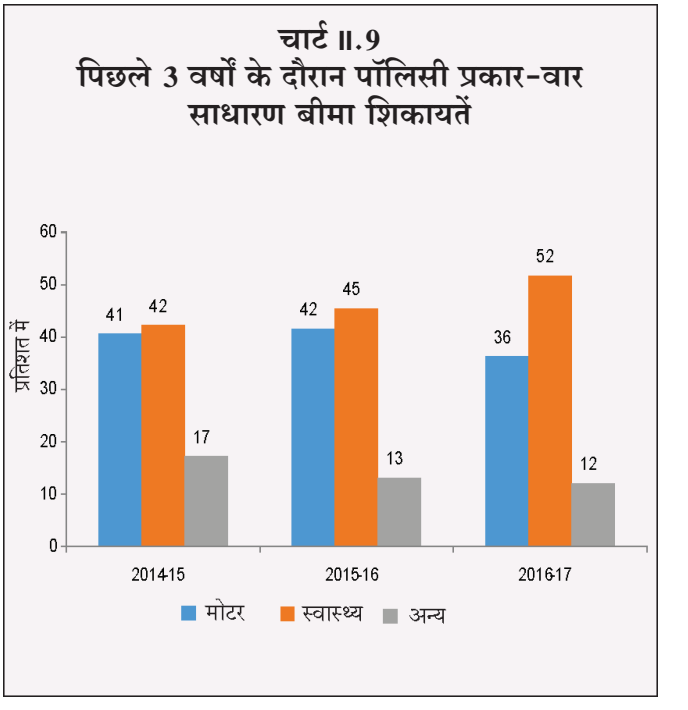

समाधान के लिए लंबित थीं, जिनमें से 268 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित थीं और 518 सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की थीं।

चार्ट II.8 से यह देखा जा सकता है कि 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान पॉलिसी संबंधी के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 7% कमी तथा दावों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 8% वृद्धि है। अन्य के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों ने पिछले वर्ष की तुलना में 1% कमी दर्शाई है। सभी अन्य श्रेणियों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों ने पिछले वर्ष के अंश को ही बनाये रखा है।

पॉलिसी प्रकार के अंतर्गत शिकायतों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान मोटर बीमा के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों की तुलना में स्वास्थ्य बीमा संबंधी शिकायतें अधिक हैं।

शिकायतें 2015-16 की तुलना में 2016-17

II.7.5 जीवन बीमा उद्योग - सूचित की गई शिकायतों की संख्या में वर्ष 2016-17 में 40.96% की काफी कमी रही है (2015-16 के 204701 की तुलना में 2016-17 में 120847)। 31.3.2017 को लंबित शिकायतों के संबंध में यह पाया गया है कि 31.3.2016 को लंबित 935 शिकायतों की तुलना में 247 शिकायतें लंबित थीं।

II.7.6 साधारण बीमा उद्योग - 2015-16 में सूचित की गई संख्या की तुलना में वर्ष 2016-17 में 12% कमी रही है (2015-16 की 59083 की तुलना में 2016-17 में

सारणी II.15
शिकायतों की प्रवृत्ति: जीवन बीमाकर्ता

क्र. सं.	बीमाकर्ता	2015-16				2016-17			
		प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
(i)	सरकारी कुल:	0	64750	64750	0	0	30784	30784	0
(ii)	निजी कुल:	6109	139951	145125	935	935	90063	90751	247
	कुल जोड़:	**6109**	**204701**	**209875**	**935**	**935**	**120847**	**121535**	**247**

सारणी II.16
शिकायतों की प्रवृत्ति: साधारण बीमाकर्ता

क्र. सं.	बीमाकर्ता	2015-16				2016-17			
		प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
(i)	सरकारी कुल:	437	17806	17718	525	525	19053	19060	518
(ii)	निजी कुल:	1662	41277	42493	446	446	33051	33229	268
	कुल जोड़:	**2099**	**59083**	**60211**	**971**	**971**	**52104**	**52289**	**786**

सारणी II.17
शिकायतों की प्रवृत्ति: उद्योग

बीमाकर्ता	2015-16				2016-17			
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
उद्योग (जीवन + साधारण)	8208	263784	270086	1906	1906	172951	173824	1033

52104)। लंबित शिकायतों के संबंध में 31.3.2016 को लंबित 971 की तुलना में 31.3.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या 786 रही।

II.7.7 उद्योग -- उद्योग ने वर्ष 2016-17 में 90833 शिकायतों की उल्लेखनीय कमी देखी है। वर्ष 2015-16 की 263784 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 172951 शिकायतें सूचित की गईं। प्रतिशत के तौर पर अभिव्यक्त की गई शिकायतों की संख्या में कमी लगभग 34.43 प्रतिशत है।

31.3.2017 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों के संबंध में 12 जीवन बीमाकर्ताओं और 7 साधारण बीमाकर्ताओं ने शून्य लंबित दर्शाया है।

चार्ट II.10
शिकायतों की प्रवृत्ति - उद्योग पिछले दो वर्ष

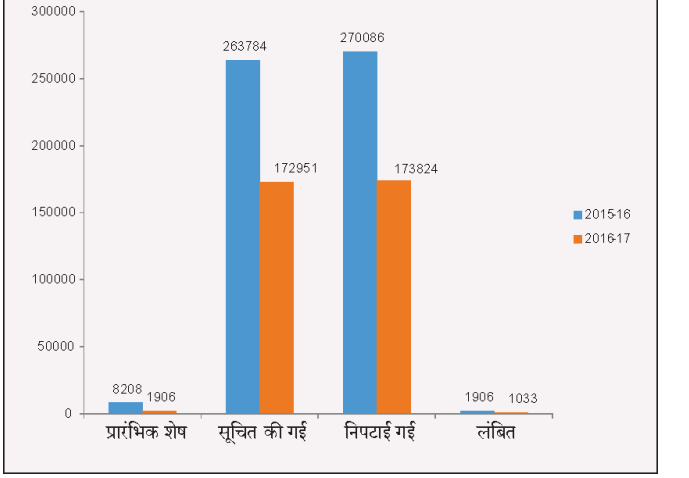

सारणी II.18
बीमाकर्ता जिन्होंने 31.3.2017 को लंबित शिकायतों की संख्या 'शून्य' दर्ज की है

क्रम सं.	बीमाकर्ता का प्रकार	बीमाकर्ता का नाम	निम्न तारीख को लंबित	
			31.3.2017	31.3.2016
1	जीवन बीमाकर्ता	एलआईसी	0	0
2		एइगॉन लाइफ	0	144
3		अवीवा लाइफ	0	0
4		बजाज अलायंज़ लाइफ	0	14
5		केनरा एचएसबीसी	0	13
6		एडेलवेइस टोकियो	0	6
7		एक्साइड लाइफ	0	41
8		आईडीबीआई फेडरल	0	0
9		मैक्स लाइफ	0	0
10		रिलायंस निप्पोन	0	169
11		स्टार यूनियन दाई-ईची	0	88
12		टाटा एआईए लाइफ	0	0
13	साधारण बीमाकर्ता	एचडीएफसी एरगो	0	16
14		एलएण्डटी जनरल	0	0
15		मैक्स बूपा	0	0
16		रहेजा क्यूबीई	0	0
17		रेलिगेर हेल्थ	0	6
18		श्रीराम जनरल	0	0
19		यूनिवर्सल सोम्पो	0	0

सारणी II.19
डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज की गई और आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतों की प्राप्ति और निपटान
(1.4.2016 से 31.3.2017 तक की अवधि के दौरान)

शिकायत का स्रोत	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्तियाँ	अवधि के दौरान निपटाये गये मामले	31/03/2017 को लंबित
डीएआरपीजी	26	299	325	312	13
डीपीजी	3	168	171	165	6
स्थानीय/इंटरनेट	56	1104	1160	1102	58
पेंशन	1	1	2	1	1
प्रधानमंत्री कार्यालय	149	1486	1635	1565	70
राष्ट्रपति सचिवालय	2	29	31	31	0
कुल	**237**	**3087**	**3324**	**3176**	**148**

सारणी II.20
आईआरडीएआई को भेजी गई शिकायतें - 31.3.2017 को लंबित

संस्था का नाम	01/04/2016 को आगे लाई गई	प्राप्त शिकायत	निपटाई गइ शिकायत	31/03/2017 को लंबित	0 से 15 दिन तक लंबित	16 से 30 दिन तक लंबित	31 से 60 दिन तक लंबित	60 दिन से अधिक लंबित
आईआरडीएआई	237	3087	3176	148	113	25	7	3

II.7.8 वर्ष के दौरान डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज शिकायतों में से आईआरडीएआई को 3087 शिकायतें प्रेषित की गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 3176 शिकायतें निपटाई गई हैं। 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार 148 शिकायतें लंबित थीं। 31.3.2017 को लंबित 148 शिकायतों में से 3 शिकायतें समाधान के लिए 60 दिन से अधिक लंबित थीं।

II.8 बीमा संघ और बीमा परिषदें

II.8.1 जीवन बीमा परिषद

जीवन बीमा परिषद बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64सी के अधीन गठित की गई है। जीवन बीमा परिषद का प्राधिकार बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 64एफ(1) के अधीन व्यवस्थित तरीके से गठित कार्यकारी समिति में निहित है।

जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात (क) जीवन बीमा परिषद के सदस्यों के चार प्रतिनिधि जो परिषद के उप-नियमों में निर्धारित किये जानेवाले तरीके से सदस्यों के द्वारा उनकी वैयक्तिक क्षमता में चुने जाते हैं; (ख) प्राधिकरण द्वारा नामांकित एक प्रसिद्ध व्यक्ति जो बीमा व्यवसाय से संबद्ध नहीं है; (ग) प्राधिकरण द्वारा नामित किये जानेवाले क्रमशः बीमा एजेंटों, मध्यवर्तियों और पॉलिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन व्यक्ति; (घ) स्वयं-सहायता समूहों और बीमा सहकारी सोसाइटियों से प्रत्येक का एक प्रतिनिधिः बशर्ते कि खंड (क) में उल्लिखित एक प्रतिनिधि को जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।

बीमा अधिनियम, की धारा 64जे(1) के अनुसार जीवन बीमा परिषद की कार्यकारी समिति के कार्य निम्नानुसार हैं--

क) आचरण के मानक और सुदृढ़ व्यवहार स्थापित करने के विषय में एवं जीवन बीमा पॉलिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को सहायता पहुँचाना, परामर्श देना और उन्हें सहयोग प्रदान करना;

ख) भारत में बीमाकर्ताओं द्वारा जीवन बीमा व्यवसाय करने के संबंध में उनके व्ययों को नियंत्रित करने के विषय में प्राधिकरण को परामर्श देना;

ग) जीवन बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों के लिए हानिकर तरीके से कार्य करनेवाले किसी भी बीमाकर्ता के मामले को प्राधिकरण की जानकारी में लाना;

घ) प्राधिकरण के अनुमोदन से खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए किसी भी प्रासंगिक अथवा अनुषंगी मामले में कार्य करना, जो भारत के राजपत्र में जीवन बीमा परिषद के द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

वर्ष के दौरान जीवन बीमा परिषद ने अपने सदस्यों के लिए अपने विचारों, अनुभवों और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को प्रभावित करनेवाले सामान्य सरोकारों पर चर्चा और उनका विनिमय करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया। परिषद ने आईआरडीएआई द्वारा गठित विभिन्न समितियों में भाग लिया है तथा जीवन बीमा उद्योग की चिंताओं और अपेक्षाओं को उजागर करने के तौर पर अंशदान किया है। जीवन बीमा से संबंधित विभिन्न समस्याओं को आईआरडीएआई और भारत सरकार के स्तर पर उठाने में जीवन बीमा परिषद ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

2016-17 में जीवन परिषद द्वारा किये गये विभिन्न कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. **विस्तृत अभ्यावेदन की प्रस्तुतिः** आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 आदि जैसे विभिन्न विनियम बनाने/ संशोधित करने में।

2. **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)** उपर्युक्त योजना के अंतर्गत सभी मृत्यु दावों के लिए एक मृत्यु दावा रजिस्ट्री विकसित करने और उसका अनुरक्षण करने का अधिदेश जीवन बीमा परिषद को सौंपा गया। परिषद वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को नियमित रूप से साप्ताहिक अद्यतन विवरण प्रस्तुत कर रही है। 31 मार्च 2017 तक परिषद की रजिस्ट्री में 69,976 दावे निहित थे।

3. **केन्द्र बजट 2017-18 के लिए बजट-पूर्व बैठक** वित्त मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 6 अक्तूबर 2016 के पत्र के अनुसार केन्द्र बजट 2017-18 के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संबंध में प्रस्ताव भेजने के लिए जीवन परिषद से अनुरोध किया गया। तदनुसार, जीवन परिषद ने 26 अक्तूबर 2016 को मुंबई में अपने कार्यालय

पर सभी सदस्य कंपनियों की एक बैठक आयोजित की। उसके अनुसार परिषद ने वित्त मंत्रालय को अंतिम अभ्यावेदन 28 अक्तूबर 2016 को प्रेषित किया। जीवन परिषद को नई दिल्ली में 09 जनवरी 2017 को एक बजट-पूर्व 2017-18 प्रस्तुतीकरण करने के लिए अवसर दिया गया।

4. **बीमा सूचना केन्द्र (आईआईबी) द्वारा मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर अन्वेषण केन्द्र (एमएमआईसी)** आईआईबी, जीवन बीमा परिषद और भारतीय बीमांकक संस्थान के बीच एमएमआईसी के लिए व्यावसायिक सहयोग करार के खंड 10(बी) के अनुसार जीवन बीमा परिषद और भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) से अपेक्षित था कि वे दो समितियों अर्थात् बीमांकिक पर्यवेक्षण समिति (एओसी) और परिचालन पर्यवेक्षण समिति को बनाएँ। तदनुसार, जीवन परिषद ने उक्त दोनों समितियों में अपने सदस्यों को नामित किया तथा इस विषय में आईएआई से नामांकन प्राप्त किया। आईआईबी ने बैठकों की शृंखला का आयोजन किया।

5. **सीएससी अपडेट --** जीवन बीमा परिषद भुगतान की एनईएफटी विधि के माध्यम से सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लि. को ₹5000 प्रति लाइसेंसीकृत आरएपी (ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति) की दर से 'ऑन बोर्डिंग कॉर्पस निधि' अंतरणों का अभिरक्षक है। तदनुसार, उक्त कॉर्पस निधि से आहरित राशि के साथ सीएससी-एसपीवी सक्रियकृत केन्द्रों का विवरण जीवन बीमा परिषद की वेबसाइट पर जीवन बीमा परिषद को सीएससी-एसपीवी द्वारा उपलब्ध कराई गई सक्रियकृत ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) की सूची के अनुसार प्रदर्शित किया जाता है। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा परिषद को सीएससी-एसपीवी द्वारा उपलब्ध कराई गई सक्रियकृत ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) की सूची 5590 पर स्थित है।

परिषद की वेबसाइट में सांख्यिकीय आंकड़े, नवीनतम समाचार और जीवन बीमा उद्योग से संबंधित अन्य सूचना उपलब्ध है। इस वित्तीय वर्ष 2016-17 से परिषद ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित डेटा भी प्रदर्शित करना प्रारंभ किया है

- जीवन कंपनियों के उत्पादों की संख्या से संबंधित डेटा
- जीवन कंपनियों के वैयक्तिक एजेंटों से संबंधित डेटा
- जीवन कंपनियों का नया व्यावसायिक डेटा

आईआरडीएआई के निदेश के अनुसार, उक्त वेबसाइट अपनी सभी सदस्य कंपनियों के यूलिप उत्पादों के दैनिक एनएवी को शामिल करती है।

साधारण बीमा निगम

II.8.2 साधारण बीमा परिषद (जीआई काउन्सिल) आईआरडीएआई के पास पंजीकृत स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं (एफआरबी) और लॉयड्स इंडिया सहित साधारण बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है। वर्तमान में साधारण बीमा परिषद के सदस्यों की संख्या 36 है अर्थात् 4 सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता, 18 निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता, 6 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता, दो विशेषीकृत बीमाकर्ता (एआईसी और ईसीजीसी), पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई) और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की 6 शाखाएँ। साधारण बीमा परिषद की कार्यकारी समिति में परिषद की उप-विधियों में निर्धारित किये जानेवाले तरीके से सदस्यों द्वारा अपनी वैयक्तिक क्षमता में चुने गए साधारण बीमा परिषद के सदस्यों के चार प्रतिनिधि, आईआरडीएआई द्वारा नामित बीमा व्यवसाय से असंबद्ध एक प्रसिद्ध व्यक्ति, क्रमशः बीमा एजेंटों, अन्य पक्ष प्रबंधकों, सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों तथा पॉलिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आईआरडीएआई द्वारा नामित किये गये चार व्यक्ति होते हैं।

बीमा अधिनियम,1938 की धारा 64एल(1) के अनुसार साधारण बीमा परिषद के पास निम्नलिखित कार्य हैं :

क) साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को आचरण के मानक और सुदृढ़ प्रथाएँ स्थापित करने के विषय में तथा साधारण बीमा पॉलिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में सहायता और परामर्श प्रदान करना;

ख) कमीशन और अन्य व्ययों के विषय में भारत में व्यवसाय करनेवाले ऐसे बीमाकर्ताओं के व्ययों को नियंत्रित करने के विषय में प्राधिकरण को परामर्श देना;

ग) साधारण बीमा पॉलिसियों के धारकों के हितों के विपरीत तरीके से कार्य करनेवाले किसी ऐसे बीमाकर्ता के मामले में प्राधिकरण की जानकारी में लाना;

घ) प्राधिकरण के अनुमोदन से खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रासंगिक अथवा

अनुषंगी विधि से कार्य करना, जैसा कि भारत के राजपत्र में परिषद द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

II.8.3 वर्ष के दौरान साधारण बीमा परिषद ने सदस्य कंपनियों के विभिन्न जोखिम-अंकन विभागों के प्रमुखों, सीएफओ, और अन्य वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को प्रभावित करनेवाले अपने विचारों, अनुभवों और सामान्य सरोकारों का विनिमय करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराया। ईटीएएसएस, स्वास्थ्य, मोटर, संपत्ति, कराधान और अनुपालन संबंधी विषयों को समाविष्ट करते हुए परिषद के तत्वावधान में 15 औपचारिक बैठकें आयोजित की गईं। परिषद ने आईआऱडीएआई द्वारा गठित विभिन्न समितियों की बैठकों में भाग लिया है तथा साधारण बीमा उद्योग की चिंताओं और आवश्यकताओं को सामने लाने के तौर पर योगदान किया है। परिषद का प्रतिनिधित्व एफआईसीसीआई, सीआईआई, एएसएसओसीएचएएम, आईआईआई, आईबीएआई जैसे विभिन्न फोरमों के सम्मेलनों / सेमिनारों / बैठकों एवं आईआरडीएआई द्वारा गठित विभिन्न समितियों में किया गया।

साधारण बीमा परिषद ने उद्योग के दृष्टिकोण और अभिमत मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016, माल और सेवा कर (जीएसटी) तथा वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग), जीएसटी आयुक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (राजस्व प्रभाग), गृह मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों एवं सीबीडीटी और सीबीईसी अधिकारियों द्वारा संदर्भित किये गये विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किये। मोटर टीपी क्षतिपूर्ति मामलों, संपूर्ण और अंतिम निपटान उन्मोचन वाउचरों, अबीमाकृत वाहनों और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए पैकेज दरों के संबंध में साधारण बीमा परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय एवं मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद और दिल्ली स्थित उच्च न्यायालयों में उद्योग का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए कानूनी मामलों का सक्रिय रूप से अनुवर्तन किया। साधारण बीमा परिषद मोटर अन्य पक्ष बीमा से संबंधित विषयों पर सर्वोच्च न्यायालय में विभिन्न मामलों का अनुवर्तन किया। कुल मिलाकर साधारण बीमा परिषद ने विभिन्न गतिविधियों और परियोजनाओं के अनुसरण में विभिन्न स्थानों पर 161 बैठकों में प्रतिनिधित्व किया।

II.9 बीमा लोकपाल

II.9.1 2016-17 के दौरान सारे भारत में व्याप्त सत्रह लोकपाल केन्द्रों ने कुल 27627 शिकायतें प्राप्त की हैं। जबकि 16744 शिकायतें (लगभग 60 प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं, शेष 10883 शिकायतें (लगभग 40 प्रतिशत) साधारण बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं। यह मार्च 2016 के अंत में लोकपालों के विभिन्न कार्यालयों के पास लंबित 2693 शिकायतों के अतिरिक्त है।

II.9.2 2016-17 के दौरान लोकपालों ने 27990 शिकायतों का निपटान किया है। इन शिकायतों में से लोकपालों ने 57.12 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य / विचार करने के लिए अयोग्य के रूप में घोषित किया। कुल शिकायतों के 26.87 प्रतिशत के लिए अधिनिर्णय / सिफारिशें जारी की गईं। इसके अलावा, 7.01 प्रतिशत शिकायतें वापस ली गईं/ निपटाई गईं, जबकि लगभग 9 प्रतिशत शिकायतें खारिज की गईं। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार 2330 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.21

2016-17 के दौरान बीमा लोकपालों के द्वारा शिकायतों का निपटान

बीमाकर्ता	1.4.2016 को बकाया शिकायतें	2016-17 के दौरान प्राप्त	कुल	2016-17 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	निम्नलिखित निपटाई गई शिकायतों की संख्या				शिकायतें 31.3.2017 को बकाया
					(I)	(II)	(III)	(IV)	
जीवन	2009	16744	18753	17377	4599 (26.47)	1251 (7.20)	1412 (8.13)	10115 (58.21)	1376
साधारण	684	10883	11567	10613	2921 (27.52)	712 (6.71)	1106 (10.42)	5874 (55.35)	954
संयुक्त	**2693**	**27627**	**30320**	**27990**	**7520 (26.87)**	**1963 (7.01)**	**2518 (9.00)**	**15989 (57.12)**	**2330**

टिप्पणी: (i) सिफारिशें / अधिनिर्णय (ii) वापस लेना / समझौता (iii) खारिज करना (iv) अस्वीकरण / विचार करने योग्य नहीं

भाग-III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन करने, संवर्धन करने तथा उनकी सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) में प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किये गये हैं। वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण एवं अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2016-17 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

III.1.1 वर्ष 2016-17 के दौरान, आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नाम की एक नई कंपनी को पंजीकरण प्रमाणपत्र 11 जुलाई 2016 को जारी किया गया। इस बीमाकर्ता के प्रवेश के साथ ही, उद्योग में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की संख्या बढ़कर 6 हो गई है।

III.1.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 का संशोधन इस प्रकार परिभाषित करता है 'भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगी हुई विदेशी कंपनी'। इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति 'विदेशी कंपनी' से अभिप्रेत होगा भारत के बाहर किसी भी देश की विधि के अधीन स्थापित अथवा निगमित कंपनी अथवा निकाय तथा इसमें लॉयड्स अधिनियम, 1871 (युनाइटेड किंगडम) के अधीन स्थापित लॉयड्स अथवा उसका कोई सदस्य शामिल है।

बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं और लॉयड्स को भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा रही है। प्राधिकरण ने इसके संबंध में विनयम अधिसूचित किये हैं और वे निम्नानुसार हैं :

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015, 19.10.2015 को।
- आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016, 28.1.2016 को।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016, 9 मार्च 2016 को।

2016-17 के दौरान निम्नलिखित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में अपने पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया।

सारणी III.1
भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं / लॉयड्स इंडिया की सूची

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता/ लॉयड्स	पंजीकरण के प्रमाणीकरण की तारीख
म्यूनिख रे, जर्मनी	21.12.2016
स्विस रे, स्विट्जरलैंड	21.12.2016
हैनोवर रे, जर्मनी	21.12.2016
एससीओआर से, फ्रांस	21.12.2016
आरजीए रे, कनाडा	21.12.2016
लॉयड्स, युनाइटेड किंगडम	17.01.2017
एक्सएल कैटलिन से, युनाइटेड किंगडम	01.02.2017

इनके अलावा, एमएस अमलिन (लॉयड्स सिंडिकेट), यूनाइटेड किंगडम को भारत में सेवा कंपनी खोलने के लिए 29.03.2017 को पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था।

जेन आरई एजी, जर्मनी और एएक्सए वी, फ्रांस को भी क्रमशः माह मई और जुलाई 2017 में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016, 22.02.2016 को अधिसूचित किये गये।

भारत में प्रथम निजी पुनर्बीमा कंपनी मेसर्स आईटीआई रीइंश्योरेंस कंपनी लि., को पंजीकरण प्रमाणपत्र 31.12.2016 को प्रदान किया गया।

III.1.3 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विनियमित संस्थाओं का स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण करना निरीक्षण विभाग का दायित्व है। पूरी की गई रिपोर्टें टिप्पणियों/ अनुपालन के लिए निरीक्षित संस्थाओं को भेजी जा रही हैं तथा उसके बाद अंतिम निरीक्षण रिपोर्ट प्रवर्तन विभाग को प्रेषित की जाती है। निरीक्षण की गई संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं/ अनुपालनों का विश्लेषण किया जाता है तथा प्रवर्तन विभाग द्वारा अंतिम रूप दी गई प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधित पूर्णकालिक सदस्यों (डब्ल्यूटीएम) को उनकी टिप्पणियों/ निविष्टियों के लिए 10 दिन के समय के अंदर प्रस्तुत की जाती है। डब्ल्यूटीएम से प्राप्त टिप्पणियों का ध्यान रखने के बाद प्रस्तावित कार्रवाई की प्रक्रिया अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी। इस प्रकार, सभी निरीक्षण रिपोर्टों को कारण निदर्शन सूचना, वैयक्तिक सुनवाई, दंड, चेतावनी, आदि जैसी अंतिम कार्रवाइयों के माध्यम से समाप्त किया जा रहा है। भारत सरकार ने बीमा विधि (संशोधन) अध्यादेश 2014 का प्रवर्तन 26 दिसंबर 2014 को किया है जो बाद में बीमा विधि (संशोधन) विधेयक 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया और संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया तथा अंतिम रूप से 22 मार्च 2015 को अधिनियमित किया गया। इसके अनुसार दंड के उपबंधों में संशोधन किया गया तथा दंड लागू करना अधिनियम की कुछ धाराओं के संबंध में न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया के द्वारा होगा। न्यायनिर्णयन अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा जो कम से कम आईआरडीएआई में संयुक्त निदेशक के स्तर का होगा। दंड के परिमाण के संबंध में निर्णय लेने से पहले ध्यान में रखे जानेवाले कारक अधिनियम में दिये गये हैं। आईअरडीएआई के आदेशों के विरुद्ध सभी अपीलें प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) के पास की जाएँगी। लगाये गये मौद्रिक दंडों का विवरण अनुबंध 10(i) और 10(ii) में दिया गया है।

III.1.4 उपर्युक्तानुसार लगाये गये मौद्रिक दंड के अलावा, अन्य संस्थाओं के संबंध में पाये गये अननुपालनों पर भी अन्य दंडात्मक कार्रवाइयाँ प्रारंभ की गईं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने उन विनियमित संस्थाओं को भी चेतावनियाँ, विशिष्ट आदेश/ निदेश जारी किये, जो विनियामक शर्तों का पालन न करते हुए पायी गईं।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रय स्थल, दावे के स्थान, आदि पर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए विभिन्न कर्तव्य और अकर्तव्य (डूज़ एण्ड डोंट्ज़) की हिदायतें देते हुए विनियम जारी किये हैं। प्राधिकरण ने उक्त विनियमों के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को विभिन्न सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय-सीमाएँ भी निर्धारित की हैं। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी अधिदेश देते हैं। प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ता कार्य विभाग (सीएडी) के माध्यम से जीवन और साधारण बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों के लिए एक 'शिकायत कक्ष' स्थापित किया है। निर्धारित समय के अंदर बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए पॉलिसीधारकों की मदद करने में एक सहायक भूमिका अदा करने के अलावा, प्राधिकरण एक निरंतर आधार पर उन अंतर्निहित समस्याओं की जाँच करता है जो शिकायतों के लिए कारण बनती हैं तथा संबद्ध प्रणालीगत समस्याओं को ठीक करने की दिशा में कार्य करता है। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए दिशानिर्देश भी जारी किये हैं जिनके अनुसार सभी बीमाकर्ताओं को अधिदेश दिया गया है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति प्रचलित रखें तथा कॉरपोरेट अभिशासन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। उक्त दिशानिर्देशों में शिकायत निवारण प्रक्रियाएँ, टर्नअराउंड समय भी निर्धारित हैं तथा वे परिस्थितियाँ भी निर्धारित हैं जिनमें शिकायत को

समाप्त समझा जाता है। पॉलिसीधारकों/ मंत्रासयों/ विनियमनकर्ताओं और अन्य सांविधिक एजेंसियों से प्राप्त शिकायतों/ परिवादों पर कार्रवाई करते समय सख्त अनुपालन करने के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश समय-समय पर दोहराये गये हैं। बीमा क्षेत्र में विश्वास और भरोसे को बढ़ाने के लिए गंभीरता, तत्परता और समानुभूति के साथ पॉलिसीधारकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में न केवल फ्रंटलाइन स्टाफ को, बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा स्टाफ/ अधिकारियों को भी सुग्राही बनाने के लिए विद्यमान प्रणालियों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी बल दिया गया है।

III.2.2 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में निहित उपबंधों के परिणांमस्वरूप, प्राधिकरण ने उस अधिकतम शुल्क को निर्धारित करते हुए विनियम जारी किये हैं जो निम्नलिखित के लिए बीमाकर्ताओं द्वारा प्रभारित किया जा सकता है

क) समनुदेशन की सूचना की लिखित प्राप्ति-स्वीकृति प्रदान करना

ख) जीवन बीमा के पॉलिसीधारक द्वारा नामांकन के निरसन अथवा परिवर्तन को पंजीकृत करना जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई पॉलिसियों के लिए 50/- रुपये और इलेक्ट्रॉनिक से इतर रूप में जारी की गई पॉलिसियों के लिए 100/- रुपये होगा।

III .2.3 प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को सूचित किया है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के अंतर्गत, पॉलिसी में विनिर्दिष्ट समय के बाद सूचित किये गये अथवा प्रस्तुत किये गये वास्तविक दावों को अस्वीकार न करें। सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब के कारण किसी दावे को अस्वीकार करने का बीमाकर्ता का निर्णय सुदृढ़ तर्क अथवा विधिमान्य कारणों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सूचना देने के समय का खंड न तो संपूर्ण है और न ही इसे अलग रूप से देखा जा सकता है। इस स्थिति के होते हुए बीमाकर्ता किसी दावे को तब तक अस्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि विलंब के लिए कारणों का विशिष्ट रूप से पता नहीं लगाया जाता, उन्हें अभिलिखित नहीं किया जाता और बीमाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट न हों कि उन दावों को अन्य प्रकार से भी अस्वीकृत किया जाता भले ही उन्हें समय पर क्यों न सूचित किया गया हो।

III.2.4 अदावी राशियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान निम्नानुसार परिपत्रों के माध्यम से किया गया हैः

क) अदावी राशियों की परिभाषा दी गई 'अदावी राशि के अंतर्गत मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ, वापसी के लिए देय प्रीमियम, प्रीमियम के लिए समायोजित नहीं की गई प्रीमियम जमाराशि और क्षतिपूर्ति दावों आदि के रूप में पॉलिसीधारक को देय कोई भी राशि शामिल है जो दावा राशि के निपटान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अदावाकृत रही हो।'

ख) अदावी राशियों का अनुरक्षण मुद्रा बाजार लिखतों और/ या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में अधिदेशित निवेश के साथ एक एकल वियोजित (सेग्रिगेटेड) निधि के रूप में करने की आवश्यकता है। व्ययों की वसूली के लिए 20 आधार अंकों पर उच्चतम सीमा रखी गई है। अदावी राशियों संबंधी सूचना का प्रकटीकरण वेबसाइट पर करना आवश्यक है और बैंक खाते को सभी नई पॉलिसियों के लिए संबद्ध करना अधिदेशात्मक कर दिया गया है। पॉलिसीधारकों को सूचना देना अधिदेशात्मक किया गया है तथा समयावधि (एजिंग) की सूचना देने के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया गया है। किसी विनियोजन अथवा प्रतिलेखन (राइट बैक) की अनुमति नहीं दी गई है।

ग) अदावी राशियों की गणना शोधक्षमता मार्जिन के लिए नहीं की जाएगी तथा अदावी राशियों और लेखा-टिप्पणियों में प्रकटीकरणों के लिए समयावधि (एजिंग) के संबंध में सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग) निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे के लिए, अर्जित की गई निवेश आय को अदावी राशि निधि में आबंटित करना अधिदेशात्मक किया गया है। यह भी निर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्तियों/पॉलिसीधारकों/ दावेदारों को इस प्रकार जमा की गई निवेश आय के साथ ही, अभिनिर्धारित अदावी राशि का भुगतान करे। न्यायालय सहित किसी सांविधिक निकाय द्वारा दिये गये किसी अधिनिर्णय/ आदेश की स्थिति में, जिसमें ब्याज का कोई घटक सम्मिलित हो, उसपर आगे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

III.2.5 सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा मोटर अन्य पक्ष बीमा के दावेदारों की सहायता करने की दृष्टि से मोटर वाहनों की बीमा

स्थिति से संबंधित डेटा तक पहुँच हेतु समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सूचना ब्यूरो के माध्यम से एक वेब आधारित सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को वाहन, बीमा की स्थिति और पॉलिसी जारी करनेवाले कार्यालय के पते का विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

III.2.6 जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग में बीमा एजेंटों के निर्गम द्वारा निर्मित अंतराल को ध्यान में रखते हुए तथा बीमा पॉलिसियों की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए भी, प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि बीमा कंपनियाँ व्यपगत देखभाल-रहित (ऑफ़न) जीवन बीमा पॉलिसियों का आबंटन ऐसे वैयक्तिक बीमा एजेंटों को करें जिनका लाइसेंस प्रचलन में हो। आबंटित एजेंट का विवरण बीमाकर्ता द्वारा संबंधित पॉलिसीधारक को सूचित किया जाएगा।

III.2.7 जबकि स्वास्थ्य बीमा की तेजी से वृद्धि हो रही है, मुख्य पॉलिसी शर्तों के परिवर्ती अर्थनिर्णयों के संबंध में शिकायतें मिल रही हैं। भावी ग्राहक/ पॉलिसीधारक की प्रत्याशा का समाधान करने के लिए प्राधिकरण ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में सामान्य रूप से प्रयुक्त 46 शब्दों की परिभाषा, 11 गंभीर बीमारियों के नाम और उनके विस्तार एवं क्षतिपूर्ति पॉलिसियों के अंतर्गत अपवर्जन व्ययों की एक सूची का मानकीकरण किया है। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा विनियम, 2013 अधिसूचित किये गये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य पॉलिसियों के लिए 15 दिन की निःशुल्क अवलोकन (फ्री-लुक) अवधि, दावों पर निर्णय की सूचना देने के लिए अंतिम दस्तावेज की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन की समय-सीमा, सुवाह्यता (पोर्टबिलिटी) से संबंधित उपबंध, मानक परिभाषाएँ और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष उपबंध निर्धारित किये गये हैं।

III.2.8 बंद की गई संबद्ध बीमा पॉलिसियों के व्यवहार संबंधी विनियम, 2010 में आशोधन किया गया ताकि अवरुद्धता अवधि (लॉक-इन-पीरियड) की समाप्ति का विचार किये बिना, बंद करने की तारीख से दो वर्ष के अंदर पॉलिसियों का पुनःप्रवर्तन करने का अधिकार पॉलिसीधारक को दिया जा सके।

III.2.9 जीवन बीमा कंपनियों को निदेश दिया गया कि वे सभी विज्ञापनों में सचेतक संदेश देते हुए फ़र्जी फोन कॉलों और अवास्तविक / कपटपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जनसाधारण के बीच जागरूकता का प्रसार करें।

III.2.10 यह देखने के बाद कि आस्थगित वार्षिकी योजनाओं में, निहित तारीख से पहले पॉलिसीधारकों से वार्षिकी विकल्प प्राप्त न होने के कारण निहित तारीख पर वार्षिकी के प्रारंभ में विलंब हो रहा है तथा वार्षिकीग्राहियों को असुविधा/ हानि हो रही है, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आस्थगित पेंशन/ वार्षिकी योजनाओं के संबंध में जहाँ सभी वार्षिकियाँ 1 अप्रैल 2016 से देय होनेवाली हैं, निम्नानुसार अधिदेश लागू किया है।

- बीमाकर्ता प्रस्ताव के स्तर पर प्रस्तावकर्ता द्वारा विधिवत प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त करेगा। प्रस्ताव फार्मों में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसे प्रस्ताव/ पॉलिसी अभिलेख में लिया जाएगा।

- उन सभी आस्थगित वार्षिकी पॉलिसियों में जहाँ जीवन बीमाकर्ता ने प्रस्ताव के स्तर पर प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त नहीं किया है, वहाँ वह आगे और समय की हानि के बिना प्राप्त किया जा सकता है और पॉलिसी अभिलेखों में लिया जा सकता है।

- निहित तारीख से कम से कम 6 महीने पहले बीमाकर्ता उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकी राशि और चयनित विकल्प की सूचना देते हुए पॉलिसीधारक को एक सूचना-पत्र भेजेगा। बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को नवीनतम सूचना के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करने और पूर्व में अपने द्वारा चयनित किये गये विकल्प के बजाय किसी अन्य वार्षिकी विकल्प का चयन करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। उस सूचना-पत्र में बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को एक विशिष्ट तारीख देते हुए स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि संशोधित विकल्प, यदि कोई हो, के लिए अंतिम तारिख निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले हो।

- यदि निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कोई संशोधित विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो बीमाकर्ता बिन्दु 2 पर बताये गये रूप में प्रस्ताव के स्तर पर प्रयुक्त/ बाद में संगृहीत मूल विकल्प के अनुसार आगे बढ़ सकता है और वार्षिकी भुगतानों के लिए कार्रवाई कर सकता है। यदि पॉलिसीधारक द्वारा किसी संशोधित

विकल्प का प्रयोग किया जाता है जो बीमाकर्ता द्वारा निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले प्राप्त किया जाता है, तो वार्षिकी भुगतानों के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए तथा संशोधित विकल्प के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

III.2.11 आंध्र प्रदेश और ओडिशा में चक्रवात हुदहुद के कारण जान और माल को हुई हानि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाले बीमा दावों पर कार्रवाई करने के लिए प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को निदेश दिया है कि वे कार्यविधि को सरल बनाएँ और दावा निपटान में शीघ्रता लाने के लिए कुछ सक्रिय कदम उठाएँ।

III.2.12 प्राधिकरण ने यह अधिदेशित किया कि 'सभी बीमा उत्पाद संभावित पॉलिसीधारक को 4% और 8% के सकल निवेश प्रतिलाभों पर गारंटीकृत और अगारंटीकृत लाभों को समझाते हुए तथा समय-समय पर आईआरडीएआई अथवा जीवन बीमा परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यकतानुरूप तैयार किया गया लाभ विवरण उपलब्ध कराएँगे'। यह भी सूचित किया गया कि जब भी यह विवरण विज्ञापनों में दिया जाएगा, तब फॉंट आकार में समान प्रमुखता के साथ, एक ही स्थान पर और एक ही पृष्ठ पर 4% और 8% के निवेश प्रतिलाभों सहित दोनों ही परिदृश्यों के साथ होना चाहिए, ताकि संभावित ग्राहक दोनों परिदृश्यों की तुलना कर सकें; जिससे प्रतिफल के आधार पर संभव लाभ को बेहतर ढंग से समझाया जा सके।

III.2.13 उल्लेखनीय व्यावसायिक वृद्धि के साथ निरंतरता की दरों में सुधार लाने के लिए, प्राधिकरण ने कार्यपद्धति तथा नियुक्त बीमांकक की रिपोर्ट के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरंतरता रिपोर्ट जैसी अन्य आवश्यकताओं को अधिदेशात्मक किया। इस अधिदेश का उद्देश्य समस्त विनियामक रिपोर्टिंग और आंतरिक मूल्यांकनों में निरंतरता दर की गणना में समरूप और सुव्यवस्थित कार्यपद्धति को प्राप्त करना भी है।

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और आचरण-संहिता को आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है।

III.3.2 विनियामक पर्यवेक्षण को आगे और मजबूत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है।

1) बीमाकर्ताओं और रेफ़रल कंपनियों के बीच तालमेल को सरल और कारगर बनाने के लिए आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010। यह रेफ़रल संस्थाओं को देय पारिश्रमिक की उच्चतम सीमाएँ भी निर्धारित करता है तथा वह ढाँचा भी निर्धारित करता है जिसके अंतर्गत रेफ़रल संस्थाओं और बीमाकर्ताओं को बीमा व्यवसाय संचालित करना चाहिए।

2) अन्य जीवन और / या साधारण बीमा कंपनियों की सेवाओं का उपयोग अपने उत्पादों के वितरण हेतु करने के लिए कृषि बीमा कंपनी को अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 11.09.2013 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ डीआईएसटी/ जीडीएल/ एमआईएससी/ 183/ 09/ 2013 जारी किया।

3) 'बीमा एजेंटों की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देश, 2015' अधिसूचित करते हुए दिनांक 16.03.2015 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ एजीटीएस/ सीआईआर/ जीएलडी/ 046/ 03/ 2015 जारी किया जो 01.04.2015 से प्रवृत्त होगा।

4) दिनांक 22.04.2015 के परिपत्र सं. आईआरडीए/ एजीटीएस/ सीआईआर/ जीएलडी/ 081/ 04/ 2015 के अनुसार दिनांक 01.07.2015 से नई पाठ्यक्रम सामग्री आईसी 32 प्रारंभ की गई है। जो उम्मीदवार आईसी-32 में अर्हता प्राप्त करेंगे, वे स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा एजेंटों के रूप में नियुक्त

किये जाने के लिए पात्र होंगे। आईसी 33 के लिए नया पाठ्यक्रम भी स्वास्थ्य बीमा संबंधी अध्यायों के साथ 01.07.2015 से प्रारंभ किया गया है।

5) दिनांक 18.11.2015 के परिपत्र संदर्भः आईआरडीएआई/ सीएजीटीएस/ जीडीएल/ एलसीई/ 202/ 11/ 2015 के अनुसार आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अनुदेश जारी किये।

6) आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 पर स्पष्टीकरणों के संबंध में दिनांक 10.02.2016 का परिपत्र सं. आईआरडीए/ सीएजीटीएस/ सीआईआर/ एलसीई/ 029/ 02/ 2016 जारी किया।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय चार में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। विनियम 13 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई हैं किः

- यह प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होनेवाली हानियों (चाहे बीमाकृत हों अथवा नहीं) का अन्वेषण, प्रबंध, परिमाण निर्धारण, प्रमाणीकरण और निपटारा करे तथा उसके संबंध में बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करे।

- सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उपर्युक्त कार्य सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठता के साथ करेंगे तथा आईआरडीएआई सर्वेक्षक विनियम, 2015 में निर्धारित रूप में आचरण-संहिता का कड़ाई से पालन करेंगे।

III.4.2 उनके व्यावसायिक कार्य के आचरण के लिए व्यावसायिक और नीतिपरक आवश्यकताओं के संबंध में आचरण-संहिता विनियमों के अध्याय छह में विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम 16 उक्त संहिता के संबंध में विस्तार से प्रतिपादित करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारकः

- व्यावसायिक कामकाज में नीतिपरक ढंग से और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;

- व्यावसायिक और कारोबार के निर्णयन में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा;

- बीमाकर्ता से प्राप्त अनुदेशों पर उस बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में कार्य करते समय निष्पक्ष ढंग से कार्य करेगा;

- अपने कार्य की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के साथ वह संपर्क में आता है, उन सभी लोगों के साथ शिष्टता और सम्मान के साथ आचरण करेगा;

- उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य स्वीकार नहीं करेगा अथवा निष्पादित नहीं करेगा जिसके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं हो;

- अपना व्यावसायिक कार्य उचित सावधानी, अनुरक्षण कौशल तथा उससे प्रत्याशित किये जानेवाले तकनीकी और व्यावसायिक मानकों के उचित ध्यान के साथ करेगा;

- बीमा व्यवसाय में केवल सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में ही कार्य करेगा तथा कोई व्यावसायिक सलाहकारी अथवा परामर्श सेवा अथवा कार्य नहीं करेगा जो हित का संघर्ष उत्पन्न कर सकता है;

- प्राधिकरण के बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) दिशानिर्देशों के द्वारा अनुमत गतिविधियों को छोड़कर कोई अन्य बाह्यस्रोतीकरण कार्य निष्पादित नहीं करेगा;

- प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो किसी बीमाकर्ता का कर्मचारी है, केवल सर्वेक्षण और हानि का निर्धारण ही करेगा तथा दावों के निपटान में स्वयं को संबद्ध नहीं करेगा।

III.4.3 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 बनाये हैं। उपर्युक्त विनियम के विनियम 9 के अंतर्गत गैर-जीवन बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान पर कार्रवाई करते समय सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों द्वारा आचरण-संहिता का पालन करने पर अतिरिक्त रूप से बल दिया गया है।

III.4.4 वर्ष 2016-17 के दौरान, प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/ आदेश जारी किये हैं :

- दिनांक 13 अप्रैल 2016 को आईआईआईएसएलए की 8वीं चुनाव अधिसूचना तथा 24 मई 2016 को अंतिम उम्मीदवारों की सूची की घोषणा के बाद आईआईआईएसएलए के 8वें परिषद चुनाव के परिणाम 27 जुलाई 2016 को घोषित किये गये।
- सर्वेक्षक विनियम, 2015 के विनियम 27 के साथ पठित धारा 64यूएम (3) के अंतर्गत अस्थायी उपबंधों पर स्पष्टीकरण के संबंध में दिनांक 7 सितंबर 2016 का परिपत्र आईआरडीए/ एसयूआर/एमआईएससी/सीआईआर/180/09/2016 जारी किया गया।
- दिनांक 15 सितंबर 2016 के परिपत्र सं. आईआरडीए/ एसयूआर/एमआईएससी/ सीआईआर/183/09/2016 के द्वारा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 से ऑफ़-लाइन के स्थान पर ऑन-लाइन परीक्षा की घोषणा की गई।
- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2016 पर एक एक्सपोज़र प्रारूप 21 सितंबर 2016 को जारी किया गया।
- दिनांक 4 जनवरी 2017 के आदेश सं. आईआरडीए/ एसयूआर/एमआईएससी/ ओआरडी/02/01/2017 के अनुसार 9वें आईआईआईएसएलए परिषद चुनावों के संचालन के लिए चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया गया।
- दिनांक 30.3.2017 के परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/ एसयूआर/एमआईएससी/ सीआईआर/71/03/2017 के द्वारा फ़सल बीमा के लिए पाठ्यक्रम अधिसूचित किया गया तथा 12 महीने के अनिवार्य व्यावहारिक प्रशिक्षण से उन आवेदकों के लिए 31 दिसंबर 2019 तक छूट दी गई, जो फ़सल बीमा में लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं।
- दिनांक 30.3.2017 के परिपत्र सं. आईआरडीए/एसयूआर/ एमआईएससी/सीआईआर/ 72/03/2017 के द्वारा हानि के निर्धारण के लिए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम के अंतर्गत सर्वेक्षकों की नियुक्ति करने की सांविधिक अपेक्षा से फ़सल बीमा को छूट प्रदान की है।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कुशलता को बढावा देना

बीमा भंडार (रिपोज़िटरीज़)

III.5.1 बीमा रिपोज़िटरी प्रणाली बीमा पॉलिसियों को अमूर्तीकृत (डीमेटीरियलाइज़) करने के लिए प्राधिकरण की एक पहल है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण ने अप्रैल 2011 में बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये। बीमा भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण ने पाँच संस्थाओं को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किये।

III.5.2 प्राधिकरण ने आगे मौजूदा प्रणाली को बढ़ावा देने और बाजार की प्रवृत्ति को समझने के लिए 'बीमा रिपोजिटरी प्रणाली के प्रायोगिक प्रारंभ संबंधी दिशानिर्देश' जारी किये। इस पहल पर प्रतिसूचना (फीडबैक) अत्यंत सकारात्मक रही तथा लगभग 1.8 लाख ईआईए (इलैक्ट्रॉनिक बीमा खाते) खोले गये हैं। इसके अलावा, लगभग 50,000 पॉलिसीधारकों ने अपनी हॉर्ड कॉपी को इलैक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करने के लिए रुचि दर्शाई।

III.5.3 इसके उपरांत, मई 2015 में प्राधिकरण ने 'बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश' जारी किये हैं। वर्तमान में कुल 9,89,677 ईआईए खाते निर्मित किये गये हैं तथा कुल 6,17,707 पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में परिवर्तित किया गया है।

अनुमोदित बीमा रिपोज़िटरियों की सूची सारणी III.2 में दी गई है।

सारणी III.2
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोज़िटरीस)
(31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	नाम
1	नेशनल इंश्योरेंस-पॉलिसी रिपोज़िटरी, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड
2	सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोज़िटरी लिमिटेड
3	सीएएमएस रिपोज़िटरी सर्विसेज़ लिमिटेड, चेन्नै (चेन्नई)
4	कार्वी इंश्योरेंस रिपोज़िटरी लिमिटेड, हैदराबाद

इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रबंध और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस)

III.5.4 इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन प्रबंध और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस) एक समाशोधन गृह (क्लियरिंग हाउस) प्रणाली है जो सह-बीमा और पुनर्बीमा लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों और लेखा-विवरणों की साझेदारी को सुसाध्य बनाती है तथा अंतर-संस्था शेषों के सुगमतापूर्वक समाधान में सहायता पहुँचाने के लिए अभिकल्पित है। ईटीएएसएस स्वचालित वार्ता, लेनदेन स्थापन, जोखिमों का बंधन, प्रलेखीकरण, लेखांकन, शेष राशियों का समाधान और निपटान, संदेश-प्रेषण, जोखिम प्रबंध, आदि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्यात्मकता उपलब्ध कराती है। ईटीएएसएस प्रणाली सदस्यों की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी आवश्यकताओं का समाधान करने के साथ ही, पुनर्बीमा और सह-बीमा परिचालनों में संपूर्ण पारदर्शिता लाती है।

III.5.5 प्राधिकरण ने उक्त ईटीएएसएस प्रणाली को विकसित और कार्यान्वित करने का दायित्व साधारण बीमा (जीआई) परिषद को सौंपा था। जीआई परिषद ने ईटीएएसएस के विकास, परीक्षण और कार्यान्वयन के दौरान साधारण बीमाकर्ताओं को संबद्ध किया। प्राधिकरण ने ईटीएएसएस के सुचारु परिचालन को सुसाध्य बनाने तथा उसके निरंतर विकास और संरक्षण के लिए 11 मई 2015 को 'ईटीएएसएस प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश' जारी किये थे। जीआई परिषद को 'प्रशासक' के रूप में प्राधिकृत किया गया है और उन्हें सह-बीमा की अन्य व्यवस्थाओँ और बाद में पुनर्बीमा की आवश्यकताओँ को समर्थन देने के लिए ईटीएएसएस प्रणाली का विस्तार करने का दायित्व सौंपा गया है।

III.5.6 अब तक ईटीएएसएस के 3 चरण परिचालित किये गये हैं। ईटीएएसएस, जिसका प्रयोग 1 अप्रैल 2015 को प्रारंभ हुआ, ने केवल फायर एलओबी में ही सह-बीमा लेनदेनों के साथ संबंध रखा। उक्त चरण के अंतर्गत एक एक्सएमएल के माध्यम से अपलोड थे तथा इसने बीमाकर्ताओं को ईटीएएसएस की संकल्पना से और ग्रहण किये जानेवाले लेनदेनों से परिचित कराया। ईटीएएसएस का चरण 2 प्रयोग 1 अप्रैल 2016 को प्रयोग में आया। जबकि इसने केवल फायर एलओबी के लिए ही व्यवस्था की, उक्त प्रणाली का निर्माण निपटान प्रणाली, शेषराशि समाधानों और भुगतानों की पुष्टि के लिए किया गया था।

ईटीएएसएस के चरण 3 में सभी एलओबी के सह-बीमा लेनदेनों को शामिल किया गया, तथा कंपनियों द्वारा परीक्षण के लिए इसे 15 जनवरी 2017 को खोला गया। उक्त प्रणाली का प्रयोग 1 अप्रैल 2017 को प्रारंभ हुआ। निम्नलिखित मुख्य बातें उक्त प्रणाली की विशिष्टताएँ थीं :

1. सभी लेनदेनों की खोज (ट्रैकिंग) सहित एक वेब सेवा के माध्यम से लेनदेन की प्रविष्टि।
2. प्रत्येक गतिविधि की पहचान करने के लिए प्रत्येक लेनदेन के लिए उत्पन्न की गई विलक्षण लेनदेन संख्या।
3. सुदृढ़ पुष्टीकरण और विवादों को सँभालने की व्यवस्थाएँ।
4. प्रणाली में जो सह-बीमा विद्यमान नहीं है, उसकी सूचना देने की सुविधा तथा उसकी सुधारात्मक कार्रवाई।
5. ईटीएएसएस के माध्यम से शेष राशियों का समाधान तथा भुगतानों का पुष्टीकरण।
6. उन्नत रिपोर्ट उत्पादन।
7. ओल्डर सहित, सभी अंतर-कंपनी लेनदेनों और निपटानों को सँभालने की व्यवस्था।
8. बीमाकर्ताओं के पास विद्यमान स्थिति के अनुरूप आंतरिक कार्यालय संरचनाओं को सँभालना।
9. कार्यालय कूटों, निपटान कूटों, बीमा कंपनी कूटों, एलओबी, व्यवसाय के उप वर्गों, हानि के लिए कारण, कार्मिकों के संपर्क विवरण आदि के अद्यतन किये गये मास्टर।
10. खोज (ट्रैकिंग) के साथ संचार का प्लेटफार्म।

ईटीएएसएस के चरण 3 के साथ, लेनदेन प्रणाली अब स्थिर हो गई है। सभी बीमाकर्ता सभी एलओबी में सह-बीमाओं का डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, बीमाकर्ताओं द्वारा दर्ज किये गये सह-बीमा के अंतर्गत प्रायः 80% लेनदेन उक्त प्रणाली के अंदर हैं। 21 दिन के बाद स्वतः पुष्टीकरण, तथा प्रदत्त शेयरों की पुष्टि करने अथवा विवाद करने के लिए प्रणाली के अंदर प्रावधान की व्यवस्था का सह-बीमाकर्ताओं

द्वारा भली-भाँति उपयोग किया गया है। किसी विसंगति की स्थिति में उपयुक्त समाधान के लिए उसका संकेत किया जाता है और उसका ऑफ़लाइन अनुवर्तन किया जाता है। 60% से अधिक बीमाकर्ता प्रणाली में डेटा को प्रविष्ट करने के लिए वेब सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, जिससे अपलोड करने का समय अत्यंत कम हो गया है। प्रारंभिक स्तर पर ही संकेतित किये जा रहे लेनदेनों के साथ ही, सह-बीमा विवादों की संख्याएँ भी कम हो रही हैं।

वर्तमान में, एक मासिक / तिमाही चक्र का अनुसरण किया जा रहा है, जहां व्यक्तियों के साथ कागज पर लिखित रूप में समाधान किया जाता है जिसके संबंध में ईटीएएसएस का उद्देश्य इसे पाक्षिक समाधान और मासिक समाधान चक्र के रूप में परिवर्तित करना है। यह प्रत्याशा की जाती है कि दिसंबर 2017 तक ईटीएएसएस का इष्टतम (ऑप्टिमम) स्तर तक उपयोग किया जाएगा। बीमाकर्ता इसके प्रभावों के संबंध में सकारात्मक रहे हैं तथा प्रक्रियाएँ आंतरिक रूप से धीरे-धीरे परिवर्तित हो रही हैं।

डेटा मानक

III.5.7 बीमा क्षेत्र में बहुविध संस्थाओं की आईटी प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण ने डेटा मानकों के संकलन का कार्य प्रारंभ किया था। सूचना के आदान-प्रदान के लिए डेटा मानक सामान्य परिभाषाएँ उत्पन्न करते हैं। यह संगठन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बहुविध प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग में सहायता करता है।

III.5.8 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली का समर्थन करने के लिए मानक विस्तार्य मार्कअप भाषा (एक्सएमएल) योजना (स्कीमा), जिसमें क्षेत्र परिभाषाएँ, क्षेत्र की विशेषताएँ और संदेश की विषय-वस्तु निहित हैं, का पूर्व में जीवन खंड के लिए बहुविध खिलाड़ियों के बीच डेटा के विनिमय के लिए साझा किया गया था। इसी प्रकार, व्यवसाय की 'स्वास्थ्य', 'मोटर' और 'व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं' की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए योजनाओं (स्कीमाओं) को अंतिम रूप दिया गया है। ये योजनाएँ (स्कीमाज़) बीमा रिपोजिटरी प्रणाली में जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा लेनदेनों की 'वैयक्तिक व्यवस्थाओं' का समर्थन करेंगी।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र

III.5.9 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफसीटी) किसी भी देश के अन्दर वित्तीय सेवाओं का केन्द्र (हब) है जो उनके लिए विशिष्ट रूप से निर्धारित विधियों और विनियमों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है। सामान्यतः इन केन्द्रों के लिए कर की निम्न दरें, प्रतिभूतियों और मुद्रा व्यापार के लिए विशेष विनियम होते हैं जो विदेशी निवेश के लिए उन्हें आकर्षक बनाते हैं। यह कहा जा सकता है कि ये केन्द्र मुख्य रूप से विभिन्न देशों में मुद्रा प्रवाह, वित्तीय उत्पाद और सेवाओं के साथ संबंध रखते हैं। गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) बहुविध सेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) ने सेज अधिनियम, 2005 (सेज अधिनियम) तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुसार भारत में प्रथम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आईएफएससी) स्थापित किया है। गिफ्ट सिटी में आईएफएससी को वैश्विक तौर पर निर्देशचिह्नित इसी प्रकार के वित्तीय केन्द्रों के समान अथवा उनसे अधिक बेहतर ढंग से अभिकल्पित एक वैश्विक वित्तीय और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के केन्द्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईएफएससी देश में एक 'पुनर्बीमा केन्द्र' (रीइंश्योरेंस हब) के निर्माण के लिए अपेक्षित प्लेटफार्म भी उपलब्ध कराता है जहाँ देशी एवं विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय भी किया जा सकता है। आईएफएससी / एसईजेड में (पुनर्बीमा) बीमा व्यवसाय के विनियमन और विकास के लिए सरकार ने सेज नियम, 2015 जारी किये हैं। सेज नियम, 2015 और सेज अधिनियम, 2005 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआरडीएआई ने 06 अप्रैल 2015 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश एसईजेड (सेज) के अंदर पुनर्बीमा व्यवसाय / विनिर्दिष्ट प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय करने के लिए सेज में एक आईएसएफसी बीमा कार्यालय (आईआईओ) स्थापित करने के लिए किसी भारतीय बीमाकर्ता (अथवा) किसी विदेशी विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के पास पंजीकृत बीमाकर्ता को अनुमति देते हुए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) जारी करने के लिए आईआरडीएआई को शक्तियाँ प्रदान करते हैं। प्राधिकरण ने गिफ्ट सिटी, गुजरात में आईआईओ स्थापित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये हैं। आईएफएससी बीमा दलाली कार्यालय (आईआईबीओ) खोलने के लिए 5 दलालों, अर्थात् पायोनियर इंश्योरेंस एण्ड रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि., रिस्क केअर इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि., जे. बी. बोडा रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि., एक्सपेरिटस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. तथा ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. को भी पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं।

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

III.6.1 जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन सांविधिक निकाय हैं, क्रमशः जीवन बीमा कंपनियों और गैर-जीवन बीमा कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये परिषदें विभिन्न प्राधिकारियों के समक्ष विचार-विमर्श और अभ्यावेदनों, बीमा संबंधी जागरूकता की व्याप्ति, वर्तमान / प्रस्तावित विनियामक शर्तों के संबंध में निविष्टियाँ उपलब्ध कराने के द्वारा उद्योग की स्वस्थ संवृद्धि की दिशा में योगदान करती हैं। इन स्व-विनियामक निकायों का विकास उद्योग की संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के संबंध में अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए उद्योग के लिए शुभ संकेत देता है।

इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसीकृत दलालों से यह आवश्यक रूप से अपेक्षित है कि वे भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.6.2 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एफ) के अधीन प्रवर्तित तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन निगमित संस्थान के रूप में आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 2(9) के अंतर्गत परिभाषित है। बीमा विधि संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम (1) (बी) के अनुसार सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आईआईआईएसएलए की सदस्यता अनिवार्य है। उक्त संस्थान की परिषद जिसमें 12 चुने गये सदस्य और 3 नामित सदस्य हैं, संस्थान के कार्यों का नियंत्रण करती है।

स्वास्थ्य बीमा फोरम

III.6.3 स्वास्थ्य बीमा फोरम की 8वीं बैठक 28 सितंबर 2016 को मुंबई में आयोजित की गई। स्वास्थ्य बीमा फोरम के भविष्य के संबंध में एक रूपरेखा के अलावा स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र से संबंधित समस्याओं पर उक्त बैठक में विचार-विमर्श किया गया। फोरम के सदस्यों ने उन अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के संभव तरीकों के बारे में चर्चा की, जो ओपीडी उत्पादों और संपूर्ण स्वास्थ्य की विशेषताओं के दायरे को और विनिर्दिष्ट बेंचमार्कों / मानकों को पूरा करते हैं। यह निर्णय किया गया कि स्वास्थ्य बीमा फोरम इन दो विषयों पर अध्ययन करेगा तथा इन दोनों विषयों पर संकल्पना पत्र प्रस्तुत करेगा।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए वर्तमान शुल्क की संरचना अनुबंध 2 में निर्दिष्ट की गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करना:

III.8.1 प्राधिकरण, निरीक्षण विभाग के माध्यम से विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित अधिनियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/ परिपत्रों, निदेशों, मानकों, आदि के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में उनका स्थान-पर (ऑन-साइट) पर्यवेक्षण करता है।

III.8.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच सहित, सूचना माँगने और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण अर्थात परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है। नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा विनियमित संस्थाओं की कार्यपद्धति के मूल्यांकन के लिए स्थान पर उनके व्यापक और संकेन्द्रित निरीक्षण किये जाते हैं। विभिन्न विनियामक उपबंधों एवं विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, बाजार व्यवहार, कंपनी अभिशासन और समग्र जोखिम प्रोफाइल आदि से संबंधित अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण संबंधी मानक नियम-पुस्तकों (मैनुअलों) को उपयुक्त रूप में आवश्यकतानुसार तैयार किया गया है।

बॉक्स मद 2

एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमीटेड का
एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमीटेड के साथ विलय

प्राधिकरण ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 35 और आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात)(पंजीकरण संख्या 146) के साथ एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 125) के विलय की योजना का अनुमोदन किया था। विलय की उक्त योजना निम्नानुसार तीन चरणों की प्रक्रिया थीः

(क) एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 125) एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 146) की संपूर्ण शेयरधारिता का अधिग्रहण करेगी।

(ख) एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का नाम एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

(ग) राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का अनुमोदन प्राप्त होने पर एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 125) का विलय एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात)(पंजीकरण संख्या 146) के साथ किया जाएगा; तथा

(घ) एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड)(पंजीकरण संख्या 146) का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

उपर्युक्त सभी कदम बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जा चुके हैं। पहले की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 125) का पंजीकरण 16.08.2017 से निरस्त किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी का विलय एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में ज्ञात) के साथ किया जा चुका है। उक्त विलयित संस्था अब एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 146) के रूप मे जानी जाती है।

उक्त दोनों कंपनियों के पॉलिसीधारकों की सर्विसिंग एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण संख्या 146) द्वारा की जाएगी।

III.8.3 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान, निरीक्षण विभाग ने 60 निरीक्षण संचालित किये, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

- 05 जीवन बीमा कंपनियाँ;
- 08 साधारण बीमा कंपनियाँ;
- 01 पुनर्बीमा कंपनी;
- 10 कॉरपोरेट एजेंट;
- 11 कॉरपोरेट सर्वेक्षक;
- 15 बीमा दलाल;
- 05 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए); और
- 04 बीमा रिपोज़िटरियाँ;
- 01 अन्य संस्था

III.9 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे

III.9.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

मध्यवर्तियों के मामले में, लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/ नियम और अन्य प्रयोज्य अधिनियम/ नियम लागू होंगे।

III.10 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमनः

III.10.1 मास्टर परिपत्र और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 बीमाकर्ताओं के निवेशों का विनियमन करता है। निवेश मानदंड

निम्नलिखित हैं जो बीमाकर्ता के निवेश के लिए प्रयोज्य रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जारी किये गये हैं।

III.10.2 आरईआईटी और आईएनवीआईटी में निवेश करना:

बीमाकर्ता एक्सपोज़र/ विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन पात्र लिखतों के भाग के रूप में स्थावर संपदा निवेश न्यासों (आरईआईटी) और बुनियादी संरचनागत निवेश न्यासों (आईएनवीआईटी) के यूनिटों में निवेश कर सकते हैं।

क) 'अनुमोदित निवेश' के भाग के रूप में आरईआईटी और आईएनवीआईटी के यूनिटों को मानने के लिए आरईआईटी और आईएनवीआईटी की न्यूनतम रेटिंग 'एए' से कम नहीं होनी चाहिए; अन्यथा, वे 'अन्य निवेश' का भाग बनेंगे।

ख) बीमाकर्ता को चाहिए कि वह आरईआईटी और 3 आईएनवीआईटी में तथा एकल आरईआईटी अथवा आईएनवीआईटी की संबंधित निधि के 3% से अधिक निवेश न करे।

ग) आरईआईटी अथवा आईएनवीआईटी में निवेश नहीं करना चाहिए जहाँ प्रायोजक बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह के अंतर्गत हो।

घ) आईएनवीआईटी के यूनिटों में निवेश अनिवार्य 'बुनियादी संरचनागत निवेश' के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।

ङ) आईरईआईटी के यूनिटों में निवेश उसके अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र के साथ पठित आईआरडीएआई के (निवेश)

बॉक्स मद 3

इंड एएस का कार्यान्वयन

इंड एएस के कार्यान्वयन हेतु बीमा उद्योग को तैयार करने के लिए प्राधिकरण ने इंड एएस को कार्यान्वित करने के निहितार्थों की जाँच करने, कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान करने तथा इंड एएस की ओर अभिसरण करने के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के निर्माण में सहायता पहुँचाने के लिए 17 नवंबर 2015 के आदेश के द्वारा कार्यान्वयन दल (आईजी) का गठन किया था। इस कार्यान्वयन दल ने अपनी रिपोर्ट 29 दिसंबर 2016 को दी थी।

कार्यान्वयन दल द्वारा संस्तुत इंड एएस अनुपालनकर्ता विनियमों के प्रारूप के आधार पर हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करते हुए एक एक्सपोज़र प्रारूप भी 15 मार्च 2017 को जारी किया गया।

इस बीच, 18 मई 2017 को अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड (आईएएसबी) द्वारा बीमा संविदाओं पर आईएफआरएस 4 को प्रतिस्थापित करते हुए आईएफआरएस 17 की घोषणा के अनुवर्तन में आईआरडीएआई ने 16 फरवरी 2015 को अधिसूचित इंड एएस के कार्यान्वयन संबंधी स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से इंड एएस 104 (जो आईएफआरएस 4 के समान है) के कार्यान्वयन की। भारत में अधिसूचित की जानेवाली बीमा संविदाओं से संबंधित नये मानक की प्रतीक्षा करने एवं उस तारीख तक इंड एएस के कार्यान्वयन को सुयोजित करने में निम्नलिखित लाभ अनुमानित हैं :

- आस्तियों और देयताओं के मूल्यांकन के असंतुलन से बचना
- बीमा कंपनियों के लिए बहुविध अनुपालन लागतों से बचना
- इंड एएस के कार्यान्वयन से उत्पन्न होनेवाली विभिन्न समस्याओं का समाधान किया जा सकता था। अतः बीमा क्षेत्र किसी विघटन के बिना इंड एएस के अंगीकरण की दिशा में अग्रसर हो सकता है।

तदनुसार, कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के नियम 4 के अनुसार, जो यह कहता है कि 'बैंकिंग कंपनियाँ और बीमा कंपनियाँ क्रमशः भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा अधिसूचित रूप में इंड एएस को लागू करेंगी', यह निर्णय किया गया कि इंड एएस के कार्यान्वयन को दो वर्ष के लिए आस्थगित किया जाए, अर्थात् बीमा क्षेत्र में इंड एएस को वित्तीय वर्ष 2020-21 से लागू किया जाए।

तथापि, इस बीच इंड एएस के कार्यान्वयन के लिए उद्योग को तैयार करने के लिए बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही से आगे प्रोफार्मा इंड एएस वित्तीय विवरण प्रस्तुत करें।

इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई ने बीमा संविदाओं के संबंध में नये मानक के शीघ्र अंगीकरण के विषय.में कार्य प्रारंभ किया है। शीघ्र अंगीकरण पर कार्य करने के लिए एक कार्य दल गठित किया गया है।

आईआरडीएआई भी भारत में बीमा संविदाओं के संबंध में नये मानक को अधिसूचित करने में आईसीएआई के साथ ध्यानपूर्वक कार्य कर रहा है।

विनियम, 2016 के विनियम 9 की टिप्पणी 6 के उपबंधों का पालन करने के लिए निवेश संपत्ति के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

च) आरईआईटी और आईएनवीआईटी के यूनिटों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जाना चाहिए (अंतिम उद्धृत कीमत 30 दिन के बाद की नहीं होनी चाहिए)। यदि बाजार भाव 30 दिन के लिए उपलब्ध नहीं हो, तो यूनिटों का मूल्यांकन न्यास द्वारा प्रकाशित यूनिटों के नवीनतम एनएवी पर किया जाना चाहिए'।

III.10.3 अतिरिक्त टियर 1 बेमियादी बांडों में निवेश करना (बेसल- अनुपालनकर्ता)

बीमाकर्ता निम्नलिखित विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन, पात्र लिखतों के भाग के रूप में अतिरिक्त टियर 1 बेमियादी बांडों (बेसल-अनुपालनकर्ता) में निवेश कर सकते हैं :

क) निवेश के समय एटी1 बांडों की रेटिंग 'एए' से कम नहीं होनी चाहिए।

ख) एटी1 बांडों के मामले में प्रस्ताव दस्तावेजों में कम से कम एक शेयर बाजार में सूचीबद्धता के लिए प्रावधान होना चाहिए।

ग) बीमाकर्ता आईपीओ के माध्यम से प्रस्तावित एटी1 बांडों के 10% से अनधिक में निवेश करेगा। इसके अलावा, किसी भी समय किसी विशिष्ट बैंक में धारित एटी1 बांडों का कुल मूल्य कुल बकाया एटी1 बांडों के 10% से अधिक नहीं होगा।

घ) जारीकर्ता बैंक के पूँजी संरक्षण बफ़र सहित सामान्य ईक्विटी टियर1 पूँजी (सीईटी) ऐसे बैंक के एटी1 बांडों में निवेश के समय, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीईटी के 1% से अधिक होगी।

ङ) बीमाकर्ता एटी1 बांडों में निवेश केवल वहीं कर सकते हैं, जहाँ ऐसे बैंकों ने पूर्ववर्ती 2 वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा की हो।

च) उक्त एटी1 बांड आईआरडीएआई (निवेश) विनियम और उनके अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र का अनुपालन करने में 'ईक्विटी' का भाग बनेंगे।

छ) एटी1 बांडों में वहाँ कोई निवेश नहीं किया जाएगा, जहाँ जारीकर्ता बैंक या तो बीमाकर्ता के प्रवर्तक समूह में हो या बीमाकर्ता का कॉरपोरेट एजेंट हो।

ज) यह सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ मामला उठा सकता है कि 'बैंक द्वारा अपने 'ईक्विटी' और 'अधिमानी' शेयरों पर किसी लाभांश की घोषणा तब तक नहीं की जाए, जब तक एटी1 बांडों पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता, क्योंकि वे अन्यों की तुलना में वरिष्ठ हैं'।

III.11 शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमनः

III.11.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीए द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाएगा।

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

III.11.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गणना कर प्राप्त किया जाएगा। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में कहलानेवाले शोधक्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर, प्राधिकरण बीमाकर्ता को छह महीने से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्रवाई की योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा।

साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के मामले में, अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के

लिए न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा/ समनुदेशित पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम; अथवा निम्नानुसार प्रत्येक व्यवसाय की व्यवस्था के लिए संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगाः

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।

- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम2 के परिकलन के प्रयोजन के लिए 'पिछले 12 महीनों के दावों' और '3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.12 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.12.1 आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 51(3) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.13 पैरा '6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.13.1 प्राधिकरण ने पैरा (6) में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु प्राधिकरण ने बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है।

III.14 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होंगे। वित्तीय वर्ष 2015-16 तक समय-समय पर यथासशोधित आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 के अनुसार दायित्व लागू थे।

बीमाकर्ताओं के दायित्व निम्नानुसार हैं :

III.14.2 ग्रामीण क्षेत्र

क) **जीवन बीमाकर्ता** के संबंध में संबंधित वर्षों में अंकित पॉलिसियों की कुल संख्या के निम्नलिखित प्रतिशत इसके नीचे दर्शाये गये हैं :-

क्रम संख्या	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	7
2	दूसरा वर्ष	9
3	तीसरा वर्ष	12
4	चौथा वर्ष	14
5	पाँचवाँ वर्ष	16
6	छठवाँ और सातवाँ वर्ष	18
7	आठवाँ और नौवाँ वर्ष	19
8	दसवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	20

ख) **साधारण बीमाकर्ता** के संबंध में संबंधित वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	2
2	दूसरा वर्ष	3
3	तीसरे वर्ष से सातवें वर्ष तक	5
4	आठवाँ वर्ष	6
5	नौवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	7

(ग) **स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं** के संबंध में :-

साधारण बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित दायित्वों का 50%.

III.14.3 सामाजिक क्षेत्र

- सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, साधारण, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य) :-

वर्षों में बीमाकर्ता का कार्यकाल	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल व्यवसाय** पर संगणित 'सामाजिक क्षेत्र जीवनों का प्रतिशत'
1	0.5
2	1.0
3	1.5
4	2.0
5	2.5
6	3.0
7	3.5
8	4.0
9	4.5
10 और उससे अधिक	5.0

**इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुल व्यवसाय वैयक्तिक बीमा के मामले में जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या तथा सामूहिक बीमा के मामले में समाविष्ट जीवनों की संख्या है। पारिवारिक सदस्यों के जीवनों को सम्मिलित करनेवाली वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत समाविष्ट जीवन, लक्ष्य के निर्धारण और वास्तविक कार्यनिष्पादन दोनों में गणना में लिये जा सकते हैं।

उस स्थिति में जहाँ बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में परिचालन प्रारंभ करता है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है,

i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण और सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे, और

ii) जहाँ बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करता है, वहाँ उसे पहले वर्ष के परिचालनों के रूप में माना जाएगा तथा पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दायित्व पहले वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधे होंगे।

भाग-IV
संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन

IV.1.1 श्री टी.एस. विजयन, जो 21 फरवरी, 2013 से भारत सरकार द्वारा प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हैं, वर्ष 2016-17 के दौरान उक्त पद पर जारी हैं। सुश्री पौर्णिमा गुप्ते (पूर्णकालिक सदस्य बीमांकक), श्रीमती विजयलक्ष्मी राजाराम अय्यर (पूर्णकालिक सदस्य एफएण्डआई), श्री नीलेश साठे (पूर्णकालिक सदस्य जीवन) और श्री पी. जे. जोसेफ (पूर्णकालिक सदस्य गैर-जीवन) वर्ष के दौरान प्राधिकरण में जारी रहे। श्री डी.डी. सिंह, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) 4 अक्तूबर 2016 को प्राधिकरण की सेवाओं से निवृत्त हुए।

IV.1.2 श्री एन. श्रीनिवास राव, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में 16 जून 2016 से श्री आलोक टंडन, संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो 15 जून 2016 तक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहे। श्रीमती सुषमा नाथ, भूतपूर्व वित्त सचिव को 24 अगस्त 2016 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सीए नीलेश एस. विकमसे, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान को 12 फरवरी 2017 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में सीए एम. देवराज रेड्डी के स्थान पर नियुक्त किया गया जो 11 फरवरी 2016 तक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहे। श्री एस. बी. माथुर, भूतपूर्व अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ष के दौरान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहे।

IV.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.2.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण की चार बैठकें आयोजित की गईं। इसी अवधि में बीमा सलाहकार समिति की तीन बैठकें बुलाई गईं। विवरण इसके नीचे दिया जाता हैः

प्राधिकरण की बैठकें :

1) प्राधिकरण की 93वीं बैठक 30 जून 2016 को आयोजित की गई

2) प्राधिकरण की 94वीं बैठक 24 अक्तूबर 2016 को आयोजित की गई

3) प्राधिकरण की 95वीं बैठक 19 दिसंबर 2016 को आयोजित की गई

4) प्राधिकरण की 96वीं बैठक 3 मार्च 2017 को आयोजित की गई

बीमा सलाहकार समिति की बैठकें :

1) बीमा सलाहकार समिति की 31वीं बैठक 27 जून 2016 को आयोजित की गई

2) बीमा सलाहकार समिति की 32वीं बैठक 17 अक्तूबर 2016 को आयोजित की गई

3) बीमा सलाहकार समिति की 33वीं बैठक 20 फरवरी 2017 को आयोजित की गई

IV.3 मानव संसाधन

IV.3.1 स्टाफ संख्या और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। 31-03-2017 की स्थिति के अनुसार कुल स्टाफ संख्या 186 थी जबकि एक वर्ष पूर्व यह 160 थी और विवरण नीचे दिया जाता हैः-

क्रम सं.	श्रेणी	31-03-2016 को	31-03-2017 को
1	I	141	164
2	III & IV	19	22

वर्ग -वार स्टाफ संख्या

वर्ग	वर्ग-वार स्टाफ संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत			
	कुल संख्या		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
श्रेणी - I	141	164	16	20	2	4	11.35	12.20	1.42	2.44
श्रेणी - III	19	22	5	5	1	1	26.32	22.73	5.26	4.55
कुल	**160**	**186**	**21**	**25**	**3**	**5**	**13.13**	**13.44**	**1.88**	**2.69**

- वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सहायक के ग्रेड में आठ कर्मचारी, सहायक प्रबंधक के ग्रेड में 22 कर्मचारी प्राधिकरण की सेवाओं में सम्मिलित हुए थे तथा सहायक प्रबंधक के ग्रेड में एक कर्मचारी ने त्याग-पत्र दिया था। बाईस कर्मचारियों ने विशेष कार्य अधिकारियों के रूप में तीन-वर्ष की अवधि के लिए कार्यग्रहण किया था।

- निम्नलिखित ग्रेडों में पदोन्नतियाँ अक्तूबर 2016 में की गईं :

पदोन्नत ग्रेड	पदोन्नत संख्या
वरिष्ठ सहायक	01
सहायक प्रबंधक	01
प्रबंधक	01
सहायक महाप्रबंधक	16
उप महाप्रबंधक	02
मुख्य महाप्रबंधक	01
कार्यकारी निदेशक	02

- एनएआईसी अंतरराष्ट्रीय फेलोस कार्यक्रम के लिए दो अधिकारियों को नामित किया गया।

- जापान वित्तीय सेवाएँ अभिकरण और चीन बीमा विनियामक आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला के लिए एक-एक अधिकारी को नामित किया गया।

- नये भर्ती किये गये तेईस सहायक प्रबंधकों को राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में तीन सप्ताह के लिए प्रवेश प्रशिक्षण दिया गया। इसी संस्थान में सहायक के ग्रेड में भर्ती किये गये 21 कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.4.1 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013' के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 04-11-2016 के कार्यालय आदेश संदर्भ आईआरडीए/एचआर/ओआरडी/पीईआर/220/11/2016 द्वारा आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया है।

IV.4.2 वर्ष 2016-17 के दौरान आईसीसी को एक शिकायत प्राप्त हुई जिसका निपटान आईसीसी की सिफारिशों के आधार पर शिकायतकर्ता को निर्देश देने के साथ कर दिया गया है।

IV.4.3 सभी कर्मचारियों के लिए 16 और 17 फरवरी 2017 को 'लिंग संबंधी जागरूकता और सुग्राहीकरण' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

IV.5 राजभाषा का संवर्धन

IV.5.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संगठित प्रयास करना जारी रखा।

IV.5.2 इन उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक राजभाषा सहायक के साथ एक अलग राजभाषा विभाग स्थापित किया गया है। संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा

जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/अपीलों/आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। उपर्युक्त नियमों के नियम 11 का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया।

IV.5.3 राजभाषा विभाग ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट के अनुसार आईआरडीएआई के सभी विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित डेटा का संग्रहण किया। समेकित डेटा निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अलावा, छमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्टें भी तैयार की गईं और उपर्युकत विभागों को प्रस्तुत की गईं। राजभाषा विभाग ने विभागों द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था की, सभी कर्मचारियों को अपने दैनंदिन पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, बैठकों की कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने में तथा द्विभाषिक रूप में रजिस्टर रखने में सहायता की एवं कार्यालयीन टिप्पणियों और दस्तावेजों में हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) को बढ़ावा दिया।

IV.5.4 राजभाषा विभाग ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर्मचारियों के विवरण से युक्त रोस्टर अनुरक्षित किया जिसकी सहायता से कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत जैसे आवश्यक हिन्दी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया। पाँच कर्मचारियों को आधारभूत हिन्दी कंप्यूटर टंकण प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

IV.5.5 प्राधिकरण ने शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों की सहभागिता के साथ नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद (टॉलिक) की छमाही बैठकों में भाग लिया। आईआरडीएआई को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। चार कर्मचारियों ने भी न.रा.का.स. (टॉलिक) द्वारा आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते।

IV.5.6 सभी विभाग-प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा राजभाषा विभाग ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया है। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 139 कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया है। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी संबंधी नियमों, हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम, सामान्य हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई।

IV.5.7 राजभाषा विभाग ने राजभाषा के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीआरओ), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) और सभी आंतरिक विभागों का राजभाषा निरीक्षण किया। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित 29 हिन्दी पुस्तकें पुस्तकालय में सम्मिलित की गईं।

IV.5.8 14 से 28 सितंबर 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसका उद्घाटन सदस्य (जीवन) के द्वारा किया गया। इस आयोजन के लिए एक मुख्य महाप्रबंधक की अध्यक्षता में 18-सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जैसे निबंध लेखन, काव्य-पाठ, आशुभाषण, सुलेख, नारा-लेखन और अंताक्षरी। पखवाड़े का समापन-उत्सव एक सांस्कृतिक समारोह के रूप में आयोजित किया गया जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य-सचिव मुख्य अतिथि थे। अध्यक्ष और मुख्य अतिथि ने विभिन्न वर्गों (हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी) में 37 कर्मचारियों को पुरस्कार वितरित किये। हिन्दी पखवाड़ा नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीआरओ) में भी मनाया गया।

IV.5.9 राजभाषा विभाग ने एक विशिष्ट आंतरिक हिन्दी ई-पत्रिका 'बीमा तरंग' प्रारंभ की जिसका शुभारंभ हिन्दी पखवाड़ा उत्सव के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। आईआरडीएआई की तिमाही गृह-पत्रिका 'स्पंदन' भी द्विभाषिक रूप में प्रकाशित की गई है, जिसमें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी गई रचनाएँ प्रकाशित की गई हैं।

IV.5.10 राजभाषा विभाग हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता जागरूकता सामग्री प्रकाशित करने के लिए संचार विभाग के साथ परस्पर सक्रियता सहित नियमित रूप से संपर्क में रहा। राजभाषा के कार्यान्वयन में सुधार लाने में प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों ने

विभाग का निरंतर मार्गदर्शन किया।

IV.6 अनुसंधान और विकास

IV.6.1 यहाँ इसके नीचे सूचीबद्ध अन्य कार्यकलापों के अलावा, वार्षिक रिपोर्ट और भारतीय बीमा सांख्यिकी पर पुस्तिका (हैंड-बुक) के संकलन के लिए केन्द्रीय स्थल (नोडल पॉइन्ट) के रूप में विभाग का रहना जारी है, जो समय-शृंखला डेटा से युक्त एक वार्षिक प्रकाशन है।

IV.6.2 2008 में भारतीय बीमा संबंधी हैंड-बुक के प्रथम संस्करण के प्रकाशन के परिणामस्वरूप, अनुसंधान और विकास विभाग ने उद्योग में विभिन्न हितधारकों की बढ़ती हुई आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इस प्रकाशन के दायरे का विस्तार करना जारी रखा। इस हैंड-बुक का 9वाँ संस्करण जनवरी 2017 में प्रकाशित किया गया जिसमें 94 समय-शृंखला डेटा सारणियाँ शामिल की गईं। 2015-16 से आगे यह निर्णय किया गया है कि उक्त हैंडबुक में तीन वित्तीय वर्षों का डेटा प्रकाशित किया जाए, जबकि अन्य वित्तीय वर्ष का डेटा आईआरडीएआई की वेबसाइट पर सॉफ्ट रूप में उपलब्ध कराया जाए। उक्त हैंडबुक के परवर्ती संस्करणों में इसके विस्तार और विषय-वस्तु में सुधार लाने के लिए विभाग के प्रयास जारी हैं।

IV.6.3 आर एण्ड डी अनुभाग विभिन्न प्रकार का डेटा भारतीय रिज़र्व बैंक, एमओएसपीआई और डीएफएस को उपलब्ध कराता रहा है। डेटा के कुछ प्रकारों का स्वरूप आवधिक है।

IV.6.4 भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए दो उप-समितियों का गठन किया है, एक 'सेवा उत्पादन सूचकांक' के निर्माण और दूसरी 'सेवा कीमत सूचकांक' के निर्माण के लिए है।

IV.6.5 बीमा क्षेत्र के लिए सेवा कीमत सूचकांक के विकास हेतु गठित उप-समिति ने अंतिम रिपोर्ट 18.08.2016 को प्रस्तुत की है। उक्त दोनों रिपोर्टों का मुद्रित पाठ आईआरडीएआई द्वारा प्रकाशित किया गया है।

IV.6.6 क्षेत्रीय विकास विभाग (एसडीडी) का आरएण्डडी खंड अपेक्षित डेटा के लिए एमओएसपीआई को निरंतर सहायता प्रदान करता रहा है।

IV.6.7 आरएण्डडी अनुभाग ने विश्व औसत की तुलना में हमारे देश में कम बीमा व्यापन के लिए कारण और इसके साथ संबंधित विभिन्न वितरण माध्यमों की भूमिका का पता लगाने के लिए अनुसंधान परियोजना संचालित की है।

IV.6.8 विश्व भर में वित्तीय संस्थाओं की अंतर-संबद्धता के कारण अब सारी दुनिया में वित्तीय क्षेत्र में प्रणालीगत जोखिम एक बड़ी चिंता का विषय है। विपुल मात्रा में बीमा कंपनियों की निधियों की राशि का निवेश भी वित्तीय प्रणाली में किया जाता है। ऐसे प्रणालीगत जोखिम की किसी भी संभावना का पता लगाने और वित्तीय स्थिरता को बहाल करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे डेटा का संग्रहण और विश्लेषण कर रहा है। 21 बीमा कंपनियाँ हैं जिनसे ऐसे एक्सपोज़र डेटा का संग्रहण तिमाही तौर पर किया जाता है।

IV.7 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग अपनी सभी पंजीकृत संस्थाओं एवं अपने सभी आंतरिक प्रयोक्ताओं के लिए नई आईटी प्रणालियों को लागू करने अथवा वर्तमान आईटी प्रणालियों/ अनुप्रयोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने के द्वारा सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियाँ उपलब्ध कराने के लिए सुसंगत रूप से कदम उठाता रहा है। इस वर्ष के दौरान आईटी विभाग द्वारा उठाये गये कुछ कदम निम्नानुसार हैं :

IV.7.1 व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी)

कार्यान्वित किये गये मॉड्यूलों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए तदर्थ रिपोर्टिंग सुविधा के संबंध में आंतरिक प्रयोक्ताओं को विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। विवरणियों की ऑनलाइन प्रस्तुति के संबंध में बीमा दलालों के लिए भी प्रशिक्षण सत्र संचालित किये गये। बीएपी प्रणाली के प्रत्येक तकनीकी क्षेत्र तथा प्रयोक्ता विभाग की तदर्थ रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए आईटी विभाग में विशेषीकृत टीम बनाई गई। बीएपी प्रणाली को अधिक अद्यतन बनाने के लिए परिवर्तन के अनुरोधों पर एक सुपरिभाषित प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिवर्तन हेतु अनुरोधों के संबंध में कार्यान्वयन की प्रक्रिया पारदर्शी हो और हितधारकों को प्रगति की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए, परिवर्तन हेतु अनुरोधों (सीआर) के कार्यान्वयन की स्थिति को इंट्रानेट में निरंतर अद्यतन किया जा रहा है। उक्त अनुप्रयोग में ऑनलाइन

भुगतान विकल्प को समर्थ बनाया गया है। एक त्वरित पद्धति में अंतिम उपयोगकर्ताओं के प्रश्नों की प्रतिक्रिया दर्शाने के लिए हेल्पडेस्क सहायता को सरल और कारगर बनाया गया है। सेवा-स्तरीय करारों की दैनिक निगरानी को स्वचालित कर दिया गया है।

IV.7.2 इंट्रानेट और वेबसाइट

उपयोगकर्ता विभागों की सूचना संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए इंट्रानेट और वेबसाइट में वृद्धियाँ की जा रही हैं। कुछ अनुप्रयोग जिनमें वर्ष के दौरान वृद्धियाँ की गई हैं, निम्नानुसार हैं:

नये मॉडयूल / वृद्धियाँ

क) ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति के नवीकरण के लिए मॉड्यूल

ख) आंतरिक उपयोगकर्ताओं की शिकायतों का प्रबंध करने के लिए आईटी हेल्पडेस्क हेतु एक अलग मॉड्यूल निर्मित किया गया

IV.7.3 एजेंसी लाइसेंसीकरण पोर्टल

एजेंसी डेटाबेस एवं कॉरपोरेट एजेंसी पंजीकरण पोर्टल का भी प्रबंध करने के लिए नये सेवा प्रदाता को अंतिम रूप दिया गया। उपयोगकर्ता विभाग की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को सँभालने के लिए इस पोर्टल में नीचे दिये गये विवरण के अनुसार अनेक वृद्धियाँ की गईं :

i) वेब वॉलेट में शेषराशियों का समाधान

ii) ए और बी प्रमाणपत्र के लिए अपलोड और अवलोकन की सुविधा

iii) नये व्यवसाय का ब्योरा

iv) लेखा-परीक्षित वित्तीय प्रमाणपत्र का अपलोडिंग

IV.7.4 ईआरपी कार्यान्वयन

क्रियाविधियों में परिवर्तनों के साथ सुयोजन के लिए ईआरपी को अद्यतन किया गया है। उपयोग की सुसंगतता और सुगमता को सुसाध्य बनाने के लिए ईआरपी में अनेक मैनुअल प्रक्रियाओं को स्वचालित किया गया है।

2016-17 के दौरान निष्पादित किये गये उच्च स्तरीय कार्य नीचे दिये गये हैं :-

क) नये घोषणा / प्रतिपूर्ति फार्मों को लागू करना

ख) स्वचालित कार्यक्रम के द्वारा अनुलब्धियों (पर्क्स) की पात्रताओं का उत्पादन

ग) स्टाफ विनियम, 2016 के अनुसार कार्यान्वित पत्रकों की कार्यात्मकता

घ) सरल और कारगर ऋण पश्च-स्तरीय (बैक-एण्ड) प्रक्रिया

ङ) निष्पादित गुणवत्ता प्रणाली रिफ्रेश ट्राइस

IV.7.5 बीमाकर्ताओं के लिए कंप्यूटर-संबंधी (साइबर) सुरक्षा

बीमाकर्ताओं के लिए वर्तमान साइबर सुरक्षा ढाँचे को मजबूत करने और एक अधिक व्यापक ढाँचा स्थापित करने के लिए आईआरडीएआई ने साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श और निर्णय करने के लिए सभी बीमाकर्ताओं के मुख्य सूचना अधिकारियों को संबद्ध करते हुए जीवन और साधारण (स्वास्थ्य सहित) बीमा क्षेत्रों के लिए दो कार्यदल गठित किये हैं।

सूचना और साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों के संबंध में कार्य करने के लिए मुख्य सूचना अधिकारियों (सीआईओ) के उक्त कार्य दलों ने बीमा कंपनियों के सीआईएसओ, आईटी विशेषज्ञों और साइबर विधि विशेषज्ञों से युक्त तीन उप-समूह बनाये हैं।

- **समूह-1** सुरक्षा के सभी चार स्तर (डेटा, अनुप्रयोग, परिचालन प्रणालियाँ और नेटवर्क के स्तर)
- **समूह-2** (सुरक्षा लेखा-परीक्षा)
- **समूह-3** (साइबर सुरक्षा संबंधी कानूनी पहलू)

उक्त उप-समूहों का नेतृत्व आईआरडीएआई के मुख्य सूचना अधिकारियों द्वारा किया गया।

i) सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का निर्माण

उक्त उप-समूहों ने सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मानकों की समीक्षा की तथा सूचना और साइबर सुरक्षा ढाँचे का प्रारूप बनाया

ii) बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश

बीमाकर्ताओं के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी दिशानिर्देश आईआरडीएआई द्वारा उक्त दिशानिर्देश-दस्तावेज के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित समय-सीमाओं के साथ आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन 7 अप्रैल 2017 को जारी किये गये। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) के रूप में नियुक्त एक पूर्णकालिक व्यक्ति की अपेक्षा से उन बीमाकर्ताओं को छूट दी गई जिन्होंने व्यवसाय के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष पूरे नहीं किये हों।

उक्त दिशानिर्देश-दस्तावेज में मोटे तौर पर निम्नलिखित पहलू शामिल हैं :

- अभिगम नियंत्रण प्रबंध।
- विक्रेता / अन्य पक्षकार जोखिम प्रबंध।
- व्यावसायिक निरंतरता योजना और आपदा समुत्थान।
- सूचना सुरक्षा जोखिम प्रबंध।
- डेटा सुरक्षा।
- अनुप्रयोग सुरक्षा।
- साइबर सुरक्षा।
- बुनियादी संरचना सुरक्षा।
- नेटवर्क सुरक्षा।
- बीजलेखन (क्रिप्टॉग्रफी) और मुख्य प्रबंधन।
- सुरक्षा लॉगिंग और निगरानी।
- घटना प्रबंध।
- अंतिम स्थल सुरक्षा।
- आभासीकरण (वर्च्यूअलाइजेशन)।
- क्लाउड सुरक्षा।
- मोबाइल सुरक्षा।

iii) कार्यान्वयन के लिए समय-सीमाएँ

बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे दिशानिर्देश-दस्तावेज में बताये गये अनुसार निर्धारित समय-सीमा में उक्त गतिविधियाँ पूरी करें।

सूचना और साइबर दिशानिर्देशों के माध्यम से आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं के लिए यह अधिदेशात्मक कर दिया है कि एक निरंतर आधार पर सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी विषयों को संभालने के लिए उनके स्तर पर उपयुक्त अभिशासन विद्यमान हो। प्रस्तावित अधिदेशात्मक वार्षिक सूचना और साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा एक प्रभावी नियंत्रण जाँच-सूची के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि दिशानिर्देश-दस्तावेज का पूर्णतः कार्यान्वयन किया जाए।

IV.7.6 आईआरडीएआई के नये कार्यालय भवन के लिए परिसर क्षेत्र नेटवर्किंग:

परिचालन विभागों / विनियमित संस्थाओं को एक संपूर्ण संचार और नेटवर्क प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीएआई गच्चीबौली वित्तीय जिले में बन रहे अपने नये कार्यालय भवन के लिए एक अत्याधुनिक परिसर क्षेत्र नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है। वर्ष के दौरान उक्त परिसर नेटवर्किंग के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की विशिष्टियों को अंतिम रूप दिया गया है तथा कार्यान्वयन का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

IV.7.7 अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

वर्ष 2016-17 के दौरान पूरी की गई अन्य प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क) 212 पुराने डेस्कटॉपों का प्रतिस्थापन।
ख) प्रिंटर संबंधी उपभोज्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विक्रेता का चयन।
ग) दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एएमसी संविदाओं का नवीकरण।
घ) यूपीएसएस के लिए एएमसी का नवीकरण।

IV.8 लेखा

IV.8.1 वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे राज्यसभा के समक्ष 7 फरवरी 2017 को तथा लोकसभा के समक्ष 9 फरवरी 2017 को प्रस्तुत किये गये।

IV.9 आईआरडीएआई जर्नल

IV.9.1 आईआरडीएआई विगत महीने में की गई विनियामक कार्रवाइयों से संबंधित सूचना का प्रसार करने के उद्देश्य से 2002 से प्रत्येक माह एक जर्नल प्रकाशित करता रहा है। इस जर्नल ने अनेक विख्यात व्यक्तियों द्वारा लिखे गये विभिन्न आलेख प्रकाशित किये हैं जिनमें अकादमीशियन, विनियामक अभिकरणों के अधिकारी, विनियमित संस्थाएँ और अन्य विशेषज्ञ शामिल हैं। आईआरडीएआई के पास उपलब्ध सुसंगत सांख्यिकीय सूचना भी इस जर्नल में प्रकाशित की गई है।

IV.9.2 अप्रैल 2016 में निर्णय किया गया कि इस जर्नल को मासिक के बजाय तिमाही तौर पर प्रकाशित किया जाए। जर्नल का प्रत्येक अंक एक विशिष्ट विषय (थीम) पर केन्द्रित है। 2016-17 के दौरान जर्नल में स्वास्थ्य बीमा, ग्राहक सेवा, आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण में बीमा की भूमिका, बीमा में जागरूकता और विकास, बीमा उद्योग में शिकायत निवारण, बीमा उद्योग में मध्यवर्तियों की भूमिका, बीमा उद्योग में सीएसआर गतिविधियाँ आदि विषय समाविष्ट किये गये। यह जर्नल प्राधिकरण की वेबसाइट पर निःशुल्क भी उपलब्ध कराई गई है।

IV.10 आईआरडीएआई कार्यालय भवन

आईआरडीएआई कार्यालय भवन परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं के रूप में सीपीडब्ल्यूडी के साथ ₹148.98 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वित्तीय जिला, नानकरामगूडा, गच्चीबौली, हैदराबाद में निर्माणाधीन रहा है। 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना के लिए ₹100.77 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

उपर्युक्त नया भवन, जो एक हरित वर्णीय भवन है, दिसंबर 2017 में उपयोग के लिए तैयार होगा।

IV.11 आभार-प्रदर्शन

IV.11.1 आईआरडीएआई बोर्ड के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), परामर्शदात्री समिति के सदस्यों, सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित, अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

विवरण 1

बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(प्रतिशत में)

देश	2015**			2016**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	5.7	3.5	2.2	6.52	2.99	3.53
ब्राजील	3.9	2.1	1.8	4.04	2.28	1.76
फ्रांस	9.3	6.2	3.1	9.23	6.06	3.17
जर्मनी	6.2	2.9	3.4	6.08	2.75	3.33
रूस	1.4	0.2	1.2	1.38	0.25	1.13
दक्षिण अफ्रीका	14.7	12.0	2.7	14.27	11.52	2.74
स्विट्जरलैंड	9.2	5.1	4.1	8.85	4.72	4.12
युनाइटेड किंगडम	10.0	7.5	2.4	10.16	7.58	2.58
संयुक्त राज्य अमेरिका	7.3	3.1	4.2	7.31	3.02	4.29
एशियाई देश						
हांगकांग	14.8	13.3	1.5	17.6	16.2	1.41
भारत #	**3.4**	**2.7**	**0.7**	**3.49**	**2.72**	**0.77**
जापान#	10.8	8.3	2.6	9.51	7.15	2.37
मलेशिया#	5.1	3.4	1.7	4.77	3.15	1.62
पाकिस्तान	0.8	0.5	0.3	0.89	0.63	0.26
पीआर चीन	3.6	2.0	1.6	4.15	2.34	1.81
सिंगापुर	7.3	5.6	1.7	7.15	5.48	1.67
दक्षिण कोरिया#	11.4	7.3	4.1	12.08	7.37	4.72
श्रीलंका	1.2	0.5	0.7	1.12	0.52	0.6
ताइवान	19.0	15.7	3.2	19.99	16.65	3.34
थाईलैंड	5.5	3.7	1.8	5.42	3.72	1.7
विश्व	**6.2**	**3.5**	**2.8**	**6.28**	**3.47**	**2.81**

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2016 और 3/2017
**बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डॉलर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।*
***डेटा कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 से संबंधित है।*
#डेटा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 से संबंधित है।

विवरण 2

बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(अमेरिकी डॉलर में)

देश	2015**			2016**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	2958	1830	1128	3397.1	1558.5	1836.6
ब्राजील	332	178	154	346.3	195.5	150.8
फ्रांस	3392	2263	1129	3395.3	2227.7	1167.5
जर्मनी	2563	1181	1381	2547.6	1150.6	1397.1
रूस	117	15	102	122.8	22.4	100.3
दक्षिण अफ्रीका	843	688	155	762.5	615.8	146.7
स्विट्जरलैंड	7370	4079	3292	6933.5	3700.3	3233.0
युनाइटेड किंगडम	4359	3292	1067	4063.6	3033.2	1030.5
संयुक्त राज्य अमेरिका	4096	1719	2377	4174.1	1724.9	2449.2
एशियाई देश						
हांगकांग	6271	5655	616	7678.8	7065.6	613.2
भारत#	**55**	**43**	**12**	**59.7**	**46.5**	**13.2**
जापान#	3554	2717	837	3731.7	2803.4	928.3
मलेशिया#	472	316	157	452.2	298.3	153.9
पाकिस्तान	12	8	4	13.1	9.2	3.9
पीआर चीन	281	153	128	337.1	189.9	147.2
सिंगापुर	3825	2932	894	3776.8	2894.5	882.4
दक्षिण कोरिया#	3034	1940	1094	3361.9	2049.6	1312.3
श्रीलंका	43	19	25	45.6	21.2	24.5
ताइवान	4094	3397	698	4320.7	3598.7	722.0
थाईलैंड	319	215	104	323.4	222.0	101.4
विश्व	**621**	**346**	**276**	**638.3**	**353**	**285.3**

स्रोतः स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2016 और 3/2017
**बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डॉलर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।*
***डेटा कैलेंडर वर्ष 2015 और 2016 से संबंधित है।*
#डेटा वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 से संबंधित है।

प्रथम वर्ष जीवन बीमा प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
एगॉन लाइफ	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	150.37	274.87	207.65	135.90	147.22	207.50	136.33	99.57
अवीवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39	801.86	687.40	593.76	556.89	320.80	243.91
बजाज अलायंज़	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82	2717.31	2987.90	2592.03	2702.10	2884.52	3290.26
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78	224.59	248.92	375.61	474.20	539.49	608.61
बिड़ला सनलाइफ	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30	1926.17	1836.51	1697.49	1937.94	2220.31	2534.26
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	622.62	817.29	687.10	606.72	608.07	476.98	859.18	982.97
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	37.38	74.15	103.16	140.01	172.95	579.59	727.02	873.93
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	47.33	80.72	122.42	183.59	227.99
एक्साइड लाइफ	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49	638.14	638.20	567.81	644.75	632.85	862.76
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	149.97	486.08	448.61	345.03	240.43	224.90	252.41	255.59	399.87
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33	3857.47	4436.07	4038.93	5492.10	6487.22	8696.36
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6333.92	7862.14	4441.09	4808.62	3759.59	5332.13	6765.75	7863.30
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	316.78	400.56	444.95	311.01	345.14	315.69	484.50	588.40	793.55
इंडियाफर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.59	704.77	982.31	1316.42	1681.36	1538.67	1478.10	1670.85
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14	1164.27	1188.10	1271.81	1540.18	2209.66	2849.74
मैक्स लाइफ	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39	1901.72	1899.34	2261.60	2572.60	2881.71	3666.35
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22	1076.97	840.08	675.89	829.06	1003.17	1148.78
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94	1809.29	1376.57	1933.99	2069.69	1558.33	1051.58
सहारा	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83	71.14	61.43	65.09	38.44	43.43	44.64
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7589.58	6531.32	5182.88	5065.48	5529.16	7106.58	10143.86
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99	390.99	420.65	389.83	498.52	693.79	733.89
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	519.87	758.69	964.77	744.80	562.85	629.93	557.88	700.11
टाटा एआईए	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21	939.55	560.16	433.76	312.05	740.79	1132.19
निजी कुल	**6.45**	**268.51**	**965.69**	**2440.71**	**5564.57**	**10269.67**	**19425.65**	**33715.95**	**34152.00**	**38372.01**	**39385.84**	**32103.78**	**30749.58**	**29516.43**	**34821.81**	**40874.48**	**50619.37**
		(4061.70)	**(259.65)**	**(152.74)**	**(127.99)**	**(84.55)**	**(89.16)**	**(73.56)**	**(1.29)**	**(12.36)**	**(2.64)**	**(-18.49)**	**(-4.22)**	**(-4.01)**	**(17.97)**	**(17.38)**	**(23.84)**
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35	81862.25	76611.50	90808.79	78507.72	97891.5096	124583.31
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)	(34.49)	(21.66)	(-5.92)	(-6.41)	(18.53)	(-13.55)	(24.69)	(27.27)
उद्योग कुल	**9707.43**	**19857.28**	**16942.45**	**19788.32**	**26217.64**	**38785.54**	**75649.21**	**93712.52**	**87331.08**	**109893.91**	**126398.18**	**113966.03**	**107361.08**	**120325.22**	**113329.52**	**138765.99**	**175202.68**
		(104.56)	**(-14.68)**	**(16.80)**	**(32.49)**	**(47.94)**	**(95.04)**	**(23.88)**	**(-6.81)**	**(25.84)**	**(15.02)**	**(-9.84)**	**(-5.80)**	**(12.08)**	**(-5.82)**	**(22.44)**	**(26.26)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।
2) -- द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।
3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 4

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
एइगॉन लाइफ	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	165.65	388.61	457.32	430.50	453.00	559.20	501.60	450.72
अवीवा	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17	2415.87	2140.67	1878.10	1796.25	1493.15	1336.51
बजाज अलायंज़	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95	7483.80	6892.70	5843.14	6017.30	5897.31	6183.32
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02	774.16	744.52	872.65	1053.32	1208.33	1396.50
बिड़ला सनलाइफ	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07	5885.36	5216.30	4833.05	5233.22	5579.71	5723.96
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	842.45	1531.86	1861.08	1912.15	1823.42	1657.02	2059.96	2294.71
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	38.44	95.04	167.01	236.79	305.86	735.10	920.21	1142.10
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	54.83	110.90	193.08	310.07	441.33
एक्साइड लाइफ	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95	1679.98	1742.36	1830.67	2027.48	2046.99	2408.58
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	152.60	541.51	726.16	779.58	678.29	634.16	604.25	592.50	739.85
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17	10202.40	11322.68	12062.90	14829.90	16312.98	19445.49
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63	14021.58	13538.24	12428.65	15306.62	19164.39	22354.00
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	318.97	571.12	811.00	736.70	804.68	826.25	1069.62	1239.67	1565.19
इंडियाफर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.60	798.43	1297.93	1690.08	2143.36	2034.11	1967.40	2265.17
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51	2937.43	2777.78	2700.79	3038.05	3971.68	5139.55
मैक्स लाइफ	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63	6390.53	6638.70	7278.54	8171.62	9216.16	10780.40
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17	2677.50	2429.52	2240.59	2461.19	2827.83	3236.08
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15	5497.62	4045.39	4283.40	4621.08	4398.12	4026.82
सहारा	--	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41	225.95	205.38	204.63	166.86	157.05	153.94
एसबीआई लाइफ	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12945.29	13133.74	10450.03	10738.60	12867.11	15825.36	21015.13
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52	644.16	618.07	594.24	734.66	1022.11	1207.94
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	530.37	933.31	1271.95	1068.80	948.75	1134.68	1307.47	1510.88
टाटा एआईए	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22	3630.30	2760.43	2323.70	2122.66	2478.96	3171.08
निजी कुल	**6.45**	**272.55**	**1119.06**	**3120.33**	**7727.51**	**15083.54**	**28253.00**	**51561.42**	**64497.43**	**79369.94**	**88165.24**	**84182.83**	**78398.91**	**77359.36**	**88434.35**	**100499.03**	**117989.25**
		(4124.31)	**(310.59)**	**(178.83)**	**(147.65)**	**(95.19)**	**(87.31)**	**(82.50)**	**(25.09)**	**(23.06)**	**(11.08)**	**(-4.52)**	**(-6.87)**	**(-1.33)**	**14.32**	**(13.64)**	**(17.40)**
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40	202889.28	208803.58	236942.30	239667.65	266444.21	300487.36
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)	(18.30)	(9.35)	(-0.29)	(2.92)	(13.48)	(1.15)	(11.17)	(12.78)
उद्योग कुल	**34898.47**	**50094.46**	**55747.55**	**66653.75**	**82854.80**	**105875.76**	**156075.84**	**201351.41**	**221785.47**	**265447.25**	**291638.64**	**287072.11**	**287202.49**	**314301.66**	**328102.01**	**366943.23**	**418476.61**
		(43.54)	**(11.28)**	**(19.56)**	**(24.31)**	**(27.78)**	**(47.41)**	**(29.01)**	**(10.15)**	**(19.69)**	**(9.87)**	**(-1.57)**	**(0.05)**	**(9.44)**	**(4.39)**	**(11.84)**	**(14.04)**

टिप्पणीः 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

2) -- द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।

2016-17 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल
एइगॉन लाइफ	89.07	10.50	99.57	351.15	450.72	36.12	9.32	45.44	103.45	148.89	52.95	1.18	54.13	247.70	301.83
अवीवा	236.05	7.86	243.91	1092.59	1336.51	127.04	4.42	131.46	354.02	485.48	109.01	3.44	112.45	738.57	851.02
बजाज अलायंज़	2001.21	1289.05	3290.26	2893.06	6183.32	778.73	594.04	1372.77	786.92	2159.69	1222.48	695.01	1917.49	2106.14	4023.63
भारती अक्सा	387.23	221.38	608.61	787.89	1396.50	4.20	15.47	19.67	102.15	121.83	383.03	205.91	588.93	685.74	1274.68
बिड़ला सनसाइफ	2464.83	69.42	2534.26	3189.70	5723.96	926.96	27.74	954.70	1734.59	2689.29	1537.87	41.68	1579.55	1455.11	3034.66
केनरा एचएसबीसी	614.47	368.50	982.97	1311.74	2294.71	476.01	7.94	483.95	1013.80	1497.74	138.46	360.56	499.02	297.94	796.96
डीएचएफएल प्रामेरिका	174.25	699.68	873.93	268.17	1142.10	10.05	39.60	49.66	20.54	70.19	164.20	660.08	824.28	247.63	1071.91
एडेलवेइस टोकियो	189.78	38.21	227.99	213.34	441.33	56.22	6.72	62.94	34.88	97.81	133.56	31.49	165.06	178.46	343.52
एक्साइड लाइफ	637.68	225.09	862.76	1545.82	2408.58	51.96	7.61	59.58	160.28	219.86	585.71	217.48	803.19	1385.53	2188.72
फ्यूचर जनराली	372.17	27.70	399.87	339.97	739.85	32.82	4.99	37.81	50.66	88.48	339.35	22.71	362.06	289.31	651.37
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	3572.87	5123.48	8696.36	10749.13	19445.49	1899.74	1164.79	3064.52	6023.58	9088.10	1673.14	3958.70	5631.83	4725.55	10357.39
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	6344.63	1518.67	7863.30	14490.70	22354.00	5482.75	739.54	6222.29	10415.43	16637.72	861.87	779.14	1641.01	4075.27	5716.28
आईडीबीआई फेडरल	394.15	399.40	793.55	771.64	1565.19	69.31	241.75	311.06	73.23	384.30	324.84	157.64	482.49	698.40	1180.89
इंडियाफर्स्ट	401.55	1269.31	1670.85	594.32	2265.17	141.63	18.89	160.52	420.84	581.35	259.92	1250.41	1510.34	173.49	1683.82
कोटक महिन्द्रा	2082.53	767.21	2849.74	2289.80	5139.55	926.57	231.96	1158.54	641.64	1800.18	1155.96	535.24	1691.21	1648.16	3339.37
मैक्स लाइफ	2646.49	1019.86	3666.35	7114.05	10780.40	862.69	32.79	895.49	1793.59	2689.07	1783.80	987.07	2770.87	5320.46	8091.33
पीएनबी मेटलाइफ	1065.82	82.97	1148.78	2087.30	3236.08	92.29	10.11	102.40	643.02	745.42	973.52	72.86	1046.38	1444.28	2490.66
रिलायंस निप्पोन	957.27	94.31	1051.58	2975.24	4026.82	377.45	18.48	395.93	580.17	976.10	579.81	75.83	655.65	2395.07	3050.72
सहारा	12.23	32.42	44.64	109.30	153.94	0.13	2.42	2.55	5.26	7.82	12.09	30.00	42.09	104.03	146.12
एसबीआई लाइफ	6207.23	3936.63	10143.86	10871.27	21015.13	4673.72	449.24	5122.96	4914.69	10037.65	1533.51	3487.39	5020.90	5956.58	10977.48
श्रीराम लाइफ	465.66	268.23	733.89	474.05	1207.94	6.51	50.96	57.47	17.37	74.84	459.15	217.27	676.42	456.68	1133.10
स्टार यूनियन दाई-ईची	605.03	95.08	700.11	810.78	1510.88	62.73	28.84	91.57	247.72	339.29	542.30	66.24	608.54	563.05	1171.59
टाटा एआईए	1127.24	4.96	1132.19	2038.89	3171.08	374.69	4.28	378.97	512.99	891.96	752.55	0.68	753.22	1525.90	2279.12
निजी कुल	**33049.45**	**17569.92**	**50619.37**	**67369.89**	**117989.25**	**17470.35**	**3711.91**	**21182.26**	**30650.83**	**51833.09**	**15579.10**	**13858.00**	**29437.11**	**36719.06**	**66156.17**
एलआईसी	26301.03	98282.28	124583.31	175904.05	300487.36	21.12	1.17	22.29	989.88	1012.17	26279.91	98281.11	124561.02	174914.17	299475.19
कुल जोड़	**59350.48**	**115852.20**	**175202.68**	**243273.93**	**418476.61**	**17491.47**	**3713.08**	**21204.55**	**31640.70**	**52845.26**	**41859.01**	**112139.11**	**153998.13**	**211633.23**	**365631.36**

टिप्पणी: 1) प्रथम वर्ष प्रीमियम = नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम

2) कुल प्रीमयम = प्रथम वर्ष प्रीमियम + नवीकरण प्रीमियम

2015-16 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम				
	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल	नियमित	एकल	प्रथम वर्ष	नवीकरण	कुल
एइगॉन लाइफ	133.92	2.40	136.33	365.27	501.60	31.13	0.67	31.80	133.33	165.13	102.79	1.73	104.53	231.95	336.48
अवीवा	312.19	8.61	320.80	1172.34	1493.15	162.34	3.86	166.19	444.41	610.60	149.85	4.76	154.61	727.93	882.54
बजाज अलायंज़	1393.80	1490.71	2884.52	3012.79	5897.31	381.28	618.99	1000.27	731.10	1731.37	1012.52	871.72	1884.25	2281.70	4165.94
भारती अक्सा	358.82	180.67	539.49	668.84	1208.33	4.51	3.37	7.88	157.58	165.46	354.31	177.30	531.61	511.26	1042.87
बिड़ला सनलाइफ	2173.43	46.87	2220.31	3359.41	5579.71	1048.54	18.57	1067.12	2168.41	3235.52	1124.89	28.30	1153.19	1191.00	2344.19
केनरा एचएसबीसी	437.79	421.40	859.18	1200.78	2059.96	348.64	18.95	367.59	958.76	1326.35	89.15	402.44	491.59	242.02	733.61
डीएचएफएल प्रामेरिका	148.85	578.17	727.02	193.19	920.21	10.04	30.22	40.26	21.90	62.17	138.81	547.95	686.75	171.29	858.04
एडेलवेइस टोकियो	150.04	33.55	183.59	126.47	310.07	29.04	15.58	44.63	14.12	58.74	121.00	17.96	138.96	112.36	251.32
एक्साइड लाइफ	565.82	67.04	632.85	1414.14	2046.99	73.55	18.13	91.68	138.52	230.20	492.27	48.91	541.17	1275.62	1816.79
फ्यूचर जनराली	249.05	6.53	255.59	336.91	592.50	20.80	2.99	23.78	59.11	82.89	228.26	3.55	231.81	277.80	509.61
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	3296.49	3190.73	6487.22	9825.76	16312.98	1882.10	954.85	2836.95	5771.45	8608.39	1414.40	2235.88	3650.27	4054.31	7704.58
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	4924.38	1841.37	6765.75	12398.64	19164.39	4116.43	1450.35	5566.78	8815.16	14381.94	807.95	391.02	1198.97	3583.48	4782.45
आईडीबीआई फेडरल	310.32	278.08	588.40	651.27	1239.67	50.18	183.65	233.83	56.30	290.14	260.14	94.43	354.57	594.96	949.53
इंडियाफर्स्ट	218.79	1259.31	1478.10	489.30	1967.40	92.40	46.46	138.86	403.51	542.37	126.39	1212.85	1339.23	85.79	1425.03
कोटक महिन्द्रा	1646.68	562.98	2209.66	1762.02	3971.68	586.93	125.56	712.49	585.41	1297.90	1059.76	437.42	1497.17	1176.60	2673.78
मैक्स लाइफ	2082.79	798.92	2881.71	6334.45	9216.16	576.48	32.85	609.33	1637.95	2247.28	1506.31	766.07	2272.38	4696.50	6968.89
पीएनबी मेटलाइफ	958.15	45.02	1003.17	1824.67	2827.83	266.84	8.81	275.65	646.93	922.58	691.31	36.21	727.52	1177.73	1905.26
रिलायंस निप्पोन	1446.70	111.63	1558.33	2839.79	4398.12	689.92	17.14	707.07	621.41	1328.48	756.77	94.49	851.26	2218.37	3069.64
सहारा	12.45	30.98	43.43	113.62	157.05	0.11	3.19	3.31	8.07	11.38	12.34	27.79	40.12	105.55	145.67
एसबीआई लाइफ	4630.54	2476.04	7106.58	8718.79	15825.36	2594.66	638.69	3233.35	3661.41	6894.76	2035.88	1837.34	3873.23	5057.38	8930.61
श्रीराम लाइफ	420.13	273.66	693.79	328.32	1022.11	7.79	30.45	38.25	19.74	57.98	412.33	243.21	655.54	308.58	964.13
स्टार यूनियन दाई-ईची	457.03	100.85	557.88	749.59	1307.47	42.75	61.44	104.18	316.56	420.75	414.28	39.41	453.69	433.03	886.73
टाटा एआईए	724.84	15.95	740.79	1738.17	2478.96	255.65	9.64	265.28	482.71	747.99	469.19	6.32	475.51	1255.46	1730.97
निजी कुल	**27053.01**	**13821.47**	**40874.48**	**59624.54**	**100499.03**	**13272.12**	**4294.41**	**17566.54**	**27853.84**	**45420.37**	**13780.89**	**9527.06**	**23307.95**	**31770.70**	**55078.65**
एलआईसी	23829.38	74062.13	97891.51	168552.70	266444.21	29.14	1.27	30.41	1438.79	1469.21	23800.24	74060.86	97861.10	167113.90	264975.00
कुल जोड़	**50882.40**	**87883.60**	**138765.99**	**228177.24**	**366943.23**	**13301.26**	**4295.68**	**17596.95**	**29292.63**	**46889.58**	**37581.13**	**83587.91**	**121169.05**	**198884.61**	**320053.65**

टिप्पणी: 1) प्रथम वर्ष प्रीमियम = नियमित प्रीमियम + एकल प्रीमियम
2) कुल प्रीमियम = प्रथम वर्ष प्रीमियम + नवीकरण प्रीमियम
3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 6

वर्ष 2016-17 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित/ दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण-अवधि वार (पॉलिसियाँ)				
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
एइगॉन रेलिगेर	5	1.37	583	58.85	588	60.22	571	56.64	17	3.58	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.11%	94.06%	2.89%	5.94%	-	-	-	0.00%					0%
अवीवा	10	3.20	1235	101.00	1245	104.19	1128	87.88	110	13.54	0	0.00	7	3	6	1	0	0	7
					100%	100%	90.60%	84.34%	8.84%	12.99%	-	-	0.56%	2.67%	85.71%	14.29%			100%
बजाज अलायंज़	423	31.73	15816	393.93	16239	425.66	14887	354.87	932	55.80	357	9.47	63	6	63	0	0	0	63
					100%	100%	91.67%	83.37%	5.74%	13.11%	2.20%	2.22%	0.39%	1.30%	100.00%				100%
भारत अक्सा	86	7.55	792	37.79	878	45.34	811	39.27	33	2.34	0	0.00	34	4	34	0	0	0	34
					100%	100%	92.37%	86.60%	3.76%	5.17%	-	-	3.87%	8.23%	100.00%				100%
बिड़ला सनलाइफ	266	24.14	5782	275.40	6048	299.54	5727	271.98	240	15.14	33	8.09	48	4	40	7	1	0	48
					100%	100%	94.69%	90.80%	3.97%	5.05%	0.55%	2.70%	0.79%	1.45%	83.33%	14.58%	2.08%		100%
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	4	0.59	649	39.36	653	39.96	620	37.57	32	2.30	0	0.00	1	0	1	0	0	0	1
					100%	100%	94.95%	94.02%	4.90%	5.76%	-	-	0.15%	0.22%	100.00%				100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	13	0.73	458	17.22	471	17.96	428	14.67	36	2.57	1	0.02	6	1	6	0	0	0	6
					100%	100%	90.87%	81.70%	7.64%	14.33%	0.21%	0.09%	1.27%	3.88%	100.00%				100%
एडेलवेइस टोकियो	3	0.08	161	15.16	164	15.24	153	12.75	11	2.49	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	93.29%	83.63%	6.71%	16.37%	-	-	-	0.00%					0%
एक्साइड लाइफ	17	1.11	2956	64.70	2973	65.81	2866	59.99	107	5.81	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.40%	91.16%	3.60%	8.83%	-	-	-	0.01%					0%
फ्यूचर जनराली	17	0.79	1349	31.91	1366	32.70	1223	25.48	126	6.25	0	0.00	17	1	0	1	1	15	17
					100%	100%	89.53%	77.91%	9.22%	19.11%	-	-	1.24%	2.98%		5.88%	5.88%	88.24%	100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	79	27.25	12645	416.09	12724	443.34	12421	351.35	244	76.38	0	0.00	59	16	57	2	0	0	59
					100%	100%	97.62%	79.25%	1.92%	17.23%	-	-	0.46%	3.52%	96.61%	3.39%			100%
आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल	33	8.24	10868	538.87	10901	547.11	10539	489.30	305	45.89	21	1.76	36	10	28	5	2	1	36
					100%	100%	96.68%	89.43%	2.80%	8.39%	0.19%	0.32%	0.33%	1.86%	77.78%	13.89%	5.56%	2.78%	100%
आईडीबीआई फेडरल	20	1.32	1045	48.12	1065	49.44	962	43.20	96	5.78	0	0.00	7	0	6	0	0	1	7
					100%	100%	90.33%	87.37%	9.01%	11.69%	-	-	0.66%	0.94%	85.71%			14.29%	100%
इंडियाफर्स्ट	50	3.64	1691	47.86	1741	51.49	1439	37.94	273	11.46	0	0.00	29	2	26	2	0	1	29
					100%	100%	82.65%	73.68%	15.68%	22.25%	-	-	1.67%	4.07%	89.66%	6.90%		3.45%	100%

टिप्पणीः प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

वर्ष 2016-17 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित/ दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		प्रतिलिखित दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण-अवधि वार (पॉलिसियाँ)				
	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	पॉलिसियों की सं.	लाभ की राशि	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
कोटक महिन्द्रा	92	7.40	2739	105.37	2831	112.77	2583	96.60	99	6.57	130	7.20	19	2	5	1	1	12	19
ओल्ड म्युचुअल					100%	100%	91.24%	85.67%	3.50%	5.82%	4.59%	6.38%	0.67%	2.13%	26.32%	5.26%	5.26%	63.16%	100%
मैक्स लाइफ	4	2.21	9817	299.13	9821	301.34	9606	283.88	212	17.32	0	0.00	3	0	3	0	0	0	3
					100%	100%	97.81%	94.20%	2.16%	5.75%	-	-	0.03%	0.05%	100.00%				100%
पीएनबी मेटलाइफ	26	3.80	3853	229.70	3879	233.50	3380	169.00	357	45.54	34	2.42	108	17	97	10	1	0	108
					100%	100%	87.14%	72.38%	9.20%	19.50%	0.88%	1.04%	2.78%	7.08%	89.81%	9.26%	0.93%		100%
रिलायंस लाइफ	183	10.77	10896	202.54	11079	213.31	10473	176.74	529	30.86	42	0.95	35	5	33	0	0	2	35
					100%	100%	94.53%	82.86%	4.77%	14.47%	0.38%	0.45%	0.32%	2.23%	94.29%			5.71%	100%
सहारा	25	0.29	700	6.02	725	6.31	654	5.51	45	0.43	0	0.00	26	0.38	22	2	2		26
					100%	100%	90.21%	87.30%	6.21%	6.74%	-	-	3.59%	5.96%	84.62%	7.69%	7.69%		100%
एसबीआई लाइफ	298	41.06	17312	519.09	17610	560.15	17027	480.23	451	54.73	0	0.00	132	25	47	7	15	63	132
					100%	100%	96.69%	85.73%	2.56%	9.77%	-	-	0.75%	4.50%	35.61%	5.30%	11.36%	47.73%	100%
श्रीराम	272	12.07	2654	85.31	2926	97.38	1859	49.52	774	33.58	0	0.00	293	14	249	37	3	4	293
					100%	100%	63.53%	50.85%	26.45%	34.48%	-	-	10.01%	14.66%	84.98%	12.63%	1.02%	1.37%	100%
स्टार यूनियन	191	12.18	1282	45.19	1473	57.37	1238	44.20	200	8.67	16	1.80	19	3	17	0	2	0	19
					100%	100%	84.05%	77.04%	13.58%	15.12%	1.09%	3.14%	1.29%	4.70%	89.47%		10.53%		100%
टाटा एआईए	0	0.00	2707	84.94	2707	84.94	2599	76.54	108	8.40	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.01%	90.10%	3.99%	9.89%	-	-	-	0.00%					0%
निजी कुल	**2117**	**201.52**	**107990**	**3663.56**	**110107**	**3865.08**	**103194**	**3265.09**	**5337**	**455.42**	**634**	**31.70**	**942**	**112.86**	**740**	**75**	**28**	**99**	**942**
					100%	**100%**	**93.72%**	**84.48%**	**4.85%**	**11.78%**	**0.58%**	**0.82%**	**0.86%**	**2.92%**	**78.56%**	**7.96%**	**2.97%**	**10.51%**	**100%**
एलआईसी	3914	242.71	765472	10815.89	769386	11058.60	756399	10585.53	7432	202.35	2352	75.66	3203	195.06	2786	310	62	45	3203
					100%	100%	98.31%	95.72%	0.97%	1.83%	0.31%	0.68%	0.42%	1.76%	86.98%	9.68%	1.94%	1.40%	100%
उद्योग कुल	**6031**	**444.23**	**873462**	**14479.45**	**879493**	**14923.68**	**859593**	**13850.62**	**12769**	**657.77**	**2986**	**107.36**	**4145**	**307.92**	**3526**	**385**	**90**	**144**	**4145**
					100%	**100%**	**97.74%**	**92.81%**	**1.45%**	**4.41%**	**0.34%**	**0.72%**	**0.47%**	**2.06%**	**85.07%**	**9.29%**	**2.17%**	**3.47%**	**100%**

टिप्पणीः प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 7

वर्ष 2016-17 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अवदिध दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण अवधि-वार (जीवन)				
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों	लाभ की	जीवनों	लाभ की	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
एइगॉन रेलिगेर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					0%	0%			-	-					-	-	-	-					0%
अवीवा	0	0.00	1214	7.76	1214	7.76	1206	7.75	8	0.01	0	0.00	8.00	0.01	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.34%	99.81%	0.66%	0.19%			0.66%	0.19%	-	-	-	0.00%					0%
बजाज अलायंज़	99	8.64	202341	687.39	202440	696.02	201422	663.94	850	27.68	196	17.81	654.00	9.87	168	4.40	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.50%	95.39%	0.42%	3.98%	0.10%	2.56%	0.32%	1.42%	0.08%	0.63%	-	0.00%					0%
भारती अक्सा	6	0.71	211	18.80	217	19.51	205	16.57	9	1.19	9	1.19	0.00	0.00	0	0.00	3	2	3	0	0	0	3
					100%	100%	94.47%	84.92%	4.15%	6.08%	4.15%	6.08%			-	-	1.38%	9.00%	100.00%				100%
बिड़ला सनलाइफ	0	0.00	1957	139.27	1957	139.27	1948	138.47	9	0.79	9	0.79	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.54%	99.43%	0.46%	0.57%	0.46%	0.57%			-	-	-	0.00%					0%
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	1	0.30	148	6.09	149	6.39	141	5.48	7	0.56	5	0.26	2.00	0.30	0	0.00	1	0	1	0	0	0	1
					100%	100%	94.63%	85.77%	4.70%	8.80%	3.36%	4.14%	1.34%	4.65%	-	-	0.67%	5.43%	100.00%				100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	48	3.09	27397	102.67	27445	105.76	27149	97.07	272	5.37	147	5.01	125.00	0.36	0	0.00	24	3	23	1	0	0	24
					100%	100%	98.92%	91.78%	0.99%	5.08%	0.54%	4.74%	0.46%	0.34%	-	-	0.09%	3.14%	95.83%	4.17%			100%
एडेलवेइस टोकियो	3	0.02	1426	26.52	1429	26.53	1429	26.53	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%	-	-					-	-	-	-					0%
एक्साइड लाइफ	0	0.00	1443	52.18	1443	52.18	1441	51.97	2	0.21	0	0.00	2.00	0.21	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.86%	99.60%	0.14%	0.40%			0.14%	0.40%	-	-	-	0.00%					0%
फ्यूचर जनराली	12429	22.65	394	60.41	12823	83.06	12746	73.59	2	0.40	1	0.05	1.00	0.35	0	0.00	75	9	24	6	4	41	75
					100%	100%	99.40%	88.59%	0.02%	0.48%	0.01%	0.06%	0.01%	0.42%	-	-	0.58%	10.93%	32.00%	8.00%	5.33%	54.67%	100%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	0	0.00	38149	259.34	38149	259.34	38025	244.25	124	15.09	119	14.24	5.00	0.85	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.67%	94.18%	0.33%	5.82%	0.31%	5.49%	0.01%	0.33%	-	-	-	0.00%					0%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	11	2.34	1778	105.89	1789	108.23	1774	105.36	-2	-0.31	-4	-0.35	2.00	0.04	7	1.62	10	2	8	0	1	1	10
					100%	100%	99.16%	97.35%	-0.11%	-0.29%	-0.22%	-0.33%	0.11%	0.04%	0.39%	1.50%	0.56%	1.44%	80.00%		10.00%	10.00%	100%
आईडीबीआई फेडरल	0	0.00	2914	32.97	2914	32.97	2906	32.15	7	0.58	3	0.19	4.00	0.39	0	0.00	1	0	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.73%	97.53%	0.24%	1.77%	0.10%	0.57%	0.14%	1.20%	-	-	0.03%	0.71%	100.00%				100%
इंडियाफर्स्ट	**29**	**1.31**	**7568**	**159.33**	**7597**	**160.64**	**7123**	**148.84**	**468**	**11.65**	**464**	**11.59**	**4.00**	**0.05**	**0**	**0.00**	**6**	**0**	**2**	**0**	**0**	**4**	**6**
					100%	**100%**	**93.76%**	**92.65%**	**6.16%**	**7.25%**	**6.11%**	**7.22%**	**0.05%**	**0.03%**	**-**	**-**	**0.08%**	**0.10%**	**33.33%**			**66.67%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

जारी.....विवरण 7

वर्ष 2016-17 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत / अस्वीकृत दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अवदिध दावे		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण अवधि-वार (जीवन)				
	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों की सं.	लाभ की राशि	जीवनों जीवनों	लाभ की लाभ की	जीवनों जीवनों	लाभ की लाभ की	3 महीने	3 - 6 महीने	6 - 1 वर्ष	1 वर्ष	कुल
कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल	67	4.69	46340	350.99	46407	355.68	46049	342.16	91	5.35	91	5.35	0.00	0.00	248	6.66	19	2	5	0	0	14	19
					100%	100%	99.23%	96.20%	0.20%	1.51%	0.20%	1.51%			0.53%	1.87%	0.04%	0.42%	26.32%			73.68%	100%
मैक्स लाइफ	0	0.00	5567	98.57	5567	98.57	5531	91.76	36	6.81	35	6.81	1.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.35%	93.09%	0.65%	6.91%	0.63%	6.91%	0.02%	0.00%	-	-	-	0.00%					0%
पीएनबी मेटलाइफ	1	0.41	1806	155.71	1807	156.13	1749	150.29	43	4.64	28	3.14	15.00	1.50	11	0.81	4	0	3	0	1	0	4
					100%	100%	96.79%	96.26%	2.38%	2.97%	1.55%	2.01%	0.83%	0.96%	0.61%	0.52%	0.22%	0.25%	75.00%		25.00%		100%
रिलायंस लाइफ	16	0.49	12268	63.19	12284	63.68	12266	61.36	17	2.29	17	2.29	0.00	0.00	0	0.00	1	0	0	0	0	1	1
					100%	100%	99.85%	96.36%	0.14%	3.60%	0.14%	3.60%			-	-	0.01%	0.05%				100.00%	100%
सहारा	2	0.00	88	0.10	90	0.10	88	0.10	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.78%	97.99%	2.22%	2.01%	2.22%	2.01%			-	-	-	0.00%					0%
एसबीआई लाइफ	136	7.35	23281	642.62	23417	649.97	23172	633.46	200	15.43	200	15.43	0.00	0.00	0	0.00	45	1	10	1	7	27	45
					100%	100%	98.95%	97.46%	0.85%	2.37%	0.85%	2.37%			-	-	0.19%	0.17%	22.22%	2.22%	15.56%	60.00%	100%
श्रीराम	0	0.00	33802	181.62	33802	181.62	32634	167.24	178	3.97	66	1.50	112.00	2.47	0	0.00	990	10	990	0	0	0	990
					100%	100%	96.54%	92.08%	0.53%	2.19%	0.20%	0.83%	0.33%	1.36%	-	-	2.93%	5.73%	100.00%				100%
स्टार यूनियन	309	6.68	5353	106.50	5662	113.19	5456	108.64	168	3.19	27	3.19	141.00	0.00	36	1.33	2	0	1	0	0	1	2
					100%	100%	96.36%	95.99%	2.97%	2.82%	0.48%	2.82%	2.49%	0.00%	0.64%	1.18%	0.04%	0.02%	50.00%			50.00%	100%
टाटा एआईए	0	0.00	706	73.21	706	73.21	695	72.58	11	0.63	11	0.63	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0
					100%	100%	98.44%	99.13%	1.56%	0.87%	1.56%	0.87%			-	-	-	0.00%					0%
निजी कुल	**13157**	**58.68**	**416151**	**3331.14**	**429308**	**3389.82**	**425155**	**3239.56**	**2502**	**105.55**	**1426**	**89.14**	**1076**	**16.41**	**470**	**14.82**	**1181**	**29.89**	**1071**	**8**	**13**	**89**	**1181**
					100%	**100%**	**99.03%**	**95.57%**	**0.58%**	**3.11%**	**0.33%**	**2.63%**	**0.25%**	**0.48%**	**0.11%**	**0.44%**	**0.28%**	**0.88%**	**90.69%**	**0.68%**	**1.10%**	**7.54%**	**100%**
एलआईसी	658	8.40	290280	2994.95	290938	3003.35	290148	2995.61	84	0.27	84	0.27	0.00	0.00	0	0.00	706	7.47	298	8	14	386	706
					100%	100%	99.73%	99.74%	0.03%	0.01%	0.03%	0.01%			-	-	0.24%	0.25%	42.21%	1.13%	1.98%	54.67%	100%
उद्योग कुल	**13815**	**67.08**	**706431**	**6326.09**	**720246**	**6393.17**	**715303**	**6235.17**	**2586**	**105.82**	**1510**	**89.41**	**1076**	**16.41**	**470**	**14.82**	**1887**	**37.36**	**1369**	**16**	**27**	**475**	**1887**
					100%	**100%**	**99.31%**	**97.53%**	**0.36%**	**1.66%**	**0.21%**	**1.40%**	**0.15%**	**0.26%**	**0.07%**	**0.23%**	**0.26%**	**0.58%**	**72.55%**	**0.85%**	**1.43%**	**25.17%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि											
	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016
एइगॉन	498.24	469.94	58.04	7.44	285.39	192.78	132.75	74.34	1.32	1.01	975.74	745.51
अवीवा	2580.39	2367.60	191.50	138.99	992.88	798.23	242.60	254.54	0.01	0.00	4007.38	3559.36
बजाज अलायंज़	11331.06	11331.19	1542.09	1117.83	3860.07	3722.47	4999.82	3635.21	203.04	247.78	21936.08	20054.48
भारती अक्सा	707.36	458.78	384.18	231.50	380.81	265.84	574.08	359.70	80.19	71.18	2126.62	1387.00
बिड़ला सन	3093.09	2615.63	242.57	77.95	1483.72	1195.58	1141.24	586.14	236.66	480.18	6197.28	4955.48
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	964.67	1005.68	246.37	31.51	725.75	618.06	240.33	93.42	0.00	109.80	2177.12	1858.47
डीएचएफएल प्रामेरिका	877.05	688.97	33.79	57.99	439.99	379.39	234.15	149.77	3.40	6.44	1588.38	1282.56
एडेलवेइस टोकियो	391.72	287.22	0.00	0.00	161.38	298.08	575.10	556.02	62.49	108.59	1190.69	1249.91
एक्साइड	4280.18	3527.82	164.20	177.78	1253.99	1166.29	1176.71	849.86	50.14	121.40	6925.22	5843.15
फ्यूचर जनराली	858.18	671.07	114.89	165.53	306.74	295.95	350.14	384.83	14.67	19.46	1644.62	1536.84
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	14319.87	10596.93	431.10	474.75	4407.61	3711.23	6249.78	5308.53	847.97	1009.63	26256.33	21101.07
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	13534.79	12585.83	2512.93	1176.79	5184.15	4145.91	6097.79	4779.58	806.23	492.53	28135.90	23180.64
आईडीबीआई फेडरल	1379.21	1342.37	597.27	227.58	744.80	593.71	923.70	637.84	25.32	12.48	3670.29	2813.98
इंडियाफर्स्ट	499.74	440.80	137.44	86.99	212.82	212.48	331.28	191.77	11.21	8.73	1192.49	940.77
कोटक महिन्द्रा ओएम	5341.79	4341.62	129.22	69.39	1415.12	1049.43	1268.15	979.10	554.59	259.00	8708.87	6698.54
मैक्स	16462.00	13521.13	1723.00	1350.40	4608.00	3468.72	4738.00	3474.23	78.00	126.85	27609.00	21941.33
पीएनबी मेटलाइफ	4184.48	3725.39	383.24	210.71	2127.92	1520.00	1519.54	1166.58	0.00	0.00	8215.18	6622.68
रिलायंस निप्पोन	5097.85	4210.02	475.57	431.02	2050.34	1846.97	1559.19	1366.35	201.44	163.77	9384.39	8018.13
सहारा	324.86	318.76	222.41	202.72	379.38	300.87	84.81	92.59	35.35	36.01	1046.81	950.95
एसबीआई	13858.55	11741.14	1205.32	777.26	5320.22	4203.34	5943.36	4847.37	943.30	879.66	27270.75	22448.77
श्रीराम	542.32	384.17	406.94	247.49	323.71	224.89	303.65	371.04	308.26	178.78	1884.88	1406.37
स्टार यूनियन दाई-ईची	1296.53	884.62	52.38	86.30	445.17	291.30	556.67	380.07	17.08	17.61	2367.83	1659.90
टाटा एआईए	6482.84	6431.51	716.78	343.94	2667.64	2009.89	1669.02	1395.95	38.71	0.00	11574.98	10181.29
निजी कुल	**108906.77**	**93948.19**	**11971.23**	**7691.86**	**39777.60**	**32511.41**	**40911.86**	**31934.83**	**4519.37**	**4350.89**	**206086.83**	**170437.18**
एलआईसी	684021.20	602617.50	430444.59	369746.35	160660.08	153600.13	364565.46	372257.61	62174.72	28794.17	1701866.05	1527015.76
उद्योग कुल	**792927.97**	**696565.69**	**442415.82**	**377438.21**	**200437.68**	**186111.54**	**405477.32**	**404192.44**	**66694.09**	**33145.06**	**1907952.88**	**1697452.94**

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि							
	केन्द्र सरकार-प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		कुल (पेंशन तथा सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि)	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
एइगॉन	4.40	3.80	0.00	0.35	1.16	1.14	5.56	5.29
अवीवा	211.53	191.42	2.33	1.02	155.27	195.58	369.13	388.02
बजाज अलायंज़	1805.42	1501.96	707.84	595.84	2991.02	2511.24	5504.29	4609.04
भारती अक्सा	70.82	56.84	62.08	54.18	173.22	153.34	306.12	264.36
बिड़ला सन	1184.41	953.87	231.25	98.91	1997.21	1406.41	3412.87	2459.19
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	465.15	378.82	150.98	93.33	744.45	610.22	1360.59	1082.37
डीएचएफएल प्रामेरिका	356.44	259.80	34.57	5.02	406.55	257.23	797.56	522.05
एडेलवेइस टोकियो	57.23	18.59	0.00	0.00	13.96	14.98	71.19	33.57
एक्साइड	857.68	664.17	99.54	99.08	726.22	687.53	1683.44	1450.78
फ्यूचर जनराली	146.31	105.95	93.50	96.08	302.67	231.15	542.48	433.18
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	4031.14	2711.60	1097.96	624.51	6145.64	4084.92	11274.74	7421.03
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	2575.79	2209.97	95.59	166.19	849.06	937.89	3520.44	3314.05
आईडीबीआई फेडरल	84.19	79.70	85.21	84.28	97.06	134.37	266.46	298.35
इंडियाफर्स्ट	1600.48	1976.01	917.78	574.60	3435.13	2158.30	5953.39	4708.91
कोटक महिन्द्रा ओएम	142.61	229.48	97.97	75.25	228.56	222.16	469.14	526.89
मैक्स	405.00	418.13	146.00	70.25	303.00	221.49	854.00	709.87
पीएनबी मेटलाइफ	81.75	78.10	0.97	0.97	85.62	91.32	168.34	170.39
रिलायंस निप्पोन	87.10	154.00	100.00	73.96	49.34	193.98	236.44	421.94
सहारा	2.57	2.58	0.00	0.00	0.28	0.28	2.85	2.86
एसबीआई	9937.42	9288.70	3479.87	2611.23	11612.79	9085.13	25030.08	20985.06
श्रीराम	67.90	71.79	64.66	36.74	196.09	161.98	328.65	270.51
स्टार यूनियन दाई-ईची	455.17	372.47	163.64	137.29	349.56	370.47	968.37	880.23
टाटा एआईए	301.96	295.94	32.62	23.84	293.52	261.72	628.10	581.50
निजी कुल	**24932.48**	**22023.69**	**7664.36**	**5522.92**	**31157.38**	**23992.83**	**63754.22**	**51539.44**
एलआईसी	133353.41	112460.06	218349.86	145244.51	150941.69	154959.34	502644.96	412663.91
उद्योग कुल	**158285.89**	**134483.75**	**226014.22**	**150767.43**	**182099.07**	**178952.17**	**566399.18**	**464203.35**

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि							
	केन्द्र सरकार-प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		कुल (पेंशन तथा सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि)	
	31.03.2016	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**	**31.03.2016**	**31.03.2015**
एइगॉन	928.22	993.02	30.47	41.12	958.69	1034.14	1939.99	1784.94
अवीवा	4491.37	4768.04	194.23	36.61	4685.60	4804.65	9062.11	8752.03
बजाज अलायंज़	19949.46	18430.99	888.75	790.47	20838.21	19221.46	48278.57	43884.98
भारती अक्सा	1237.39	1321.22	56.10	104.00	1293.49	1425.22	3726.23	3076.58
बिड़ला सन	24186.55	22044.12	912.64	1284.15	25099.19	23328.27	34709.34	30742.94
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	6917.41	6375.65	827.56	469.16	7744.97	6844.81	11282.68	9785.65
डीएचएफएल प्रामेरिका	241.40	220.71	8.22	2.48	249.62	223.19	2635.56	2027.80
एडेलवेइस टोकियो	198.75	104.45	15.57	9.62	214.32	114.07	1476.20	1397.55
एक्साइड	2167.69	2010.05	66.55	142.01	2234.24	2152.06	10842.90	9445.99
फ्यूचर जनराली	631.01	661.56	21.83	30.47	652.84	692.03	2839.94	2662.05
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	50928.79	44037.25	2871.70	1689.76	53800.49	45727.01	91331.56	74249.11
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	84302.16	73655.26	3576.19	1640.52	87878.35	75295.78	119534.68	101790.47
आईडीबीआई फेडरल	1864.59	1614.90	61.60	11.24	1926.19	1626.14	5862.94	4738.47
इंडियाफर्स्ट	3354.69	3227.69	99.79	19.68	3454.48	3247.37	10600.36	8897.05
कोटक महिन्द्रा ओएम	10534.75	8998.39	837.44	552.86	11372.19	9551.25	20550.20	16776.68
मैक्स	14906.00	12451.46	685.00	702.33	15591.00	13153.79	44054.00	35804.99
पीएनबी मेटलाइफ	6521.55	6594.22	251.19	88.11	6772.74	6682.33	15156.26	13475.40
रिलायंस निप्पोन	6979.64	7055.17	489.27	440.50	7468.91	7495.67	17089.74	15935.74
सहारा	143.53	188.08	1.82	0.59	145.35	188.67	1195.01	1142.48
एसबीआई	42935.77	34227.88	1637.27	1794.01	44573.04	36021.89	96873.87	79455.72
श्रीराम	725.97	818.72	40.96	43.80	766.93	862.52	2980.46	2539.40
स्टार यूनियन दाई-ईची	2756.87	2989.91	107.73	65.61	2864.60	3055.52	6200.80	5595.65
टाटा एआईए	8081.42	7961.07	408.60	263.83	8490.02	8224.90	20693.11	18987.69
निजी कुल	**294984.98**	**260749.81**	**14090.48**	**10222.93**	**309075.46**	**270972.74**	**578916.52**	**492949.36**
एलआईसी	66760.75	68224.31	4004.83	1214.95	70765.58	69439.26	2275276.59	2009118.93
उद्योग कुल	**361745.73**	**328974.12**	**18095.31**	**11437.88**	**379841.04**	**340412.00**	**2854193.11**	**2502068.29**

विवरण 9

जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2017 को	विदेशी प्रवर्तक	भारतीय प्रवर्तक	एफडीआई
एइगॉन लाइफ	1359.44	70.41	1429.85	700.63	729.22	49.00%
अवीवा लाइफ	2004.90	0.00	2004.90	982.40	1022.50	49.00%
बजाज अलायंज	150.70	0.00	150.70	39.18	111.52	26.00%
भारती अक्सा	2286.20	120.00	2406.20	1179.04	1227.16	49.00%
बिड़ला सनलाइफ	1901.21	0.00	1901.21	931.59	969.62	49.00%
केनरा एचएसबीसी	950.00	0.00	950.00	247.00	703.00	26.00%
डीएचएफएल प्रामेरिका	374.06	0.00	374.06	183.29	190.77	49.00%
एडेलवेइस टोकियो	261.59	0.00	261.59	128.18	133.41	49.00%
एक्साइड लाइफ	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00%
फ्यूचर जनराली	1452.00	55.45	1507.45	384.42	1123.03	25.50%
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	1995.29	3.19	1998.48	698.21	1300.27	34.94%
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	1432.32	3.03	1435.35	370.78	1064.57	25.83%
आईडीबीआई फेडरल	799.89	0.11	800.00	208.00	592.00	26.00%
इंडियाफर्स्ट	625.00	0.00	625.00	162.50	462.50	26.00%
कोटक महिन्द्रा	510.29	0.00	510.29	132.68	377.61	26.00%
मैक्स लाइफ	1918.81	0.00	1918.81	479.70	1439.11	25.00%
पीएनबी मेटलाइफ	2012.88	0.00	2012.88	523.35	1489.53	26.00%
रिलायंस निप्पोन	1196.32	0.00	1196.32	586.20	610.13	49.00%
सहारा	232.00	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00%
एसबीआई लाइफ	1000.00	0.00	1000.00	299.00	701.00	29.90%
श्रीराम लाइफ	175.05	4.33	179.38	41.00	138.38	22.86%
स्टार यूनियन दाई-ईची	250.00	8.96	258.96	118.96	140.00	45.94%
टाटा एआईए	1953.50	0.00	1953.50	957.22	996.29	49.00%
कुल (निजी क्षेत्र)	**26591.46**	**265.48**	**26856.94**	**9353.32**	**17503.62**	**34.83%**
एलआईसी	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00%
कुल (जीवन)	**26691.46**	**265.48**	**26956.94**	**9353.32**	**17603.62**	**34.70%**

विवरण 10

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का तिमाही शोधक्षमता अनुपात

क्रम सं.	जीवन बीमाकर्ता का नाम	30.06.2016	30.09.2016	31.12.2016	31.03.2017
1	एइगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.14	2.78	2.24	2.08
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.86	3.76	3.67	3.46
3	बजाज लायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8.08	7.84	7.71	5.82
4	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.27	1.82	1.58	1.82
5	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.12	2.05	2.03	2.00
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.22	4.28	4.26	4.01
7	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.17	8.94	8.15	7.68
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.51	2.15	2.22	2.20
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.52	2.40	2.19	2.52
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.71	1.81	1.71	1.61
11	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.04	2.09	1.95	1.92
12	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.20	3.06	2.94	2.81
13	आईडीबीआी फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.15	3.83	3.66	3.52
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.08	1.91	1.86	1.84
15	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.13	3.04	3.06	3.00
16	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.73	1.52	1.51	1.58
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.47	3.43	3.30	3.09
18	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.21	2.11	2.14	2.03
19	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.11	3.14	3.13	2.72
20	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8.10	8.19	8.12	अप्राप्त
21	एसबआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.18	2.14	2.09	2.04
22	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.34	2.40	2.30	2.03
23	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.92	1.93	2.05	2.78
24	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.40	3.29	3.22	3.15

विवरण 11

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

(रुपये करोड़)

बीमाकर्ता	2016-17	2015-16
निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता		
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7633.28	5832.15
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1314.09	1274.42
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3133.28	2452.00
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1815.50	1555.26
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	3964.45	3379.55
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ले. के रूप में ज्ञात)**	2224.17	473.39
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10725.20	8090.71
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	5563.70	3691.33
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	82.05	3.71
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	584.59	408.72
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	419.49	403.94
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	58.92	28.76
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3935.35	2791.56
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2188.78	1694.12
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2604.49	2039.85
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2102.42	1712.27
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4167.97	2958.56
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1287.23	903.79
निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता कुल	**53804.96**	**39694.08**
	35.55%	**13.12%**
सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता		
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	14282.36	12018.98
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	21597.92	17763.31
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11117.02	8611.59
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	16062.81	12250.36
सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ता कुल	**63060.11**	**50644.24**
	24.52%	**12.50%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	6979.56	3521.22
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	1267.62	1320.73
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**8247.18**	**4841.95**
	70.33%	**18.04%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	54.04	--
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1301.93	1022.18
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	221.80	143.82
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	593.93	476.01
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	726.07	503.32
स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	2960.05	2007.34
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**5857.83**	**4152.67**
	41.06%	**41.12%**
कुल जोड़	**130970.09**	**99332.94**
	31.85%	**13.98%**

टिप्पणीः प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

**पहले के एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया है।*

***एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया है।*

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

(रुपये करोड़)

बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16	2016-17	2015-16
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	538.73	476.27	134.73	141.54	3567.44	3277.29	1241.33	942.25	2151.06	994.81	7633.28	5832.15
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	49.80	62.36	24.42	25.92	1104.70	1019.91	80.84	99.37	54.33	66.86	1314.09	1274.42
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	234.55	204.68	68.37	75.71	2165.48	1667.61	328.41	311.36	336.47	192.64	3133.28	2452.01
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	189.22	162.00	56.59	61.14	903.00	927.85	264.77	204.05	401.92	200.23	1815.50	1555.26
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	393.91	421.71	92.17	104.40	1097.88	1174.30	921.53	1092.88	1458.96	586.25	3964.45	3379.55
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात)**	160.15	60.09	39.70	14.48	725.22	301.94	375.22	68.37	923.87	28.51	2224.16	473.39
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	744.64	632.70	341.05	299.80	4541.81	4149.81	2025.40	1662.84	3072.29	1345.55	10725.20	8090.71
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	276.75	265.95	128.82	116.73	2973.31	2407.14	569.92	481.78	1614.91	419.73	5563.70	3691.33
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.93	0.00	0.00	0.00	68.93	3.62	12.19	0.09	0.01	0.00	82.05	3.71
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29.55	27.80	12.97	7.97	409.08	274.47	95.79	69.85	37.20	28.63	584.59	408.72
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.66	29.13	15.23	12.39	340.31	334.48	2.91	1.77	30.38	26.18	419.49	403.94
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.82	0.77	0.03	0.03	28.92	5.43	0.38	0.15	27.76	22.38	58.92	28.76
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	298.91	259.08	49.99	50.79	1962.65	1660.53	380.89	564.57	1242.90	256.60	3935.35	2791.56
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	118.39	94.09	34.45	33.20	1704.23	1273.91	264.52	235.95	67.19	56.96	2188.78	1694.12
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	719.05	615.35	18.30	22.20	680.79	707.94	792.52	516.78	393.83	177.57	2604.49	2039.85
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.89	19.71	1.62	1.28	1835.56	1666.41	10.88	6.57	223.48	18.29	2102.42	1712.27
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	521.31	384.94	262.63	265.43	2020.01	1411.36	450.19	398.40	913.83	498.42	4167.98	2958.56
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	131.20	131.03	21.87	16.87	392.64	315.77	111.54	148.45	629.98	291.67	1287.23	903.79
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**4470.45**	**3847.66**	**1302.95**	**1249.89**	**26521.95**	**22579.79**	**7929.23**	**6805.47**	**13580.37**	**5211.28**	**53804.96**	**39694.08**
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता												
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	912.26	896.55	235.63	258.35	6321.67	5664.60	5053.92	4284.10	1714.05	872.47	14237.53	11976.07
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1824.28	1691.84	610.03	617.53	7600.67	6177.29	6335.12	5058.64	2744.59	1604.22	19114.69	15149.51
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	966.36	984.03	371.05	420.33	3743.64	3150.64	3846.36	2778.15	1875.93	981.59	10803.34	8314.74
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1364.65	1311.39	397.81	438.28	6062.60	4728.54	5504.14	4378.28	2733.60	1393.87	16062.80	12250.36
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**5067.55**	**4883.81**	**1614.52**	**1734.49**	**23728.58**	**19721.07**	**20739.54**	**16499.17**	**9068.17**	**4852.15**	**60218.36**	**47690.68**
विशेषीकृत बीमाकर्ता												
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	--	--	6979.56	3521.22	6979.56	3521.22
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	--	--	--	--	--	--	--	--	1267.62	1320.73	1267.62	1320.73
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8247.18	4841.95	8247.18	4841.95
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता												
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	54.04	0.00	--	--	54.04	0.00
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	1301.93	1022.18	--	--	1301.93	1022.18
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	221.80	143.82	--	--	221.80	143.82
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	593.93	476.01	--	--	593.93	476.01
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	726.07	503.32	--	--	726.07	503.32
स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	--	--	--	--	2960.05	2007.34	--	--	2960.05	2007.34
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5857.83**	**4152.66**	**0.00**	**0.00**	**5857.83**	**4152.66**
कुल जोड़	**9538.01**	**8731.46**	**2917.47**	**2984.38**	**50250.53**	**42300.86**	**34526.61**	**27457.30**	**30895.72**	**14905.37**	**128128.34**	**96379.38**

टिप्पणीः स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा शामिल है। *एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया है।

**एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस लि. के रूप में परिवर्तित किया गया है।

विवरण 13

स्वास्थ्य बीमा (यात्रा - देशी/ विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर)
पॉलिसियों की संख्या, सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या और सकल प्रीमियम (2016-17)

(पॉलिसियों की संख्या वास्तविक आंकड़ों में) (व्यक्तियों की संख्या '000 में) (सकल प्रीमियम ₹लाख में)

बीमाकर्ता	सरकार प्रायोजित योजनाएँ आरएसबीवाई सहित			सामूहिक बीमा योजनाएँ सरकार प्रायोजित योजनाओं और आरएसबीवाई को छोड़कर			वैयक्तिक परिवार फ्लोटर			परिवार फ्लोटर को छोड़कर वैयक्तिक			कुल		
	(क)			(ख)			(ग)			(घ)			(ङ)=(क)+(ख)+(ग)+(घ)		
	पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	पॉलिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
बजाज अलायंज़	2	7164	5611	3370	1224	50589	184328	554	18002	285646	526	23619	473346	9469	97821
भारती अक्सा				1211	286	5801	7370	24	501	13111	13	416	21692	323	6717
चोल एमएस				16442	1378	16635	39602	124	2176	19145	29	1290	75189	1531	20101
फ्यूचर जनराली	7	4759	1704	2737	664	14091	20001	68	1965	18565	78	1500	41310	5569	19260
एचडीएफसी एरगो*				8000	1247	12897	303872	560	26853	160694	143	29208	472566	1950	68958
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	19	17762	21954	4151	1898	54369	130338	371	20161	755875	774	70274	890383	20805	166758
इफ्को टोकियो	24	17873	8509	1125	718	32023	99585	321	7961	55384	72	2810	156118	18985	51303
कोटक जनरल							5007	15	539	8260	9	406	13267	24	945
लिबर्टी वीडियोकॉन				676	647	6853	4456	14	372	5786	7	655	10918	669	7881
एचडीएफसी एरगो (पूर्व में एलएण्डटी जनरल)**	0	0	-1.34	119	26	243	45787	287	3916	26025	26	1685	71931	339	5843
मैगमा एचडीआई													0	0	0
रहेजा क्यूबीई							4	0.01	0.33	66	0.1	2	70	0.08	2
रिलायंस	46	6854	3076	1800	1819	20366	51875	162	5202	26904	29	2193	80625	8864	30836
रॉयल सुंदरम				628	477	8308	77420	197	5785	110614	175	7632	188662	849	21725
एसबीआई जनरल				1114	3893	31501	15888	40	925	181874	190	4744	198876	4123	37170
श्रीराम जनरल													0	0	0
टाटा एआईजी	5	364	176	2330	295	3536	46311	141	4525	112144	141	10620	160790	942	18857
यूनिवर्सल सोम्पो				2346	229	3007	160231	684	6057				162577	913	9064
निजी कुल	**103**	**54777**	**41028**	**46049**	**14802**	**260219**	**1192075**	**3563**	**104939**	**1780093**	**2213**	**157056**	**3018320**	**75355**	**563242**
नेशनल	26	91200	95290	9937	7948	232610	638797	1863	40219	1131270	2526	105245	1780030	103537	473364
न्यू इंडिया	148	80099	88655	17688	10736	325173	1314597	4299	153432	452869	453	27392	1785302	95586	594654
ओरियन्टल	6	2172	4808	260421	13741	202688	711719	2014	87021	406627	675	36824	1378773	18602	331341
युनाइटेड इंडिया	49	105722	75724	106525	19754	343032	307744	1224	34020	746114	2898	70578	1160432	129598	523354
सरकारी कुल	**229**	**279193**	**264477**	**394571**	**52178**	**1103503**	**2972857**	**9400**	**314692**	**2736880**	**6552**	**240040**	**6104537**	**347323**	**1922712**
आदित्य बिड़ला				169	185	5013	1301	4	180	952	1	115	2422	190	5308
अपोलो म्यूनिख				1491	1178	37455	414319	1342	55993	265504	388	25479	681314	2907	118927
सिगना टीटीके				36	103	4642	58226	181	7503	65659	82	8519	123921	365	20664
मैक्स बूपा	3	1046	425	92	427	6075	123745	422	19453	183167	386	33141	307007	2281	59094
रेलिगेर	0	0	1018	1991	678	19843	174628	546	25676	143697	160	17161	320316	1384	63698
स्टार हेल्थ	0	0	2100	6101	918	35016	162092	514	162743	2411398	6218	85667	2579591	7651	285527
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य कुल	**3**	**1046**	**3543**	**9880**	**3489**	**108043**	**934311**	**3009**	**271548**	**3070377**	**7235**	**170083**	**4014571**	**14778**	**553217**
कुल जोड़	**335**	**335015**	**309048**	**450500**	**70469**	**1471766**	**5099243**	**15972**	**691179**	**7587350**	**16000**	**567179**	**13137428**	**437455**	**3039171**

*एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया है।

**एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस लि. के रूप में परिवर्तित किया गया है।

उपगत दावा अनुपात - सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता 2016-17

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमिय (करोड़ ₹ में)						उपगत दावे (निवल) (करोड़ ₹ में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल	763.76	172.81	5066.75	4021.04	779.26	10803.62	396.55	117.09	4264.01	5105.82	623.21	10506.68	51.92%	67.76%	84.16%	126.98%	79.97%	97.25%
न्यू इंडिया	1918.69	462.03	7390.07	6129.59	1914.41	17814.79	1959.37	349.34	6425.64	6309.68	1212.89	16256.92	102.12%	75.61%	86.95%	102.94%	63.36%	91.26%
ओरियन्टल	610.39	247.03	3450.38	3109.63	965.83	8383.26	555.43	209.96	4370.33	3676.40	585.97	9398.09	91.00%	84.99%	126.66%	118.23%	60.67%	112.11%
युनाइटेड	849.63	268.67	5106.80	4575.93	1231.28	12032.31	874.75	186.00	4584.47	6338.24	898.04	12881.50	102.96%	69.23%	89.77%	138.51%	72.94%	107.06%
कुल	**4142.47**	**1150.54**	**21014.00**	**17836.19**	**4890.78**	**49033.98**	**3786.10**	**862.39**	**19644.45**	**21430.14**	**3320.11**	**49043.19**	**91.40%**	**74.96%**	**93.48%**	**120.15%**	**67.89%**	**100.02%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
एआईसी	--	--	--	--	2002.98	2002.98	--	--	--	--	2399.22	2399.22	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	119.78%	119.78%
ईसीजीसी.	--	--	--	--	871.57	871.57	--	--	--	--	1056.65	1056.65	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	121.24%	121.24%
कुल	**--**	**--**	**--**	**--**	**2874.55**	**2874.55**	**--**	**--**	**--**	**--**	**3455.87**	**3455.87**	**ला.न.**	**ला.न.**	**ला.न.**	**ला.न.**	**120.22%**	**120.22%**
कुल जोड़	**4142.47**	**1150.54**	**21014.00**	**17836.19**	**7765.33**	**51908.53**	**3786.10**	**862.39**	**19644.45**	**21430.14**	**6775.98**	**52499.06**	**91.40%**	**74.96%**	**93.48%**	**120.15%**	**87.26%**	**101.14%**

उपगत दावा अनुपात-सरकारी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ता 2015-16

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमिय (करोड़ ₹ में)						उपगत दावे (निवल) (करोड़ ₹ में)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल	756.46	205.72	5170.57	3887.09	771.55	10791.38	687.87	104.80	4648.99	4291.34	549.40	10282.39	90.93%	50.94%	89.91%	110.40%	71.21%	95.28%
न्यू इंडिया	2073.26	473.00	6500.00	4450.45	1463.13	14959.83	1471.97	272.44	5314.31	5101.80	980.67	13141.19	71.00%	57.60%	81.76%	114.64%	67.03%	87.84%
ओरियन्टल	565.59	290.18	2959.44	2359.60	849.08	7023.90	435.33	216.85	2032.58	2701.32	493.51	5879.59	76.97%	74.73%	68.68%	114.48%	58.12%	83.71%
युनाइटेड	790.68	288.77	4172.81	3751.21	1019.39	10022.87	587.54	206.56	3013.72	4585.96	407.32	8801.09	74.31%	71.53%	72.22%	122.25%	39.96%	87.81%
कुल	**4185.99**	**1257.67**	**18802.82**	**14448.35**	**4103.14**	**42797.98**	**3182.70**	**800.64**	**15009.60**	**16680.41**	**2430.90**	**38104.26**	**76.03%**	**63.66%**	**79.83%**	**115.45%**	**59.24%**	**89.03%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
एआईसी	--	--	--	--	1862.23	1862.23	--	--	--	--	1855.94	1855.94	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	99.66%	99.66%
ईसीजीसी	--	--	--	--	978.94	978.94	--	--	--	--	1000.63	1000.63	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	102.22%	102.22%
कुल	**--**	**--**	**--**	**--**	**2841.17**	**2841.17**	**--**	**--**	**--**	**--**	**2856.57**	**2856.57**	**ला.न.**	**ला.न.**	**ला.न.**	**ला.न.**	**100.54%**	**100.54%**
कुल जोड़	**4185.99**	**1257.67**	**18802.82**	**14448.35**	**6944.31**	**45639.14**	**3182.70**	**800.64**	**15009.60**	**16680.41**	**5287.47**	**40960.83**	**76.03%**	**63.66%**	**79.83%**	**115.45%**	**76.14%**	**89.75%**

उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2016-17

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़ में)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़ में)						उपगत दावा अनुपात					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
निजी बीमाकर्ता																		
बजाज अलायंज़	176.39	83.97	3179.31	1015.03	482.35	4937.05	55.03	56.67	2199.75	796.76	368.08	3476.29	31.20%	67.49%	69.19%	78.50%	76.31%	70.41%
भारती अक्सा	9.59	18.52	1003.90	81.62	25.16	1138.79	8.29	12.98	894.39	62.75	10.51	988.92	86.44%	70.09%	89.09%	76.88%	41.77%	86.84%
चोलमंडलम	49.23	11.22	1837.37	271.95	78.30	2248.07	15.32	5.93	1466.63	108.97	42.12	1638.96	31.12%	52.81%	79.82%	40.07%	53.79%	72.91%
फ्यूचर जनराली	45.72	47.00	701.85	174.31	119.02	1087.90	32.94	30.60	573.93	137.59	66.02	841.09	72.05%	65.11%	81.77%	78.93%	55.47%	77.31%
एचडीएफसी एरगो*	61.67	44.10	722.19	517.36	306.26	1651.58	34.47	51.46	645.89	262.61	275.64	1270.07	55.89%	116.69%	89.43%	50.76%	90.00%	76.90%
एचडीएफसी एरगो** (पूर्व में एलएनटी जनरल)	25.23	19.73	536.00	222.53	185.61	989.10	11.98	14.47	487.07	92.29	163.99	769.80	47.48%	73.34%	90.87%	41.47%	88.35%	77.83%
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	123.71	192.08	3539.80	1335.34	972.68	6163.60	84.65	161.24	2793.43	1204.70	710.31	4954.33	68.43%	83.94%	78.91%	90.22%	73.03%	80.38%
इफ्को टोकियो	40.33	53.43	2300.56	513.26	603.42	3511.00	21.15	38.41	1941.03	535.34	341.79	2877.72	52.43%	71.89%	84.37%	104.30%	56.64%	81.96%
कोटक महिन्द्रा	1.43	0.00	27.67	3.52	0.25	32.86	-0.04	0.00	22.22	1.81	0.02	24.01	-2.66%	ल.न.	80.29%	51.55%	9.78%	73.09%
लिबर्टी वीडियोकॉन	3.48	6.30	318.52	73.40	15.26	416.97	11.55	5.93	246.20	54.58	11.74	329.99	331.55%	94.03%	77.29%	74.37%	76.89%	79.14%
मैगमा एचडीआई	7.05	1.50	310.11	1.63	6.81	327.09	2.34	2.09	243.40	2.95	7.95	258.74	33.13%	139.91%	78.49%	181.20%	116.83%	79.10%
रहेजा क्यूबीई	0.33	0.01	12.98	0.09	24.06	37.46	1.04	0.00	15.77	0.11	8.92	25.84	320.81%	-69.93%	121.43%	126.70%	37.08%	68.97%
रिलायंस जनरल	63.27	17.72	1450.48	333.31	224.17	2088.95	67.70	18.40	1325.64	328.29	186.68	1926.72	107.01%	103.86%	91.39%	98.49%	83.27%	92.23%
रॉयल सुंदरम	24.29	14.76	1436.18	226.22	19.54	1720.99	11.68	7.45	1179.81	140.46	5.27	1344.67	48.10%	50.46%	82.15%	62.09%	26.97%	78.13%
एसबीआई जनरल	171.92	14.08	675.42	548.34	66.66	1476.42	69.27	13.79	689.43	293.00	42.04	1107.52	40.29%	97.96%	102.07%	53.43%	63.06%	75.01%
श्रीराम जनरल	12.02	0.76	1639.73	2.23	27.59	1682.33	5.72	1.21	1691.88	0.86	25.82	1725.49	47.59%	159.21%	103.18%	38.57%	93.58%	102.57%
टाटा एआईजी	33.74	231.93	1529.50	343.94	268.34	2407.45	27.16	149.36	1213.09	196.74	154.77	1741.12	80.50%	64.40%	79.31%	57.20%	57.68%	72.32%
यूनिवर्सल सोम्पो	58.55	6.62	357.88	98.07	141.33	662.45	15.23	2.90	282.34	84.47	84.80	469.75	26.01%	43.86%	78.89%	86.14%	60.00%	70.91%
कुल	**907.95**	**763.73**	**21579.44**	**5762.14**	**3566.81**	**32580.06**	**475.48**	**572.88**	**17911.91**	**4304.30**	**2506.46**	**25771.04**	**52.37%**	**75.01%**	**83.00%**	**74.70%**	**70.27%**	**79.10%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
आदित्य बिड़ला	ल.न.	ल.न.	ल.न.	13.48	ल.न.	13.48	ल.न.	ल.न.	ल.न.	14.92	ल.न.	14.92	ल.न.	ल.न.	ल.न.	110.68%	ल.न.	110.68%
अपोलो म्यूनिख	ल.न.	ल.न.	ल.न.	1101.31	ल.न.	1101.31	ल.न.	ल.न.	ल.न.	605.59	ल.न.	605.59	ल.न.	ल.न.	ल.न.	54.99%	ल.न.	54.99%
सिगना टीटीके	ल.न.	ल.न.	ल.न.	181.77	ल.न.	181.77	ल.न.	ल.न.	ल.न.	87.50	ल.न.	87.50	ल.न.	ल.न.	ल.न.	48.14%	ल.न.	48.14%
मैक्स बूपा हेल्थ	ल.न.	ल.न.	ल.न.	544.28	ल.न.	544.28	ल.न.	ल.न.	ल.न.	282.81	ल.न.	282.81	ल.न.	ल.न.	ल.न.	51.96%	ल.न.	51.96%
रेलिगेर हेल्थ	ल.न.	ल.न.	ल.न.	484.00	ल.न.	484.00	ल.न.	ल.न.	ल.न.	244.50	ल.न.	244.50	ल.न.	ल.न.	ल.न.	50.52%	ल.न.	50.52%
स्टार हेल्थ एण्ड अलॉइड	ल.न.	ल.न.	ल.न.	1911.45	ल.न.	1911.45	ल.न.	ल.न.	ल.न.	1156.71	ल.न.	1156.71	ल.न.	ल.न.	ल.न.	60.51%	ल.न.	60.51%
कुल	**ल.न.**	**ल.न.**	**ल.न.**	**4236.30**	**ल.न.**	**4236.30**	**ल.न.**	**ल.न.**	**ल.न.**	**2392.04**	**ल.न.**	**2392.04**	**ल.न.**	**ल.न.**	**ल.न.**	**56.47%**	**ल.न.**	**56.47%**
कुल जोड़	**907.95**	**763.73**	**21579.44**	**9998.43**	**3566.81**	**36816.36**	**475.48**	**572.88**	**17911.91**	**6696.34**	**2506.46**	**28163.08**	**52.37%**	**75.01%**	**83.00%**	**66.97%**	**70.27%**	**76.50%**

* एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ किया गया, अतः प्रीमियमों और दावों को 31.12.2016 तक हिसाब में लिया गया।

** एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में परिवर्तित किया गया। ल.न.: लागू नहीं है।

उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2015-16

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़ में)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़ में)						उपगत दावा अनुपात					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
निजी बीमाकर्ता																		
बजाज अलायंज़	165.85	84.88	2885.64	793.32	293.95	4223.64	111.25	41.35	2079.64	594.50	227.12	3053.86	67.08%	48.72%	72.07%	74.94%	77.26%	72.30%
भारती अक्सा	9.36	11.81	1007.36	99.87	29.81	1158.21	22.21	12.37	921.62	85.31	30.09	1071.60	237.29%	104.74%	91.49%	85.42%	100.94%	92.52%
चोलमंडलम एमएस	46.59	15.74	1346.87	225.51	56.09	1690.80	17.02	8.64	1056.28	100.49	41.35	1223.78	36.53%	54.89%	78.42%	44.56%	73.72%	72.38%
फ्यूचर जनराली	43.15	48.66	741.06	150.62	97.95	1081.44	34.66	36.73	586.82	122.81	97.88	878.90	80.32%	75.48%	79.19%	81.54%	99.93%	81.27%
एचडीएफसी एरगो	73.30	74.78	790.25	638.09	132.12	1708.54	37.18	76.15	678.02	325.42	127.38	1244.15	50.72%	101.83%	85.80%	51.00%	96.41%	72.82%
एलएण्डटी जनरल	7.61	5.88	223.46	49.40	11.48	297.83	14.13	5.09	170.31	25.84	7.30	222.67	185.68%	86.56%	76.21%	52.31%	63.59%	74.76%
आईसीआईसीआई	99.50	184.93	2959.02	1074.60	503.57	4821.62	63.30	180.33	2375.46	882.12	427.01	3928.22	63.62%	97.51%	80.28%	82.09%	84.80%	81.47%
इफ्को टोकियो	44.93	39.61	2160.92	415.31	144.18	2804.95	25.08	40.03	1644.15	432.96	77.44	2219.66	55.82%	101.06%	76.09%	104.25%	53.71%	79.13%
कोटक महिन्द्रा	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21	ल.न.	ल.न.	350.00%	ल.न.	ल.न.	350.00%
लिबर्टी वीडियोकॉन	4.54	3.31	212.95	66.77	8.72	296.29	8.06	3.01	181.69	70.79	8.38	271.93	177.53%	90.94%	85.32%	106.02%	96.10%	91.78%
मैगमा एचडीआई	1.90	1.05	356.81	1.25	12.21	373.22	4.41	3.30	292.70	2.42	15.99	318.82	232.11%	314.29%	82.03%	193.60%	130.96%	85.42%
रहेजा क्यूबीई	0.35	0.02	1.14	0.19	19.79	21.49	0.22	0.00	1.23	0.18	3.73	5.36	62.86%	0.00%	107.89%	94.74%	18.85%	24.94%
रिलायंस जनरल	56.04	26.83	1296.25	549.48	70.80	1999.40	36.27	31.42	1131.56	526.79	61.47	1787.51	64.72%	117.11%	87.29%	95.87%	86.82%	89.40%
रॉयल सुंदरम	21.74	14.12	1120.87	215.65	17.64	1390.02	10.96	10.86	927.85	126.31	4.20	1080.18	50.41%	76.91%	82.78%	58.57%	23.81%	77.71%
एसबीआई	152.78	15.88	600.54	388.93	48.76	1206.89	99.00	15.55	648.13	211.61	26.98	1001.27	64.80%	97.92%	107.92%	54.41%	55.33%	82.96%
श्रीराम जनरल	7.48	0.56	1462.04	2.19	8.80	1481.07	4.00	0.51	1484.82	1.41	3.41	1494.15	53.48%	91.07%	101.56%	64.38%	38.75%	100.88%
टाटा एआईजी	26.76	225.82	1272.88	374.06	167.64	2067.16	25.55	182.48	1065.74	245.30	74.86	1593.93	95.48%	80.81%	83.73%	65.58%	44.66%	77.11%
यूनिवर्सन सोम्पो	55.18	7.26	253.09	137.31	77.72	530.56	28.50	6.03	183.16	116.81	41.11	375.61	51.65%	83.06%	72.37%	85.07%	52.90%	70.80%
कुल	**817.06**	**761.14**	**18691.21**	**5182.55**	**1701.23**	**27153.19**	**541.80**	**653.85**	**15429.39**	**3871.07**	**1275.70**	**21771.81**	**66.31%**	**85.90%**	**82.55%**	**74.69%**	**74.99%**	**80.18%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
अपोलो म्यूनिख	ल.न.	ल.न.	ल.न.	774.90	ल.न.	774.90	ल.न.	ल.न.	ल.न.	500.65	ल.न.	500.65	ल.न.	ल.न.	ल.न.	64.61%	ल.न.	64.61%
सिगना टीटीके	ल.न.	ल.न.	ल.न.	70.96	ल.न.	70.96	ल.न.	ल.न.	ल.न.	55.81	ल.न.	55.81	ल.न.	ल.न.	ल.न.	78.65%	ल.न.	78.65%
मैक्स बूपा हेल्थ	ल.न.	ल.न.	ल.न.	393.11	ल.न.	393.11	ल.न.	ल.न.	ल.न.	234.02	ल.न.	234.02	ल.न.	ल.न.	ल.न.	59.53%	ल.न.	59.53%
रेलिगेर हेल्थ	ल.न.	ल.न.	ल.न.	287.73	ल.न.	287.73	ल.न.	ल.न.	ल.न.	164.72	ल.न.	164.72	ल.न.	ल.न.	ल.न.	57.25%	ल.न.	57.25%
स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड	ल.न.	ल.न.	ल.न.	1513.87	ल.न.	1513.87	ल.न.	ल.न.	ल.न.	814.55	ल.न.	814.55	ल.न.	ल.न.	ल.न.	53.81%	ल.न.	53.81%
कुल	ल.न.	ल.न.	ल.न.	**3040.57**	ल.न.	**3040.57**	ल.न.	ल.न.	ल.न.	**1769.75**	ल.न.	**1769.75**	ल.न.	ल.न.	ल.न.	**58.20%**	ल.न.	**58.20%**
कुल जोड़	**817.06**	**761.14**	**18691.21**	**8223.12**	**1701.23**	**30193.76**	**541.80**	**653.85**	**15429.39**	**5640.82**	**1275.70**	**23541.56**	**66.31%**	**85.90%**	**82.55%**	**68.60%**	**74.99%**	**77.97%**

दावों का विश्लेषण - साधारण बीमाकर्ता - वित्तीय वर्ष 2016-17

बीमाकर्ता	दावों की संख्या						भुगतान किये गये दावों का अवधि-वार विश्लेषण (संख्या)					
	अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	अवधि के दौरान सूचित / दर्ज किये गये दावे	अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावे	अवधि के दौरान बंद किये गये दावे	अवधि के अंत में बकाया दावे	< 3 महीने	>=3 से <6 महीने	>=6 से <1 वर्ष	>=1 वर्ष से <3 वर्ष	>=3 से <5 वर्ष	>=5 <वर्ष
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
बजाज अलायंज़	80261	941912	893745	26396	82217	96093	93.1%	3.6%	1.7%	0.8%	0.3%	0.5%
भारती-अक्सा	44982	258011	240253	4446	25477	32825	90.8%	4.5%	2.1%	1.9%	0.6%	0.1%
चोल एमएस	52393	184832	163679	12556	9722	51268	86.9%	5.6%	3.3%	3.0%	0.9%	0.3%
फ्यूचर जनराली	26202	219111	206299	6706	12174	22384	91.3%	5.2%	2.0%	1.0%	0.3%	0.1%
एचडीएफसी एरगो	36488	362714	289179	10507	56493	43023	95.6%	2.1%	1.0%	0.9%	0.2%	0.1%
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	182927	2205388	1849307	226343	100240	212425	97.6%	1.4%	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%
इफ्को टोकियो	85553	906624	857929	701	17001	147187	69.3%	19.4%	9.3%	1.4%	0.3%	0.3%
कोटक महिन्द्रा	13	3579	2530	302	331	429	0.0%	98.9%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
लिबर्टी वीडियोकॉन	3974	81377	69832	5415	3680	6424	96.9%	2.1%	0.7%	0.3%	0.0%	0.0%
मैगमा एचडीआई	5799	26106	22399	785	2932	5794	83.6%	7.1%	4.9%	4.3%	0.1%	0.0%
रहेजा क्यूबीई	73	243	73	0	48	198	49.3%	17.8%	16.4%	13.7%	2.7%	0.0%
रिलायंस	214347	447539	462662	28167	35345	135712	93.3%	2.0%	1.2%	1.8%	0.9%	0.8%
रॉयल सुंदरम	31577	360274	347029	7315	13144	33867	95.7%	2.1%	0.9%	0.8%	0.3%	0.2%
एसबीआई जनरल	20252	154966	127495	13009	14269	20445	87.1%	7.6%	3.1%	2.1%	0.1%	0.0%
श्रीराम	69089	105782	94367	9853	13038	57613	67.7%	5.2%	5.0%	11.9%	7.9%	2.4%
टाटा एआईजी	61235	495134	435772	12968	72515	35114	94.0%	3.3%	1.4%	1.0%	0.2%	0.1%
यूनिवर्सल सोम्पो	11486	116675	104175	3201	11317	9468	94.9%	3.0%	0.7%	1.0%	0.4%	0.0%
निजी क्षेत्र उप-जोड़	**926651**	**6870267**	**6166725**	**368670**	**469943**	**910269**	**90.6%**	**5.1%**	**2.4%**	**1.2%**	**0.4%**	**0.3%**
नेशनल	288852	2962341	2604578	161463	66572	418580	81.0%	11.9%	3.6%	1.9%	0.8%	0.8%
न्यू इंडिया	268234	4007190	3918356	52707	0	304361	92.6%	3.6%	2.0%	1.0%	0.4%	0.4%
ओरियन्टल	270955	1655719	1651684	3841	10011	273888	84.7%	8.7%	3.2%	2.3%	0.5%	0.6%
युनाइटेड इंडिया	560558	4029542	3527737	239244	243664	579455	94.6%	2.4%	1.3%	0.8%	0.2%	0.8%
सरकारी क्षेत्र का उप-जोड़	**1388599**	**12654792**	**11702355**	**457255**	**320247**	**1576284**	**89.5%**	**5.8%**	**2.3%**	**1.3%**	**0.4%**	**0.6%**
कुल जोड़	**2315250**	**19525059**	**17869080**	**825925**	**790190**	**2486553**	**89.9%**	**5.6%**	**2.3%**	**1.3%**	**0.4%**	**0.5%**

टिप्पणी: वर्ष के अंत में बकाया दावे आंशिक भुगतानों/बहुविध भुगतानों/देखभाल रहित दावों आदि के कारण संभवतः फार्मूला अर्थात जी=बी+सी-डी-ई-एफ के समनुरूप नहीं हो सकते।

साधारण, स्वास्थ्य, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास एवं आवास और एफएफइ के लिए राज्य सरकार को ऋण		बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2016	31.03.2017	30.03.2016
निजी क्षेत्र														
बजाज अलायंज़	3823.06	3906.13	540.61	598.52	1092.48	1112.76	2755.67	1899.62	1582.44	1238.76	461.53	178.86	10255.79	8934.65
भारती अक्सा	664.15	635.97	241.65	250.77	386.39	387.87	570.15	414.95	989.34	1068.00	19.98	82.72	2871.66	2840.28
चोलमंडलम एमएस	1061.18	840.62	634.12	411.19	781.57	526.83	804.33	588.40	1556.39	1497.78	33.93	10.00	4871.52	3874.82
फ्यूचर जनराली	573.11	573.96	347.27	195.12	296.19	240.89	502.68	476.79	758.50	512.59	0.91	24.66	2478.66	2024.01
एचडीएफसी एरगो	1905.80	1229.27	655.00	249.99	573.30	307.90	1490.90	1241.02	1422.30	836.90	183.00	266.22	6230.30	4131.30
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	3491.50	4511.27	992.86	97.90	1772.50	1144.53	2384.22	1904.51	4691.51	3159.74	1072.91	439.96	14405.50	11257.91
इफ्को टोकियो	1415.14	1032.51	639.94	483.07	896.73	697.47	3038.47	1489.47	619.41	1119.52	0.00	9.02	6609.69	4831.06
एचडीएफसी जनरल (पूर्व में एलएण्डटी जनरल)	198.50	203.68	63.50	10.33	90.80	80.24	170.10	85.83	117.30	168.63	11.80	53.08	652.00	601.79
लिबर्टी वीडीयोकॉन	288.22	214.55	0.00	0.00	95.71	55.32	218.47	145.57	217.97	98.17	0.00	0.00	820.37	513.61
मैगमा एचडीआई	276.36	268.71	67.30	66.60	76.59	80.03	194.49	143.89	230.37	271.78	55.27	35.32	900.38	866.33
रहेजा क्यूबीई	97.46	84.68	0.00	0.00	40.59	30.23	50.89	60.52	103.71	80.02	0.00	0.00	292.65	255.45
रिलायंस	1690.69	1338.06	874.40	417.94	927.15	768.35	779.47	575.59	2261.10	2119.78	182.23	175.61	6715.04	5395.33
रॉयल सुंदरम	1074.07	1021.51	73.93	74.27	415.63	335.20	802.55	692.97	904.48	584.39	83.97	10.00	3354.63	2718.34
एसबीआई जनरल	1278.36	862.29	606.06	269.78	489.12	348.24	814.27	524.46	1149.64	1171.78	29.36	128.07	4366.81	3304.62
श्रीराम जनरल	1527.71	1405.65	564.77	534.37	1441.53	1135.65	2169.43	2213.33	900.15	730.71	112.29	0.00	6715.88	6019.71
टाटा एआईजी	1021.00	981.08	525.00	525.09	640.00	437.70	1095.00	976.36	1500.00	781.63	12.00	0.00	4793.00	3701.86
यूनिवर्सल सोम्पो	533.23	386.51	45.93	38.95	206.63	145.84	421.37	296.86	419.07	220.72	0.00	0.00	1626.23	1088.88
कोटक महिन्द्रा	36.12	41.72	25.31	15.39	20.41	14.86	27.32	20.27	38.02	22.18	0.00	0.00	147.18	114.42
कुल	20955.66	19538.17	6897.65	4239.28	10243.32	7849.91	18289.78	13750.41	19461.70	15683.08	2259.18	1413.52	78107.29	62474.37
सरकारी क्षेत्र														
नेशनल	4364.94	3780.25	3510.84	3185.80	981.83	1009.44	2155.02	2509.02	6974.81	5633.40	1309.58	1024.56	19297.02	17142.47
न्यू इंडिया	7214.03	7991.89	5523.03	3794.89	2515.24	2327.16	3665.78	3531.00	9240.38	8039.27	1164.31	496.34	29322.77	26180.55
ओरियन्टल	3037.38	2745.66	2033.40	1667.50	1390.46	1155.58	1876.15	1904.92	4721.55	4384.78	599.74	355.83	13658.68	12214.27
युनाइटेड इंडिया	4779.66	4055.77	2667.00	2353.40	2231.98	1981.74	3931.70	3550.13	6631.71	6877.65	1813.94	846.61	22055.99	19665.30
कुल	**19396.01**	**18573.57**	**13734.27**	**11001.59**	**7119.51**	**6473.92**	**11628.65**	**11495.07**	**27568.45**	**24935.10**	**4887.57**	**2723.34**	**84334.46**	**75202.59**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता														
आदित्य बिड़ला हेल्थ@	64.08	ला.न.	20.62	ला.न.	30.87	ला.न.	35.95	ला.न.	77.35	ला.न.	0.00	ला.न.	228.87	ला.न.
अपोलो म्यूनिख	214.21	184.65	103.79	83.80	136.43	124.14	180.68	106.10	399.14	305.77	9.42	76.02	1043.67	880.48
सिगना टीटीके	70.86	54.66	20.66	20.73	29.93	19.95	75.29	44.95	87.55	64.29	0.00	2.04	284.29	206.62
मैक्स बूपा	142.51	149.68	51.45	30.84	35.74	47.70	150.30	111.44	206.67	187.28	40.70	39.21	627.37	566.15
रेलिगेर हेल्थ	130.90	121.00	64.70	38.70	82.60	51.80	71.00	56.40	252.60	171.80	5.00	13.60	606.80	453.30
स्टार हेल्थ	710.90	385.01	0.00	0.00	189.09	146.20	470.89	234.47	160.09	204.68	0.00	14.00	1530.97	984.36
कुल	**1333.46**	**895.00**	**261.22**	**174.07**	**504.66**	**389.79**	**984.11**	**553.36**	**1183.40**	**933.82**	**55.12**	**144.87**	**4321.97**	**3090.91**
पुनर्बीमाकर्ता														
भारतीय साधारण बीमा निगम	8343.95	7977.31	5169.23	4735.78	3889.08	3310.37	4649.76	4212.54	15662.59	12180.73	1411.66	1633.59	39126.27	34050.32
आईटीआई रीइंश्योरेंस लि.	222.78	ला.न.	0.00	ला.न.	40.00	ला.न.	34.90	ला.न.	2.50	ला.न.	0.00	0.00	300.18	ला.न.
कुल	**8566.73**	**7977.31**	**5169.23**	**4735.78**	**3929.08**	**3310.37**	**4684.66**	**4212.54**	**15665.09**	**12180.73**	**1411.66**	**1633.59**	**39426.45**	**34050.32**
विशेषीकृत बीमाकर्ता														
एआईसी	2031.26	1260.19	775.95	688.63	395.04	444.94	758.48	637.19	2513.20	2848.00	1003.95	243.95	7477.88	6122.90
ईसीजीसी	1934.18	1749.29	1400.33	1320.66	1246.12	1034.55	1757.08	1297.13	1509.21	1730.67	178.79	52.33	8025.71	7184.63
कुल	**3965.44**	**3009.48**	**2176.28**	**2009.29**	**1641.16**	**1479.49**	**2515.56**	**1934.32**	**4022.41**	**4578.67**	**1182.74**	**296.28**	**15503.59**	**13307.53**
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ @														
म्यूनिख आरई इंडिया शाखा	204.10	ला.न.	0.00	ला.न.	20.18	ला.न.	19.70	ला.न.	2.29	ला.न.	0	0.00	246.27	ला.न.
स्कॉर एसई इंडिया शाखा	220.87	ला.न.	0	ला.न.	0	ला.न.	46.02	ला.न.	0	ला.न.	0	0.00	266.89	ला.न.
स्विस आरई इंडिया शाखा	111.47	ला.न.	0	ला.न.	22.19	ला.न.	3.07	ला.न.	0	ला.न.	0	0.00	136.73	ला.न.
कुल	**536.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42.37**	**0.00**	**68.79**	**0.00**	**2.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**649.89**	**0.00**
उद्योग - कुल जोड़	**54753.74**	**49993.53**	**28238.65**	**22160.01**	**23480.10**	**19503.48**	**38171.55**	**31945.70**	**67903.34**	**58311.40**	**9796.27**	**6211.60**	**222343.65**	**188125.72**

परिचालन 2016-17 में प्रारंभ किये। ला.न. - लागू नहीं

विवरण 18क

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2017 को	भारतीय प्रवर्तक	विदेशी प्रवर्तक	एफडीआई
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता						
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	110.23	0.00	110.23	81.57	28.66	26.00%
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1571.45	50.00	1621.45	826.94	794.51	49.00%
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	298.81	0.00	298.81	179.28	119.53	40.00%
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	710.00	99.80	809.80	603.25	206.55	25.51%
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.के रूप में ज्ञात)*	705.00	-104.53	600.47	308.27	292.20	48.66%
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	447.54	3.61	451.15	296.37	154.78	34.31%
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	269.32	0.00	269.32	199.30	70.02	26.00%
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00%
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	679.35	305.00	984.35	556.45	427.90	43.47%
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	112.50	0.00	112.50	83.75	28.75	25.56%
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	207.00	0.00	207.00	105.57	101.43	49.00%
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	122.77	3.00	125.77	125.77	0.00	0.00%
रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	315.00	16.00	331.00	331.00	0.00	0.00%
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	203.00	12.50	215.50	159.47	56.03	26.00%
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	258.29	0.34	258.63	199.23	59.40	22.97%
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	632.50	0.00	632.50	468.05	164.45	26.00%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	350.00	0.00	350.00	259.00	91.00	26.00%
निजी क्षेत्र कुल (क)	**7127.76**	**385.72**	**7513.48**	**4918.27**	**2595.21**	**34.54%**
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता						
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00%
सरकारी क्षेत्र कुल (ख)	**650.00**	**0.00**	**650.00**	**650.00**	**0.00**	**0.00%**
कुल (निजी+ सरकारी) (क+ख)	**7777.76**	**385.72**	**8163.48**	**5568.27**	**2595.21**	**31.79%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता						
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00%
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	1300.00	150.00	1450.00	1450.00	0.00	0.00%
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल (ग)	**1500.00**	**150.00**	**1650.00**	**1650.00**	**0.00**	**0.00%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता						
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	100.44	100.44	51.23	49.22	49.00%
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	356.92	0.35	357.27	183.32	173.95	48.69%
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	240.03	11.34	251.37	186.01	65.35	26.00%
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	898.00	28.00	926.00	472.26	453.74	49.00%
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	475.07	49.68	524.75	524.75	0.00	0.00%
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	386.99	68.58	455.57	289.50	166.07	36.45%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (घ)	**2357.01**	**258.39**	**2615.40**	**1707.07**	**908.33**	**34.73%**
पुनर्बीमाकर्ता						
सरकारी क्षेत्र पुनर्बीमाकर्ता - जीआईसी	430.00	0.00	430.00	430.00	0.00	0.00%
निजी क्षेत्र पुनर्बीमाकर्ता - आईटीआई	--	268.94	268.94	268.94	0.00	0.00%
पुनर्बीमाकर्ता कुल (ङ)	**430.00**	**268.94**	**698.94**	**698.94**	**0.00**	**0.00%**
कुल जोड़ (च) = (क+ख+ग+घ+ङ)	**12064.77**	**1063.05**	**13127.82**	**9624.28**	**3503.54**	**26.69%**

*पूर्व की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया है। एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में परिवर्तित किया गया है तथा वर्ष के दौरान परिवर्धन में निरसन, कटौती और शेयरों का नया निर्गम शामिल है।

विवरण 18ख

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी

(₹ करोड़)

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च 2016 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2017 को
हैनोवर आरई	--	135.51	135.51
लॉयड्स	--	100.00	100.00
म्यूनिख आरई	--	280.90	280.90
आरजीए	--	100.00	100.00
स्कॉर एसई	--	293.80	293.80
स्विस आरई	--	100.00	100.00
एक्सएल एसई	--	107.60	107.60
कुल	**--**	**1117.81**	**1117.81**

विवरण 19

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात 2016-17

क्रम सं.	बीमाकर्ता	जून 2016	सितंबर 2016	दिसंबर 2016	मार्च 2017
	निजी बीमाकर्ता				
1	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.54	2.53	2.58	2.61
2	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.73	1.78	1.77	1.65
3	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.60	1.64	1.60	1.64
4	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.45	1.51	1.83	1.72
5	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1.87	1.51	1.65	--
6	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात)**	1.36	1.58	1.55	1.67
7	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.78	2.03	2.01	2.10
8	इफ्को टोकियो जनरल इंशयोरेंस कंपनी लि.	1.54	1.64	1.62	1.60
9	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.31	2.18	2.02	1.80
10	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.51	4.09	3.54	2.87
11	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.84	1.99	2.02	2.07
12	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.41	4.44	4.47	4.45
13	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	1.81	1.58	1.68
14	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.56	1.66	1.63	1.69
15	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.65	2.00	1.85	2.19
16	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.02	2.07	2.12	1.94
17	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.69	1.64	1.54	1.80
18	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.64	1.56	1.56	1.57
	सरकारी बीमाकर्ता				
19	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.26	1.26	1.31	1.90
20	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2.11	2.04	2.17	2.19
21	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.51	1.14	1.22	1.11
22	युनाइटेड इंडिया इंशयोरेंस कंपनी लि.	1.77	1.56	1.55	1.15
	विशेषीकृत बीमाकर्ता				
23	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	3.14	1.56	1.82	1.84
24	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	9.38	8.42	7.62	8.69
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
25	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	--	3.95	2.88
26	अपोलो म्यूनिख हेलथ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.55	1.62	1.69	1.90
27	सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.68	1.68	1.68	2.65
28	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.05	2.44	2.25	2.01
29	रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.44	2.21	1.82	1.91
30	स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	5.27	1.59	1.52	1.61
	पुनर्बीमाकर्ता				
31	सरकारी क्षेत्र - भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)	3.56	2.92	2.21	2.40
32	निजी क्षेत्र - आईटीआई	--	--	--	4.10#

** एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का विलय 01.01.2017 से एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ किया गया, शोधक्षमता अनुपात 31.12.2016 को समाप्त तीसरी तिमाही तक लिये गये हैं।*

*** एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. का नाम एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में परिवर्तित किया गया है।*

 # व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया, अतः अनुपात का परिकलन अपेक्षित न्यूनतम पूँजी के आरएसएम पचास प्रतिशत को लेते हुए किया गया।

विवरण 20

2016-17 के लिए शिकायतों की स्थिति - जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2016-17					लंबित शिकायतों का अवधि-वार विश्लेषण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान समाधान की गई	वर्ष के दौरान समाधान कृत %	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 और 30 दिन के बीच	30 दिन से अधिक
एइगॉन लाइफ	144	4261	4405	100.00	0	0	0	0
अवीवा	0	2492	2492	100.00	0	0	0	0
बजाज अलायंज़	14	3993	4007	100.00	0	0	0	0
भारती अक्सा	0	4556	4548	99.82	8	4	2	2
बिड़ला सन लाइफ	1	6356	6347	99.84	10	10	0	0
केनरा एचएसबीसी	13	974	987	100.00	0	0	0	0
डीएचएफएल प्रामेरिका	7	1475	1481	99.93	1	1	0	0
एडेलवेइस टोकियो	6	1013	1019	100.00	0	0	0	0
एक्साइड लाइफ	41	6406	6447	100.00	0	0	0	0
फ्यूचर जनराली	52	4998	5035	99.70	15	15	0	0
एचडीएफसी स्टैंडर्ड	85	8647	8722	99.89	10	10	0	0
आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल	12	6680	6689	99.96	3	3	0	0
आईडीबीआई फेडरल	0	667	667	100.00	0	0	0	0
इंडियाफर्स्ट	24	1990	1995	99.06	19	19	0	0
कोटक महिन्द्रा	246	3741	3882	97.37	105	105	0	0
मैक्स लाइफ	0	8791	8791	100.00	0	0	0	0
पीएनबी मेटलाइफ	20	4383	4333	98.41	70	63	2	5
रिलायंस निप्पोन	169	4958	5127	100.00	0	0	0	0
सहारा	1	32	30	90.91	3	2	1	0
एसबीआई लाइफ	3	8165	8166	99.98	2	2	0	0
श्रीराम	9	379	387	99.74	1	1	0	0
स्टार यूनियन दाई-ईची	88	1798	1886	100.00	0	0	0	0
टाटा एआईए	0	3308	3308	100.00	0	0	0	0
एलआईसी	0	30784	30784	100.00	0	0	0	0
कुल	**935**	**120847**	**121535**	**99.80**	**247**	**235**	**5**	**7**

विवरण 21

2016-17 के लिए शिकायतों की स्थिति - साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	2016-17					लंबित शिकायतों का अवधि-वार विश्लेषण		
	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान समाधान की गई	वर्ष के दौरान समाधान कृत %	वर्ष के अंत में लंबित	15 दिन से कम	15 और 30 दिन के बीच	30 दिन से अधिक
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस	49	917	959	99.28	7	5	1	1
भारती अक्स जनरल इंश्योरेंस	37	3579	3609	99.81	7	7	0	0
चोलमंडलम एमएस जनरल	10	1670	1677	99.82	3	3	0	0
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस	1	2075	2073	99.86	3	3	0	0
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस	16	2900	2916	100.00	0	0	0	0
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस	90	3587	3589	97.61	88	88	0	0
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस	1	1781	1781	99.94	1	1	0	0
कोटक जनरल	0	25	23	92.00	2	2	0	0
एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस	0	409	409	100.00	0	0	0	0
लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस	3	315	315	99.06	3	3	0	0
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस	0	113	96	84.96	17	2	0	15
रहेजा क्यूबीई	0	0	0	0.00	0	0	0	0
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस	46	1287	1324	99.32	9	5	2	2
रॉयल सुंदरम अलायंस जनरल	22	808	824	99.28	6	6	0	0
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस	61	1117	1123	95.33	55	30	8	17
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस	0	214	214	100.00	0	0	0	0
टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस	1	1473	1473	99.93	1	1	0	0
यूनिवर्सन सोम्पो जनरल इंश्योरेंस	0	528	528	100.00	0	0	0	0
कुल निजी बीमाकर्ता	**337**	**22798**	**22933**	**99.13**	**202**	**156**	**11**	**35**
नेशनल इंश्योरेंस	180	4680	4671	96.11	189	14	12	163
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस	139	4208	4312	99.19	35	19	8	8
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस	129	2673	2672	95.36	130	23	11	96
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस	22	7484	7394	98.51	112	63	24	25
कुल - सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	**470**	**19045**	**19049**	**97.61**	**466**	**119**	**55**	**292**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता								
आदित्य बिड़ला हेल्थ	0	5	4	80.00	1	1	0	0
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस	4	1097	1081	98.18	20	20	0	0
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस	6	1020	1018	99.22	8	8	0	0
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस	0	802	802	100.00	0	0	0	0
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस	6	895	901	100.00	0	0	0	0
स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेंस	93	6434	6490	99.43	37	37	0	0
कुल - स्वास्थ्य बीमाकर्ता	**109**	**10253**	**10296**	**576.84**	**66**	**66**	**0**	**0**
विशेषीकृत बीमाकर्ता								
कृषि बीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
भारतीय ईसीजीसी	55	8	11	17.46	52	0	1	51
कुल जोड़	**971**	**52104**	**52289**	**98.52**	**786**	**341**	**67**	**378**

अनुबंध

अनुबंध 1

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ
जीवन बीमाकर्ता*

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. एइगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि.
	3. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4. भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5. बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7. डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	8. एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10. फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11. एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12. आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15. कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस लि.
	16. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17. पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	18. रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	19. सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	22. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि
	23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

* 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

जारी... **अनुबंध 1**

गैर-जीवन बीमाकर्ता*

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1 बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2 दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2 भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3 दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3 चोलमंडलम एमएस जनरल इंशयोरेंस कंपनी लि.
4 युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	4 फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5 एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. #
	6 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7 इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	8 लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9 मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12 रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	16 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17 कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
विशेषीकृत बीमाकर्ता*	
1 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	
2 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता*	
	1 अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2 सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	3 मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4 रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5 स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6 आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.

* 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

#एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एलएण्डटी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात) का विलय होने के परिणामस्वरूप पूर्व की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण सं. 125) का पंजीकरण 16.08.2017 से निरस्त किया गया है। विलयित संस्था अब एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पंजीकरण सं. 146) के रूप में जानी जाती है।

जारी... **अनुबंध 1**

पुनर्बीमाकर्ता*

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)	1 आईटीआई रीइंश्योरेंस लिमिटेड
लॉयड्स सहित भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखाएँ *	
	1 म्युन्शेनेर रुकवेरसिशेरंग्स-गेसेलशाफ्ट आक्टिएनगेसेलशाफ्ट- भारत शाखा
	2 स्विस रीइंश्योरेंस कंपनी लि., भारत शाखा
	3 स्कोर एसई - भारत शाखा
	4 हैनोवर रुक एसई - भारत शाखा
	5 आरजीए लाइफ रीइंश्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा, भारत शाखा
	6 एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, इंडिया रीइंश्योरेंस शाखा
	7 लॉयड्स इंडिया रीइंश्योरेंस शाखा

* 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार

अनुबंध 2

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना

क्रम सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता
1	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/स्वास्थ्य)	-	₹500000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
2	पुनर्बीमाकर्ता	-	₹500000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
3	लॉयड्स सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा	-	₹500000	न्यूनतम ₹5,00,000 और अधिकतम ₹10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)
4	लॉयड्स की सेवा कंपनी	-	₹50000	₹50000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)
5	साधारण / जीवन बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण	न्यूनतम ₹50 लाख और अधिकतम ₹5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन दाखिल किया जाता है उसके पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10 वाँ भाग	- -	- -	- -
6	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए)	₹20000	₹30000	₹15000	3 वर्ष
7	दलाल-प्रत्यक्ष	-	₹20000	नवीकरण शुल्क के रूप में ₹1,000 + न्यूनतम ₹25,000 और अधिकतम ₹1,00,000 के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
	दलाल-पुनर्बीमा	-	₹25000	नवीकरण शुल्क के रूप में ₹1,000 + न्यूनतम ₹75,000 और अधिकतम ₹3,00,000 के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
	दलाल-सम्मिश्र	-	₹40000	नवीकरण शुल्क के रूप में ₹1,000 + न्यूनतम ₹1,25,000 और अधिकतम ₹5,00,000 के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% का वार्षिक शुल्क	3 वर्ष
8	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक वैयक्तिक और कॉरपोरेट	-	₹1000	यदि आवेदन लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से 30 दिन पहले दाखिल किया जाता है तो नवीकरण शुल्क के रूप में ₹100, यदि नवीकरण आवेदन बाद में, परंतु लाइसेंस की समाप्ति की तारीख से छह महीने के अंदर दाखिल किया जाता है तो ₹750 के अर्थ-दंड के साथ नवीकरण शुल्क के रूप में ₹850	3 वर्ष
9	कॉरपोरेट एजेंट	'वापस न करने योग्य शुल्क - ₹10,000'	संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु ₹25000 और प्रधान अधिकारी/ विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र के लिए ₹500	पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए ₹25000, प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/ प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए ₹500	3 वर्ष
10	वेब संग्राहक	₹10000	₹25000	₹25000	3 वर्ष
11	सामान्य सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन माध्यम	-	₹5000	₹1000	3 वर्ष
12	रिफ़रल	-	₹10000	₹10000	3 वर्ष
13	बीमा विपणन फर्म	-	₹5000	₹2000	3 वर्ष
14	बीमा रिपोज़िटरी	₹10000	₹100000	₹50000	3 वर्ष
15	आईएसएनपी (बीमा सेल्फ-नेटवर्क प्लेटफार्म)	-	₹10000	-	-

अनुबंध 3(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (2006-08) यूएलटी.

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अन्तर्गत प्रकाशित मृत्यु-दर सारणी जो 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी है।

आईआरडीए के पत्र दिनांक 20 फरवरी 2013 के अनुसार उनकी सहमति से प्रकाशित।

आयु **(x)** निकटतम जन्मदिन के रूप में परिभाषित है।

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
0	0.004445	27	0.001004
1	0.003897	28	0.001017
2	0.002935	29	0.001034
3	0.002212	30	0.001056
4	0.001670	31	0.001084
5	0.001265	32	0.001119
6	0.000964	33	0.001164
7	0.000744	34	0.001218
8	0.000590	35	0.001282
9	0.000492	36	0.001358
10	0.000440	37	0.001447
11	0.000428	38	0.001549
12	0.000448	39	0.001667
13	0.000491	40	0.001803
14	0.000549	41	0.001959
15	0.000614	42	0.002140
16	0.000680	43	0.002350
17	0.000743	44	0.002593
18	0.000800	45	0.002874
19	0.000848	46	0.003197
20	0.000888	47	0.003567
21	0.000919	48	0.003983
22	0.000943	49	0.004444
23	0.000961	50	0.004946
24	0.000974	51	0.005483
25	0.000984	52	0.006051
26	0.000994	53	0.006643

जारी...अनुबंध 3(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (2006-08) यूएलटी.

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
54	0.007256	85	0.091982
55	0.007888	86	0.099930
56	0.008543	87	0.108540
57	0.009225	88	0.117866
58	0.009944	89	0.127963
59	0.010709	90	0.138895
60	0.011534	91	0.150727
61	0.012431	92	0.163532
62	0.013414	93	0.177387
63	0.014497	94	0.192374
64	0.015691	95	0.208585
65	0.017009	96	0.226114
66	0.018462	97	0.245067
67	0.020061	98	0.265555
68	0.021819	99	0.287699
69	0.023746	100	0.311628
70	0.025855	101	0.337482
71	0.028159	102	0.365411
72	0.030673	103	0.395577
73	0.033412	104	0.428153
74	0.036394	105	0.463327
75	0.039637	106	0.501298
76	0.043162	107	0.542284
77	0.046991	108	0.586516
78	0.051149	109	0.634244
79	0.055662	110	0.685737
80	0.060558	111	0.741283
81	0.065870	112	0.801191
82	0.071630	113	0.865795
83	0.077876	114	0.935453
84	0.084645	115	0.985796

अनुबंध 3(ii)

प्रकाशित मृत्यु-दर सारणियाँ

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत
वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर - एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
20	0.000919	48	0.003438
21	0.000961	49	0.003816
22	0.000999	50	0.004243
23	0.001033	51	0.004719
24	0.001063	52	0.005386
25	0.001090	53	0.006058
26	0.001113	54	0.006730
27	0.001132	55	0.007401
28	0.001147	56	0.008069
29	0.001159	57	0.008710
30	0.001166	58	0.009397
31	0.001170	59	0.010130
32	0.001170	60	0.010907
33	0.001171	61	0.011721
34	0.001201	62	0.011750
35	0.001246	63	0.012120
36	0.001308	64	0.012833
37	0.001387	65	0.013889
38	0.001482	66	0.015286
39	0.001593	67	0.017026
40	0.001721	68	0.019109
41	0.001865	69	0.021534
42	0.002053	70	0.024301
43	0.002247	71	0.027410
44	0.002418	72	0.030862
45	0.002602	73	0.034656
46	0.002832	74	0.038793
47	0.003110	75	0.043272

जारी... अनुबंध 3(ii)

प्रकाशित मृत्यु-दर सारणियाँ

आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत

वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर - एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)	आयु (x)	मृत्यु-दर (q_x)
76	0.048093	97	0.228425
77	0.053257	98	0.240778
78	0.058763	99	0.253473
79	0.064611	100	0.266511
80	0.070802	101	0.279892
81	0.077335	102	0.293614
82	0.084210	103	0.307679
83	0.091428	104	0.322087
84	0.098988	105	0.336836
85	0.106891	106	0.351928
86	0.115136	107	0.367363
87	0.123723	108	0.383139
88	0.132652	109	0.399258
89	0.141924	110	0.415720
90	0.151539	111	0.432524
91	0.161495	112	0.449670
92	0.171794	113	0.467159
93	0.182436	114	0.484989
94	0.193419	115	0.503163
95	0.204746	116	0.521678
96	0.216414	117	0.540536
		118	0. 559737

अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
1	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बजाज अलायंज़ पेंशन गारंटी	116एन036वी06
		बजाज अलायंज़ ग्रूप ऐन्युइटी	116एन059वी05
		बजाज अलायंज़ ग्रूप क्रेडिट प्रोटेक्शन प्लस	116एन094वी04
		बजाज अलायंज़ ग्रूप इम्प्लाई केअर	116एन116वी02
		बजाज अलायंज लाइफ बीमा संचय योजना	116एन136वी03
		बजाज अलायंज़ लाइफ इन्कम एश्योर	116एन139वी01
		बजाज अलायंज़ लाइफ टच ऑनलाइन टर्म	116एन140वी01
		बजाज अलायंज़ लाइफ सूपर गेन ग्रूप सूपरएन्युएशन स्कीम	116एल141वी01
2	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंक्रीजिंग मनी बैक प्लान	121एन116वी01
		रिलायंस निप्पोन लाइफ बाल निवेश - वन टाइम	121एन118वी01
		रिलायंस निप्पोन लाइफ क्लैसिक प्लान	121एल085वी03
		रिलायंस निप्पोन लाइफ स्मार्ट सेविंग्ज़ इंश्योरेंस प्लान	121एल117वी01
3	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया प्रा. लि.	अवीवा न्यू फैमिली इन्कम बिल्डर	122एन103वी03
		अवीवा क्रेडिट एश्योर	122एन112वी01
		अवीवा हार्ट केअर	122एन113वी01
		अवीवा आई-लाइफ टोटल	122एन114वी01
		अवीवा यंग स्कॉलर अडवांटेज	122एल085वी03
		अवीवा क्रिटिकल इलनेस एण्ड डिजबिलिटी राइडर-नॉन लिंक्ड राइडर	122बी019वी01
4	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीएसएलआई प्रोटेक्टर प्लस प्लान	109एन071वी03
		बीएसएलआई विज़न लाइफ इन्कम प्लान	109एन079वी03
		बीएसएलआई विजन लाइफ सेक्यूर प्लान	109एन087वी02
		बीएसएलआई इन्कम एश्योर्ड प्लान	109एन089वी02
		बीएसएलआई इन्कम एश्योर्ड प्लान	109एन089वी03
		बीएसएलआई प्रोटेक्ट ईज़	109एन091वी02
		बीएसएलआई विज़न इंडोमेंट प्लस प्लान	109एन092वी02
		बीएसएलआई विज़न मनी बैक प्लस प्लान	109एन093वी02
		बीएसएलआई सेक्यूरप्लस प्लान	109एन102वी01
		बीएसएलआई कैंसर शील्ड प्लान	109एन103वी01
		बीएसएलआई वेल्थ सेक्यूर प्लान	109एल074वी03
		बीएसएलआई वेल्थ ऐस्पाइर प्लान	109एल100वी02
		बीएसएलआई ऐक्सिडेन्टल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस	109बी023वी01
5	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईसीआईसीआई प्रू इमीडिएट ऐन्युइटी	105एन009वी07
		आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	105एन139वी02
		आईसीआईसीआई प्रू ग्रूप लोन सेक्यूर	105एन152वी01
		आईसीआईसीआई प्रू फ्यूचर पेरफेक्ट	105एन153वी01
		आईसीआईसीआई प्रू हार्ट / कैंसर प्रोटेक्ट	105एन154वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
	आईसीआईसीआई (जारी...)	आईसीआईसीआई प्रू ईज़ी रिटायरमेंट आईसीआईसीआई प्रू ईज़ी रिटायरमेंट एसपी	105एल133वी02 105एल138वी02
6	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचडीएफसी हेल्थ एश्योर एचडीएफसी लाइफ क्लैसिक एश्योर प्लस एचडीएफसी लाइफ पर्सनल पेंशन प्लस एचडीएफसी लाइफ गारंटीड पेंशन प्लान एचडीएफसी लाइफ सूपर इन्कम प्लान एचडीएफसी लाइफ यंगस्टार उड़ान एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 प्रोटेक्ट प्लस एचडीएफसी लाइफ संपूर्ण समृद्धि प्लस एचडीएफसी लाइफ उदय एचडीएफसी कैंसर केअर एचडीएफसी लाइफ ग्रूप क्रेडिट सुरक्षा (सूक्ष्म बीमा उत्पाद) एचडीएफसी लाइफ ग्रूप जीवन सुरक्षा (सूक्ष्म बीमा उत्पाद) एचडीएफसी लाइफ प्रगति एचडीएफसी लाइफ क्लिक 2 प्रोटेक्ट 3डी प्लस एचडीएफसी एसएल प्रोग्रोथ मैक्सिमाइज़र एचडीएफसी एसएल प्रोग्रोथ फ्लेक्सी एचडीएफसी एसएल प्रो ग्रोथ प्लस एचडीएफसी लाइफ एश्योर्ड पेंशन प्लान एचडीएफसी लाइफ कैपिटल शील्ड एचडीएफसी लाइफ ग्रूप क्रिटिकल इलनेस प्लस राइडर	101एन087वी03 101एन089वी02 101एन091वी03 101एन092वी03 101एन098वी02 101एन099वी02 101एन101वी02 101एन102वी02 101एन105वी02 101एन106वी02 101एन111वी01 101एन113वी01 101एन114वी01 101एन115वी01 101एल067वी03 101एल072वी03 101एल081वी03 101एल109वी03 101एल112वी01 101बी015वी01
7	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एक्साइड लाइफ इन्कम एडवांटेज प्लान एक्साइड लाइफ स्मार्ट टर्म प्लान एक्साइड लाइफ ग्रूप लोन सुरक्षा एक्साइड लाइफ संजीवनी एक्साइड लाइफ वन एडवांटेज रिटायरमेंट प्लान एक्साइड लाइफ वेल्थ एलाइट	114एन082वी01 114एन083वी01 114एन084वी01 114एन085वी01 114एन086वी01 114एल087वी01
8	भारतीय जीवन बीमा निगम	एलआईसी का जीवन अक्षय- एलआईसी का न्यू जीवन मंगल (सूक्ष्म बीमा उत्पाद) एलआईसी का भाग्य लक्ष्मी (सूक्ष्म बीमा उत्पाद) एलआईसी का बीमा डायमंड वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई 2017) एलआईसी का न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर	512एन234वी05 512एन287वी02 512एन292वी02 512एन307वी01 512जी308वी01 512ए212वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
9	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	मैक्स लाइफ गारंटीड लाइफटाइम इन्कम प्लान	104एन076वी02
		मैक्स लाइफ गारंटीड इन्कम प्लान	104एन085वी02
		मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस	104एन092वी01
		मैक्स लाइफ कैंसर इंश्योरेंस प्लान	104एन093वी01
		मैक्स लाइफ फ्यूचर जीनियस एजुकेशन प्लन	104एन094वी01
		मैक्स लाइफ ग्रूप क्रेडिट लाइफ प्रीमियर प्लान	104एन095वी01
		मैक्स फारएवर यंग पेंशन प्लान	104एल075वी02
10	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	पीएनबी मेटलाइफ मनी बैक प्लान	117एन081वी03
		पीएनबी मेटलाइफ मंथली इन्कम प्लान-10पे	117एन082वी03
		पीएनबी मेटलाइफ इंडाउमेंट सेविंग्ज प्लान	117एन083वी03
		पीएनबी मेटलाइफ फैमिली इन्कम प्रोटेक्टर प्लस	117एन086वी03
		पीएनबी मेटलाइफ कॉलेज प्लान	117एन087वी03
		पीएनबी मेटलाइफ बचत योजना	117एन088वी03
		पीएनबी मेटलाइफ भविष्य प्लस	117एन089वी03
		पीएनबी मेटलाइफ कंप्लीट केअर प्लस	117एन093वी02
		पीएनबी मेटलाइफ गारंटीड सेविंग्ज़ प्लान	117एन096वी02
		पीएनबी मेटलाइफ गारंटीड इन्कम प्लान	117एन097वी02
		पीएनबी मेटलाइफ इंडाउमेंट सेविंग्ज़ प्लान प्लस	117एन099वी01
		पीएनबी मेटलाइफ मेरा हार्ट एण्ड कैंसर केअर	117एन100वी01
		पीएनबी मेटलाइफ इन्कम प्रोटेक्शन स्कीम	117एन101वी01
		मेटलाइफ मेरा वेल्थ प्लान	117एल098वी01
		पीएनबी मेटलाइफ ऐक्सिडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर प्लस	117बी020वी02
		पीएनबी मेटलाइफ सीरियस इलनेस राइडर (असंबद्ध)	117बी021वी02
11	कोटक महिन्द्रा ओएम लाइफ इंश्योरेंस लि.	कोटक प्रिफ़र्ड टर्म प्लान	107एन009वी07
		कोटक प्रीमियर पेंशन प्लान	107एन094वी02
		कोटक इन्कम प्रोटेक्शन प्लान	107एन095वी02
		कोटक प्रीमियर लाइफ प्लान	107एन096वी02
		कोटक ग्रूप सेक्यूर	107एन097वी01
		कोटक ग्रूप सेक्यूर वन	107एन098वी01
		कोटक प्रीमियर इन्कम प्लान	107एन099वी01
		कोटक गारंटीड सेविंग्ज़ प्लान	107एन100वी01
		कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रो इंश्योरेंस प्लान	107एन101वी01
		कोटक एस इन्वेस्टमेंट	107एल064वी04
		कोटक सिंगल इन्वेस्ट अडवांटेज	107एल065वी04
		कोटक प्लेटिनम	107एल067वी04
		कोटक सिंगल इन्वेस्ट प्लस प्लान	107एल075वी03

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसबीआई लाइफ - शुभ निवेश	111एन055वी03
		एसबीआई लाइफ - स्मार्ट शील्ड	111एन067वी03
		एसबीआई लाइफ ऐन्युइटी प्लस	111एन083वी02
		एसबीआई लाइफ ऐन्युइटी प्लस	111एन083वी03
		एसबीआई स्मार्ट इन्कम प्रोटेक्ट	111एन085वी03
		एसबीआई लाइफ सरल स्वधन+	111एन092वी02
		एसबीआई लाइफ - स्मार्ट मनी बैक गोल्ड	111एन096वी02
		एसबीआई लाइफ - स्मार्ट चैम्प इंश्योरेंस	111एन098वी02
		एसबीआई लाइफ - स्मार्ट मनी प्लानर	111एन101वी02
		एसबीआई लाइफ स्मार्ट हमसफर	111एन103वी02
		एसबीआई लाइफ स्मार्ट बचत	111एन108वी01
		एसबीआई लाइफ - स्मार्ट प्रिविलिज	111एल107वी01
13	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस वाइटल केअर प्रो	110एन128वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा	110एन129वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण रक्षा+	110एन130वी01
		टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस गोल्ड इन्कम प्लान	110एन131वी01
14	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	कुछ नहीं	
15	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	भारती अक्सा लाइफ एलाइट अडवांटेज	130एन060वी02
		भारती अक्सा लाइफ समृद्धि	130एन061वी02
		भारती अक्सा लाइफ चाइल्ड अडवांटेज	130एन065वी02
		भारती अक्सा लाइफ सूपर सीरीज़	130एन066वी02
		भारती अक्सा लाइफ स्मार्ट बीमा	130एन067वी01
		भारती अक्सा लाइफ मंथली अडवांटेज	130एन068वी01
		भारती अक्सा लाइफ मंथली अडवांटेज	130एन068वी02
		भारती अक्सा स्मार्ट जीवन	130एन069वी01
		भारती अक्सा लाइफ धन वर्षा	130एन070वी01
		भारती अक्सा लाइफ धन वर्षा	130एन070वी02
		भारती अक्सा लाइफ इन्कम प्रोटेक्शन प्लान	130एन071वी01
		भारती अक्सा लाइफ फ्लेक्सी टर्म	130एन072वी01
16	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	श्रीराम ग्रूप टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान	128एन042वी03
		श्रीराम लाइफ एश्योर्ड इन्कम प्लस	128एन060वी02
		श्रीराम लाइफ इमीडिएट ऐन्युइटी प्लस	128एन063वी01
		श्रीराम लाइफ ग्रूप सूपरऐन्युएशन प्लान	128एन064वी01
		श्रीराम लाइफ एश्योर्ड अडवांटेज	128एन067वी01

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी...)	श्रीराम लाइफ एश्योर्ड अडवांटेज	128एन067वी02
		श्रीराम लाइफ जीनियस एश्योर्ड बेनिफिट प्लान	128एन068वी01
		श्रीराम लाइफ पेंशन प्लस	128एल065वी01
		श्रीराम लाइफ ग्रोथ प्लस	128एल066वी01
		श्रीराम ग्रूप ऐक्सिडेंटल डेथ एण्ड डिजबिलिटी राइडर	128बी015वी01
17	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	फ्यूचर जनराली फ्लेक्सी ऑनलाइन टर्म प्लान	133एन058वी02
		फ्यूचर जनराली कैंसर प्रोटेक्ट प्लान	133एन063वी01
		फ्यूचर जनराली बिग इन्कम मल्टिप्लायर	133एन064वी01
		फ्यूचर जनराली - ऐक्सिडेंट बेनिफिट राइडर	133बी027वी01
18	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईडीबीआई फेडरल टर्मश्योरेंस ग्रूप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस प्लान	135एन043वी01
		आईडीबीआई फेडरल आईश्योरेंस फ्लेक्सी टर्म इंश्योरेंस प्लान	135एन044वी01
		आईडीबीआई फेडरल सेक्यूर्ड इन्कम इंश्योरेंस प्लान	135एन045वी01
		आईडीबीआई फेडरल इन्कमश्योरेंस गारंटीड मनी बैक इंश्योरेंस प्लान 6 पे	135एन046वी01
		आईडीबीआई फेडरल वेल्थ गेन इंश्योरेंस प्लान	135एन047वी01
		आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस गारंटीड वेल्थ प्लान	135एन048वी01
19	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ग्रूप सेक्यूर प्लान	136एन024वी03
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस - 'स्मार्ट मंथली इन्कम प्लान'	136एन029वी03
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट सुरक्षा प्लान	136एन039वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट सुरक्षा प्लान	136एन039वी02
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस एश्योर्ड निवेश प्लान	136एन040वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस एश्योर्ड निवेश प्लान	136एन040वी02
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट जूनियर प्लान	136एन043वी01
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट जूनियर प्लान	136एन043वी02
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस आईसेलेक्ट टर्म प्लान	136एन045वी01
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस ड्रीम स्मार्ट प्लान	136एल015वी03
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस शुभ लाभ	136एल025वी02
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस स्मार्ट गोल्स प्लान	136एल031वी02

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी....)	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस स्मार्ट लाइफलांग प्लान	136एल032वी02
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स इंश्योरेंस स्मार्ट फ्यूचर प्लान	136एल037वी02
		केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टशील्ड प्लान	136एल041वी01
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्यूर भविष्य प्लान	136एल042वी01
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी इंश्योरेंस सेक्यूर भविष्य प्लान	136एल042वी02
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्यूर भविष्य प्लान	136एल042वी03
		केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस प्लेटिनम प्लस प्लान	136एल044वी01
20	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	डीएचएफएल प्रामेरिका सर्व सुरक्षा	140एन007वी04
		डीएचएफएल प्रामेरिका सहज सुरक्षा	140एन032वी03
		डीएचएफएल प्रामेरिका आजीवन समृद्धि	140एन033वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका फ्यूचर आईडल्स गोल्ड+	140एन036वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट कैश प्रोटेक्ट	140एन037वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका रोज़ संचय	140एन038वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका फ्लेक्सी कैश	140एन040वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट एश्योर	140एन042वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका प्रीमियर गेन	140एन043वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट इन्कम	140एन044वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका स्मार्ट मनी बैक	140एन045वी02
		डीएचएफएल प्रामेरिका डेंग्यू शील्ड	140एन051वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका टूशील्ड	140एन052वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका डेंग्यू ग्रूप शील्ड	140एन053वी01
		डीएचएफएल प्रामेरिका ग्रूप टर्म केअर	140एन054वी01
21	एइगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एइगॉन लाइफ आईटर्म इंश्योरेंस प्लान	138एन016वी04
		एईगॉन लाइफ जीवन ऋद्धि इंश्योरेंस प्लान	138एन058वी01
		एइगॉन लाइफ आईटर्म प्लस इंश्योरेंस प्लान	138एन060वी01
		एइगॉन फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लान	138एल023वी03
		एइगॉन फ्यूचर प्रोटेक्ट प्लस प्लान	138एल024वी03
		एइगॉन लाइफ राइजिंग स्टार इंश्योरेंस प्लान	138एल026वी03
		एइगॉन लाइफ आईमैक्सिमाइज़ प्लान	138एल030वी04
		एइगॉन लाइफ आईमैक्सिमाइज़ सिंगल प्रीमियम प्लान	138एल049वी02
		एइगॉन लाइफ आईइन्वेस्ट इंश्योरेंस प्लान	138एल059वी01
		एइगॉन लाइफ आईइन्वेस्ट इंश्योरेंस प्लान	138एल059वी02
		एइगॉन रेलिगेर ऐक्सिडेंटल डेथ राइडर	138बी006वी03

जारी... अनुबंध 4

वर्ष 2016-17 में आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और राइडरों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	यूआईएन
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एसयूडी लाइफ गारंटीड पेंशन प्लान	142एन052वी01
		एसयूडी लाइफ आशीर्वाद	142एन053वी01
		एसयूडी लाइफ आदर्श	142एन054वी01
		एसयूडी लाइफ न्यू आशियाना सुरक्षा	142एन055वी01
		एसयूडी लाइफ - प्राप्ति	142एन056वी01
23	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडिया फर्स्ट लाइफ कैश बैक प्लान	143एन024वी02
		इंडिया फर्स्ट लाइफ ग्रूप हॉस्पी केअर प्लान	143एन030वी01
		इंडिया फर्स्ट लाइफ वेल्थ मैक्सिमाइज़र प्लान	143एल029वी01
24	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एडेलवेइस टोकियो लाइफ - टोटलसेक्यूर+	147एन036वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - वेल्थ अल्टिमा	147एल037वी01
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - वेइवर ऑफ प्रीमियम राइडर	147बी003वी03
		एडेलवेइस टोकियो लाइफ - पायोर वेइवर बेनिफिट राइडर	147बी014वी03

अनुबंध 5

31.03.2017 को विद्यमान जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों को सूची

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	
	वैयक्तिक श्रेणी	सामूहिक श्रेणी
अवीवा लाइफ	अवीवा नयी ग्रामीण सुरक्षा	
बजाज अलायंज़ लाइफ	बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना बजाज अलायंज़ धन संचय योजना	बजाज अलायंज़ लाइफ जन सुरक्षा योजना
भारती अक्सा लाइफ	-	भारती अक्सा लाइफ जन सुरक्षा
बिड़ला सनलाइफ	बीएसएलआई बीमा सुरक्षा सूपर बीएसएलआई ग्रामीण जीवन रक्षा	- -
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	-	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण कवच प्लान
डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ	-	डीएचएफएल प्रामेरिका सर्व सुरक्षा
एडेलवेइस टोकियो लाइफ	एडेलवेइस टोकियो लाइफ रक्षा कवच एडेलवेइस टोकियो लाइफ धन निवेश बीमा योजना	- -
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीण बचत योजना -	एचडीएफसी लाइफ ग्रूप क्रेडिट सुरक्षा एचडीएफसी लाइफ ग्रूप जीवन सुरक्षा
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	- -
आईडीबीआई फेडरल लाइफ	टर्मश्योरेंस संपूर्ण सुरक्षा माइक्रो-इंश्योरंस प्लान	आईडीबीआई फेडरल ग्रूप माइक्रोश्योरेंस प्लान
कोटक महिन्द्रा लाइफ	कोटक संपूर्ण बीमा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	
पीएनबी मेट लाइफ	मेटलाइफ ग्रामीण आश्रय	-
सहारा लाइफ	सहारा सुरक्षित परिवार जीवन बीमा	-
एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ ग्रामीण बीमा -	एसबीआई लाइफ ग्रामीण सूपर सुरक्षा एसबीआई लाइफ ग्रामीण शक्ति
श्रीराम लाइफ	-	श्रीराम जन सहाय
टाटा एआईए लाइफ	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस साथ साथ	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	न्यू जीवन मंगल भाग्य लक्ष्मी	-

अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ऐड-ऑन/इण्डार्समेंट का नाम	उत्पाद की यूआईएन
1	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन126पी0001वी01201617
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन113पी0001वी01201617
		ग्रूप असेट प्रोटेक्शन पॉलिसी	आईआरडीएएन113पी0002वी01201617
		पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन113पी0003वी01201617
		टायर सेफ़गार्ड - ऐड ऑन कवर अंडर प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन113ए0004वी01201617
		टायर सेफ़गार्ड - ऐड ऑन कवर अंडर कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन113ए0005वी01201617
		मोटर डीलर पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन113पी0029वी02200102
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	कर्मचारी प्रतिकर - संशोधन	बीएक्सए-डब्ल्यूसी-पी16-09-वी02-16-17
		टू व्हीलर लांग टर्म पैकेज पॉलिसी	बीएक्सए-एमओ-पी16-16-वी01-16-17
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	चोल एमएस पीएमएफबीवाई	आईआरडीएएन123पी0001वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी - जीसीवी - हाइड्रोस्टैटिक लॉक प्लस कवर	आईआरडीएएन123ए0002वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी - जीसीवी - ईएमआई कवर	आईआरडीएएन123ए0003वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी - जीसीवी - वाहन भत्ता	आईआरडीएएन123ए0004वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल्स पैकेज पॉलिसी - जीसीवी - अतिरिक्त टोइंग प्रभार	आईआरडीएएन123ए0005वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - लॉस ऑफ की कवर	आईआरडीएएन123ए0006वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - कनस्यूमबल्स प्लस कवर	आईआरडीएएन123ए0007वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - ईएमआई कवर	आईआरडीएएन123ए0008वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - वाहन भत्ता	आईआरडीएएन123ए0009वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - हाइड्रोस्टैटिक लॉक प्लस कवर	आईआरडीएएन123ए0010वी01201617
		प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी - वेहिकल रीप्लेसमेंट अडवांटेज कवर	आईआरडीएएन123ए0011वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - मासिक किस्त कवर	आईआरडीएएन123ए0012वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - फुल डिप्रीशिएशन वेइवर कवर	आईआरडीएएन123ए0013वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - रिटर्न टू इनवाइस कवर	आईआरडीएएन123ए0014वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - हाइड्रोस्टैटिक लॉक कवर	आईआरडीएएन123ए0015वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - रीइनस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस	आईआरडीएएन123ए0016वी01201617
		टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी - डेली कैश अलाउंस	आईआरडीएएन123ए0017वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी...)	एंजिन सीज़र प्लसः- ऐड ऑन कवर अंडर कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन123ए0001वी01201718
		ईएमआई प्रोटेक्शन कवर - ऐड ऑन कवर अंडर कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन123ए0002वी01201718
		कनस्यूमबल्स प्लस कवर - ऐड ऑन कवर अंडर कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन123ए0003वी01201718
		वेहिकल रीप्लेसमेंट कवर - ऐड ऑन कवर अंडर कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी	आआईआरडीएएन123ए0004वी01201718
5	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	विशिष्ट संविदा (राजनैतिक/ व्यापक जोखिम) पॉलिसी	आईआरडीएएन124पी0006वी02200506
		विशिष्ट संविदा (राजनैतिक जोखिम) पॉलिसी	आईआरडीएएन124पी0007वी02200506
		स्पेसिफिक शिपमेंट्स (राजनैतिक/व्यापक जोखिम) पॉलिसी	आईआरडीएएन124पी0008वी02200506
		विशिष्ट सेवाएँ संविदा (राजनैतिक/व्यापक जोखिम) पॉलिसी	आईआरडीएएन124पी0009वी02200506
6	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कं. लि.	कमर्शियल जनरल लायबिलिटीः अकरेंस बेस्ड	एफजीआई-एलआई-पी16-17-वी01-16-17
		पोलिटिकल वायलन्स इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन132पी0001वी01201617
		कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस	आईआरडीएएन132पी0002वी01201617
		इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रोफेशनल इन्डेम्निटी इंश्योरेंस	आईआरडीएएन132पी0003वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - ऐक्सिडेंटल डैमेज क्लाज़	आईआरडीएएन132ए0001वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - अकाउंट्स रिसीवबल	आईआरडीएएन132ए0002वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - एडीशनल कस्टम्स ड्यूटी	आईआरडीएएन132ए0003वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - ऑटोमैटिक होल्ड कवर	आईआरडीएएन132ए0004वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - बॉयलर एण्ड मशीनरी कवरेज इण्डॉर्समेंट	आईआरडीएएन132ए0005वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - कैपिटल एडिशन्स क्लाज़	आईआरडीएएन132ए0006वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट्स	आईआरडीएएन132ए0007वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - कॉस्ट ऑफ रीराइटिंग रिकॉर्ड्स क्लाज़	आईआरडीएएन132ए0008वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - डेलिबरेट डैमेज क्लाज़	आईआरडीएएन132ए0009वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - इलेक्ट्रिकल ऐपरेटस क्लाज़	आईआरडीएएन132ए0010वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कं. लि. (जारी...)	स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - इम्प्लाईज़ पर्सनल प्रॉपर्टी इफेक्ट्स	आईआरडीएएन132ए0011वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - एर्स एण्ड ओमिशन	आईआरडीएएन132ए0012वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - हाउस ब्रेकिंग	आईआरडीएएन132ए0013वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - इनवालंटरी बेटरमेंट	आईआरडीएएन132ए0014वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - कीस एण्ड लॉक्स	आईआरडीएएन132ए0015वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी- मर्जर एण्ड अक्विजिशन	आईआरडीएएन132ए0016वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी- माइनर वर्क्स	आईआरडीएएन132ए0017वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी- ओरिजिनल ईक्विपमेंट मैन्युफैक्चर पार्ट्स	आईआरडीएएन132ए0018वी01201617
		स्टैंडर्ड फायर एण्ड स्पेशल पेरिल पॉलिसी - ऑब्सलीट ईक्विपमेंट	आईआरडीएएन132ए0019वी01201617
		ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन132पी0004वी01201617
7	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	बिजनेस सुरक्षा प्लस	आईआरडीएएन125पी0001वी01201617
		पोलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन125पी0002वी01201617
		एचडीएफसी एरगो प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	आईआरडीएएन125पी0003वी01201617
		ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन125पी0004वी01201617
		जीरो डिप्रीशिएशन क्लेम फॉर लांग टर्म टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन125पी0001वी01201516
		रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	आईआरडीएएन125पी0005वी01201617
8	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	बिजनेस गार्ड	आईआरडीएएन115पी0002वी01201617
		प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन115पी0001वी01201617
9	इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	क्लिनिकल ट्रायल्स पॉलिसी	आईटीजी-एलआई-पी16-18-वी01-16-17
		लांग टर्म स्टैंडर्ड मोटर पैकेज पॉलिसी फॉर टू व्हीलर्स	आईटीजी-एमओ-पी16-39-वी01-16-17
		डाइरेक्टर्स एण्ड ऑफिसर्स लायबिलिटी एण्ड कंपनी रीइम्बर्समेंट लायबिलिटी इंश्योरेंस	आईआरडीएएन106पी0003वी02200203
		प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	आईआरडीएएन106पी0001वी01201617
		यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम (यूपीआईएस)	आईआरडीएएन106पी0002वी01201617
10	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कोटक कॉरपोरेट वेहिकल सेक्यूर	आईआरडीएएन152पी0001वी01201617
		कोटक कॉरपोरेट वेहिकल सेक्यूर - रिटर्न टू इनवाइस	आईआरडीएएन152ए0004वी01201617
		कोटक कॉरपोरेट वेहिकल सेक्यूर - एंजिन प्रोटेक्ट	आईआरडीएएन152ए0005वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (जारी...)	कोटक कॉरपोरेट वेहिकल सेक्यूर - कनस्यूमबल कवर	आईआरडीएएन152ए0006वी01201617
		कोटक कॉरपोरेट सेक्यूर - डिप्रीशिएशन कवर	आईआरडीएएन152ए0002वी01201617
		कोटक कॉरपोरेट वेहिकल सेक्यूर - रोड साइड असिस्टेंस (केवल निजी वाहन पर लागू)	आईआरडीएएन152ए0003वी01201617
		कोटक फायर सेक्यूर	आईआरडीएएन152पी0009वी01201617
		कोटक बरग्लरी सेक्यूर	आईआरडीएएन152पी0007वी01201617
		कोटक लांग टर्म टू व्हीलर सेक्यूर	आईआरडीएएन152पी0008वी01201617
		कोटक होम सेक्यूर	आईआरडीएएन152पी0010वी01201617
11	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	लिबर्टी सेफ़ कंटेनर इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150पी0001वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - जीएपी वैल्यू कवर	आईआरडीएएन150ए0002वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - रोडसाइड असिस्टेंस कवर	आईआरडीएएन150ए0003वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - एंजिन सेफ	आईआरडीएएन150ए0004वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - डेली अलाउंस बेनिफिट	आईआरडीएएन150ए0005वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - ईएमआई प्रोटेक्शन	आईआरडीएएन150ए0006वी01201617
		कमर्शियल वेहिकल पैकेज पॉलिसी - ऐड ऑन - एडिशनल टोइंग एक्सपेन्सेस रीइंबर्समेंट	आईआरडीएएन150ए0007वी01201617
		इनवालंटरी बेटरमेंट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0014वी01201617
		टेम्परारी रिपेयर्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0015वी01201617
		नॉन-वैलिडेशन क्लाज़ - ऐड ऑन कवल अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0016वी01201617
		कांट्रैक्ट वर्क - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0017वी01201617
		क्लेम्स प्रिपरेशन कॉस्ट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0018वी01201617
		कैपिटल एडिशन्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0019वी01201617
		ब्रैण्ड/ ट्रेडमार्क्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0020वी01201617
		एक्सपेडाइटिंग कॉस्ट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0021वी01201617
		स्टार्टअप/ शटडाउन कास्ट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0022वी01201617
		ऐक्सिडेंटल डैमेज - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0023वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी....)	न्यू लोकेशन - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0024वी01201617
		एडिशनल इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0025वी01201617
		आब्सलीट पार्ट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0026वी01201617
		इमीडिएट रिपेयर्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0027वी01201617
		माइनर वर्क्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0028वी01201617
		एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0029वी01201617
		स्यू एण्ड लेबर चार्जेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0030वी01201617
		एर्स एण्ड ओमिशन्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0031वी01201617
		एडिक्सी ऑफ सम इंश्योर्ड/ वेइवर ऑफ अंडर इंश्योरेंस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0032वी01201617
		लीक सर्च/ फाइंडिंग कास्ट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0033वी01201617
		फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0034वी01201617
		इनड्वरटेट एक्सक्लूजन ऑफ असेट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0035वी01201617
		प्रिपरेशन ऑफ लॉस्ट रिकार्ड्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडएएन150ए0036वी01201617
		वैल्युअबल प्लान एण्ड डॉक्युमेंट्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0037वी01201617
		डीवाटरिंग एक्सपेंसेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0038वी01201617
		प्रॉपर्टी इन ऑफ़-साइट स्टोरेज - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0039वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी....)	गुड्स हेल्ड इन ट्रस्ट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0040वी01201617
		ऑटोमैटिक रीइन्स्टेटमेंट ऑफ लॉस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0041वी01201617
		वेइवर ऑफ सब्रोगेशन - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0042वी01201617
		टेम्परारी स्ट्रक्चर्स प्लांट एण्ड ईक्विपमेंट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0043वी01201617
		डेमोलिशन एण्ड इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ कन्स्ट्रक्शन - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0044वी01201617
		सर्विस इंटरप्शन प्रॉपर्टी डैमेज - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0045वी01201617
		अन-ऑक्युपैंसी क्लाज़ - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0046वी01201617
		कंटैमिनेशन एण्ड को-मिंगलिंग ऑफ स्टॉक्स - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0047वी01201617
		कैटलिस्ट्स एण्ड कनस्यूमबल इंटरेस्ट इन प्रॉसेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0048वी01201617
		वेसेल इम्पैक्ट टू जेट्टी - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0049वी01201617
		मॉडिफिकेशन कॉस्ट्स एण्ड एक्सपेंसेस फॉर इनकम्पैटबिलिटी ऑफ ईक्विपमेंट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0050वी01201617
		व्यावसायिक शुल्क - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0051वी01201617
		पोर्ट ब्लॉकेज - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0052वी01201617
		प्रिवेंशन ऑफ ऐक्सेस/ डिनायल ऑफ ऐक्सेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0053वी01201617
		इन्ग्रेस-एग्रेस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0054वी01201617

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (जारी....)	सर्विस इंटरप्शन टाइम एलिमेंट - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0055वी01201617
		लॉस ऑफ मैनेजमेंट फी रेविन्यूस - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0056वी01201617
		प्रोटेक्शन एण्ड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी - ऐड ऑन कवर अंडर इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150ए0057वी01201617
		इंडस्ट्रियल आल रिस्क इंश्योरेंस	आईआरडीएएन150पी0006वी02201213
		कमर्शियल क्राइम इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0008वी01201617
		एसएमई पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0009वी01201617
		शॉपकीपर्स पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0010वी01201617
		ऑफिस पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0011वी01201617
		ईवेंट इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0012वी01201617
		ज्वेलर्स ब्लॉक इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन150पी0013वी01201617
12	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन058पी0001वी01201617
13	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	इंडॉर्समेंट्स (ऐड-ऑन्स) फॉर स्पेशलिस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर सिंगल प्रॉजेक्ट डिजाइन रिस्क्स।	आईआरडीएएन141ए0001वी01201617
14	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन103पी0001वी01201617
		पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	आईआरडीएएन103पी0002वी01201617
15	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	सेक्यूर वालेट	आईआरडीएएन102पी0001वी01201617
		लांग टर्म टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन102पी0002वी01201617
		गृह सुरक्षा होम इंश्योरेंस प्लान	आईआरडीएएन102पी0003वी01201617
16	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	ब्रॉड फार्म लायबिलिटी	आईआरडीएएन144पी0001वी01201617
		सिंपल होम इंश्योरेंस पॉलिसी	आईआरडीएएन144पी0002वी01201617
		प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	आईआरडीएएन144पी0003वी01201617
17	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	आईआरडीएएन137पी0001वी01201617
		लांग टर्म टू व्हीलर पैकेज पॉलिसी ('एलटीटीडब्ल्यूपीपी')	आईआरडीएएन137पी0002वी01201617
		पुनःसंरचित मौसम-आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)	आईआरडीएएन137पी0003वी01201617
		श्रीराम कर्मचारी प्रतिकर बीमा	आईआरडीएएन137पी0009वी02200809

जारी... अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान दर्ज किये गये साधारण बीमा उत्पाद/ऐड-ऑन

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद/ ऐड-ऑन का नाम	यूआईएन
18	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन108पी0001वी01201617
19	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	आईआरडीएएन190पी0002वी01201617
		न्यूक्लियर सप्लायर्स इंश्योरेंस पॉलिसी (राइट टू रीकोर्स अंडर सीएलएनडी एक्ट, 2010)	आईआरडीएएन190पी0001वी01201617
20	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना पॉलिसी	आईआरडीएएन556पी0001वी01201617
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	यूएसजीआई - प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना	आईआरडीएएन134पी0001वी01201617
		यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम	आईआरडीएएन134पी0002वी01201617
		यूएसजीआई - एंजिन प्रोटेक्टर - मोटर ओडी - ऐड ऑन (टू व्हीलर)	आईआरडीएएन134ए0005वी01201617
		यूएसजीआई-एनसीबी प्रोटेक्टर-मोटर ओडी-ऐड ऑन (प्राइवेट कार)	आईआरडीएएन134ए0006वी01201617
		यूएसजीआई-एनसीबी प्रोटेक्टर-मोटर ओडी-ऐड ऑन (टू व्हीलर)	आईआरडीएएन134ए0003वी01201617
		यूएसजीआई-एंजिन प्रोटेक्टर-मोटर ओडी-ऐड ऑन (प्राइवेट कार)	आईआरडीएएन134ए0004वी01201617
		काम्प्रेहेन्सिव ऑपरेशनल लार्ज रिस्क पॉलिसी	आईआरडीएएन134पी0007वी01201617
		टू व्हीलर लांग टर्म पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन134पी0007वी01201617
		मोटर डीलर्स पैकेज पॉलिसी	आईआरडीएएन134पी0008वी01201617

अनुबंध 7

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
1	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	ग्रूप ऐक्टिव सेक्यूर	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एबीएचआई/पी-एच(जी)/V.I/18/2016-17
		ग्रूप ऐक्टिव हेल्थ	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एबीएचआई/पी-एच(जी)/V.I/19/2016-17
		ऐक्टिव हेल्थ	31.10.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एबीएचआई/पी-एच/V.I/32/16-17
2	अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	ग्रूप ईज़ी कैश	23.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच(जी)/V.I/54/2016-17
		हेल्थ वालेट	30.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/V.I/57/2016-17
		ग्रूप एश्योरेंस हेल्थ प्लान	21.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच(जी)/V.I/62/2016-17
		हेल्थ ऑन	29.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एएमएचआई/पी-एच/V.I/09/16-17
		ऑप्टिमा रेस्टोर	16.09.2016	आईआरडीए/एचएलटी/एएमएचआई/V.III/1/2016-17
		ईज़ी हेल्थ	16.09.2016	आईआरडीए/एचएलटी/एएमएचआई/V.III/1आर/2016-17
3	बजाज अलायंज़ जन इंश्योरेंस कंपनी लि.	फैमिली हेल्थ केअर	07.03.2017	आईआरडीए/एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/V.I/65/2016-17
		सुरक्षा चक्र	19.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/V.I/40/16-17
		हेल्थ गार्ड	28.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/V.II/113/16-17
		ग्रूप बिजनेस ट्रैवलर्स इंश्योरेंस पॉलिसी	28.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी(जी)/V.I/41/2016-17
		एक्सट्रा केअर प्लस	11.01.2017	आईआरडीएई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-एच/V.I/50/2016-17
		ग्लोबल पर्सनल गार्ड पॉलिसी (ग्रूप)	12.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-पी/V.I/04/2016-17
		बजाज अलायंज़ भारत भ्रमण इंश्योरेंस पॉलिसी	28.11.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएजीआई/पी-टी/V.I/37/16-17
4	भारती अक्सा जीआई कंपनी लि.	यूनिवर्सल प्रोटेक्शन इंश्योरेंस पॉलिसी	28.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/बीएएक्सए/पी-एच(जी)/V.I/63/2016-17
5	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	चोल कांप्रिहेन्सिव ट्रैवल इंश्योरेंस	09.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-टी/V.I/66/2016-17
		चोल ग्रूप हॉस्पिटल कैश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी	16.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच(जी)/V.I/68/2016-17
		चोल सूपर टॉप अप इंश्योरेंस	30.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच/V.I/71/2016-17
		चोल क्रेडिट लिंक्ड प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी	27.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच(जी)/V.I/64/2016-17
		चोल ग्रूप क्रेडिट लिंक्ड क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस पॉलिसी	24.11.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच(जी)/V.I/34/2016-17
		चोल कांप्रिहेन्सिव ग्रूप पर्सनल ऐक्सिडेंट पॉलिसी	24.11.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-पी(जी)/V.I/35/2016-17
		चोल ग्रूप क्रेडिट लिंक्ड कैंसर केअर इंश्योरेंस	14.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएचएसजीआई/पी-एच(जी)/V.I/38/2016-17
		चोल हेल्थलाइन	13.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीएनएचजीआई/पी-एच/V.II/51/2016-17
6	सिगना टीटीके जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रोहेल्थ ग्रूप इंश्योरेंस पॉलिसी	21.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीटीटीके/पी-एच(जी)/V.I/39/2016-17
		सिगना टीटीके प्रोहेल्थ सेलेक्ट	31.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/सीटीटीके/पी-एच/V.I/72/2016-17
7	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	फ्यूचर ईज़ी ट्रैवल वर्ल्डवाइड	11.04.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-टी/V.I/1/16-17
		फ्यूचर ईज़ी ट्रैवल स्केंजेन	11.04.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-टी/V.I/2/16-17
		सूक्ष्म हॉस्पी-कैश ग्रूप (सूक्ष्म बीमा उत्पाद)	29.04.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-टी/V.I/3/16-17
		फ्यूचर ट्रैवल सुरक्षा सेलेक्ट	14.10.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-टी/V.I/30/16-17
		ग्रूप लोन बीमा	05.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-एच(जी)/V.I/45/2016-17
		ग्रूप हेल्थ इंश्योरेंस संशोधित	10.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-एच(जी)/V.I/47/2016-17
		ग्रूप पर्सनल ऐक्सिडेंट संशोधित	10.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-पी(जी)/V.I/48/2016-17
		ग्रूप पर्सनल ऐक्सिडेंट (केवल डेथ कवर) एसबीआई के वेतन पैकेज खाताधारक के लिए	13.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एफजीआईआई/पी-पी(जी)/V.I/52/2016-17

जारी... अनुबंध 7

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	सूक्ष्म बीमा हेल्थ सुरक्षा	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/21/16-17
		सूक्ष्म बीमा एचडीएफसी एरगो हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/22/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रूप मेडीक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/23/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रूप हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/24/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रूप पर्सनल ऐक्सिडेंट इंश्योरेंस	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/25/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रामीण सुरक्षा बीमा पॉलिसी	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/26/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रामीण आरोग्य निधि	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/27/16-17
		सूक्ष्म बीमा एचईडीएफसी एरगो जनता पर्सनल ऐक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/28/16-17
		सूक्ष्म बीमा ग्रामीण सुरक्षा बीमा	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच/V.I/29/16-17
		ग्रूप क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस	21.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एचडीएफसी-एरगोजीआई/पी-एच(जी)/V.I/69/2016-17
9	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईआरसीटीसी के ई-टिकट यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा	21.11.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आईसीआईसीआइ (आईआरसीटीसी)/पी-टी/V.I/33/16-17
10	इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	किसान सुरक्षा बीमा योजना	20.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आईटीजीआई/पी-एच/V.I/07/2016-17
11	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	कोटक ग्रूप हेल्थ केअर	02.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-एच(जी)/V.I/58/2016-17
		कोटक ग्रूप सेक्यूर शील्ड	14.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-एच(जी)/V.I/60/2016-17
		कोटक ग्रूप ऐक्सिडेंट प्रोटेक्ट	15.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-एच(जी)/V.I/61/2016-17
		कोटक क्रिटिकल इलनेस केअर - 'कोटक सेक्यूर शील्ड' नाम का परिवर्तन	11.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-एच/V.I/06/2016-17
		कोटक ऐक्सिडेंट केअर	23.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-पी/V.I/08/2016-17
		कोटक ग्रूप ऐक्सिडेंट केअर	03.08.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/केएमजीआई/पी-पी/V.I/15/16-17
12	लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	लिबर्टी सेक्यूर फ्यूचर कनेक्ट ग्रूप पॉलिसी	06.02.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-एच(जी)/V.I/59/2016-17
		ग्रूप हॉस्पी-कैश कनेक्ट पॉलिसी	31.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-एच/V.I/5/16-17
		हेल्थ कनेक्ट सुप्रा	28.10.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एलवीजीआई/पी-एच/V.I/31/16-17
13	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	हेल्थ एश्युरेंस	07.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमबीएचआई/पी-एच/V.II/175/2016-17
		हार्ट बीट	28.10.2016	आईआरडीए/एनएल-एचएलटी/एमबीएचआई/पी-एच/V.III/19/16-17
		ग्रूप हेल्थ सेक्यूर	30.12.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमबीएचआई/पी-एच(जी)/V.I/42/2016-17
		ग्रूप क्रिटी केअर	18.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एमबीएचआई/पी-एच(जी)/V.I/53/2016-17
14	रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	केअर	27.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएचआई/पी-एच/V.II/253/16-17
15	रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईआरसीटीसी के ई-टिकट यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा	04.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसजीआई/पी-टी(जी)/V.I/44/2016-17
		जनता पर्सनल ऐक्सिडेंट प्रोडक्ट - सूक्ष्म बीमा उत्पाद (सामूहिक)	29.07.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसजीआई/पी-पी/V.I/12/16-17
		शक्ति सेक्यूरिटी शील्ड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट (सामूहिक)	29.07.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसजीआई/पी-पी/V.I/13/16-17
		ग्रामीण दुर्घटना बीमा पॉलिसी सूक्ष्म बीमा उत्पाद (सामूहिक)	29.07.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/आरएसजीआई/पी-पी/V.I/14/16-17
16	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	ट्रैवल इंश्योरेंस (बिजनेस एण्ड हॉलीडे) (रिविज़न)	09.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी-टी/V.II/36/16-17
		ग्रूप डोमेस्टिक ट्रैवल पॉलिसी	20.07.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसबीआईजीआई/पी-टी/V.I/10/16-17

जारी... अनुबंध 7

वर्ष 2016-17 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पाद का नाम	दिनांक	यूआईएन
17	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	श्री ग्रूप पर्सनल ऐक्सिडेंट इंश्योरेंस	04.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसजीआई/पी-पी(जी)/V.I/43/2016-17
		आईआरसीटीसी के ई-टिकट यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा बीमा	30.09.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसजीआई/आईआरसीटीसी सरकारी योजना/V.I/17/16-17
18	स्टार हेल्थ एण्ड अलॉयड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	सीएससी-पर्सनल ऐक्सिडेंट इंश्योरेंस (वैयक्तिक)	27.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-पी(सीएससी)/V.I/56/2016-17
		स्टार फर्स्ट डिलाइट	16.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/कॉम्बी/V.I/2/2016-17
		स्टार फर्स्ट कांप्रिहेन्सिव	16.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/कॉम्बी/V.I/3/2016-17
		स्टार फर्स्ट केअर	16.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/कॉम्बी/V.I/4/2016-17
		स्टार फर्स्ट क्लासिक	16.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/कॉम्बी/V.I/5/2016-17
		स्टार फर्स्ट ऑप्टिमा	16.05.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/कॉम्बी/V.I/1/2016-17
		स्टार कार्डियाक केअर इंश्योरेंस पॉलिसी	30.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/V.III/397/2016-17
		डायबीटीज़ सेफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी	30.06.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/V.III/173/2016-17
		स्टार सूपर सरप्लस (फ्लोटर) इंश्योरेंस पॉलिसी	19.04.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/V.II/164/2016-17
		सूपर सरप्लस इंश्योरेंस पॉलिसी	19.04.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच/V.II/170/2016-17
		कम्यूनिटी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम विजयवाडा	25.11.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच(जी)/V.I/36/2016-17
		जेट प्रिविलिज ग्रूप हेल्थ इंश्योरेंस	14.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एसएचएआई/पी-एच(जी)/V.I/67/2016-17
19	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	ऑटो शील्ड पॉलिसी	20.07.2016	आईआरडीएआई/एचएलटी/टीएजीआई/पी-पी/V.I/11/16-17
		ग्रूप क्रेडिट सेक्यूर	11.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/टीएजीआई/पी-एच(जी)/V.I/51/2016-17
20	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	रूम रेंट राइडर	03.08.2016	आईआरडीएआई/एनएल-एचएलटी/एनआईए/आर-एच/V.I/16/16-17
		न्यू इंडिया मेडीक्लेम पॉलिसी	09.03.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एनआईए/पी-एच/V.II/330/2016-17
		न्यू इंडिया प्रीमियर मेडीक्लेम पॉलिसी	09.01.2017	आईआरडीएआई/एचएलटी/एनआईए/पी-एच/V.I/46/2016-17

अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
1	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/आरआईएन/065/04/2016	साधारण बीमा	01/04//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	सीमापार पुनर्बीमा संबंधी दिशानिर्देश
2	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएनएसआरई/066/04/2016	मध्यवर्ती विभाग	06/04//2016	परिपत्र	बीमा लेनदेन एक्सचेंज (आइट्रेक्स) के संबंध में बीमा पॉलिसियों के लिए केवाईसी संबंधी विवरण की स्थिति अपलोड करने के लिए समय-विस्तार
3	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/074/04/2016	प्रवर्तन	12/04//2016	विविध	मेसर्स भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
4	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/075/04/2016	प्रवर्तन	13/04//2016	विविध	मेसर्स डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
5	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एसीटीएस/077/04/2016	वित्त और लेखा	18/04//2016	परिपत्र	पेंशन योजना की वर्धित व्यवस्था का लेखांकन व्यवहार
6	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/078/04/2016	साधारण बीमा	26/04//2016	परिपत्र	विदेशी मूल/सहायक/समूह कंपनियों के साथ वैश्विक आधार पर पुनर्बीमा का स्थानन
7	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/079/04/2016	प्रवर्तन	26/04//2016	आदेश	मेसर्स मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
8	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/080/04/2016	प्रवर्तन	26/04//2016	आदेश	भारतीय साधारण बीमा निगम के मामले में अंतिम आदेश
9	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/085/05/2016	प्रवर्तन	03/05//2016	आदेश	मेसर्स नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आदेश
10	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/086/05/2016	प्रवर्तन	03/05//2016	आदेश	मेसर्स रॉयल सुंदरम अलॉयंस इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
11	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/087/05/2016	दलाल	04/05//2016	विविध	यूनिलाइट ब्रोकर्स प्राइवेट लि. के मामले में अंतिम आदेश
12	आईआरडीए/ईएनएफ/ विविध/ओएनएस/088/05/2016	प्रवर्तन	04/05//2016	विविध	मेसर्स कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
13	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/089/05/2016	दलाल	06/05//2016	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 18 के साथ पठित आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन आईआरडीएआई का आदेश
14	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/090/05/2016	साधारण बीमा	06/05//2016	परिपत्र	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता संबंधी दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश सं. 6 के अधीन अनुमोदन प्रदत्त सीमापार पुनर्बीमा
15	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/095/05/2016	साधारण बीमा	13/05//2016	परिपत्र	सकल वाहन भार (जीवीडब्ल्यू) पर 5% सीमा तक छूट
16	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/097/05/2016	प्रवर्तन	16/05//2016	आदेश	मेसर्स वाइडल हेल्थ टीपीए प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
17	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/098/05/2016	प्रवर्तन	16/05//2016	आदेश	मेसर्स फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
18	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/099/05/2016	प्रवर्तन	16/05//2016	आदेश	एनकेजीएसबी को-ऑप. बैंक लि. के मामले में अंतिम आदेश
19	आईआरडीए/एफएण्डए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016	वित्त और लेखा	16/05//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश
20	आईआरडीए/एसडीडी/ओआरडी/विविध/101/05/2016	क्षेत्रीय विकास	19/05//2016	आदेश	आईएआईएस समितियों/कार्य-दलों में सदस्य/वैकल्पिक सदस्यों का नामांकन
21	आईआरडीए/जीवन/पीएनटीसी/विविध/103/05/2016	जीवन	24/05//2016	सार्वजनिक सूचना	सेवा-प्रदाताओं की सतर्कता सूची
22	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/ईएमटी/104/05/2016	वित्त और लेखा	26/05//2016	आदेश	निर्धारित सीमाओं से अधिक किये गये प्रबंध व्यय (ईओएम) - बीमा नियम, 1939 के नियम 17डी के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी के उपबंधों का उल्लंघन
23	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/विविध/105/05/2016	गैर-जीवन	26/05//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	भारतीय तट पर अटके हुए (स्ट्रैंडेड)/तट से लगे हुए (ग्राउण्डेड) जलयानों के संबंध में बीमा कंपनियों को दिशानिर्देश/ अनुदेश
24	आईआरडीए/एफएनए/ओआरडी/ईएमपी/106/05/2016	वित्त और लेखा	27/05//2016	आदेश	प्रबंध व्ययों की छूट - कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. 5 वित्तीय वर्षों के लिए
25	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/107/05/2016	दलाल	30/05//2016	विविध	मेसर्स इंटिग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के मामले में
26	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/108/05/2016	दलाल	30/05//2016	विविध	मेसर्स एएम-ईएक्स इंश्योरेंस ब्रोकर (इंडिया) प्रा. लि. के मामले में
27	आईआरडीए/एफएण्डआई/ओआरडी/डीएटीए/110/06/2016	एफएण्डआई	03/06//2016	आदेश	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
28	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/111/06/2016	प्रवर्तन	07/06//2016	आदेश	मेसर्स आईआईटी इंश्योरेंस ब्रोकिंग एण्ड रिस्क मैनेजमेंट प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
29	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/112/06/2016	प्रवर्तन	07/06//2016	आदेश	मेसर्स डब्ल्यूएआई इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
30	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/113/06/2016	गैर-जीवन	07/06//2016	परिपत्र	उन्मोचन वाउचर का निर्गम
31	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/115/06/2016	गैर-जीवन	10/06//2016	आदेश	स्वत्व (टाइटल) बीमा संबंधी कार्य-दल
32	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/ विविध/116/06/2016	बीमांकिक	10/06//2016	आदेश	जोखिम आधारित पूँजी दृष्टिकोण और देयताओं के बाजार अनुकूल मूल्यांकन संबंधी समिति
33	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/118/06/2016	प्रवर्तन	13/06//2016	आदेश	मेसर्स एक्सन टीपीए हेल्थकेअर प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
34	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएमएफ/119/06/2016	मध्यवर्ती विभाग	14/06//2016	परिपत्र	बीमा विपणन फर्मों के प्रधान अधिकारी और बीमा विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण आवश्यकताओं से संबंधित प्रति दिन अधिकतम क्रेडिट समय संबंधी उच्चतम सीमा को हटाना
35	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/121/06/2016	दलाल	22/06//2016	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 18 के साथ पठित आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
36	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/122/06/2016	साधारण बीमा	22/06//2016	परिपत्र	पलवल जिले के विभिन्न पुलिस थानों पर पुलिस विभाग द्वारा जब्त किये गये अदावी वाहनों के संबंध में सूचना
37	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/123/06/2016	मध्यवर्ती	24/06//2016	परिपत्र	बिक्री केन्द्र विक्रेता संबंधी दिशानिर्देश - सरकार द्वारा अनुमोदित फ़सल बीमा उत्पाद
38	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/ईएमटी/126/06/2016	वित्त और लेखा	28/06//2016	आदेश	निर्धारित सीमाओं से अधिक किये गये प्रबंधन व्यय (ईओएम) - बीमा नियम, 1939 के नियम 17डी के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी के उपबंधों का उल्लंघन
39	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/127/06/2016	प्रवर्तन	28/06//2016	आदेश	मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
40	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/128/06/2016	प्रवर्तन	28/06//2016	विविध	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
41	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/129/06/2016	टीपीए (मध्यवर्ती)	30/06//2016	विविध	अलंकित हेल्थ केअर टीपीए लि. के मामले में अंतिम आदेश
42	आईआरडीए/जीवन/विविध/सीआईआर/130/06/2016	जीवन	30/06//2016	विविध	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व - वार्षिक प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति के लिए फार्मेट
43	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/131/07/2016	प्रवर्तन	01/07//2016	आदेश	मेसर्स जनकल्याण सहकारी बैंक लि. के मामले में अंतिम आदेश
44	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/ईएमटी/132/07/2016	वित्त और लेखा	12/07//2016	आदेश	निर्धारित सीमाओं से अधिक किये गये प्रबंधन व्यय - बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी के उपबंधों का उल्लंघन
45	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/134/07/2016	जीवन	12/07//2016	परिपत्र	अग्रिम उन्मोचन वाउचर
46	आईआरडीए/एसडीडी/सीआईआर/विविध/135/07/2016	क्षेत्रीय विकास	12/07//2016	परिपत्र	केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री का परिचालन
47	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/टीएण्डई/136/07/2016	मध्यवर्ती	13/07//2016	परिपत्र	वितरण के विभिन्न माध्यमों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा संबंधी अपेक्षाओं का सुमेलन
48	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीएससी/138/07/2016	मध्यवर्ती	13/07//2016	परिपत्र	सीएससी-एसपीवी मॉडल के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादों का परिवर्धन

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
49	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/139/07/2016	मध्यवर्ती	13/07//2016	परिपत्र	पीओएस के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादों का परिवर्धन - गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
50	आईआरडीए/टीपीए/विविध/ओआरडी/140/07/2016	टीपीए (मध्यवर्ती)	18/07//2016	विविध	मेसर्स हैपी इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
51	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/141/07/2016	प्रवर्तन	19/07//2016	आदेश	एसपीए इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ के मामले में अंतिम आदेश
52	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/142/07/2016	प्रवर्तन	21/07//2016	आदेश	मेसर्स भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
53	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/144/07/2016	दलाल	22/07//2016	विविध	मेसर्स हिल इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में आदेश
54	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/145/07/2016	प्रवर्तन	22/07//2016	विविध	मेसर्स श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
55	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/146/07/2016	स्वास्थ्य	22/07//2016	विनियम	स्वास्थ्य बीमा के मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देश
56	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/डीएटीए/148/07/2016	वित्त और लेखा	26/07//2016	आदेश	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 102 के अधीन दंड लगाना
57	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/149/07/2016	मध्यवर्ती	26/07//2016	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 17(1) के साथ पठित आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन आदेश
58	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/150/07/2016	स्वास्थ्य	29/07//2016	विनियम	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के अंतर्गत आनेवाले उत्पादों के लिए उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देश
59	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/151/07/2016	दलाल	29/07//2016	विविध	मेसर्स साईराम इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के मामले में आदेश
60	आईआरडीए/सीएजीटीएस/सीआईआर/एमएसएल/152/08/2016	कॉरपोरेट एजेंट	01/08//2016	परिपत्र	बैंकों/एनबीएफसीएस द्वारा अपविक्रय/अनुचित व्यवसाय पद्धतियों की शिकायतें
61	आईआरडीए/ एफएण्डए/जीडीएल/एलएसटीडी/154/08/2016	वित्त और लेखा	05/08//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	आईआरडीएआई (सूचीबद्ध भारतीय बीमा कंपनियाँ) दिशानिर्देश, 2016
62	आईआरडीए/एफएण्डए/जीडीएल/एलएसटीडी/155/08/2016	वित्त और लेखा	05/08//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	बीमाकर्ताओं के गैर-कार्यकारी निदेशक तथा एमडी/सीईओ/पूर्णकालिक निदेशकों को पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश
63	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/157/08/2016	प्रवर्तन	08/08//2016	आदेश	मेसर्स भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
64	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/158/08/2016	मध्यवर्ती	09/08//2016	परिपत्र	स्पष्टीकरण - पीओएस के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादों का परिवर्धन
65	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीएससी/159/08/2016	मध्यवर्ती	09/08//2016	परिपत्र	स्पष्टीकरण - सीएससी-एसपीवी के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादों का परिवर्धन

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
66	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/161/08/2016	मध्यवर्ती	11/08//2016	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 17(1) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की उप-धारा 42ई के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
67	आईआरडीए/एफएण्डए/विविध/एलएसटीडी/162/08/2016	वित्त और लेखा	11/08//2016	विविध	'भारतीय बीमा कंपनियों की सूचीबद्धता' पर चर्चा-पत्र
68	आईआरडीए/बीआरके/विविध/सीआईआर/167/08/2016	दलाल	18/08//2016	विविध	शुल्क/अर्थ-दंड का विश्लेषण
69	आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/172/08/2016	एफएण्डआई	24/08//2016	परिपत्र	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
70	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/यूलिप/174/08/2016	बीमांकिक	26/08//2016	परिपत्र	समाप्त की गई यूनिट सहबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत पुनःप्रवर्तन का विकल्प
71	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/सीआईआर/180/09/2016	सर्वेक्षक	07/09//2016	विविध	धारा 64यूएम(3) के अंतर्गत अस्थायी व्यवस्थाओं संबंधी स्पष्टीकरण
72	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/182/09/2016	जीवन	12/09//2016	परिपत्र	मृत्यु दावों का निपटान
73	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/सीआईआर/183/09/2016	सर्वेक्षक	15/09//2016	विविध	सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों के लिए ऑनलाइन परीक्षा
74	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/185/09/2016	प्रवर्तन	16/09//2016	आदेश	मेसर्स एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
75	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/186/09/2016	प्रवर्तन	22/09//2016	आदेश	मेसर्स लाइफ इंडिया एजुकेशनल एण्ड चैरिटबल ट्रस्ट के मामले में अंतिम आदेश
76	आईआरडीए/आईएनटी/विविध/ओआरडी/187/09/2016	मध्यवर्ती	23/09//2016	विविध	मेसर्स रिच इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
77	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/188/09/2016	दलाल	28/09//2016	विविध	मेसर्स एसबी इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
78	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/194/10/2016	स्वास्थ्य विभाग	04/10//2016	विविध	मेसर्स युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
79	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/197/10/2016	मध्यवर्ती विभाग	10/10//2016	परिपत्र	सूक्ष्म बीमा एजेंटों के माध्यम से विक्रय के लिए उत्पादों का परिवर्धन
80	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/199/10/2016	प्रवर्तन	13/10//2016	विविध	मेसर्स श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
81	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/201/10/2016	साधारण बीमा	18/10//2016	परिपत्र	सीमापार पुनर्बीमाकर्ता को एफआरएन के ऑनलाइन आबंटन के लिए डेटा क्षेत्र की गुणवत्ता .
82	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएन/202/10/2016	साधारण बीमा	18/10//2016	परिपत्र	व्यवसाय विश्लेषण परियोजना (बीएपी) के माध्यम से गैर-जीवन (पुनर्बीमा) के लिए विवरणियों की प्रस्तुति
83	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/203/10/2016	साधारण बीमा	18/10//2016	आदेश	नेक्टार लाइफ साइन्स लि. द्वारा ओपेन मरीन कार्गो वार्षिक टर्नओवर के अंतर्गत दावे के मामले मे

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
84	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/204/10/2016	दलाल	20/10//2016	विविध	आदेश - मेसर्स पर्ल इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में
85	आईआरडीए/एफएण्डआई/आरईजी/सीआईआर/208/10/2016	एफएण्डआई	24/10//2016	विनियम	सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 द्वारा अपेक्षित रूप में वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने के लिए फार्मेट
86	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/212/10/2016	स्वास्थ्य	27/10//2016	विनियम	स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के लिए स्पष्टीकरण
87	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/214/10/2016	साधारण बीमा	31/10//2016	परिपत्र	सभी जीवन बीमा संविदाओं तथा सभी गैर-जीवन वैयक्तिक और सामूहिक बीमा संविदाओं के संबंध में दावा सूचना/ दस्तावेजों की प्रस्तुत में विलंब
88	आईआरडीए/आईटी/सीआईआर/विविध/215/10/2016	सूचना प्रौद्योगिकी	31/10//2016	परिपत्र	साइबर सुरक्षा ढाँचा
89	आईआरडीए/आईटी/जीडीएल/विविध/216/10/2016	सूचना प्रौद्योगिकी	31/10//2016	परिपत्र	बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा के लिए व्यापक ढाँचा प्रस्तुत करने के लिए कार्य-दल बनाना
90	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/218/11/2016	जीवन	04/11//2016	आदेश	मेसर्स रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2) के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33(6), 102(बी) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश
91	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/219/11/2016	स्वास्थ्य	04/11//2016	विनियम	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016 के उपबंधों के संबंध में स्पष्टीकरण
92	आईआरडीएआई/जीवन/विविध/सीआईआर/221/11/2016	जीवन	07/11//2016	विविध	अप्रामाणिक फोन कॉल तथा काल्पनिक/कपटपूर्ण प्रस्ताव - परिपत्र के उपबंधों में आशोधन
93	आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/जीएलडी/222/11/2016	जीवन	08/11//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	बिक्री केन्द्रों संबंधी दिशानिर्देश - जीवन बीमा उत्पाद
94	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/जीएलडी/223/11/2016	जीवन	08/11//2016	आदेश	बिक्री केन्द्र विक्रेता संबंधी दिशानिर्देश - गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमाकर्ता
95	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/225/11/2016	प्रवर्तन	16/11//2016	आदेश	मेसर्स पैरमाउण्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि. (इसमें इसके बाद टीपीए कहलाएगा) के मामले में अंतिम आदेश
96	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/226/11/2016	दलाल	16/11//2016	विविध	मेसर्स ज़ेन मनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में आदेश
97	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/227/11/2016	प्रवर्तन	17/11//2016	विविध	मेसर्स अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के मामले में अंतिम आदेश
98	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/विविध/228/11/2016	जीवन	18/11//2016	परिपत्र	आईआईबी को जीवन बीमा डेटा का प्रस्तुतीकरण
99	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/आरआईएन/231/11/2016	साधारण बीमा	23/11//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
100	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/आरआईएन/232/11/2016	साधारण बीमा	23/11//2016	आदेश	पुनर्बीमा अध्यर्पण - फैकल्टेटिव और ट्रीटी के लिए संदर्भ के आदेश संबंधी दिशानिर्देशों हेतु सिफारिश करने के लिए समिति का गठन
101	आईआरडीए/बीआरके/जीडीएल/सीआईआर/233/11/2016	दलाल	23/11//2016	दिशानिर्देश/अनुदेश	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 34 के विनियामक स्थगन का विस्तार करना
102	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/235/11/2016	प्रवर्तन	25/11//2016	आदेश	मेसर्स श्रेई इंश्योरेंस ब्रोकिंग (प्रा) लि. (इसमें इसके बाद दलाल कहलाएगा) के मामले में अंतिम आदेश
103	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/चूलिप/236/11/2016	बीमांकिक	25/11//2016	परिपत्र	हाल के विमुद्रीकरण के आलोक में जीवन बीमा पॉलिसियों के नवीकरण प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट अवधि का विस्तार
104	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/238/11/2016	बीमांकिक	29/11//2016	परिपत्र	हाल के विमुद्रीकरण के आलोक में जीवन बीमा पॉलिसियों के नवीकरण प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट अवधि के विस्तार के संबंध में स्पष्टीकरण
105	आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/239/11/2016	एफएण्डआई	30/11//2016	परिपत्र	निवेशों संबंधी मास्टर परिपत्र 2016 का संशोधन
106	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/241/12/2016	दलाल	06/12//2016	विविध	मेसर्स जय इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
107	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/242/12/2016	दलाल	06/12//2016	विविध	मेसर्स इन्स्टानेक्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
108	आईआरडीए/बीआरके/सीआईआर/एमओटी/243/12/2016	दलाल	07/12//2016	परिपत्र	विदेशी से विदेशी को पुनर्बीमा लेनदेनों के लिए विवरणियाँ दाखिल करना
109	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/246/12/2016	प्रवर्तन	08/12//2016	आदेश	मेसर्स डेज्टिनेशन बीमा वेब ऐग्रिगेटर्स (प्रा) लि. (इसमें इसके बाद वेब संग्राहक के रूप में कहलाएगा) के मामले में अंतिम आदेश
110	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/247/12/2016	प्रवर्तन	08/12//2016	आदेश	मेसर्स बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
111	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/249/12/2016	साधारण बीमा	16/12//2016	परिपत्र	डिजिटल साधन के द्वारा प्रीमियम का भुगतान
112	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/251/12/2016	प्रवर्तन	21/12//2016	आदेश	मेसर्स सेफ़वे टीपीए सर्विसेज़ प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
113	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/252/12/2016	प्रवर्तन	21/12//2016	आदेश	मेसर्स लिबर्टी वीडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
114	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/253/12/2016	प्रवर्तन	21/12//2016	आदेश	मेसर्स एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
115	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एडीवी/255/12/2016	जीवन	22/12//2016	परिपत्र	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा स्वास्थ्य विज्ञापनों की फाइलिंग
116	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/256/12/2016	प्रवर्तन	23/12//2016	आदेश	मेसर्स पॉलिसी एक्स.कॉम इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर्स (प्रा) लि. (इसमें इसके बाद वेब संग्राहक कहलाएगा) के मामले में अंतिम आदेश

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
117	आईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/सीआईआर/257/12/2016	स्वास्थ्य	23/12//2016	दिशानिर्देश/ अनुदेश	स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के संबंध में स्पष्टीकरण
118	आईआरडीए/बीआरके/विविध/सीआईआर/260/12/2016	दलाल	29/12//2016	विविध	दलाल कंपनियों के अभिशासन विषयों के संबंध में पूर्व अनुमोदन और सूचना प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन प्रणाली - सभी दलालों को जारी किया जानेवाला परिपत्र
119	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एसीटीएस/262/12/2016	वित्त और लेखा	30/12//2016	परिपत्र	बीमा क्षेत्र में इंड एएस के कार्यान्वयन समूह की रिपोर्ट
120	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/263/12/2016	प्रवर्तन	30/12//2016	आदेश	मेसर्स वाइला कन्सल्टेन्सी सर्विसेज़ इंडिया प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
121	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/001/01/2017	प्रवर्तन	02/01//2017	आदेश	ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. (इसमें इसके बाद बीमाकर्ता कहलाएगा) के मामले में अंतिम आदेश
122	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/ओआरडी/002/01/2017	सर्वेक्षक	04/01//2017	विविध	2 अखिल भारतीय आधार वाली रिक्तियों और 2 क्षेत्रीय रिक्तियों के लिए भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएलए) की 9वीं परिषद के चुनाव संचालित करने के लिए चुनाव अधिकारी की नियुक्ति
123	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/003/01/2017	प्रवर्तन	05/01//2017	आदेश	मेसर्स बेस्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ (प्रा) लि. के मामले में अंतिम आदेश
124	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/005/01/2017	स्वास्थ्य विभाग	09/01//2017	विनियम	स्वास्थ्य बीमा में उत्पाद फाइलिंग और स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के विषय में स्पष्टीकरण
125	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/006/01/2017	स्वास्थ्य विभाग	09/01//2017	विनियम	स्वास्थ्य बीमा में मानकीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के उपबंधों का आंशिक आशोधन
126	आईआरडीए/एफएण्डआई/ओआरडी/एफएण्डए/007/01/2017	एफएण्डआई	13/01//2017	आदेश	बीमाकर्ताओं के लिए जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन संबंधी कार्य-दल
127	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/008/01/2017	प्रवर्तन	11/01//2017	आदेश	एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
128	आईआरडीए/जीवन/ओआरडी/विविध/009/01/2017	जीवन	11/01//2017	आदेश	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अधीन आईआरडीए के निर्देश
129	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/सीपीएम/010/01/2017	वित्त और लेखा	12/01//2017	परिपत्र	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
130	आईआरडीए/एसीटी/आरईजी/पीआरडी/014/01/2017	बीमांकिक	13/01//2017	विनियम	उत्पाद विनियमन की समीक्षा संबंधी समिति का गठन

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
131	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरआईएम/021/01/2017	गैर-जीवन	16/01//2017	परिपत्र	दिनांक 28.01.2016 की अधिसूचना के अनुसार संशोधित आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015 के विनियम 28(9) के प्रवर्तन की तारीख
132	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/सीपीएम/024/01/2017	वित्त और लेखा	23/01//2017	आदेश	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित आदेश
133	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/एलएफटीडी/027/01/2017	वित्त और लेखा	30/01//2017	परिपत्र	सेबी (दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाओं की सूचीबद्धता) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम, 2015) द्वारा अपेक्षित रूप में वित्तीय परिणाम प्रकाशित करने के लिए फार्मेट
134	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएमएफ/028/01/2017	मध्यवर्ती	27/01//2017	परिपत्र	बीमा विपणन फर्म द्वारा अन्य वित्तीय उत्पादों का वितरण
135	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/029/01/2017	स्वास्थ्य	27/01//2017	विविध	डीएचएस टीपीए प्राइवेट लि. के मामले में अंतिम आदेश
136	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/032/02/2017	प्रवर्तन	03/02//2017	आदेश	मेसर्स ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस ब्रोकर्स लि. के मामले में अंतिम आदेश
137	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/034/02/2017	प्रवर्तन	07/02//2017	आदेश	दिनांक 14 दिसंबर 2016 की कारण बताओ नोटिस के लिए उत्तर के आधार पर मेसर्स एमडीइंडिया हेल्थकेअर सर्विसेज़ (टीपीए) प्रा. लि. के मामले में अंतिम परामर्श
138	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/035/02/2017	दलाल	07/02//2017	विविध	मेसर्स श्री प्रतिनिक इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि. के मामले में आदेश
139	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/037/02/2017	प्रवर्तन	13/02//2017	आदेश	मेसर्स ओए इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर्स प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
140	आईआरडीए/एसीटी/ विविध/विविध/039/02/2017	बीमांकिक	16/02//2017	विविध	बीमांकिक की नियुक्ति
141	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/041/02/2017	प्रवर्तन	20/02//2017	आदेश	मेसर्स हाउडेन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
142	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/045/02/2017	दलाल	28/02//2017	विविध	मुथूट इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के कुछ विनियमों और बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन आईआरडीएआई का आदेश
143	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/046/03/2017	प्रवर्तन	02/03//2017	आदेश	दिनांक 9 फरवरी 2017 की कारण बताओ नोटिस के उत्तर के आधार पर मेसर्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कॉरपोरेट एजेंट के मामले में अंतिम आदेश
144	आईआरडीए/आईटी/विविध/विविध/047/03/2017	सूचना प्रौद्योगिकी	02/03//2017	विविध	बीमा क्षेत्र के लिए सूचना और साइबर सुरक्षा ढाँचे से संबंधित एक्सपोज़र प्रारूप
145	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/048/03/2017	दलाल	02/03//2017	विविध	मेसर्स डोरस्टेप इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में आदेश

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
146	आईआरडीए/जीवन/जीडीएल/सीआईआर/049/03/2017	जीवन	03/03//2017	दिशानिर्देश/अनुदेश	सामूहिक बीमा पॉलिसियों के लिए दावा प्रसंस्करण संबंधी दिशानिर्देश
147	आईआरडीए/बीआरके/विविध/सीआईआर/050/03/2017	दलाल	06/03//2017	विविध	पुनर्बीमा/सम्मिश्र दलालों के सभी प्रधान अधिकारी
148	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/053/03/2017	प्रवर्तन	07/03//2017	आदेश	पॉलिसी बाजार इंश्योरेंस वेब एग्रिगेटर्स प्रा. लि. के मामले में अंतिम आदेश
149	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/054/03/2017	बीमांकिक	07/03//2017	परिपत्र	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित वर्तमान उत्पादों और राइडरों के अंतर्गत लघु आशोधनों के लिए फाइल एण्ड यूज़ प्रक्रिया
150	आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ईसीएम/055/03/2017	मध्यवर्ती	08/03//2017	दिशानिर्देश/अनुदेश	बीमा ई-कॉमर्स संबंधी दिशानिर्देश
151	आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/आईएनवी/056/03/2017	एफएण्डआई	14/03//2017	परिपत्र	स्थावर संपदा निवेश न्यासों और बुनियादी संरचना निवेश न्यासों के यूनिटों में निवेश
152	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ओआरडी/057/03/2017	दलाल	16/03//2017	विविध	मेसर्स आईटस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि. के मामले में आदेश
153	आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/पीएसपी/058/03/2017	मध्यवर्ती	16/03//2017	दिशानिर्देश/अनुदेश	बिक्री केन्द्र विक्रेता संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन - गैर-जीवन और स्वास्थ्य
154	आईआरडीए/एफएण्डए/जीडीएल/सीएमपी/059/03/2017	वित्त और लेखा	20/03//2017	दिशानिर्देश/अनुदेश	भारत में बीमाकर्ताओं के लिए स्टेवार्डशिप कोड संबंधी दिशानिर्देश
155	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एफएण्डयू/060/03/2017	साधारण बीमा	22/03//2017	परिपत्र	संशोधित कमीशन/पारिश्रमिक संरचना और प्रतिफल प्रणाली के प्रारंभ के कारण प्रीमियम दरों में आशोधन
156	आईआरडीए/ईएनएफ/विविध/ओएनएस/061/03/2017	प्रवर्तन	24/03//2017	विविध	मेसर्स आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
157	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/063/03/2017	प्रवर्तन	24/03//2017	आदेश	मेसर्स बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लि. के मामले में अंतिम आदेश
158	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/सीआईआर/064/03/2017	स्वास्थ्य	24/03//2017	विनियम	संशोधित कमीशन/पारिश्रमिक संरचना और प्रतिफल प्रणाली के प्रारंभ के कारण प्रीमियम दरों में आशोधन
159	आईआरडीए/ईएनएफ/ओआरडी/ओएनएस/065/03/2017	प्रवर्तन	24/03//2017	आदेश	मेसर्स पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में अंतिम आदेश
160	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/066/03/2017	बीमांकिक	27/03//2017	परिपत्र	फ़सल बीमा के लिए शोधक्षमता कारक
161	आईआरडीए/एनएल/एनटीएफएम/एमओटीपी/068/03/2017	गैर-जीवन	28/03//2017	अधिसूचना	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा हेतु प्रीमियम दरों संबंधी आईआरडीएआई का आदेश
162	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीओएमएम/069/03/2017	मध्यवर्ती	30/03//2017	परिपत्र	आईआरडीएआई के (बीमा एजेंट अथवा बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन, पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016 के विनियम 6(डी)(), 6(ई)() और 5(एफ) संबंधी स्पष्टीकरण

जारी... अनुबंध 8

01/04/2016 से 31/03/2017 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क.सं.	संदर्भ संख्या	विभाग	अधिसूचना का प्रकार	दिनांक	विषय
163	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/070/03/2017	बीमांकिक	30/03//2017	परिपत्र	वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन और संबंधित रिपोर्टों की प्रस्तुति के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना
164	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/सीआईआर/071/03/2017	सर्वेक्षक	31/03//2017	विविध	सर्वेक्षकों के लिए फ़सल बीमा विभाग में प्रशिक्षण और परीक्षाएँ
165	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/सीआईआर/072/03/2017	सर्वेक्षक	31/03//2017	विविध	फ़सल बीमा विभाग में सर्वेक्षण कार्य
166	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/073/03/2017	बीमांकिक	31/03//2017	परिपत्र	परिपत्र सं. आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/035/01/2014 दिनांक 23.01.2014 - निरंतरता दर और नवीकरण दर संबंधी रिपोर्ट
167	आईआरडीए/एसीटी/विविध/विविध/074/03/2017	बीमांकिक	31/03//2017	विविध	साधारण बीमा के लिए बीमांककों का पैनल
168	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/जीईएन/075/03/2017	बीमांकिक	31/03//2017	परिपत्र	वार्षिक बीमांकिक मूल्यांकन और निर्मुक्त रिपोर्टों की प्रस्तुति के भाग के रूप में प्रस्तुत की जानेवाली सूचना

अनुबंध 9

31/03/2017 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति)(बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यवसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002
21	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2002
28	आईआरडीए (अधिशेष का वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (योग्यता बीमांकक) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण/ सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005

#सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

जारी... अनुबंध 9

31/03/2017 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
35	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (समाप्त संबद्ध बीमा पॉलिसियों का व्यवहार) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2013
58	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यवसाय स्थल) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीए (निवेश) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013

#सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

जारी... अनुबंध 9

31/03/2017 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम #

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) (बैठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए-स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2014
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के पंजीकरण, निरसन अथवा परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की नोटिस की प्राप्ति की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यवसाय स्थल) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी निर्गम) विनियम, 2015
99	आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (निरीक्षण और विवरणियों की प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लॉयड्स इंडिया) विनियम, 2016

#सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

जारी... अनुबंध 9

31/03/2017 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
103	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	'आईआरडीएआई (बीमांकक की योग्यता) (निरसन) विनियम, 2016 ङङ'
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पॉलिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लॉयड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016

#सरकारी राजपत्र में अधिसूचित

अनुबंध 10(i)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड का अदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	मेसर्स भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500000	12/04/2016	सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों के खंड बी-2 और सी-4 तथा परिपत्र सं. 015/आईआरडीए/जीवन/परिपत्र/जीआई दिशानिर्देश/2005 दिनांक 14/07/2005 का उल्लंघन
2	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	13/04/2016	आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों, कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों और आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंसी का लाइसेंसीकरण) विनियम का उल्लंघन
3	मैक्स बूपा हेल्थ	2000000	26/04/2016	एफएण्डयू दिशानिर्देश, प्राधिकरण के परिपत्र सं. आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003, आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010 तथा कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के खंड 6 का उल्लंघन
4	कोटक महिन्द्रा ओल्ड म्युचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500000	06/05/2016	आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 का उल्लंघन
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	06/05/2016	कॉरपोरेट एजेंसी संबंधी दिशानिर्देशों, कमीशन परिपत्रों, आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 तथा एफएण्डयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
6	रॉयल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	4000000	06/05/2016	आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों, कमीशन परिपत्रों, आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के विनियम 3(1)(iii), परिपत्र आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003, परिपत्र सं. 11/आईआरडीए/दलाल-कमीशन/अगस्त-08, आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 दिनांक 25-08-2008 के विनियम 7 (i) तथा एफएण्डयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
7	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	3500000	16/05/2016	प्राधिकरण के परिपत्र आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003, एफएण्डयू दिशानिर्देशों, सामूहिक बीमा दिशानिर्देशों तथा आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010 के विनियम 9(क) का उल्लंघन
8	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1000000	28/06/2016	बीमा अधिनियम की धारा 64वीबी, एफएण्डयू दिशानिर्देशों तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 19 का उल्लंघन
9	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	500000	20/07/2016	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 4(क) और 4(ख) का उल्लंघन
10	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500000	12/07/2016	बीमा नियम 1939 के नियम 17डी के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी के उपबंधों का उल्लंघन
11	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	25/07/2016	आईआऱडीए परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/सीआईआर/010/2003 दिनांक 27.03.2003 और एफएण्डयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
12	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1000000	26/07/2016	कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
13	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3500000	09/08/2016	आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों, प्राधिकरण के परिपत्र सं. आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003 और बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33(3) तथा एफएडयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन

जारी... अनुबंध 10(i)

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि (₹ में)	दंड का अदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
14	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1000000	11/08/2016	प्राधिकरण के परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003, आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 के विनियम 9 तथा प्राधिकरण के कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देश दिनांक 14.07.2005 के खंड 8 और 17 का उल्लंघन
15	लाइफ इंडिया एजुकेशन एण्ड चैरिटबल ट्रस्ट - कॉरपोरेट एजेंट	500000	22/09/2016	आईआरडीए (कॉरपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002 के विनियम 9(1)(डी) का उल्लंघन
16	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	600000	17/10/2016	सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों और एफएण्डयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
17	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	03/11/2016	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33(3) और आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देश, 2011 का उल्लंघन
18	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	500000	18/11/2016	एफएण्डयू दिशानिर्देशों तथा परिपत्र संदर्भ सं. 064/आईआरडीए/एसीटीएल/मार्च-2008 दिनांक 18 मार्च 2008 का उल्लंघन
19	बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2000000	08/12/2016	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013 के विनियम 52, एफएण्डयू दिशानिर्देशों, आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों तथा कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन
20	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	21/12/2016	प्राधिकरण के परिपत्र आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27-03-2003, आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों, कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों तथा कमीशन संबंधी परिपत्रों का उल्लंघन
21	मेसर्स लिबर्टी वीडीयोकॉन जनरल	1500000	22/12/2016	प्राधिकरण के परिपत्र आईआरडीए/सीआईआर/011/2003 दिनांक 27.03.2003, आउटसोर्सिंग संबंधी दिशानिर्देशों, कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों तथा एफएण्डयू दिशानिर्देशों का उल्लंघन
22	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1500000	11/01/2017	एफएण्डयू दिशानिर्देशों, कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 19 का उल्लंघन
23	पीएनबी मेटलाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1000000	24/03/2017	एफएण्डयू दिशानिर्देशों और आईआरडीए (डेटा बेस की साझेदारी) विनियम, 2010 का उल्लंघन
24	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2000000	27/03/2017	सामूहिक बीमा संबंधी दिशानिर्देशों के खंड सी(4), कॉरपोरेट एजेंसी दिशानिर्देशों और आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 19 का उल्लंघन

अनुबंध 10(ii)

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये दंड (दलाल)

क्रम सं.	संस्था का नाम	दंड की राशि (₹ मे)	दंड का आदेश जारी करने की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	यूनिलाइट इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	35000	4.5.2016	(1) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया। (2) आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 25,000 का दंड लगाया गया।
2	इंटिग्रेटेड रिक्स इंश्योरेंस ब्रोकर्स लि.	10000	27.5.2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।
3	एचआईआई इंश्योरेंस सर्विसेज़ प्रा. लि.	10000	22.7.2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।
4	एलबी इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि.	10000	28.9.2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 18 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।
5	ज़ेनमनी इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज़ प्रा. लि.	10000	16.11.2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।
6	जय इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लि.	10000	6.12.2016	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।
7	श्री प्रतिनिक इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्रा. लि.	35000	7.2.2017	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 35,000 का दंड लगाया गया।
8	आईटस इंश्योरेंस प्रा. लि.	10000	16.3.2017	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के उल्लंघन के लिए रु. 10,000 का दंड लगाया गया।

प्रधान कार्यालय:
तीसरा तल, परिश्रम भवन,
बशीरबाग, हैदराबाद-500 004.
फोन: +91-40-23381100 / 1300
फैक्स: +91-40-6682 3334

Head Office
3rd Floor, Parishram Bhavan
Basheerbagh, Hyderabad - 500 004
Phone : +91-40-2338 1100 / 1300
Fax : +91-40-6682 3334